आज़ादी का अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते

भादूविप्रा
TRAI

वार्षिक रिपोर्ट

2022-2023

G20
भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

(आईएस/आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित संगठन)

वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
(पुराना मिन्टो रोड), नई दिल्ली-110002
टेलिफोन : +91-11-23664147
वेबसाइट : http://www.trai.gov.in

संप्रेषण पत्र

माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के माध्यम से केन्द्र सरकार की सेवा में

यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वर्ष 2022–23 की 26वीं वार्षिक रिपोर्ट को रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (वर्ष 2000 में यथासंशोधित) के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार को अग्रेषित करने के लिए आवश्यक जानकारी शामिल है।

इस रिपोर्ट में दूरसंचार एवं प्रसारण क्षेत्रों के परिदृश्य तथा अधिनियम के तहत इसके लिए अनिवार्य कार्यों के विशिष्ट संदर्भ के साथ भादूविप्रा द्वारा विनियामक मुद्दों पर की गई महत्वपूर्ण पहलों का सारांश समाविष्ट है। इस रिपोर्ट में प्राधिकरण का लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण भी है।

मीनाक्षी गुप्ता

(मीनाक्षी गुप्ता)
प्रभारी अध्यक्ष

दिनांकः नवम्बर, 2023

विषय सूची

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
	दूरसंचार एवं प्रसारण क्षेत्र का परिदृश्य	1-12
भाग-I	**नीतियां और कार्यक्रम**	13-54
	(क) दूरसंचार क्षेत्र में सामान्य परिवेश की समीक्षा	
	(ख) नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा	
	(ग) प्रसारण एवं केबल टीवी क्षेत्र में सामान्य परिवेश की समीक्षा	
	(घ) भाग–I के अनुलग्नक	
भाग-II	**भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यों और प्रचालनों की समीक्षा**	55-138
भाग-III	**भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्य**	139-152
भाग-IV	**भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले और वित्तीय कार्य निष्पादन**	153-228
	(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले	
	(ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के वर्ष 2022–23 के लेखापरीक्षित लेखे	
	(ग) भादूविप्रा के वर्ष 2022–23 के लिए लेखापरीक्षित अंशदायी भविष्य निधि लेखा	

दूरसंचार
और प्रसारण क्षेत्र
का परिदृश्य

परिदृश्य

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) वर्ष 1997 में अपनी स्थापना के बाद से, दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों को सफलतापूर्वक विनियमित करने में 25 वर्ष की लंबी यात्रा पूरी कर ली है। भादूविप्रा का मिशन है कि देश में इन क्षेत्रों के विकास की गति को इस तरह से बढ़ावा देना है जिससे भारत उभरते वैश्विक सूचना समाज में वैश्विक स्तर पर अग्रणी भूमिका निभाने में सक्षम हो सके। भादूविप्रा का एक मुख्य उद्देश्य एक निष्पक्ष और पारदर्शी नीति परिवेश प्रदान करना है जो समान तरह के अवसरों को बढ़ावा देता है और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की सुविधा प्रदान करता है। भादूविप्रा हमेशा देश की डिजिटल क्रांति में सबसे आगे रहा है और उसने दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों के विस्तार में काफी अहम योगदान दिया है, जिससे वे डिजिटल इंडिया और स्मार्ट शहरों के प्रमुख प्रवर्तक बन गए हैं। यह भादूविप्रा की कार्यप्रणाली का प्रमाण है कि दोनों क्षेत्रों में पिछले दो दशकों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। यह वृद्धि न केवल मात्रा और भौगोलिक पहुंच के मामले में है बल्कि उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मामले में भी देखी गई है। भादूविप्रा ने इन क्षेत्रों और कार्य क्षेत्रों में तेजी से हो रहे परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाते हुए, विभिन्न विकासों के प्रभाव का अनुमान लगाते हुए और समय पर समाधान पेश करके इन क्षेत्रों और कार्य क्षेत्रों में व्यवस्थित विकास को बढ़ावा दिया है।

भादूविप्रा के हस्तक्षेप ने दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों में कई रूप धारण किए हैं, जिनमें लाइसेंसिंग, स्पेक्ट्रम मूल्यांकन और प्रतिस्पर्धा जैसे प्रमुख मुद्दों पर सरकार को अनुशंसा से लेकर शुल्क, सेवा की गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण पर नियम शामिल हैं। परामर्श की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता, परिप्रेक्ष्य की बहुलता और हितधारकों के हितों के सामंजस्य पर भादूविप्रा एक मजबूत फोकस बनाए रखता है, जो एक अच्छी विनियामक प्रणाली की आधारशिला हैं।

भादूविप्रा के अस्तित्व में आने के 25 वर्ष पूर्ण होने के महत्वपूर्ण मील के पत्थर के स्मरण में, विश्व दूरसंचार और सूचना सोसायटी दिवस यानी दिनांक 17 मई, 2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में रजत जयंती समारोह आयोजित किया गया था। भारत के माननीय प्रधान मंत्री की इसमें गरिमामयी उपस्थिति रही, जो समारोह में अभाषी रूप में (वर्चुअली) बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, संचार राज्य मंत्री, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री, साथ ही विभिन्न सरकारी विभागों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी और अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों, सेवा प्रदाताओं और विनियामकों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस विशेष समारोह के दौरान माननीय प्रधान मंत्री ने निम्नलिखित चीजें भी जारी कीः

- एक डाक टिकट
- भादूविप्रा की 25 वर्षों की विनियामक यात्रा का वर्णन करने वाली एक स्मारिका
- भादूविप्रा पर एक लघु फिल्म

पूरे वर्ष भर चलने वाले रजत जयंती समारोह के दौरान भादूविप्रा मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों ने कई सेमिनार, विशेष उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रम, रक्तदान शिविर आयोजित किए। भादूविप्रा द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से समाज के विभिन्न वंचित/सीमांत पर रहने वाले वर्गों जैसे किसानों, मछुआरों, विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों (दिव्यांग), स्व–रोजगार वाली ग्रामीण महिलाओं, आदिवासी क्षेत्र के बुनकरों और छात्रों, आंगनवाड़ी आदि में काम करने वाली महिलाओं के लिए विशेष उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रम (सीओपी) आयोजित किए गए थे। इस संबंध में, भीलवाड़ा में विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों (दिव्यांगों) के लिए एक विशेष सीओपी का आयोजन दिनांक 11 अक्टूबर, 2022 को किया गया था। इस विशेष सीओपी से कई श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित, बहरे और गूंगे व्यक्तियों जो इस विशेष सीओपी में शामिल हुए थे, को काफी लाभ मिला है।

भादूविप्रा के रजत जयंती वर्ष के समापन समारोह को मनाने के लिए दिनांक 20 फरवरी, 2023 को जोरावर हॉल, मानेकशॉ सेंटर, दिल्ली कैंट में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस शुभ अवसर पर भादूविप्रा के पूर्व अधिकारियों और सचिवों को संगठन में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें सम्मानित करने हेतु एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया।

भादूविप्रा ने दिनांक 11 अप्रैल, 2022 को "आईएमटी/5जी के लिए निर्दिष्ट किए गए फ़्रीक्वेंसी बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी" पर अपनी अनुशंसा को अंतिम रूप दिया। भादूविप्रा द्वारा की गई अनुशंसाओं में 5जी/आईएमटी के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी से संबंधित नीलामी के लिए स्पेक्ट्रम की मात्रा, बैंड योजना, ब्लॉक आकार, नीलामी में भाग लेने के लिए पात्रता शर्तें, टीडीडी बैंड में हस्तक्षेप शमन, रोल–आउट दायित्व, स्पेक्ट्रम कैप, स्पेक्ट्रम का समर्पण, और स्पेक्ट्रम का मूल्यांकन और आरक्षित मूल्य जैसी अनुशंसाएँ सम्मिलित थीं। इसके अलावा, उद्योग जगत में 5जी के महत्व पर विचार करते हुए कैप्टिव वायरलेस प्राइवेट नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम और 5जी उपयोग मामलों की पहचान, विकास और प्रसार से संबंधित अनुशंसाएँ की गईं। अनुशंसाओं के बाद दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा स्पेक्ट्रम की सफल नीलामी की गई और फिर भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर, 2022 को 5जी सेवाओं का व्यावसायिक रूप से शुभारंभ किया गया।

लघु प्रकोष्ठ (स्मॉल सेल) और एरियल फाइबर के परिनियोजन हेतु स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग पर भादूविप्रा ने एक साथ भोपाल स्मार्ट सिटी, जीएमआर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नई दिल्ली, दीनदयाल पोर्ट कांडला और नम्मा मेट्रो

बेंगलुरु में प्रायोगिक परियोजना शुरू किया था। परामर्श प्रक्रिया और इन पायलटों से सीख के आधार पर, भादूविप्रा ने अपनी व्यापक रिपोर्ट तैयार की है और सभी स्मार्ट शहरों, अन्य शहर और नगरों, बंदरगाह, हवाई अड्डे, मेट्रो रेल, औद्योगिक पार्क और सम्पदाएँ आदि में स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग करके लघु प्रकोष्ठ (स्मॉल सेल) और ऑप्टिकल फाइबर के सफल और तेजी से रोलआउट को सुनिश्चित करने हेतु अनुकूल विनियामक और नीतिगत ढांचे पर सरकार को अपनी अनुशंसाएँ भी दी हैं।

दूरसंचार का भविष्य आशाजनक लग रहा है क्योंकि 5जी मोबाइल प्रौद्योगिकी के विकास से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), क्वांटम कंप्यूटिंग और आभासी वास्तविकता जैसी विभिन्न नई प्रौद्योगिकियां सामने आएंगी। 5जी तकनीक से देश के शासन में सकारात्मक बदलाव आने और कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसंरचना और संभार तंत्र जैसे हर क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहित करते हुए जीवनयापन और व्यापार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। 5जी की ओर अग्रसर होने से तीव्र और अधिक विश्वसनीय कनेक्टिविटी भी मिलेगी, जिससे स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों और सेवाओं का विकास होगा।

डिजिटल कनेक्टिविटी की मांग हाल के वर्षों में कई गुना बढ़ गई है। पिछले कुछ वर्षों में कोविड–19 के दौरान डिजिटल कनेक्टिविटी की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया था, जिससे सभी वर्गों के उपयोगकर्ताओं में इसकी काफी मांग देखी गई, भले ही उनकी अवस्थिति कुछ भी हो। हमारे रहने और काम करने के तरीके में डिजिटल कनेक्टिविटी की अहम् भूमिका रही है।

भादूविप्रा ने हाल ही में 'डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग' पर सरकार को अनुशंसाएँ कीं। इन अनुशंसाओं का जोर डिजिटल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीसीआइ) बनाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर है – जो भवन विकास योजना का आंतरिक हिस्सा है। यह विभिन्न शहरी/स्थानीय निकायों में संपत्ति प्रबंधकों (स्वामी या डेवलपर या भवन निर्माता आदि), सेवा प्रदाताओं, बुनियादी ढांचे प्रदाताओं, डीसीआई पेशेवरों और अधिकारियों सहित विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा।

भवनों के अंदर डिजिटल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की अनुशंसाओं को लागू करने के लिए, भादूविप्रा आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA), टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गनाइजेशन (टीसीपीओ), भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), वास्तुकला परिषद (सीओए) राज्य सरकारें, विकास प्राधिकरण, मूल उपकरण निर्माता (ओईएम), दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी), सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई), डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन (डीआईपीए) और राज्य सरकारें आदि के साथ सहयोग कर रहा है।

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) का उपयोग करके भारत सरकार ने आम लोगों के लिए ब्रॉडबैंड और इंटरनेट/दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार लाने के उद्देश्य से कई योजनाएं शुरू की हैं। हिमाचल प्रदेश के चार जिलों लाहौल और स्पीति, चंबा, कुल्लू और मंडी में दूरसंचार कनेक्टिविटी की स्थिति से संबंधित मुद्दों पर विचार करते हुए, भादूविप्रा ने सुसंगत हितधारकों यानी हिमाचल प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी), स्थानीय राज्य सरकार के अधिकारियों, दूरसंचार सेवा प्रदाता, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) के साथ बातचीत शुरू की और दिनांक 12 दिसंबर, 2022 को ''हिमाचल प्रदेश के दूर–दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी/अवसंरचना में सुधार'' पर अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया और सरकार को विचारार्थ भेजा गया।

प्राधिकरण ने यह भी अनुशंसा की कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) को उनके एलटीई प्रौद्योगिकी–आधारित क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) नेटवर्क के लिए एनसीआरटीसी की स्पेक्ट्रम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे ट्रैक के साथ आरआरटीएस गलियारों में उपयोग के लिए 5 मेगाहर्ट्ज (700 मेगाहर्ट्ज बैंड में युग्मित स्पेक्ट्रम) दिया जाना चाहिए।

भादूविप्रा ने वर्ष के दौरान, विभिन्न विनियामक कार्यों का निष्पादन करते हुए, दूरसंचार टैरिफ ऑर्डर (टीटीओ) में संशोधन जारी करके दूरसंचार उपभोक्ताओं के समक्ष आने वाले कई मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास किया है। यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं के ढांचे को संशोधित करने के लिए टीटीओ (68वां संशोधन) जारी किया गया था।

तत्पश्चात, भादूविप्रा ने आपदाओं/गैर–आपदाओं के दौरान कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (सीएपी) प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित एसएमएस और सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट के लिए टैरिफ पर टेलीकॉम टैरिफ (69वां संशोधन) आदेश 2022 जारी किया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि आपदा के दौरान या आपदा की सूचना से पूर्व या आपदा की समाप्ति के बाद भेजे गए ऐसे एसएमएस/सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट या संदेशों के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

वर्ष के दौरान, विभिन्न विषयों जैसेः– प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए विनियामक ढांचा, आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) की स्पेक्ट्रम आवश्यकताएँ, एम2एम संचार के लिए एंबेडेड सिम, प्रवेश शुल्क और बैंक गारंटी को युक्तिसंगत बनाना, दूरसंचार क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और बिग डेटा का लाभ उठाना, दूरसंचार नेटवर्क में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) की शुरूआत, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अलावा अन्य संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच डेटा संचार सेवाएं, लाइसेंसिंग ढांचा और भारत में पनडुब्बी केबल लैंडिंग के विनियामक तंत्र, एकत्रित डिजिटल प्रौद्योगिकियों और सेवाओं को विनियमित करना – एकत्रित डिजिटल प्रौद्योगिकियों और सेवाओं को सक्षम करना – प्रसारण और दूरसंचार सेवाओं के परिवहन के अभिसरण को सक्षम करना, दूरसंचार अवसंरचना साझा करना, स्पेक्ट्रम साझा करना और स्पेक्ट्रम पट्टे पर देना और यूनिफाइड लाइसेंस (यूएल) के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर (डीसीआईपी) प्राधिकरण की शुरुआत, सेवा (मीटरिंग और बिलिंग सटीकता के लिए अभ्यास संहिता) की गुणवत्ता की समीक्षा पर मसौदा विनियमन, (मीडिया स्वामित्व से संबंधित मुद्दे, प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे से संबंधित मुद्दे, मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) पंजीकरण का नवीनीकरण, सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से संबंधित मुद्दे, दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022 का मसौदा, डीटीएच सेवाओं का लाइसेंस शुल्क और नीतिगत मामले और एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों पर कई परामर्श प्रक्रियाएं शुरू की गईं।

नई आईसीटी प्रौद्योगिकियों के आगमन से आईसीटी सेवाओं के विनियमन में नई चुनौतियाँ आ रही है। क्षेत्र में नवाचार होने से नई प्रकार की सेवाएं लायी जा रही है। 5जी, एआई, एम2एम, एआर/वीआर आदि प्रौद्योगिकियों का वित्त, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, ऊर्जा आदि सहित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा। नई प्रौद्योगिकियों के साथ आईसीटी नवाचार इन क्षेत्रों में कुशलतापूर्वक सेवाएं प्रदान करने में मदद करेंगे। इन सेवाओं द्वारा उत्पन्न विनियामक संबंधी मुद्दों के परस्पर–क्षेत्रीय प्रभाव होंगे। अंतर क्षेत्रीय सहयोगात्मक विनियमन के महत्व को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) आईसीटी विनियमन के लिए एक नए दृष्टिकोण को लागू करने की आवश्यकता की वकालत कर रहा है, जिसे जी5 सहयोगात्मक विनियमन कहा जाता है। आईटीयू ने यह मापने के लिए एक जी5 बेंचमार्क इंडेक्स विकसित किया है कि कैसे देश डिजिटल अर्थव्यवस्था में समग्र डिजिटल सहयोगात्मक विनियमन और नीति निर्माण में परिवर्तन करते हैं। भारत में विनियामक पहलों को शुरू करने से इसे जी5 बेंचमार्क के सहयोगात्मक विनियमन के उन्नत चरण वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो कि उच्चतम श्रेणी है। भादूविप्रा ने राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल क्षेत्र में अंतर–क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने हेतु कई पहल की हैं, जिनमें से कुछ का पहलों का उल्लेख निम्नलिखित पैराग्राफ में किया गया है।

भादूविप्रा भारतीय विनियामकों के मंच (एफओआईआर) पर अन्य क्षेत्र के विनियामकों जैसे:— बिजली विनियामकों (सीईआरसी और एसईआरसी), भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए), भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई), भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी), महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (टीएएमपी), भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए), आदि के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है। बिजली उपयोगिताओं के पारेषण और वितरण नेटवर्क का उपयोग करके देश में 5जी नेटवर्क को शुरू करने के लिए एफओआईआर के तत्वावधान में ''दूरसंचार विनियामकों और बिजली विनियामकों के बीच क्रॉस सेक्टर सहयोगात्मक विनियमन'' पर एक कार्य समूह का गठन किया गया था। कार्य समूह में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा), केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी), राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी), वितरण कंपनियां (डिस्कॉम), दूरसंचार अनुज्ञप्तिधारी, अवसंरचना प्रदाता श्रेणी—I (आईपी—आई) के प्रतिनिधि थे। समिति ने बिजली और दूरसंचार क्षेत्र की परिसंपत्तियों के बंटवारे के साथ—साथ दोनों क्षेत्रों के सेवा प्रदाताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक अन्य नीतिगत पहलों और हस्तक्षेपों पर कई व्यावहारिक अनुशंसाएँ दी हैं। 5जी की अपार संभावना और संभावित योगदान को देखते हुए, एफओआईआर ने एफओआईआर में दर्शाए गए विभिन्न क्षेत्रों अर्थात उद्योग, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली क्षेत्र, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, रियल एस्टेट, क्षेत्र विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए खाद्य उद्योग आदि के साथ—साथ विनियामकों के लिए डेटा एनालिटिक्स, कार्यालय प्रबंधन, एमआईएस आदि के सामान्य अनुप्रयोग में 5जी और संबंधित प्रौद्योगिकियों जैसे एआईएमएल/आईओटी/एम2एम/एआर/वीआर/उद्योग 4.0 आदि को अपनाने से जुड़े अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन करने के लिए एक समूह का गठन करने पर सहमति व्यक्त की है।

डेटा केंद्रों (डीसी) के लिए बिजली की खपत की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से उपयोग करने और डिजिटल संचार क्षेत्र के लिए हरित ऊर्जा उपयोग के प्रोत्साहन के अवसरों का पता लगाने के लिए, भादूविप्रा ने विद्युत मंत्रालय (एमओपी) से प्रोत्साहन, औद्योगिक शुल्क, विद्युत शुल्क आदि की छूट संबंधी मुद्दों को समाधान करने का अनुरोध किया था। विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा मुख्य अभियंता (आरए), सीईए की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया गया था, जिसमें विद्युत मंत्रालय (एमओपी), एमएनआरई, सीईआरसी, ग्रिड इंडिया (पूर्व में पीओएसओसीओ), बीईई और भादूविप्रा के सदस्य शामिल थे। विद्युत मंत्रालय ने अधिसूचनाएं जारी कीं, जिसके तहत एक वितरण लाइसेंसधारी के एक ही विद्युत डिवीजनों में स्थित कई कनेक्शनों के माध्यम से मांग एकत्रीकरण को ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के माध्यम से बिजली लेने के लिए पात्र बनने हेतु इस 100 किलो वाट की आवश्यकता की गणना करने की अनुमति दी गई है। विद्युत मंत्रालय की इन सुधार—आधारित पहलों से दूरसंचार क्षेत्र के विभिन्न सेलुलर ऑपरेटरों को लाभ होगा, जिनके शहर में सैकड़ों टावर स्थित हैं जो 5 से 10 किलोवाट ऊर्जा की खपत करते हैं। वे अब ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के माध्यम से बिजली लेने के पात्र हैं। इससे भारत को समग्र नवीकरण ऊर्जा लक्ष्य हासिल करने में भी मदद मिलेगी।

भादूविप्रा ने भी इस दिशा में पहल की और डिजिटल जगत में भविष्य के विनियामक निहितार्थों का अध्ययन करने और भविष्य के नियमों पर सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए विनियामकों की एक संयुक्त समिति (जेसीओआर) गठित की गई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और उपभोक्ता मामले मंत्रालय (एमओसीए) और दूरसंचार विभाग (डीओटी) और गृह मंत्रालय (एमएचए) से विशेष आमंत्रित सदस्यों के साथ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) समिति के सदस्य हैं। इसका उद्देश्य दूरसंचार संसाधनों का उपयोग करके अवांछित वाणिज्यिक संचार (स्पैम) पर अंकुश लगाने के लिए एक संयुक्त कार्य योजना तैयार करना है। इस समिति ने कुछ महत्वपूर्ण विनियामक संबंधी मुद्दों की पहचान की है, जिनका समाधान खोजने के लिए सभी विनियामकों के साथ मिलकर कार्य करना होगा।

भादूविप्रा ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे ducts (नलिकाओं) के माध्यम से ओएफसी (डार्क फाइबर) इन्फ्रा के विकास के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय/एनएचएआई/एनएचएलएमएल के साथ सहयोग किया है।

भादूविप्रा द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर, और राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन और पीएम गति शक्ति के अनुरूप, एनएचएआई ने दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे (1367 किलोमीटर) और हैदराबाद–बैंगलोर नेशनल कॉरिडोर (512 किलोमीटर) के साथ ओएफसी अवसंरचना के विकास के लिए चरण–I में दो प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए संविदा दिए। इन प्रायोगिक परियोजनाओं को अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों तक बढ़ाया जा रहा है।

इसके अलावा, भादूविप्रा ने अपना भादूविप्रा सेंटर ऑफ स्टडीज एंड रिसर्च–टीसीएसआर स्थापित किया है। यह केंद्र उद्योग, शिक्षा और नीति निर्माण संस्थानों के सहयोग से प्रौद्योगिकीय अध्ययन की अवधारणा, समन्वय और इसे सक्षम करेगा। भादूविप्रा अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र भविष्य के रुझानों की पहचान करने और उभरती नीति/विनियामक चुनौतियों का मूल्यांकन करने हेतु निरंतर अनुसंधान की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करेगा, ताकि विभिन्न हितधारकों को जोड़ने और नवाचार की सुविधा प्रदान करने में एक क्रॉस–इंडस्ट्री दृष्टिकोण सक्षम किया जा सके।

भादूविप्रा ने पूरे भारत में दूरसंचार सब्सक्राइबरों के साथ जुड़ने के महत्व की पहचान की है और उसने अपनी वेबसाइट और उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से एक सार्वजनिक इंटरफेस स्थापित किया है। भादूविप्रा द्वारा संचालित उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रमों ने भी सब्सक्राइबरों के बीच उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद की है, जिससे वे अपनी दूरसंचार सेवाओं संबंधी सूविज्ञ निर्णय लेने में सशक्त हो सके।

वर्ष 2022–23 के दौरान दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विकास संक्षेप में नीचे उल्लिखित हैं:

I दूरसंचार क्षेत्र

दूरसंचार क्षेत्र ने लोगों की दूरियाँ मिटाने और एक जुड़ा हुआ राष्ट्र बनाने में सक्षम हुआ है। इसने लोगों के अपने जीवन जीने के तरीके में काफी बदलाव किया है तथा नए तरीके बनाए है जिससे लोगों आपस में एक–दूसरे के साथ बातचीत करके अपने मेलजोल बढ़ाते हैं और सामाजिक होते हैं। इस क्षेत्र में होने वाले विकास की तीव्र गति देश के समग्र आर्थिक विकास में इसके योगदान के अनुरूप है। एक उभरते बाजार से लेकर सब्सक्राइबरों की बढ़ती संख्या तक, भारतीय दूरसंचार क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी बाजारों में से एक बन गया है। वर्तमान में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार बन गया है और पिछले डेढ़ दशक में भारतीय दूरसंचार ने जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है। भारत में दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले विनियामक ढांचे को एक निश्चित आकार देने में भादूविप्रा ने महत्वपूर्ण और रचनात्मक भूमिका निभाई है।

पूरे वर्ष में, विभिन्न अनुशंसात्मक और विनियामक कार्यों का निर्वहन करते हुए, प्राधिकरण ने दूरसंचार क्षेत्र के समक्ष आने वाले कई मुद्दों और चुनौतियों का समाधान किया। ''आईएमटी/5जी के लिए निर्दिष्ट किये गए फ्रीक्वेंसी बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी'', ''भारत में डेटा सेंटर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क और इंटरकनेक्ट एक्सचेंजों की स्थापना के माध्यम से डेटा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विनियामक ढांचा'', ''लघु प्रकोष्ठ (स्मॉल सेल) और एरियल फाइबर परिनियोजन के लिए स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग'', "सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे (एसईएसजी) की स्थापना और परिचालन के लिए लाइसेंसिंग ढांचा", "हिमाचल प्रदेश के दूर–दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी/अवसंरचना में सुधार'', ''आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) की स्पेक्ट्रम आवश्यकताएं'', और ''डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग'' जैसे प्रमुख मुद्दों पर सरकार को अनुशंसाएँ की गईं। दूरसंचार अनुशंसाएँ और विभिन्न दूरसंचार विनियमों में संशोधनों पर प्राप्त दूरसंचार विभाग (डीओटी) के पिछले संदर्भों पर भादूविप्रा की प्रतिक्रिया भी इस अवधि के दौरान जारी की गई थी।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के अंत में, दिनांक 31 मार्च 2023 को 1166.93 मिलियन सब्सक्राइबर बेस की तुलना में कुल दूरसंचार सब्सक्राइबर बेस 1172.34 मिलियन तक पहुंच गया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 5.41 मिलियन सब्सक्राइबरों की वृद्धि दर्ज की गई। दिनांक 31 मार्च, 2022 के 1142.09 मिलियन सब्सक्राइबर बेस की

तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2023 के अंत में वायरलेस सब्सक्राइबर बेस 1143.93 मिलियन था, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 1.84 मिलियन सब्सक्राइबरों की मामूली वृद्धि दर्ज की गई। दिनांक 31 मार्च 2022 को 24.84 मिलियन सब्सक्राइबरों की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2023 को कुल वायरलाइन सब्सक्राइबर बेस की संख्या बढ़कर 28.41 मिलियन हो गया जो वर्ष 2022–23 के दौरान 14.37% की वृद्धि दर्शाती है। 28.41 मिलियन वायरलाइन सब्सक्राइबरों में से 26.16 मिलियन शहरी सब्सक्राइबर हैं और 2.25 मिलियन ग्रामीण सब्सक्राइबर हैं।

देश में इंटरनेट सब्सक्राइबर बेस दिनांक 31 मार्च, 2022 को 824.888 मिलियन की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2023 को 881.255 मिलियन था। दिनांक 31 मार्च, 2023 को देश का कुल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर बेस 846.569 मिलियन था, जबकि 31 मार्च, 2022 को यह 788.295 मिलियन था।

कई कंपनियां नेटवर्क और कंप्यूटिंग, हार्डवेयर, वर्चुअलाइजेशन टूल, वर्चुअल वर्ल्ड, आर्थिक अवसंरचना और अनुभवों जैसी विभिन्न परतों का निर्माण कर रही हैं। मेटावर्स में कई परिष्कृत प्रौद्योगिकियां जैसे ब्लॉकचेन, एआरवीआर, क्रिप्टोकरेंसी, एआई, 3डी पुनर्निर्माण, आईओटी आदि एकीकृत हैं। मेटावर्स के एप्लिकेशन में स्मार्टसिटी का निर्माण, मनोरंजन, गेमिंग, रिटेल, रिमोट वर्किंग, शिक्षा, पर्यटन और सोशल नेटवर्किंग शामिल हैं।

प्रौद्योगिकी के महत्व को ध्यान में रखते हुए, भादूविप्रा सेंटर ऑफ स्टडीज एंड रिसर्च ने विनियामक परिदृश्य को बेहतर रूप से जानने के लिए दिनांक 12 सितंबर, 2022 को मेटावर्स पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस अवधारणा के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। इसका प्रथम सत्र मेटावर्स और भारत के अवसर के परिचय पर केंद्रित था, साथ ही उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए विनियामक दर्शन पर एक संक्षिप्त जानकारी भी थी। इसके बाद एक्सेस और अंतरसंचालनीयता, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आवश्यकताओं जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ''द मेटावर्स इकोसिस्टम'' पर पैनल चर्चा हुई। तीसरा सत्र ''नीति रूपरेखा और आगे का रास्ता'' विषय पर एक पैनल चर्चा थी। इसमें मेटावर्स के विकास के लिए नीति समर्थन, गोपनीयता और सुरक्षा, कानूनों की पर्याप्तता और स्व–नियमन आदि जैसे विषयों को शामिल किया गया।

II प्रसारण क्षेत्र

वर्ष 2022–23 प्रसारण और केबल सेवा क्षेत्र के लिए एक और व्यस्त और घटनापूर्ण वर्ष रहा है। भारत का मीडिया और मनोरंजन उद्योग हमेशा से हमारी राष्ट्रीय कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। एक ऐसे युवा राष्ट्र के रूप में जिसका जन्म उस युग में हुआ था जब फिल्म और रेडियो अपनी प्रारंभिक अवस्था में थे, हमने शुरू से ही जनसंचार माध्यमों में विजय और कष्टों को प्रतिबिंबित होते देखा है। दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र भारतीय आर्थिक समृद्धि में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बन गया है।

देश की आधी से अधिक युवा आबादी का जनसांख्यिकीय लाभांश सूचना और मनोरंजन सेवाओं के लिए बड़े स्तर पर अवसर प्रदान करता है, जिससे भारतीय एम एंड ई (मीडिया और मनोरंजन) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का उभरता हुआ क्षेत्र बन जाता है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में शानदार वृद्धि देखी गई है। उद्योग रिपोर्टों[1] के अनुसार, भारतीय एम एंड ई क्षेत्र वर्ष 2021 में 1.75 ट्रिलियन से ₹ 2.1 ट्रिलियन तक पहुंच गया जो वर्ष 2022 में 19.9% की वृद्धि को दर्शाती है और 10% की सीएजीआर के साथ वर्ष 2025 में ₹ 2.83 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। टेलीविजन एम एंड ई क्षेत्र के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। यह कुल मीडिया और मनोरंजन राजस्व का लगभग 35% प्रतिनिधित्व करता है। भले ही टेलीविजन सबसे बड़ा क्षेत्र बना हुआ है, डिजिटल मीडिया ने वर्ष 2022 में डिजिटल सब्सक्रिप्शन में 27% की वृद्धि के साथ अभूतपूर्व वृद्धि देखी है। इस क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों की क्षमता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2022 में, एनीमेशन और वीएफएक्स 29% की आश्चर्यजनक वृद्धि के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र था।

[1] FICCI EY Report (April 2023) titled "Windows of opportunity -India's media & entertainment sector – maximizing across segments"

भादूविप्रा मूल्य श्रृंखला में पारदर्शिता, गैर–भेदभाव और समानता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है; दक्षता और विश्वास को बढाता है और मूल्य श्रृंखला में हितधारकों के बीच विवादों को कम करता है। आर्थिक विकास के क्षेत्र में हमारे देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभर रहा है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए व्यवसाय–अनुकूल परिवेश एक पूर्व–आवश्यकता है। एक सक्षम कारोबारी माहौल देश को एक पसंदीदा व्यावसायिक गंतव्य बनाता है। इससे न केवल रोजगार सृजन होता है बल्कि देश की वृद्धि और विकास में भी मदद मिलती है। भादूविप्रा प्रसारण क्षेत्र के निवेश और विकास के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

वर्ष के दौरान, दिनांक 7 मई, 2022 को जारी परामर्श पत्र के अनुसार टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र के शुल्क आर्डर (टैरिफ ऑर्डर) और इंटरकनेक्शन विनियमों की समीक्षा की गई।

समुचित परामर्श के पश्चात, भादूविप्रा ने दिनांक 22 नवंबर, 2022 को विनियामक ढांचे 2017 में संशोधनों को अधिसूचित किया। संशोधनों में अन्य बातों के साथ–साथ निम्न शामिल हैं:

क) टीवी चैनलों की एमआरपी पर ढील जारी रहेगी;

ख) बुके में शामिल करने के लिए एक टीवी चैनल की एमआरपी की सीमा में संशोधन;

ग) बुके बनाते समय ए–ला–कार्टे चैनलों की कीमत के योग पर छूट की सीमा को 45% तक संशोधित करना;

घ) बुके पर भी ब्रॉडकास्टर द्वारा 15% के अतिरिक्त प्रोत्साहन की अनुमति दी जाएगी।

इन संशोधनों को केरल के माननीय उच्च न्यायालय में ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन की याचिका विभिन्न उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई। तथापि, कोई राहत/स्थगन नहीं दिए जाने पर संशोधनों को फरवरी/मार्च, 2023 में विधिवत लागू किया गया। इसने भादूविप्रा को विनियामक ढांचे के सरलीकरण के उद्देश्य से अन्य प्रावधानों की समीक्षा करने में सक्षम बनाया है। हितधारकों[1] के सुझावों के अनुसार वर्ष 2023–24 के दौरान इस संबंध में एक विस्तृत परामर्श लिया जाएगा।

वर्ष 2022–23 के दौरान कई प्रमुख अनुशंसाओं को सरकार के साथ साझा की गईं। ये अनुशंसाएँ ''बाजार संरचना/केबल टीवी सेवाओं में प्रतिस्पर्धा'', ''सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से संबंधित मुद्दे'' पर की गईं; ''मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) का नवीनीकरण, और ''टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना''। भादूविप्रा के कामकाज और संचालन की समीक्षा से संबंधित भाग–II में इन अनुशंसाओं के सार पर चर्चा की गई है। इसके अलावा, भादूविप्रा ने विनियामक अनुपालन में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। भादूविप्रा ने वर्ष 2022–23 की अवधि के दौरान, सूचीबद्ध 52 लेखा परीक्षकों द्वारा कुल 712 लेखापरीक्षा (353–डीपीओ के कारण और 359– प्रसारकों के कारण) आयोजित किए हैं।

प्रसारण क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का उल्लेख इस प्रकार है:

i. प्रसारण क्षेत्र में टेलीविजन और रेडियो सेवाएँ शामिल हैं। टेलीविजन संबंधित सेवाओं को केबल टीवी सेवाओं, डीटीएच सेवाओं, हिट्स सेवाओं और आईपीटीवी सेवाओं के माध्यम से वितरित की जाती हैं। इसके अलावा, प्रसार भारती का स्थलीय टीवी नेटवर्क (दूरदर्शन के माध्यम से) कुछ क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करता है। उद्योग की एक रिपोर्ट[2] के अनुसार, टीवी जगत में लगभग 64 मिलियन केबल टीवी वाले परिवार और 2 मिलियन हिट्स सब्सक्राइबर शामिल हैं। इसके अलावा, जैसा कि पे डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा भादूविप्रा को बताया गया है, दिनांक 31 मार्च, 2023 तक कुल 65.25 मिलियन पे डीटीएच का कुल सक्रिय सब्सक्राइबर थे। इसके अलावा, आईपीटीवी ऑपरेटरों द्वारा सूचित सब्सक्राइबर बेस दिनांक 31 मार्च, 2023 तक 6,47,596 था।

---

[1] Record of Discussion at Annex-1 of the Consultation Paper on Review of Regulatory Framework https://www.trai.gov.in/sites/default/files/CP_07052022.pdf

[2] FICCI EY Report (April 2023) titled "Windows of opportunity -India's media & entertainment sector – maximizing across segments"

ii. टीवी प्रसारण क्षेत्र में दिनांक 31 मार्च, 2023[1] तक 903 निजी सैटेलाइट टीवी चैनल उपलब्ध कराने वाले लगभग 332 प्रसारक हैं। इन टेलीविजन चैनलों में 43 पे टेलीविजन प्रसारकों द्वारा प्रदान किए गए 254 एसडी पे टीवी चैनल और 104 एचडी पे टीवी चैनल शामिल हैं। इसके अलावा, 1748 बहु प्रणाली प्रचालक (एमएसओ)[2], 1 हिट्स ऑपरेटर[3], 4 पे डीटीएच ऑपरेटरों और 25 आईपीटीवी ऑपरेटर[3] सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) के साथ पंजीकृत थे। इसके अलावा, एमआईबी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश में 81,706 केबल ऑपरेटर पंजीकृत थे।

iii. प्रसार भारती, भारत में सार्वजनिक सेवा प्रसारक है जो रेडियो नेटवर्क– ऑल इंडिया रेडियो (आकाशवाणी) और टेलीविजन नेटवर्क (दूरदर्शन) संचालित करता है। वर्तमान में, दूरदर्शन द्वारा 36 सैटेलाइट टीवी चैनल[4] प्रसारित किया जाता है जिसमें 7 राष्ट्रीय चैनल, 28 क्षेत्रीय चैनल और 01 अंतर्राष्ट्रीय चैनल (डीडी इंडिया) शामिल हैं।

iv. प्रसार भारती डीडी फ्री डिश भी संचालित करता है, जो एकमात्र फ्री–टू–एयर (एफटीए) डायरेक्ट–टू–होम (डीटीएच) सेवा है जो भारत में सबसे बड़ा वितरित डीटीएच प्लेटफॉर्म है। डीडी फ्री डिश विशेष रूप से कम आय वाले ग्रामीण, दूरदराज, दुर्गम और सीमावर्ती क्षेत्रों में लाखों लोगों तक पहुंचता है और इसका उपयोग न केवल मनोरंजन के लिए किया जाता है बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाता है। उद्योग के अनुमान के अनुसार, लगभग 45 मिलियन डीडी फ्री डिश परिवार थे[5]। डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर 150 चौनल[6] उपलब्ध हैं।

v. भारत का टेलीविजन उद्योग वर्ष 2021 में 72,000 करोड़ रू. की तुलना में वर्ष 2022 में 70,900 करोड़ का हो गया है, जो लगभग 1.5% की गिरावट दर्शाती है। सब्सक्रिप्शन राजस्व समग्र उद्योग राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है। सब्सक्रिप्शन राजस्व वर्ष 2021 में 40,700 करोड़ से घटकर वर्ष 2022 में 39,200 करोड़ हो गया है। इसके अलावा, विज्ञापन राजस्व वर्ष 2021 में 31,300 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2022 में 31,800 करोड़ रुपये हो गया है।

vi. व्यापक कवरेज, पोर्टेबिलिटी, कम सेट–अप लागत और सामर्थ्य के कारण रेडियो जनसंचार का एक बहुत ही लोकप्रिय साधन बन गया है। भारत में, रेडियो कवरेज शॉर्ट–वेव (एसडब्ल्यू) और मीडियम–वेव (एमडब्ल्यू) बैंड में एम्प्लिट्यूड मॉड्यूलेशन (एएम) मोड और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन (एफएम) मोड में उपलब्ध है। आज, एफएम रेडियो प्रसारण जनता को मनोरंजन, सूचना और शिक्षा प्रदान करने का सबसे लोकप्रिय और व्यापक माध्यम है। जैसा कि भादूविप्रा को निजी एफएम रेडियो प्रसारकों ने बताया है, सार्वजनिक सेवा प्रसारक–ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) के अलावा, दिनांक 31 मार्च, 2023 तक 388 निजी एफएम रेडियो स्टेशन सक्रिय थे। निजी एफएम रेडियो प्रसारकों द्वारा सूचित विज्ञापन राजस्व वर्ष 2021–22 में 1227.15 करोड़[3] रुपये से बढ़कर वर्ष 2022–23 में 1547.13 करोड़[3] रुपये हो गया है।

vii. भारत का सार्वजनिक सेवा प्रसारक ऑल इंडिया रेडियो, प्रसार भारती का रेडियो वर्टिकल अपनी स्थापना के बाद से अपने दर्शकों को सूचना देने, शिक्षित करने और मनोरंजन करने में सहयता कर रहा है। प्रसारण की भाषाओं की संख्या, सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता के स्पेक्ट्रम के मामले में दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक के रूप में सेवा प्रदान करता है, ऑल इंडिया रेडियो (आकाशवाणी) की सेवा में देश भर में स्थित 479 स्टेशन शामिल हैं, जो देश के लगभग 92% क्षेत्र और कुल जनसंख्या का 99.19% को कवर करते हैं। ऑल इंडिया रेडियो (आकाशवाणी) 23 भाषाओं और 179 बोलियों[7] में अपनी प्रोग्रामिंग शुरू करती है।

---

[1] https://new.broadcastseva.gov.in/digigov-portal-web-app/
[2] https://www.mib.gov.in/all_broadcasting_documents
[3] As reported to TRAI
[4] https://prasarbharati.gov.in/dd-channels-2/
[5] FICCI EY Report (April 2023) titled "Windows of opportunity -India's media & entertainment sector – maximizing across segments"
[6] https://www.freedish.in/search/label/Channel-List
[7] https://prasarbharati.gov.in/homepage-air/

viii. रेडियो परिदृश्य में विकास का एक अन्य क्षेत्र देश में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) की संख्या में विस्तार है। इस देश के विशाल परिदृश्य, भाषाई विविधता, क्षेत्रीय अंदाजा और सांस्कृतिक विविधताओं को देखते हुए, सीआरएस में अपार संभावनाएं हैं। सामुदायिक रेडियो प्रसारण आम आदमी की दैनिक समस्याओं पर विशेष ध्यान देने के साथ छोटे समूहों और समुदायों की नेटवर्किंग के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य कर सकता है और उन्हें स्थानीय आकांक्षाओं को साकार करने में भी मदद कर सकता है। सीआरएस की स्थापना शैक्षणिक संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों के सहयोग से की जाती है। एमआईबी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिए दिनांक 31 मार्च, 2023 तक जारी किए गए 571 लाइसेंसों में से 427 ऐसे स्टेशन सक्रिय थे।

III अन्य प्रशासनिक पहलें

वर्ष 1997 में अपनी स्थापना के बाद से, भादूविप्रा किराए के आवास के माध्यम से कार्य कर रहा है। दूरसंचार विभाग (डीओटी) के माध्यम से भारत सरकार (जीओआई) ने दिनांक 26 नवंबर, 2020 के पत्र के माध्यम से नौरोजी नगर, नई दिल्ली में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (डब्ल्यूटीसी) के रूप में विकसित किए जा रहे एनबीसीसी वाणिज्यिक परिसर में भादूविप्रा के लिए निर्मित कार्यालय स्थान की खरीद के लिए सक्षम प्राधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की थी।

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने दिनांक 26 फरवरी, 2021 के आवंटन पत्र के माध्यम से भादूविप्रा को निर्माण से जुडी भुगतान योजना के साथ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में टावर–एफ (4थी, 5वीं, 6ठी और 7वीं मंजिल) में कुल 1,15,982 वर्ग फुट सुपर बिल्ट–अप एरिया (85,545 कारपेट एरिया) आवंटित किया है। साइट पर निर्माण कार्य पूरे जोरों पर है और वर्ष 2023 में भादूविप्रा को सौंपे जाने की उम्मीद है।

इसी बीच, एनबीसीसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली–110029 के टावर–एफ में 4थी, 5वीं, 6ठी और 7वीं मंजिल पर भादूविप्रा कार्यालय स्थान का नियोजन, डिजाइनिंग और इंटीरियर फिट–आउट नवीनीकरण/फर्निशिंग कार्यों के लिए एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड (नवरत्न सीपीएसई एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के साथ दिनांक 22 नवंबर, 2022 को एक समझौता ज्ञापन/करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

तेजी से बदलते प्रौद्योगिकी परिदृश्य और बढ़े हुए कार्यभार से जुड़ी नई विनियामक चुनौतियों के मद्देनजर, भादूविप्रा ने भादूविप्रा में संभावित पुनर्गठन पर विचार–विमर्श शुरू किया। उचित विचार–विमर्श के बाद, वित्त मंत्रालय से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के लिए पुनर्गठन और अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव दूरसंचार विभाग (डीओटी) को भेजा गया है। भादूविप्रा ने इस वर्ष कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के माध्यम से सहायक और व्यक्तिगत सहायक के कैडर में सीधी भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की है।

रिपोर्ट विश्लेषण और प्रकाशन के साथ डेटा रिपोर्टिंग, अनुपालन, विश्लेषण और प्रक्रिया स्वचालन के लिए एप्लिकेशन आधारित एकीकृत प्रणाली के कार्यान्वयन की दिशा में, प्राधिकरण ने हितधारकों से डेटा के ऑनलाइन संग्रह की एक प्रणाली विकसित की है। नई रिपोर्ट, यूआई परिवर्तन और सुरक्षा संवर्द्धन को शामिल करके डेटा सबमिशन को आसान बनाने के लिए सिस्टम को अद्यतन किया गया है। इसके अलावा, भादूविप्रा के विभिन्न प्रभागों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, प्राधिकरण का आईटी प्रभाग विभिन्न आईसीटी आधारित समाधान प्रदान करने के लिए एप्लिकेशन सेवा प्रदाताओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है।

इसके अलावा, भादूविप्रा ने विभिन्न पोर्टल और ऐप भी कार्यान्वित किए हैं। पोर्टल और बैक–एंड सेवाएं क्लाउड पर होस्ट की गई हैं। सभी पोर्टल/ऐप्स का रखरखाव क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लिकेशन के स्तर पर किया जा रहा है। एनआईसी, सर्ट–इन (सीईआरटी–आईएन) और अन्य संगठनों से प्राप्त अलर्ट के आधार पर उन्हें साइबर हमले से सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है।

भाग - I

नीतियां
और
कार्यक्रम

(क) दूरसंचार क्षेत्र में सामान्य परिवेश की समीक्षा

1.1 वित्तीय वर्ष 2022–23 की समाप्ति पर, वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 5.40 मिलियन सब्सक्राइबरों की वृद्धि दर्ज करते हुए दिनांक 31 मार्च, 2022 को 1166.93 मिलियन सब्सक्राइबर आधार की तुलना में समग्र दूरसंचार सब्सक्राइबर आधार 1172.34 मिलियन तक पहुंच गया। सब्सक्राइबर आधार और दूरसंचार–घनत्व **तालिका–1** में दर्शाया गया है।

तालिका–1 : समग्र सब्सक्राइबर आधार और दूरसंचार–घनत्व

विवरण	वायरलेस	वायरलाइन	कुल (वायरलेस_ वायरलाइन)
कुल टेलीफोन सब्सक्राइबर (मिलियन)	1143.93	28.41	1172.34
शहरी टेलीफोन सब्सक्राइबर (मिलियन)	627.54	26.16	653.71
ग्रामीण टेलीफोन सब्सक्राइबर (मिलियन)	516.38	2.25	518.63
समग्र दूरसंचार–घनत्व (%)	82.46%	2.05%	84.51%
शहरी दूरसंचार–घनत्व (%)	128.45%	5.36%	133.81%
ग्रामीण दूरसंचार–घनत्व (%)	57.46%	0.25%	57.71%
शहरी सब्सक्राइबरों का हिस्सा	54.86%	92.09%	55.76%
ग्रामीण सब्सक्राइबरों का हिस्सा	45.14%	7.91%	44.24%
इंटरनेट सब्सक्राइबरों की संख्या (मिलियन)	847.31	33.94	881.25
ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबरों की संख्या (मिलियन)	813.08	33.49	846.57

वायरलेस तथा वायरलाइन खंड में सब्सक्राइबर आधार का विवरण; मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) हेतु अनुरोध; दूरसंचार–घनत्व; इंटरनेट सब्सक्राइबरों और तिमाही दूरसंचार सेवा निष्पादन सूचक का विवरण आगामी पैराग्राफों में दिया गया है।

(क) वायरलेस

1.1.1 वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान दिनांक 31 मार्च, 2022 को 1142.09 मिलियन सब्सक्राइबर आधार की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2023, की समाप्ति तक वायरलेस सब्सक्राइबर आधार 1143.93 मिलियन था जो 1.84 मिलियन सब्सक्राइबरों की मामूली वृद्धि को दर्शाती है। पिछले छह वर्षों के दौरान वायरलेस सब्सक्राइबर आधार की स्थिति **चित्र–1** में दर्शाई गई है।

चित्र–1 : मार्च, 2018 से पिछले छह वर्षों का वायरलेस सब्सक्राइबर आधार (मिलियन में)

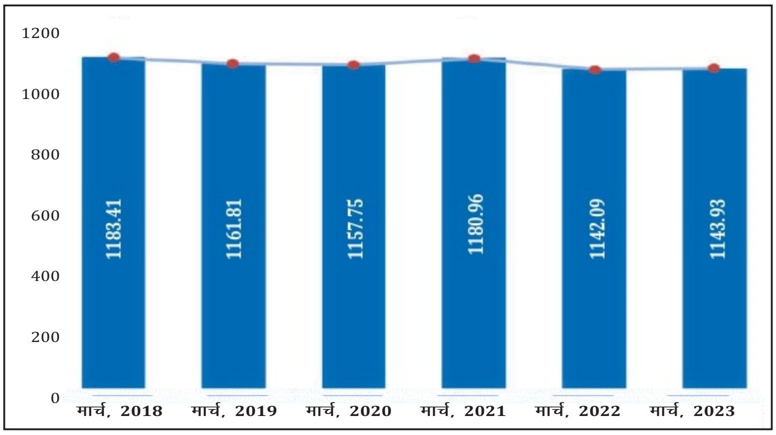

(ख) मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी

1.1.2 वित्तीय वर्ष 2022–2023 के दौरान, एमएनपी सुविधा का लाभ उठाने के लिए 129.94 मिलियन सब्सक्राइबरों ने विभिन्न सेवा प्रदाताओं को अपने पोर्टिंग अनुरोध प्रस्तुत किए हैं। इसके साथ, जनवरी 2011 से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी अनुरोधों की संचयी संख्या मार्च, 2022 के अंत में 689.76 मिलियन से बढ़कर मार्च 2023 के अंत में 819.70 मिलियन हो गई। मार्च, 2023 के अंत में सेवा क्षेत्र–वार संचयी पोर्टिंग अनुरोध **तालिका–2** में दर्शाया गया है।

तालिका–2 : मार्च, 2023 के अंत में सेवा क्षेत्र–वार संचयी पोर्टिंग अनुरोध

मार्च, 2023 के अंत में (सेवा क्षेत्र–वार) संचयी एमएनपी अनुरोध				
	सेवा क्षेत्र	निम्नवत द्वारा संसाधित एमएनपी अनुरोध		पोर्टिंग अनुरोधों की कुल संख्या
		अंचल–I	अंचल–II	
अंचल–I	दिल्ली	37,497,117	1,862,255	39,359,372
	गुजरात	54,877,381	926,842	55,804,223
	हरियाणा	25,868,449	580,662	26,449,111
	हिमाचल प्रदेश	3,533,183	72,100	3,605,283
	जम्मू एवं कश्मीर	1,778,750	113,320	1,892,070
	महाराष्ट्र	65,851,269	1,826,878	67,678,147
	मुंबई	29,169,120	887,447	30,056,567
	पंजाब	27,236,041	1,438,447	28,674,488
	राजस्थान	57,006,674	615,125	57,621,799
	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	69,836,051	1,025,926	70,861,977
	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	54,489,004	609,956	55,098,960
अंचल–II	आंध्र प्रदेश	710,293	57,493,349	58,203,642
	असम	289,492	5,528,241	5,817,733
	बिहार	2,556,462	40,734,382	43,290,844
	कर्नाटक	1,220,840	58,685,256	59,906,096
	केरल	376,970	20,461,334	20,838,304
	कोलकाता	296,807	15,554,587	15,851,394
	मध्य प्रदेश	1,479,701	60,602,459	62,082,160
	उत्तर पूर्व	49,186	1,893,912	1,943,098
	ओडिशा	255,878	14,724,604	14,980,482
	तमिलनाडु	523,494	54,725,896	55,249,390
	पश्चिम बंगाल	841,253	43,592,587	44,433,840
	कुल	435,743,415	383,955,565	819,698,980
	कुल (अंचल–I अंचल–II)			

(ग) वायरलाइन सेवाएं

1.1.3 दिनांक 31 मार्च, 2022 को 24.84 मिलियन सब्सक्राइबरों की तुलना में, दिनांक 31 मार्च, 2023 को कुल वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार 28.41 मिलियन था। वर्ष 2022–23 के दौरान 14.37% की वृद्धि दर्ज की गई। 28.41 मिलियन वायरलाइन सब्सक्राइबरों में से 26.16 मिलियन शहरी सब्सक्राइबर हैं और 2.25 मिलियन ग्रामीण सब्सक्राइबर हैं। पिछले पांच वर्षों का वायरलाइन सब्सक्राइबरों की संख्या **चित्र–2** में दर्शाया गया है।

चित्र–2 : पिछले पांच वित्तीय वर्षों के वायरलाइन सब्सक्राइबरों की संख्या

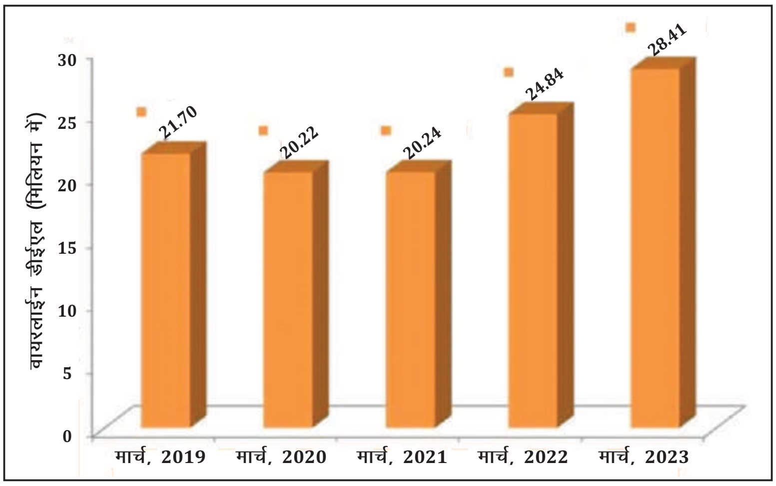

(घ) दूरसंचार–घनत्व

1.1.4 मार्च, 2023 के अंत में दूरसंचार–घनत्व 84.51% था, जबकि पिछले वर्ष के अंत में यह 84.88% था, जिसमें 0.37% की कमी दर्ज की गई थी। मार्च, 2019 से दूरसंचार–घनत्व का रुझान **चित्र–3** में दर्शाया गया है।

चित्र–3 : दूरसंचार–घनत्व का रुझान

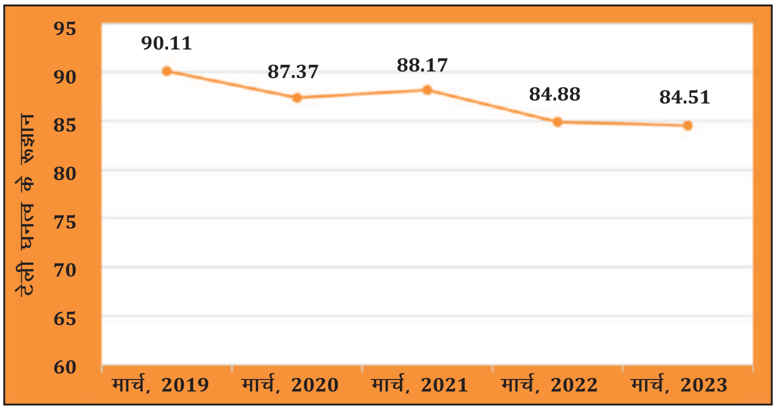

(ङ.) इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर

1.1.5.1 मार्च, 2023 को देश में इंटरनेट सब्सक्राइबर आधार 881.255 मिलियन था, जबकि 31 मार्च, 2022 को 824.888 मिलियन था। दिनांक 31 मार्च, 2023 को देश का कुल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर आधार 846.569 मिलियन था, जबकि 31 मार्च, 2022 तक यह 788.295 मिलियन था।

दिनांक 31 मार्च, 2023 तक देश में सेवा प्रदाताओं द्वारा दी गई सब्सक्रिप्शन का विवरण **तालिका–3** में दर्शाया गया है।

तालिका–3 : इंटरनेट सब्सक्राइबर

(मिलियन में)

खंड			श्रेणी	इंटरनेट सब्सक्राइबर		वृद्धि प्रतिशत
				मार्च, 2022	मार्च, 2023	
क.	वायर्ड		ब्रॉडबैंड	27.246	33.491	22.92%
			नैरोबैंड	0.028	0.45	1528.21%
			कुल	**27.274**	**33.941**	**24.45%**
ख.	वायरलेस	फिक्स्ड वायरलेस (वाई–फाई, वाई–मैक्स, रेडियो और वीसैट)	ब्रॉडबैंड	1.176	1.093	-7.07%
			नैरोबैंड	0.006	0.008	25.43%
			कुल	**1.182**	**1.101**	**-6.90%**
		मोबाइल वायरलेस (फोन + डाँगल)	ब्रॉडबैंड	759.873	811.985	6.86%
			नैरोबैंड	36.559	34.228	-6.38%
			कुल	**796.432**	**846.213**	**6.25%**
कुल इंटरनेट सब्सक्राइबर			ब्रॉडबैंड	788.295	846.569	7.39%
			नैरोबैंड	36.593	34.686	-5.21%
			कुल	**824.888**	**881.255**	**6.83%**

1.2.5.2 सेवा प्रदाताओं द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2022–2023 के लिए तिमाही–वार इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन की संख्या **तालिका–4** में दी गई है।

तालिका–4 : वर्ष 2022–23 के लिए तिमाही–वार इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर आधार

(मिलियन में)

सेवा	जून–2022	सितंबर–2022	दिसंबर–2022	मार्च–2023
ब्रॉडबैंड	800.941	815.934	832.202	846.569
नैरोबैंड	35.918	35.013	33.695	34.686
कुल इंटरनेट	**836.859**	**850.947**	**865.897**	**881.255**

(च) भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन सूचक

1.1.6.1 भादूविप्रा दूरसंचार सब्सक्रिप्शन के आकड़ों के संबंध में एक मासिक प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है। इस प्रेस विज्ञप्ति में कुल सब्सक्राइबर आधार, दूरसंचार–घनत्व, सेवा प्रदाता–वार बाजार में हिस्सेदारी, मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) अनुरोध, व्यस्ततम वीएलआर डेटा, वायरलेस, वायरलाइन और ब्रॉडबैंड खंड आदि में माह के दौरान निवल अभिवृद्धि से संबंधित जानकारी सम्मिलित की जाती है। दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार दूरसंचार सब्सक्रिप्शन डेटा पर प्रेस विज्ञप्ति की मुख्य अंश **तालिका–5** में दी गई है।

तालिका–5 : दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार दूरसंचार सब्सक्रिप्शन डेटा की मुख्य अंश

विवरण	वॉयरलेस	वॉयरलाइन	कुल (वॉयरलेस+ वॉयरलाइन)
कुल टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में)	**1143.93**	**28.41**	**1172.34**
मार्च, 2023 में निबल अभिवृद्धि (मिलियन में)	1.96	0.44	2.40
मासिक वृद्धि दर	0.17%	1.58%	0.21%
शहरी टेलीफोन सब्सक्राइबर (मिलियन में)	**627.54**	**26.16**	**653.71**
मार्च, 2023 में निबल अभिवृद्धि (मिलियन में)	1.18	0.37	1.54
मासिक वृद्धि दर	0.19%	1.42%	0.24%
ग्रामीण टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में)	**516.38**	**2.25**	**518.63**
मार्च, 2023 में निबल अभिवृद्धि (मिलियन में)	0.79	0.073	0.86
मासिक वृद्धि दर	0.15%	3.38%	0.17%
समग्र दूरसंचार– घनत्व (प्रतिशत)	**82.46%**	**2.05%**	**84.51%**
शहरी दूरसंचार– घनत्व (प्रतिशत)	128.45%	5.36%	133.81%
ग्रामीण दूरसंचार– घनत्व (प्रतिशत)	57.46%	0.25%	57.71%
शहरी सब्सक्राइबरों की हिस्सेदारी	54.86%	92.09%	55.76%
ग्रामीण सब्सक्राइबरों की हिस्सेदारी	45.14%	7.91%	44.24%
ब्राडबैंड सब्सक्राइबर (मिलियन में)	**813.08**	**33.49**	**846.57**

❖ मार्च, 2023 में सक्रिय वायरलेस सब्सक्राइबरों की संख्या (व्यस्तम वीएलआर की तिथि पर) 1034.26 मिलियन थी।

टिप्पणी:

- इस प्रेस विज्ञप्ति में दी गई जानकारी सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित है।

* स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, 'भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट 2011–2036' से जनसंख्या के प्रक्षेपण के आधार पर।

वीएलआर विजिटर लोकेशन रजिस्टर का संक्षिप्त नाम है। विभिन्न टीएसपी के लिए व्यस्ततम वीएलआर की तिथि अलग–अलग सेवा क्षेत्रों में पृथक हैं।

1.1.6.2 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 'भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादक सूचकों' के संबंध में एक तिमाही रिपोर्ट का प्रकाशन भी करता रहा है। यह रिपोर्ट दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं के लिए प्रमुख मानदंड तथा विकास रूझानों को प्रस्तुत करती है। उपयुक्त उल्लिखित अवधि के लिए दूरसंचार सेवा निष्पादक सूचकों का सारांश **तालिका–6** में दिया गया है।

तालिका–6 : निष्पादन सूचक (दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार आंकड़े)

दूरसंचार सब्सक्राइबर (वायरलेस+वायरलाइन)	
कुल सब्सक्राइबर	1,172.34 मिलियन
पिछली तिमाही की तुलना में % परिवर्तन	0.17%
शहरी सब्सक्राइबर	653.71 मिलियन
ग्रामीण सब्सक्राइबर	518.63 मिलियन
निजी ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	90.15%
सार्वजनिक ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	9.85%
दूरसंचार–घनत्व	84.51%
शहरी दूरसंचार–घनत्व	133.81%
ग्रामीण दूरसंचार–घनत्व	57.71%
वायरलेस सब्सक्राइबर	
कुल वायरलेस सब्सक्राइबर	1,143.93 मिलियन
पिछली तिमाही की तुलना में % परिवर्तन	0.09%
शहरी सब्सक्राइबर	627.54 मिलियन
ग्रामीण सब्सक्राइबर	516.38 मिलियन
निजी ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	90.73%
सार्वजानिक ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	9.27%
दूरसंचार–घनत्व	82.46%
शहरी दूरसंचार–घनत्व	128.45%
ग्रामीण दूरसंचार–घनत्व	57.46%
तिमाही के दौरान कुल वायरलेस डेटा उपयोग	41,790 पीबी
सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवाओं (पीएमआरटीएस) की संख्या	67,820
वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनलों की संख्या (वीएसएटी)	2,56,170
वायरलाइन सब्सक्राइबर	
कुल वायरलाइन सब्सक्राइबर	28.41 मिलियन
पिछली तिमाही की तुलना में % परिवर्तन	3.48%
शहरी सब्सक्राइबर	26.16 मिलियन
ग्रामीण सब्सक्राइबर	2.25 मिलियन
सार्वजानिक ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	33.15%
निजी ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	66.85%
दूरसंचार–घनत्व	2.05%
ग्रामीण दूरसंचार–घनत्व	0.25%
शहरी दूरसंचार–घनत्व	5.36%
ग्राम सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) की संख्या	68,606
पब्लिक कॉल ऑफिस (पीसीओ) की संख्या	42,135

दूरसंचार वित्तीय डेटा	
तिमाही के दौरान सकल राजस्व (जीआर)	₹85,356 करोड़
पिछली तिमाही की तुलना में जीआर में % परिवर्तन	–3.19%
तिमाही के दौरान लागू सकल राजस्व (एपीजीआर)	₹78,631 करोड़
पिछली तिमाही की तुलना में एपीजीआर में % परिवर्तन	2.62%
तिमाही के दौरान समायोजित सकल राजस्व (एजीआर)	₹64,494 करोड़
पिछली तिमाही की तुलना में एजीआर में % परिवर्तन	2.53%
एक्सेस एजीआर में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की हिस्सेदारी	4.39%
इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर	
कुल इंटरनेट सब्सक्राइबर	881.25 मिलियन
पिछली तिमाही की तुलना में % परिवर्तन	1.77%
नैरोबैंड सब्सक्राइबर	34.69 मिलियन
ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर	846.57 मिलियन
वायर्ड इंटरनेट सब्सक्राइबर	33.94 मिलियन
वायरलेस इंटरनेट सब्सक्राइबर	847.31 मिलियन
शहरी इंटरनेट सब्सक्राइबर	523.26 मिलियन
ग्रामीण इंटरनेट सब्सक्राइबर	357.99 मिलियन
प्रति 100 जनसंख्या पर कुल इंटरनेट सब्सक्राइबर	63.53
प्रति 100 जनसंख्या पर शहरी इंटरनेट सब्सक्राइबर	107.11
प्रति 100 जनसंख्या पर ग्रामीण इंटरनेट सब्सक्राइबर	39.84
सार्वजनिक वाई–फाई हॉटस्पॉट की संख्या	1,66,020
उपभोग किया गया कुल डेटा (जीबी)	53,42,792
प्रसारण एवं केबल सेवाएँ	
निजी सैटेलाइट टेलीविजन चौनलों की संख्या जिन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा केवल अपलिंकिंग/केवल डाउनलिंकिंग/अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दोनों के लिए अनुमति प्रदान की गई है	903
प्रसारकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पे टीवी चैनलों की संख्या	358
निजी एफएम रेडियो स्टेशनों की संख्या (ऑल इंडिया रेडियो के अलावा)	388
पे डीटीएच ऑपरेटरों के साथ कुल सक्रिय सब्सक्राइबरों की संख्या	65.25 मिलियन
सक्रिय सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या	427
पे डीटीएच ऑपरेटरों की संख्या	4
राजस्व एवं उपयोग मानदंड	
वायरलेस सेवा का मासिक एआरपीयू	₹142.32
प्रति सब्सक्राइबर प्रति माह वायरलेस सेवाओं का मिनट में उपयोग (एमओयू)	946 मिनट
इंटरनेट टेलीफोनी के उपयोग के कुल आउटगोइंग मिनट	78.08 मिलियन
वायरलेस डेटा का उपयोग	
प्रति वायरलेस डेटा सब्सक्राइबर प्रति माह औसत वायरलेस डेटा उपयोग	17.36 जीबी
तिमाही के दौरान प्रति सब्सक्राइबर प्रति जीबी वायरलेस डेटा उपयोग के लिए औसत राजस्व वसूली	₹9.94

(ख) नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा

1.2 अपनी स्थापना के बाद से, भादूविप्रा का उद्देश्य देश में दूरसंचार क्षेत्र के व्यवस्थित विकास के लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण और पोषण करना रहा है जो भारत को उभरते वैश्विक सूचना समाज में अग्रणी भूमिका निभाने में सक्षम बनाएगा। इस उद्देश्य के अनुसरण में, भादूविप्रा ने इस अवधि के दौरान विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को प्रारंभ और कार्यान्वित किया है। दूरसंचार क्षेत्र के निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में भादूविप्रा की नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा नीचे दी गई है:

(क) ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क;

(ख) टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार;

(ग) मूलभूत और मूल्यवर्धित दोनों सेवाओं में निजी क्षेत्र का प्रवेश;

(घ) सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी अंतर्संयोजन;

(ङ) दूरसंचार प्रौद्योगिकी;

(च) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का कार्यान्वयन;

(छ) सेवा की गुणवत्ता; तथा

(ज) सार्वभौमिक सेवा बाध्यता

1.2.1 ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क

1.2.1.1 वायरलेस

दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, वायरलेस ग्रामीण सब्सक्राइबरों की संख्या 31 मार्च, 2022 के 517.86 मिलियन से घटकर 31 मार्च, 2023 के अंत में 516.38 मिलियन हो गई। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान ग्रामीण वायरलेस सब्सक्राइबरों की हिस्सेदारी कुल वायरलेस सब्सक्राइबरों का 45.15% है। मार्च, 2018 से ग्रामीण वायरलेस सब्सक्राइबर आधार को **चित्र–4** में दर्शाया गया है। सेवा प्रदाता–वार ग्रामीण वायरलेस सब्सक्राइबर आधार और उनकी बाजार हिस्सेदारी को **तालिका–7** और **चित्र–5** में दर्शाई गई है।

चित्र–4 : मार्च 2018 से ग्रामीण वायरलेस सब्सक्राइबर आधार

(मिलियन में)

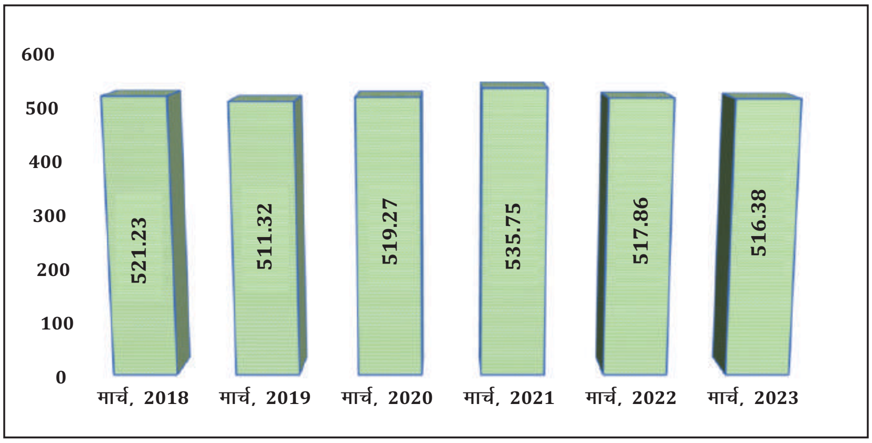

तालिका–7 : सेवा प्रदाता–वार ग्रामीण वायरलेस सब्सक्राइबर और बाजार की हिस्सेदारी

क्र. सं.	वायरलेस समूह	निम्न तिथि को सब्सक्राइबर (मिलियन में)		निम्न तिथि को ग्रामीण सब्सक्राइबर (मिलियन में)		निम्न तिथि को ग्रामीण सब्सक्राइबरों की बाजार हिस्सेदारी	
		मार्च, 2023	मार्च, 2022	मार्च, 2023	मार्च, 2022	मार्च, 2023	मार्च, 2022
1.	रिलायंस जियो	430.23	403.99	188.67	175.77	36.54%	33.94%
2.	भारती एयरटेल	370.91	360.33	179.79	173.98	34.82%	33.59%
3.	वोडाफोन आइडिया लिमिटेड	236.75	260.77	115.37	131.45	22.34%	25.38%
4.	बीएसएनएल (@)	103.68	113.74	32.52	36.62	6.30%	7.07%
5.	एमटीएनएल	2.35	3.25	0.04	0.04	0.01%	0.01%
6.	आरसीएल	0.0027	0.0033	0	0	0.00%	0.00%
	कुल	**1143.93**	**1142.09**	**516.38**	**517.86**	**100.00**	**100.00**

स्रोतः टीएसपी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित

टिप्पणीः

(@) बीएसएनएल के वीएनओ द्वारा रिपोर्ट किए गए वायरलेस सब्सक्राइबर आधार आंकड़े बीएसएनएल के वायरलेस सब्सक्राइबर आधार में शामिल हैं।

चित्र–5 : दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण सब्सक्राइबर आधार की बाजार हिस्सेदारी

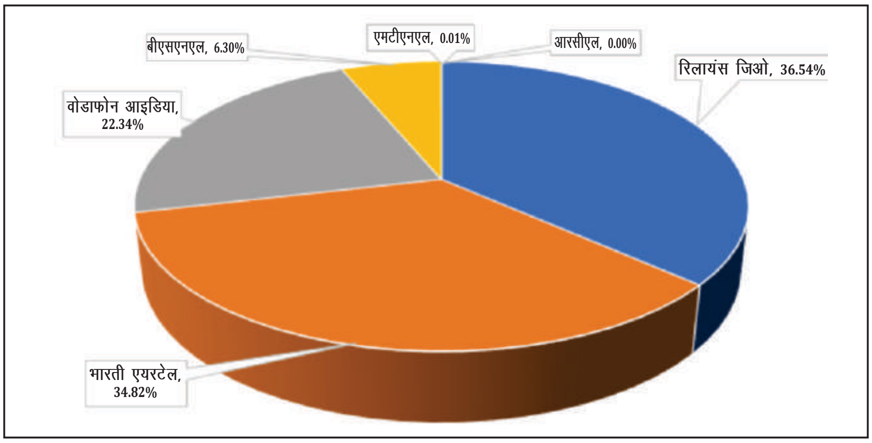

1.2.1.2 वायरलाइन सेवाएं

दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार 2.25 (22,47,975) मिलियन था, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2022 के अंत में यह संख्या 1.96 (19,56,175) मिलियन था, जिसमें वर्ष के दौरान 14.92% की वृद्धि दर्ज की गई थी। सेवा प्रदाता–वार वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार और उनकी बाजार हिस्सेदारी **तालिका–8** में दर्शाई गई है।

तालिका–8 : सेवा प्रदाता–वार ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार तथा उनकी बाजार हिस्सेदारी

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	कुल वॉयरलाइन सब्सक्राइबर		ग्रामीण वॉयरलाइन सब्सक्राइबर		ग्रामीण वॉयरलाइन सब्सक्राइबरों की बाजार हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	
		मार्च, 2022	मार्च, 2023	मार्च, 2022	मार्च, 2023	मार्च, 2022	मार्च, 2023
1	बीएसएनएल	75,09,030	71,05,823	18,06,675	20,34,776	92-36%	90-52%
2	एमटीएनएल	26,93,638	23,12,553	-	34	0-00%	0-002%
3	भारती एयरटेल लिमिटेड	58,50,300	71,47,472	-	-	-	-
4	क्वाड्रेंट टेलीवेंचर्स लिमिटेड	2,66,799	3,37,922	22,618	19,442	1-16%	0-86%
5	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड	16,00,819	15,41,152	37,562	24,831	1-92%	1-10%
6	रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड	1,74,121	1,45,706	150	362	0-01%	0-02%
7	वोडाफोन आइडिया लिमिटेड	5,72,478	7,03,179	-	-	-	-
8	रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड	61,72,571	91,15,969	89,170	1,68,530	4-56%	7-50%
	कुल	**2,48,39,756**	**2,84,09,776**	**19,56,175**	**22,47,975**	**100.00%**	**100.00%**

(ii) पिछले चार तिमाहियों के लिए ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबरों की स्थिति **चित्र–6** में दर्शाई गई है:–

चित्र–6 : ग्रामीण वायरलाइन ग्राहकों को दर्शाता बार चार्ट

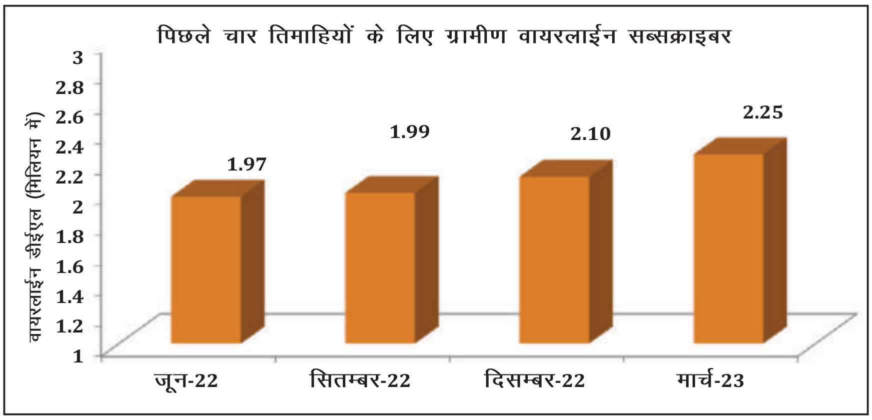

(iii) पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबरों की स्थिति **चित्र–7** में दर्शाई गई है:–

चित्र–7 : 2019–2023 के दौरान ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबरों को दर्शाता बार चार्ट

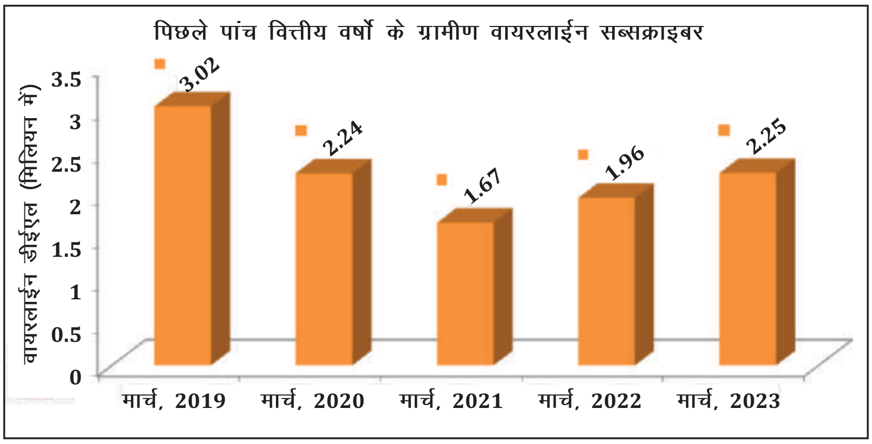

1.2.2 टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार

देश में दूरसंचार नेटवर्क का पर्याप्त विस्तार हुआ है, जिसे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा स्थापित बेस स्टेशनों की बढ़ती संख्या से देखा जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, कुछ दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने देश में 5जी नेटवर्क लॉन्च किए। मार्च, 2018 से मार्च, 2023 तक बेस स्टेशनों की कुल संख्या (जिसमें 2जी बीटीएस, 3जी नोड्स बी, 4जी ईनोड्स बी और 5जी जीनोड्स बी शामिल हैं) की वार्षिक वृद्धि **चित्र–8** में देखी जा सकती है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, बीटीएस की संख्या मार्च, 2022 के अंत में 27,56,271 से बढ़कर मार्च, 2023 के अंत में 30,47,630 [1,46,056 जीनोड बी (5जी) सहित] हो गई है।

चित्र–8 : संस्थापित किये गए बीटीएस

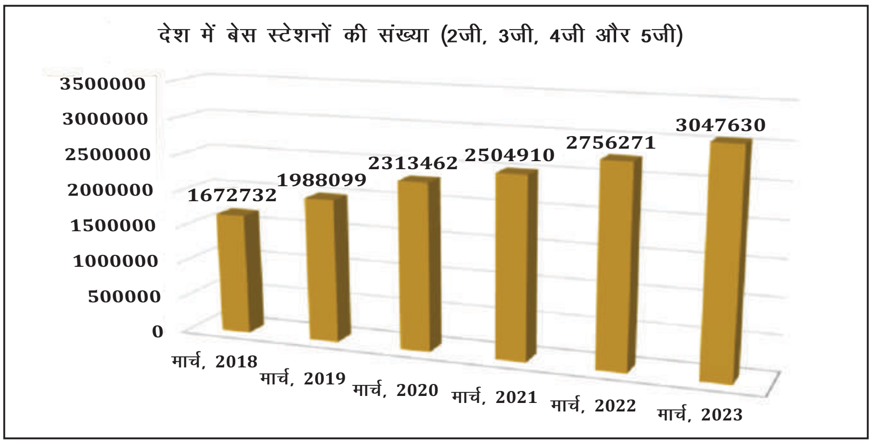

नोटः 5जी सेवाएँ अक्टूबर, 2022 में शुरू हुईं।

1.2.2.1 वायरलेस सेवाएँ

दिनांक 31 मार्च, 2023 को वायरलेस सब्सक्राइबर आधार 1143.93 मिलियन है, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2022 को सब्सक्राइबर बेस 1142.09 मिलियन था। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान सब्सक्राइबर बेस में 1.84 मिलियन सब्सक्राइबर्स की मामूली वृद्धि हुई। मार्च, 2018 से मार्च, 2023 तक सब्सक्राइबर आधार का रुझान **चित्र–9** में दर्शाया गया है।

चित्र–9 : वायरलेस ऑपरेटरों का सब्सक्राइबर आधार

(मिलियन में)

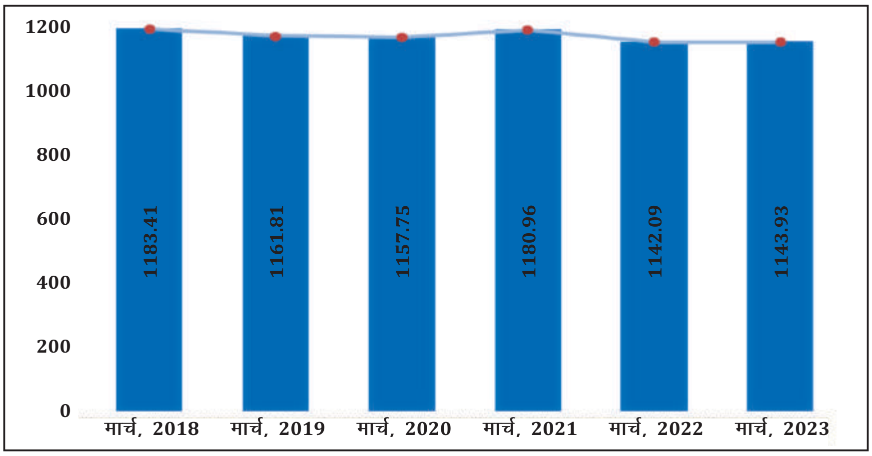

वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2022–23 तक व्यक्तिगत वायरलेस सेवा प्रदाताओं का सब्सक्राइबर आधार और वित्तीय वर्ष 2022–23 में उनकी प्रतिशत वृद्धि/कमी **तालिका–9** में दी गई है। दिनांक 31 मार्च, 2023 तक विभिन्न मोबाइल ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी **चित्र–10** में प्रदर्शित की गई है।

तालिका–9 : मार्च, 2019 से मार्च, 2023 तक वायरलेस सेवाओं का सब्सक्राइबर आधार

(मिलियन में)

सेवा प्रदाता	मार्च, 2019	मार्च, 2020	मार्च, 2021	मार्च, 2022	मार्च, 2023	मार्च, 2022 के संदर्भ में वृद्धि/कमी
रिलायंस जियो	306.72	387.52	422.92	403.99	430.23	6.50
भारती एयरटेल ($)	325.18	327.81	352.39	360.33	370.91	2.94
वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (^)	394.84	319.17	283.71	260.77	236.75	-9.21
बीएसएनएल (~)	115.74	119.87	118.63	113.74	103.68	-8.84
एमटीएनएल	3.45	3.36	3.30	3.25	2.35	-27.69
आरकॉम/आरटीएल	0.02	0.0178	0.01	0.0033	0.0027	-0.19
टाटा टेलीसर्विसेज ($)	15.85	--	--	--	--	--
कुल	**1161.81**	**1157.75**	**1180.96**	**1142.09**	**1143.93**	**0.16**

स्रोतः जैसा कि टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं द्वारा भादूविप्रा को प्रदान किया गया है।

($) मेसर्स टाटा टेलीसर्विसेज का मेसर्स भारती एयरटेल के साथ 6 फरवरी, 2020 को विलय हो गया है।

(^) मेसर्स वोडाफोन और मेसर्स आइडिया सेल्युलर ने दिनांक 31 अगस्त, 2018 से अपनी वाणिज्यिक सेवा का विलय कर दिया है।

(~) बीएसएनएल के वीएनओ द्वारा रिपोर्ट किए गए वायरलेस सब्सक्राइबर आधार आंकड़े बीएसएनएल के वायरलेस सब्सक्राइबर आधार में शामिल हैं।

चित्र–10 : वायरलेस सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी (31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार)

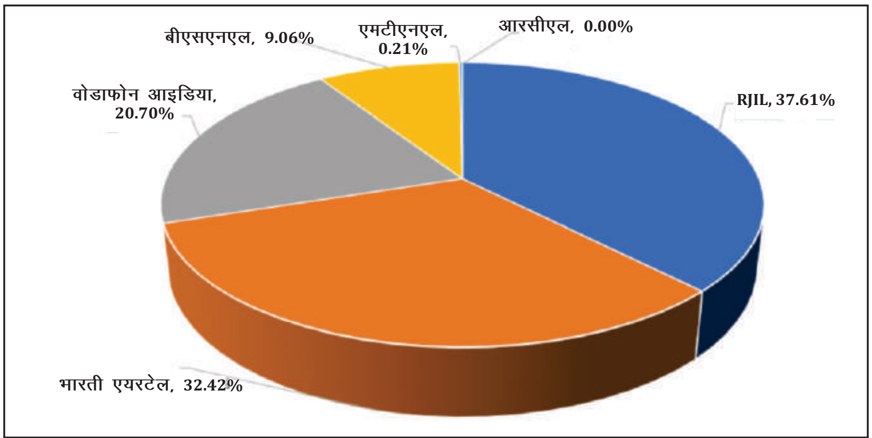

वायरलेस सेवाओं के लिए सब्सक्राइबर आधार के संदर्भ में, मेसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड 430.23 मिलियन सब्सक्राइबरों के साथ सबसे बड़ा सेवा प्रदाता था जिसके पश्चात मेसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड, मेसर्स वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, मेसर्स बीएसएनएल और मेसर्स एमटीएनएल के क्रमशः 370.91 मिलियन, 236.75 मिलियन, 103.58 मिलियन और 2.35 मिलियन सब्सक्राइबर थे।

मार्च, 2018 से मार्च, 2023 की अवधि के लिए सेवा क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों में वायरलेस सेवाओं के लिए सब्सक्राइबर आधार **चित्र–11** में ग्राफिक रूप से दर्शाया गया है।

चित्र–11 : मार्च, 2018 से मार्च, 2023 के दौरान सर्किल श्रेणी वार वायरलेस सेवाओं के लिए सब्सक्राइबर आधार (मिलियन में)

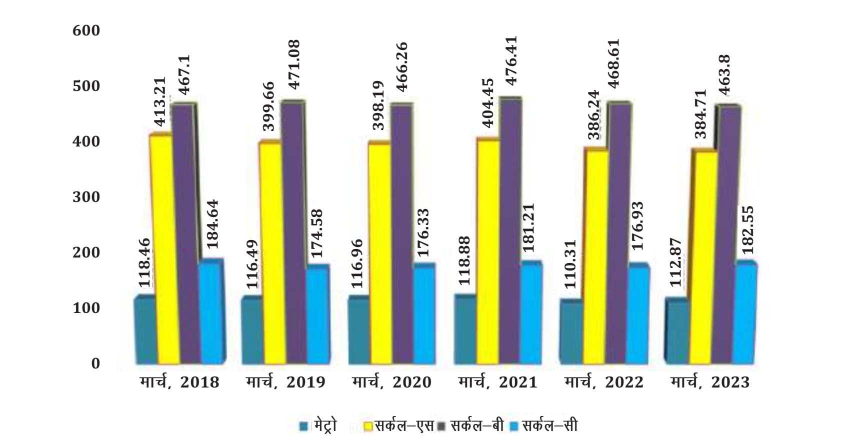

विभिन्न सेवा क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं की सूची **तालिका–10** में दी गई है।

तालिका–10 : 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार वायरलेस सेवा प्रदाता

क्र. सं.	सेवा प्रदाता	लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र
1	भारती एयरटेल समूह	अखिल भारत
2	बीएसएनएल	दिल्ली और मुंबई को छोड़कर पूरे भारत में
3	एमटीएनएल	दिल्ली, मुंबई
4	रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड	अखिल भारत (असम और उत्तर–पूर्व को छोड़कर)
5	रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड	अखिल भारत
6	वोडाफोन आइडिया लिमिटेड	अखिल भारत

स्रोतः डीओटी वेबसाइट।

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार यूएल (वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर्स) (वीएनओ) एक्सेस सेवाएं लाइसेंसधारी

क्र. सं.	सेवा प्रदाता	लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र
1	एडपे मोबाइल पेमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	चेन्नई सहित तमिलनाडु
2	सर्फटेलकॉम प्राइवेट लिमिटेड	अखिल भारत

स्रोतः सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध जानकारी के अनुसार

1.2.2.2 वायरलाइन सेवाएँ

दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार 28.41 मिलियन वायरलाइन सब्सक्राइबरों का सेवा प्रदाता वार विवरण **तालिका–11** में दिखाया गया है और ग्रामीण और शहरी सब्सक्राइबरों के संदर्भ में विवरण **तालिका–12** में दिखाया गया है। वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार में मौजूदा बीएसएनएल और एमटीएनएल की बाजार हिस्सेदारी क्रमशः 25.01% और 8.14% है, जबकि सभी छह निजी ऑपरेटरों की कुल मिलाकर 66.85% हिस्सेदारी है। निजी ऑपरेटरों की हिस्सेदारी दिनांक 31 मार्च, 2022 को 58.93% से बढ़कर 31 मार्च, 2023 को 66.85% हो गई है, जिसमें 7.92% की वृद्धि दर्ज की गई है।

तालिका–11 : दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार सेवा प्रदाता–वार वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार का विवरण

क्रम सं.	सेवा प्रदाता का नाम	प्रचालन का क्षेत्र	#सब्सक्राइबर आधार (वायरलाइन)
1	बीएसएनएल	दिल्ली और मुंबई के अलावा संपूर्ण भारत	71,05,823
2	एमटीएनएल	दिल्ली एवं मुंबई	23,12,553
3	भारती एयरटेल लिमिटेड	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित), उत्तर प्रदेश–पूर्व, उत्तर प्रदेश– पश्चिम और पश्चिम बंगाल	71,47,472
4	क्वाड्रेंट टेलीवेंचर्स लिमिटेड	पंजाब	3,37,922
5	रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड	आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित), उत्तर प्रदेश–पूर्व, उत्तर प्रदेश–पश्चिम और पश्चिम बंगाल	1,45,706
6	रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, उत्तर पूर्व, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित), उत्तर प्रदेश–पूर्व, उत्तर प्रदेश–पश्चिम और पश्चिम बंगाल।	91,15,969
7	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड और टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड।	आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित), उत्तर प्रदेश–पूर्व, उत्तर प्रदेश–पश्चिम और पश्चिम बंगाल	15,41,152
8	वोडाफोन आइडिया लिमिटेड	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, उत्तर–पूर्व, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित), उत्तर प्रदेश–पूर्व, उत्तर प्रदेश–पश्चिम और पश्चिम बंगाल	7,03,179
	कुल		2,84,09,776

#स्रोतः सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार

तालिका–12 : दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार सेवा प्रदाताओं का वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार

क्र.सं	सेवा प्रदाताओं का नाम	शहरी	ग्रामीण	#कुल सब्सक्राइबर (वायरलाइन)
1	भारत संचार निगम लिमिटेड	50,71,047	20,34,776	71,05,823
2	भारती एयरटेल लिमिटेड	71,47,472	–	71,47,472
3	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	23,12,519	34	23,12,553
4	क्वाड्रेंट टेलीवेंचर लिमिटेड	3,18,480	19,442	3,37,922
5	रिलायंस कम्युनिकेशंस	1,45,344	362	1,45,706
6	रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड	89,47,439	1,68,530	91,15,969
7	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड	15,16,321	24,831	15,41,152
8	वोडाफोन आइडिया लिमिटेड	7,03,179	–	7,03,179
	कुल	**2,61,61,801**	**22,47,975**	**2,84,09,776**

#स्रोतः सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार

1.2.2.3 वायरलाइन सब्सक्राइबरों में सेवा प्रदाताओं की हिस्सेदारी

(i) दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, कुल वायरलाइन सब्सक्राइबरों में से 33.15% बीएसएनएल/एमटीएनएल के नेटवर्क से जुड़े हैं और शेष वायरलाइन कनेक्शन विभिन्न निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान किए गए हैं। कुल वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार में विभिन्न सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी को **चित्र–12** में दर्शाया गया है।

चित्र–12 : सेवा प्रदाताओं की हिस्सेदारी की संरचना

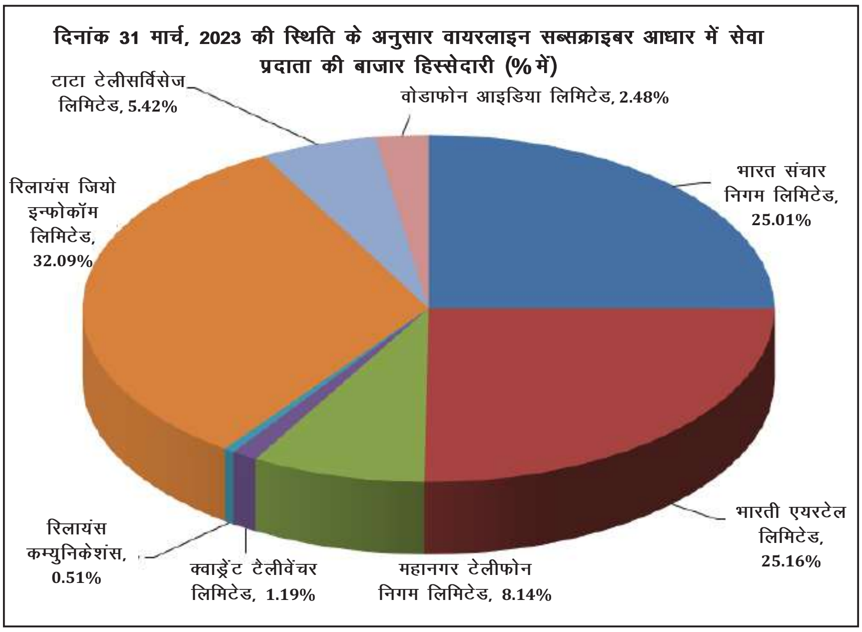

(ii) दिनांक 31 मार्च, 2023 को शहरी वायरलाइन सब्सक्राइबरों की कुल संख्या 26.16 मिलियन थी, जिसमें से लगभग 28.22% बाजार हिस्सेदारी बीएसएनल/एमटीएनएल द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। शहरी क्षेत्रों में विभिन्न वायरलाइन सेवा प्रदाताओं की बाजार की हिस्सेदारी **चित्र–13** में दर्शाई गई है।

चित्र–13 : शहरी क्षेत्रों में वायरलाइन सेवा प्रदाताओं की हिस्सेदारी की संरचना

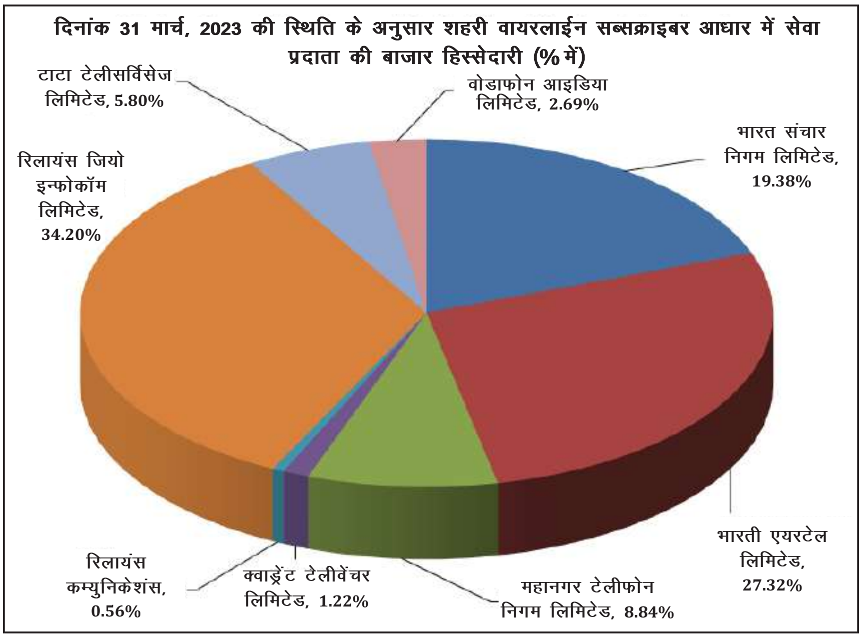

(iii) दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार कुल ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार 2.25 मिलियन था। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न वायरलाइन सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी को **चित्र–14** में दर्शाया गया है।

चित्र–14 : ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं की हिस्सेदारी की संरचना

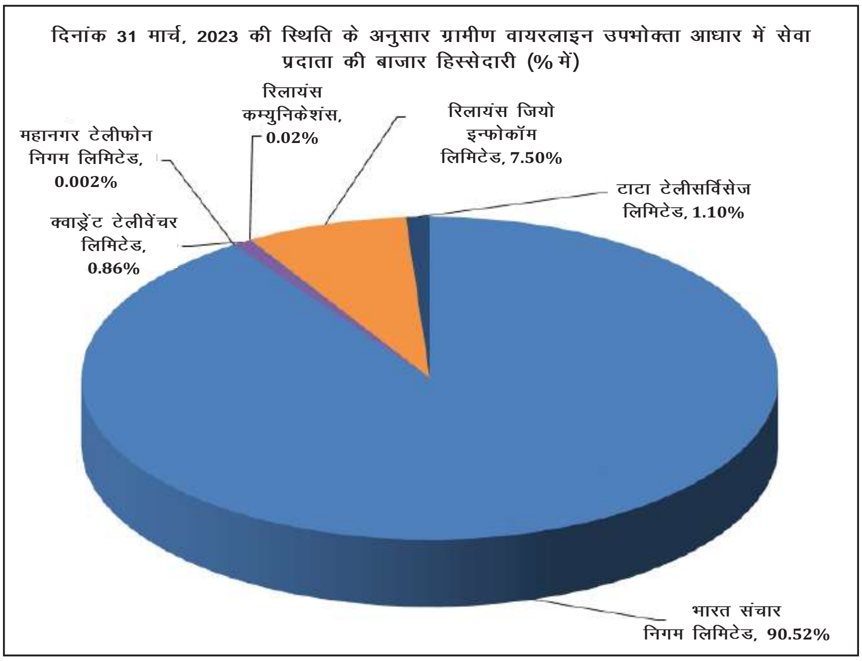

1.2.2.4 पब्लिक कॉल ऑफिस (पीसीओ)

दिनांक 31 मार्च, 2022 में 0.066 मिलियन की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार पीसीओ की कुल संख्या 0.042 मिलियन है। बीएसएनएल, एमटीएनएल और निजी ऑपरेटरों द्वारा उपलब्ध कराए गए पीसीओ की संख्या **तालिका–13** में दर्शाई गई है।

तालिका–13 : भारत में पब्लिक कॉल ऑफिस

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार
1	बीएसएनएल	45,434	32,301
2	एमटीएनएल	16,443	9,492
3	निजी ऑपरेटर	4,277	342
	कुल	**66,154**	**42,135**

1.2.2.5 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी)

दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) की कुल संख्या 0.69 लाख थी, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2022 को 0.69 लाख थी। **तालिका–14** देश में कार्यरत वीपीटी की संख्या प्रदान करती है।

तालिका–14 : भारत में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार
1	बीएसएनएल	68,606	68,606
	कुल	**68,606**	**68,606**

1.2.2.6 सुसज्जित स्विचिंग क्षमता

दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार सेवा प्रदाता–वार कुल सुसज्जित स्विचिंग क्षमता तथा चालू कनेक्शनों को ब्योरा **तालिका–15** में दर्शाया गया है:–

तालिका–15 : सेवा प्रदाता वार सुसज्जित स्विचिंग क्षमता

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	सेवा का क्षेत्र	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	
			# सुसज्जित स्विचिंग क्षमता (लाइनों की संख्या)	# चालू कनेक्शन
1	भारती एयरटेल लिमिटेड	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित), उत्तर प्रदेश–पूर्व, उत्तर प्रदेश–पश्चिम एवं पश्चिम बंगाल	1,34,86,289	71,47,472

2	भारत संचार निगम लिमिटेड	दिल्ली और मुंबई के अलावा संपूर्ण भारत	1,68,71,879	71,05,823
3	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	दिल्ली और मुंबई	48,81,215	23,12,553
4	क्वाड्रेंट टेलीवेंचर्स लिमिटेड	पंजाब	5,48,835	3,37,922
5	रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड	आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित), उत्तर प्रदेश–पूर्व, उत्तर प्रदेश–पश्चिम और पश्चिम बंगाल	7,68,000	1,45,706
6	रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, उत्तर पूर्व, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित), उत्तर प्रदेश–पूर्व, उत्तर प्रदेश–पश्चिम और पष्चिम बंगाल	2,39,28,000	91,15,969
7	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड और टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड	आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित), उत्तर प्रदेश–पूर्व, उत्तर प्रदेश–पश्चिम और पष्चिम बंगाल	35,32,559	15,41,152
8	वोडाफोन आइडिया लिमिटेड	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, उत्तर–पूर्व, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित), उत्तर प्रदेश–पूर्व, उत्तर प्रदेश–पश्चिम और पष्चिम बंगाल	8,55,000	7,03,179

#स्रोतः सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट के अनुसार।

1.2.2.7 इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर

दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार देश में इंटरनेट सब्सक्राइबरों की संख्या 881.255 मिलियन थी, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2022 को यह संख्या 824.888 मिलियन थी। दिनांक 31 मार्च, 2023 को देश का कुल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर आधार 846.569 मिलियन था जबकि 31 मार्च, 2022 को यह 788.295 मिलियन था।

31 मार्च, 2023 तक देश में सेवा प्रदाताओं द्वारा रिपोर्ट की गई सब्सक्रिप्शन का विवरण **तालिका–16** में दर्शाया गया है।

तालिका–16 : इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबरों का विवरण

(मिलियन में)

	खंड		श्रेणी	इंटरनेट सब्सक्राइबर		प्रतिशत विकास
				मार्च, 2022	मार्च, 2023	
क.	वायर्ड		ब्रॉडबैंड	27.246	33.491	22.92%
			नैरोबैंड	0.028	0.45	1528.21%
			कुल	**27.274**	**33.941**	**24.45%**
ख.	वायरलेस	वायरलेस फिक्स्ड वायरलेस (वाई–फाई, वाई–मैक्स, रेडियो और वीएसएटी)	ब्रॉडबैंड	1.176	1.093	-7.07%
			नैरोबैंड	0.006	0.008	25.43%
			कुल	**1.182**	**1.101**	**-6.90%**
		मोबाइल वायरलेस (फोन+ डोंगल)	ब्रॉडबैंड	759.873	811.985	6.86%
			नैरोबैंड	36.559	34.228	-6.38%
			कुल	**796.432**	**846.213**	**6.25%**
	कुल इंटरनेट सब्सक्राइबर		ब्रॉडबैंड	788.295	846.569	7.39%
			नैरोबैंड	36.593	34.686	-5.21%
			कुल	**824.888**	**881.255**	**6.83%**

1.2.2.8 वर्ष 2022–23 के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा संसूचित तिमाही–वार इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन का विवरण **तालिका–17** में दिया गया है।

तालिका–17 : तिमाही–वार इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर

(मिलियन में)

सेवा	जून–2022	सितंबर–2022	दिसंबर–2022	मार्च–2023
ब्रॉडबैंड	800.941	815.934	832.202	846.569
नैरोबैंड	35.918	35.013	33.695	34.686
कुल इंटरनेट	**836.859**	**850.947**	**865.897**	**881.255**

1.2.2.9 पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवाएँ (पीएमआरटीएस)

पीएमआरटीएस का सब्सक्राइबर आधार दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार 66,392 से बढ़कर 31 मार्च, 2023 के अंत में 67,820 हो गया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 2.15% की दर से 1,428 सब्सक्राइबरों की वृद्धि दर्ज की गई। पीएमआरटीएस सब्सक्राइबर आधार, सेवा प्रदाता–वार **तालिका–18** में दर्शाया गया है।

तालिका–18 : पीएमआरटीएस सब्सक्राइबर आधार – सेवा प्रदाता वार

क्र. सं.	सेवा प्रदाता	सब्सक्राइबर बेस की समाप्ति	
		मार्च, 2022	मार्च, 2023
1	एयरटॉक सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	525	785
2	आर्य ओमनीटॉक रेडियो ट्रंकिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	54,838	55,506
3	भीलवाड़ा टेलीनेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	926	883
4	इनेटिव नेटवर्क्स प्रा. लिमिटेड	10,820	1,820
5	प्रोकॉल लिमिटेड	3,510	4,246
6	क्विक कॉल	20,033	1,836
7	स्मार्टॉक प्राइवेट लिमिटेड	1,699	1,691
8	वाईवनेट सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड	10,041	1,053
	कुल योग	**66,392**	**67,820**

1.2.2.10 वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल (वीसैट) सीयूजी सेवा

वीसैट सब्सक्राइबरों की कुल संख्या 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार 2,79,333 से घटकर 31 मार्च, 2023 के अंत में 2,56,170 हो गई। वर्ष के दौरान निवल कमी 8.29% की गिरावट दर पर 23,163 रही है। वर्तमान में सेवा प्रदान करने वाले वीएसएटी सेवा प्रदाता और उनका सब्सक्राइबरआधार **तालिका–19** में दर्शाया गया है।

तालिका–19 : वर्तमान में सेवा प्रदान करने वाले वीसैट सीयूजी सेवा प्रदाता और उनका ग्राहक आधार

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	सब्सक्राइबर बेस की समाप्ति	
		मार्च, 2022	मार्च, 2023
1.	ह्यूजेस कम्युनिकेशंस लिमिटेड	1,94,823	1,76,150
2.	नेल्को लिमिटेड	74,710	70,750
3.	बीएसएनएल	7,122	6,556
4.	इन्फोटेल सैटकॉम	2,565	2,707
5.	एचसीएल कॉमनेट (*)	63	-
6.	क्लाउडकास्ट डिजिटल लिमिटेड	50	7
	कुल	**2,79,333**	**2,56,170**

स्रोतः दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा भादूविप्रा को उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार।

(*) मेसर्स एचसीएल कॉमनेट लिमिटेड ने सितंबर, 2022 में वाणिज्यिक वीएसएटी सेवाएं प्रदान करना बंद कर दिया।

1.2.3 बुनियादी तथा मूल्यवर्धित सेवाओं में निजी क्षेत्र का प्रवेश

1.2.3.1 दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार एक्सेस सर्विसेज प्रदान करने के लिए यूएल [(वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटरों) (वीएनओ)] एक्सेस सर्विसेज के लाइसेंसधारियों की संख्या **तालिका–20** में दर्शाई गई है।

तालिका–20 : 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार एक्सेस सर्विसेज प्रदान करने के लिए [(वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटरों) (वीएनओ)] एक्सेस सर्विसेज के लाइसेंसधारी

क्र. सं.	सेवा प्रदाता	लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र
1	एडपे मोबाइल पेमेंट इंडिया प्रा. लिमिटेड	चेन्नई सहित तमिलनाडु
2	सर्फ टेलीकॉम प्रा. लिमिटेड (पूर्व में प्लिंट्रॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)	अखिल भारत

स्रोतः सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार।

दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार यूएल/यूएएसएल/यूएल (वीएनओ) एक्सेस सर्विसेज लाइसेंस सेवाएं प्रदान कर रहे हैं

क्र. सं.	लाइसेंस का प्रकार	*31 मार्च 2023 तक जारी किए गए लाइसेंसधारियों की कुल संख्या	*वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या
1	यूएल	42	17
2	यूएएसएल	06	0
3	यूएल(वीएनओ)	196	51

** दूरसंचार विभाग की वेबसाइट से प्राप्त डेटा के अनुसार*

1.2.4 सेवा प्रदाताओं के साथ तकनीकी संगतता तथा प्रभावी अंतर्संयोजन

1.2.4.1 अंतर्संयोजन दूरसंचार सेवाओं की जीवन रेखा है। दूरसंचार सेवाओं के सब्सक्राइबर एक दूसरे के साथ संवाद नहीं कर सकते हैं या उन सेवाओं से जुड़ नहीं सकते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है जब तक कि आवश्यक अंतर्संयोजन व्यवस्था न हो। प्रभावी और शीघ्र अंतर्संयोजन की उपलब्धता दूरसंचार सेवा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, भादूविप्रा ने 10 जुलाई, 2020 को "दूरसंचार अंतर्संयोजन (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020" अधिसूचित किया, जो किन्हीं दो सार्वजनिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क (आमतौर पर फिक्स्ड लाइन नेटवर्क के रूप में संदर्भित) और पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क (पीएसटीएन) तथा राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) नेटवर्क के बीच अंतर्संयोजन को आसान बनाता है।

इन विनियमों का विवरण रिपोर्ट के भाग–II में उपलब्ध है।

1.2.5 दूरसंचार प्रौद्योगिकी

दूरसंचार उपभोक्ताओं के साथ प्राधिकरण की पहुंच और संपर्क को बढ़ाने के लिए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित तकनीकी उपाय किए गए:

i. **डेटा रिपोर्टिंग, एनालिटिक्स और प्रोसेस ऑटोमेशन के लिए व्यापक आईटी इकोसिस्टमः**

भादूविप्रा रिपोर्ट विश्लेषण और प्रकाशन के साथ डेटा रिपोर्टिंग, अनुपालन, विश्लेषण और प्रक्रिया स्वचालन के लिए एप्लिकेशन आधारित एकीकृत प्रणाली के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। इस दिशा में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु एक परामर्शदाता नियुक्त किया जाएगा, जिसके आधार पर एक एकीकृत प्रणाली विकसित की जाएगी।

ii. भादूविप्रा को आईसीटी आधारित समाधान प्रदान करने हेतु एप्लिकेशन सेवा प्रदाता को पैनलबद्ध करना:

भादूविप्रा के विभिन्न प्रभागों की जरूरतों को पूरा करने हेतु, आईटी प्रभाग भादूविप्रा को विभिन्न आईसीटी आधारित समाधान प्रदान करने के लिए एप्लिकेशन सेवा प्रदाताओं को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया में है।

iii. ईएचआरएमएस:

भादूविप्रा ने मानव संसाधन संबंधी गतिविधियों को स्वचालित करने के लिए एक आईटी एप्लिकेशन लागू किया है। एप्लिकेशन को एनआईसी द्वारा तैयार किया गया है। विभिन्न मॉड्यूल में से सेवा पुस्तिका, अवकाश, प्रतिपूर्ति (समाचार पत्र एवं बाल शिक्षा भत्ता), हेल्पडेस्क एवं एनालिटिक्स डैशबोर्ड लागू किया गया है।

iv. स्पैरो (एसपीएआरआरओडब्ल्यू:):

भादूविप्रा में वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन से संबंधित गतिविधियों के स्वचालन के लिए एनआईसी द्वारा विकसित स्पैरो (स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रैजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो) नामक एप्लिकेशन की स्वीकृति दे दी गई है।

v. रिपोर्टिंग स्वचालन:

विनियमन/निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न हितधारकों द्वारा भादूविप्रा को डेटा रिपोर्टिंग एक नियमित गतिविधि है। हितधारकों से ऑनलाइन डेटा एकत्र करने की एक प्रणाली मौजूद है। नई रिपोर्ट, यूआई परिवर्तन और सुरक्षा संवर्द्धन को शामिल करके डेटा सबमिशन को आसान बनाने के लिए सिस्टम को अपडेट किया गया है।

vi. भादूविप्रा की रेकमेन्डेशन स्टैटस पोर्टल:

प्राधिकरण समय–समय पर दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों के लिए भारत सरकार को अनुशंसाए प्रदान करता है। अनुशंसा की वास्तविक स्थिति को ट्रैक करने के लिए भादूविप्रा ने रेकमेन्डेशन स्टैटस पोर्टल भी बनाया है। जिसमें भादूविप्रा और सरकार को पहुंच प्रदान की गई है। पोर्टल को संदर्भ दस्तावेजों को अपलोड करने, यूआई परिवर्तन और सुरक्षा संवर्द्धन जैसी स्थिति के अतिरिक्त विवरण प्राप्त करने के लिए अद्यतन किया गया है। स्थिति की निगरानी एक विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड के माध्यम से की जा रही है।

vii. कानूनी मामला प्रबंधन सॉफ्टवेयर:

निचली अदालत, उपभोक्ता अदालत, जिला अदालत, टीडीसैट, ग्रीन ट्रिब्यूनल, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट आदि, जिसमें भादूविप्रा को पार्टी बनाया गया था, से सभी मामलों का विवरण प्राप्त करने के लिए कानूनी प्रभाग की जरूरतों को पूरा करने के लिए कानूनी मामला प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है। इस प्रणाली का कार्य विधि प्रभाग द्वारा दर्ज विवरण को बनाए रखना, किसी भी मामले की सुनवाई से पूर्व सचेत करना, महीने–वार सुनवाई कैलेंडर बनाए रखना, विभिन्न रिपोर्ट तैयार करना, मामलों की प्रगति की निगरानी के लिए डैशबोर्ड रखना आदि है।

viii. क्लाउड प्रबंधन और ऐप्स और पोर्टल का रखरखाव:

भादूविप्रा ने विभिन्न पोर्टल और ऐप लागू किए हैं। पोर्टल और बैक–एंड सेवाएँ क्लाउड पर होस्ट की जाती हैं। सभी पोर्टल/ऐप का रखरखाव क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लिकेशन के स्तर पर किया जा रहा है। एनआईसी, सर्ट–इन और अन्य संगठनों से प्राप्त चेतावनी के आधार पर उन्हें साइबर हमले से सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है।

ix अवसंरचना उन्नयन:

क. अवसंरचना को मजबूत करने के लिए, भादूविप्रा ने यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट (यूटीएम) फायरवॉल को अपग्रेड किया है, क्योंकि यूटीएम वायरस, वर्म्स, स्पाइवेयर और अन्य मैलवेयर और नेटवर्क हमलों सहित खतरों के खिलाफ सुरक्षा की प्राथमिक दीवार/एकल बिंदु है। यह सुरक्षा, निष्पादन, प्रबंधन और अनुपालन क्षमताओं को एक ही संस्थापन में जोड़ता है, जिससे प्रशासकों के लिए नेटवर्क प्रबंधित करना आसान हो जाता है।

ख. कुशल कामकाज के लिए, डेस्कटॉप किसी भी संगठन के लिए बहुत आवश्यक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इसलिए, आईटी डिवीजन ने भादूविप्रा के विभिन्न डिवीजनों के लिए 104 डेस्कटॉप की खरीद शुरू की है।

ग. ई-ऑफिस में डिजिटल हस्ताक्षर उद्देश्य के लिए, भादूविप्रा में विभिन्न स्तरों के लिए 115 डीएससी खरीदे गए हैं।

घ. आईटी टीम नये भवन के लिए आईटी अवसंरचना की आवश्यकता को भी अंतिम रूप दे रही है। आईटी अवसंरचना की सुचारू योजना और कार्यान्वयन के लिए, आईटी प्रभाग अत्याधुनिक आईटी अवसंरचना को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न परामर्शदाताओं के साथ बातचीत कर रहा है, जो भविष्य के लिए तैयार होगा।

ड. भादूविप्रा में सभी सेवाओं के सुचारु संचालन के लिए, विभिन्न लाइसेंसों यानी टेब्लो, एडोब एक्रोबैट, एमएस ऑफिस 365, एसएसएल सर्टिफिकेट आदि की समय पर निगरानी की जा रही है और इनकी समय सीमा समाप्त होने पर आवश्यक नवीनीकरण भी किया जा रहा है।

1.2.6. राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का कार्यान्वयन

1.2.6.1 दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 8 मई, 2019 के अपने पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ यह सूचित किया है कि भारत सरकार द्वारा अपने "प्रोपेल इंडिया" मिशन के तहत जारी राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी), 2018 में "निवेश और नवाचार को उत्प्रेरित करने और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंसिंग और विनियामक व्यवस्था में सुधार" जैसी रणनीतियों में से एक की परिकल्पना की गई है। विभेदक लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न परतों (उदाहरण के लिए, अवसंरचना, नेटवर्क, सेवाओं और एप्लिकेशन परत) को अलग करने में सक्षम बनाना उपर्युक्त रणनीति को पूरा करने के लिए कार्य योजनाओं में से एक है। दिनांक 8 मई, 2019 के उक्त पत्र के माध्यम से, दूरसंचार विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ भादूविप्रा से विभेदक लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न परतों को खोलने में सक्षम बनाने पर सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। एक विस्तृत परामर्श प्रक्रिया के बाद, दिनांक 19 अगस्त, 2021 को, प्राधिकरण ने ''विभेदक लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न परतों के अनबंडलिंग को सक्षम करने'' पर अपनी अनुशंसाएँ प्रस्तुत कीं। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 2 अगस्त, 2022 के अपने पत्र के माध्यम से उक्त अनुशंसाओं का अपना संदर्भ भेजा। दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर पुनर्विचार करने के बाद, पिछले संदर्भ का जवाब दूरसंचार विभाग (डीओटी) को दिनांक 6 सितंबर, 2022 को भेजा गया था।

1.2.7 सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस)

1.2.7.1 वर्ष 2022-23 के दौरान, प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों पर अधिक ध्यान देने के साथ सेवा की गुणवत्ता की निगरानी और क्यूओएस पर सूचना के प्रसार के फोकस में बदलाव आया है।

विवरण रिपोर्ट के भाग-II में दिया गया है।

1.2.8 सार्वभौमिक सेवा दायित्व

1.2.8.1 भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 (2003 और 2006 में यथा संशोधित) के अनुसार, सार्वभौमिक सेवा दायित्व को ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों तक किफायती और उचित कीमतों पर टेलीग्राफ सेवाओं तक पहुंच के रूप में परिभाषित किया गया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, यह कहा जा सकता है कि सार्वभौमिक सेवा दायित्व का अर्थ है उचित मूल्य पर परिभाषित न्यूनतम सेवा की निर्दिष्ट गुणवत्ता के साथ हर जगह सभी उपयोगकर्ताओं को दूरसंचार सेवा मुहैया कराना है।

इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर, वाणिज्यिक रूप से अलाभकारी ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं मुहैया कराने के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2003 (जिसमें 2006 में अगला संशोधन किया गया था) के अंतर्गत दिनांक 01 अप्रैल, 2002 को सार्वभौमिक सेवा बाध्यता निधि (यूएसओएसफ) की स्थापना की गई थी।

सरकार ने ब्रॉडबैंड के प्रसार और आम लोगों तक इंटरनेट पहुंच में सुधार के लिए सार्वभौमिक सेवा बाध्यता निधि (यूएसओएसफ) का उपयोग करते हुए कई योजनाएं शुरू की हैं।

हिमाचल प्रदेश के चार जिलों लाहौल और स्पीति, चंबा, कुल्लू और मंडी में खराब दूरसंचार कनेक्टिविटी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, भादूविप्रा ने स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित हितधारकों अर्थात हिमाचल प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी), स्थानीय राज्य सरकार के अधिकारी, दूरसंचार सेवा प्रदाता, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) और स्थानीय उपभोक्ता प्रतिनिधि के साथ एक परामर्श प्रक्रिया शुरू की है। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/इनपुट और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण ने दिनांक 12 दिसंबर, 2022 को "हिमाचल प्रदेश के दूर–दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी/अवसंरचना में सुधार" पर अपनी अनुशंसाएँ की, जिन्हें सरकार के पास विचार के लिए भेजा गया था।

(ग) प्रसारण और केबल टेलीविजन क्षेत्र में सामान्य परिवेश की समीक्षा

(i) प्रसारण क्षेत्र में टेलीविजन और रेडियो सेवाएं शामिल हैं। टेलीविजन सेवाएँ केबल टीवी सेवाओं, डीटीएच सेवाओं, हिट्स सेवाओं और आईपीटीवी सेवाओं के माध्यम से वितरित की जाती हैं। इसके अलावा, प्रसार भारती का स्थलीय टीवी नेटवर्क (दूरदर्शन के माध्यम से) कुछ क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करता है। एक उद्योग रिपोर्ट के अनुसार, टीवी जगत में लगभग 64 मिलियन केबल टीवी परिवार, 2 मिलियन हिट्स सब्सक्राइबर शामिल हैं। इसके अलावा, जैसा कि भादूविप्रा को पे डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा सूचित किया गया है, दिनांक 31 मार्च, 2023 तक कुल 65.25 मिलियन पे डीटीएच सक्रिय सब्सक्राइबर थे। इसके अलावा, आईपीटीवी ऑपरेटर द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक 31 मार्च, 2023 को सब्सक्राइबर आधार 6,47,596 था।

(ii) टीवी प्रसारण क्षेत्र में दिनांक 31 मार्च, 2023 तक 903 निजी उपग्रह टीवी चैनल प्रदान करने वाले लगभग 332 प्रसारक शामिल हैं। इन टेलीविजन चैनलों में 43 पे टेलीविजन प्रसारक द्वारा प्रदान किए गए 254 एसडी पेटीवी चैनल और 104 एचडी पे टीवी चैनल शामिल हैं। इसके अलावा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) के साथ पंजीकृत 1748 (मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ), 1 हिट्स ऑपरेटर, 4 पे डीटीएच ऑपरेटर और 25 आईपीटीवी ऑपरेटर पंजीकृत थे। इसके अलावा, एमआईबी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, देश में कुल 81,706 केबल ऑपरेटर पंजीकृत थे।

(iii) दिनांक 31 मार्च, 2023 तक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) द्वारा लगभग 903 निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों की अनुमति दी गई थी।

(iv) भारत का टेलीविजन उद्योग वर्ष 2021 में 72,000 करोड़ रू. की तुलना में वर्ष 2022 में 70,900 करोड़ रू. का है, जिससे लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज की गई है। सब्सक्रिप्शन राजस्व समग्र उद्योग राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है। सब्सक्रिप्शन राजस्व वर्ष 2021 के 40,700 करोड़ रू. से घटकर वर्ष 2022 में 39,200 करोड़ रू. हो गया है। इसके अलावा, विज्ञापन राजस्व वर्ष 2021 में 31,300 करोड़ रू. से बढ़कर वर्ष 2022 में 31,800 करोड़ रू. हो गया है।

(v) जैसा कि भादूविप्रा को निजी एफएम रेडियो प्रसारकों द्वारा सूचित किया गया है, 31 मार्च, 2023 तक सार्वजनिक सेवा प्रसारक–ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) के अलावा 388 निजी एफएम रेडियो स्टेशन कार्य कर रहे थे। जहां तक सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से संबंधित आंकड़ों का सवाल है, और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, ऐसे स्टेशनों की स्थापना के लिए दिनांक 31 मार्च, 2023 तक जारी किए गए 571 लाइसेंसों में से 427 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चालू थे। निजी एफएम रेडियो प्रसारकों द्वारा सूचित विज्ञापन राजस्व वर्ष 2021–22 में 1227.15 करोड़ रू. से बढ़कर वर्ष 2022–23 में 1547.13 करोड़ रू. हो गया है।

1.3 इस क्षेत्र में केबल टीवी सेवाएं, डीटीएच सेवाएं, स्थलीय टीवी सेवाएं, हिट्स सेवाएं, आईपीटीवी सेवाएं और रेडियो प्रसारण सेवाएं शामिल हैं। एफएम रेडियो प्रसारण जनता को मनोरंजन, सूचना और शिक्षा प्रदान करने का सबसे लोकप्रिय और व्यापक माध्यम है। प्रसारण क्षेत्र में विभिन्न सेवाओं की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है:

1.3.1 सैटेलाइट टेलीविजन चैनल

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमत सैटेलाइट टीवी चैनलों की कुल संख्या मार्च, 2019 के अंत में 902 से बढ़कर मार्च, 2023 के अंत में 903 हो गई है। **चित्र–15** इस अवधि के दौरान टीवी चैनलों की वर्षवार कुल संख्या

को दर्शाता है। स्टैंडर्ड डेफिनिशन (एसडी) पे टीवी चैनलों की संख्या मार्च, 2019 के अंत में 229 से बढ़कर मार्च, 2023 के अंत में 254 हो गई है। **चित्र–16** इस अवधि के दौरान एसडी पे टीवी चैनलों की वर्षवार कुल संख्या को दर्शाता है। **चित्र–17** इस अवधि के दौरान रिपोर्ट किए गए एचडी चैनलों की वर्षवार संख्या को दर्शाता है। मार्च, 2023 के अंत में, कुल 104 एचडी पे टीवी चैनल चालू थे। प्रसारकों और उनके पे टीवी चैनलों (एसडी और एचडी) की सूची इस रिपोर्ट के अंत में अनुलग्नक–I के रूप में संलग्न है।

चित्र–15 : भारत में सैटेलाइट टेलेविजन चैनलों की संख्या

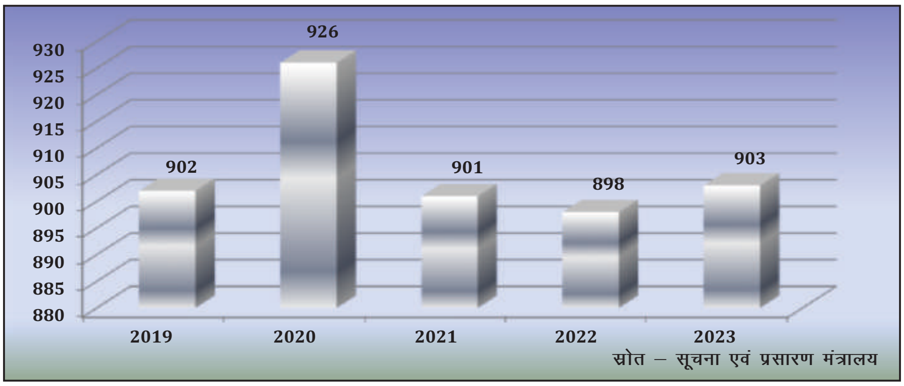

चित्र–16 : एसडी सैटेलाइट पे टेलेविजन चैनलों की संख्या

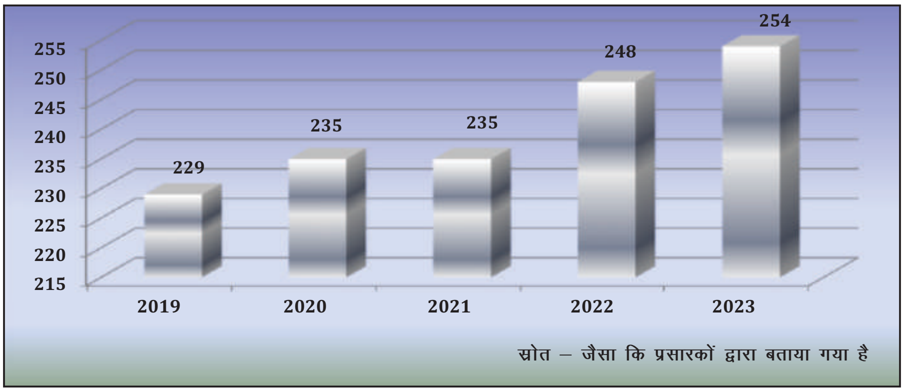

चित्र–17 : एचडी सैटेलाइट पे टेलेविजन चैनलों की संख्या

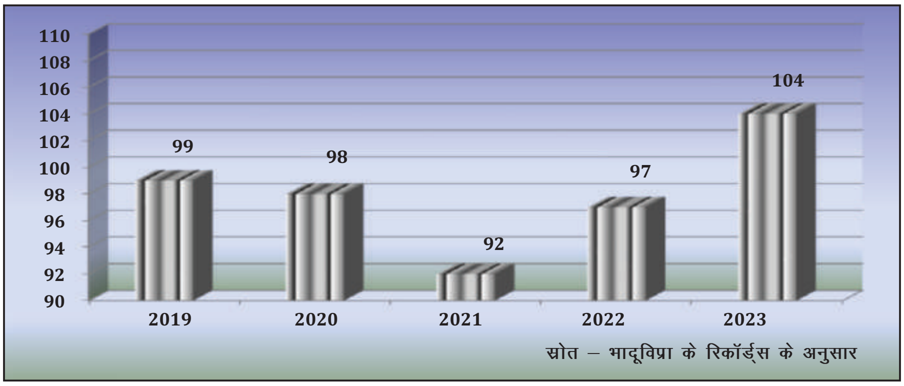

1.3.2 डीटीएच सेवाएँ

वर्ष 2003 में अपनी शुरुआत से ही, भारतीय डीटीएच सेवाओं ने अभूतपूर्व वृद्धि प्रदर्शित की है। जैसा कि पे डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा भादूविप्रा को सूचित किया गया है, पे डीटीएच ने मार्च, 2023 के अंत में लगभग 65.25 मिलियन का कुल सक्रिय सब्सक्राइबर आधार प्राप्त कर लिया है। यह डीडी फ्री डिश (दूरदर्शन की निःशुल्क डीटीएच सेवाएं) के सब्सक्राइबरों के अलावा है। मार्च, 2023 के अंत में, इस ग्राहक आधार को पूरा करने वाले 4 पे डीटीएच सेवा प्रदाता थे। पे डीटीएच ऑपरेटरों की एक सूची इस रिपोर्ट के अंत में अनुलग्नक–II के रूप में संलग्न है। निवल सक्रिय सब्सक्राइबर आधार के संदर्भ में क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि **चित्र–18** में दर्शाई गई है।

चित्र–18 : पे डीटीएच क्षेत्र के कुल सक्रिय सब्सक्राइबर आधार

(मिलियन में)

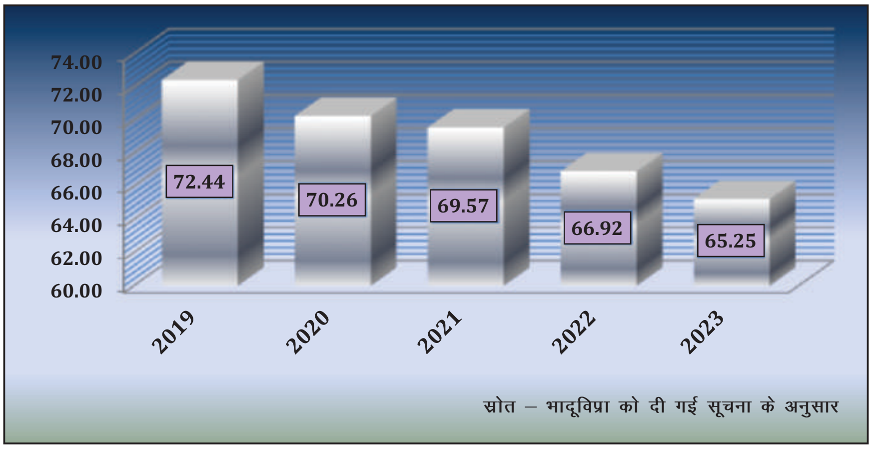

पारंपरिक टीवी चैनलों की उपलब्धता में वृद्धि के अलावा, पे डीटीएच ऑपरेटरों ने कई नवोन्मेषी पेशकश और मूल्य वर्धित सेवाएं (वीएएस) जोड़ना जारी रखा है जैसेः– मूवी–ऑन–डिमांड, गेमिंग, शॉपिंग, शिक्षा आदि ।

1.3.3 एफएम रेडियो

रेडियो अपनी विस्तृत कवरेज, पोर्टेबिलिटी, सेट–अप की कम लागत और किफायत जैसे व्यापक गुणों के कारण जनसंचार का एक लोकप्रिय साधन है। भारत में, रेडियो कवरेज शॉर्ट–वेव (एसडब्ल्यू) और मीडियम–वेव (एमडब्ल्यू) बैंड में एम्प्लिट्यूड मॉड्यूलेशन (एएम) मोड और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन (एफएम) मोड में उपलब्ध है। आज के समय में, एफएम रेडियो प्रसारण जनता को मनोरंजन, सूचना और शिक्षा प्रदान करने का सबसे लोकप्रिय और व्यापक माध्यम है। जैसा कि निजी एफएम रेडियो प्रसारकों ने भादूविप्रा को सूचित किया है, दिनांक 31 मार्च, 2023 के अंत तक सार्वजनिक सेवा प्रसारक–ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) के स्थलीय नेटवर्क के अलावा, 388 निजी एफएम रेडियो स्टेशन चल रहे हैं।

एफएम रेडियो प्रसारकों द्वारा भादूविप्रा को दी गई जानकारी के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2023 के अंत तक 36 निजी एफएम प्रसारकों द्वारा 113 शहरों में 388 एफएम रेडियो स्टेशन चालू किए गए हैं। रेडियो प्रसारण क्षेत्र में निजी एफएम प्रसारकों के आने से श्रोताओं को अच्छी गुणवत्ता वाली रिसेप्शन और अच्छी विषयवस्तु प्रदान करते हुए रेडियो कवरेज में काफी वृद्धि हुई है। इससे स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलने के साथ–साथ इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी काफी अधिक बढ़े हैं। वर्ष 2022–23 में निजी एफएम रेडियो प्रसारकों द्वारा भादूविप्रा को सूचित विज्ञापन राजस्व 1547.13 करोड़ था। निजी एफएम रेडियो स्टेशनों का वर्षवार कुल विज्ञापन राजस्व **चित्र–19** में दर्शाया गया है।

चित्र–19 : एफएम रेडियो विज्ञापन राजस्व

(करोड़ रुपये में)

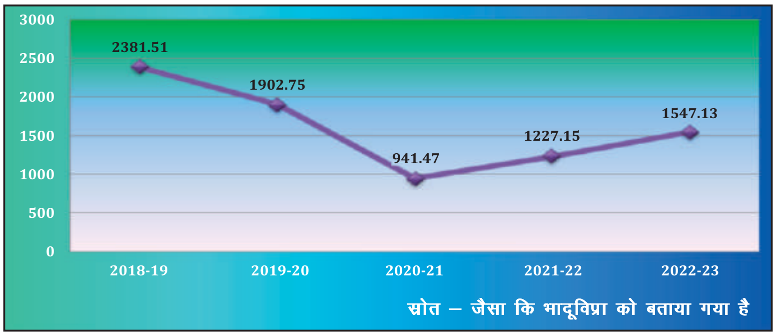

1.3.4 सामुदायिक रेडियो

रेडियो परिदृश्य में विकास का एक अन्य क्षेत्र देश में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) की संख्या में विस्तार है। इस देश के विशाल परिदृश्य, भाषाई विविधता, क्षेत्रीय विविधताओं और सांस्कृतिक विविधताओं को देखते हुए, सीआरएस के क्षेत्र में काफी भारी संभावना है। सामुदायिक रेडियो प्रसारण आम आदमी की रोजमर्रा के सरोकारों पर विशेष ध्यान देने के साथ छोटे समूहों और समुदायों की नेटवर्किंग के लिए एक माध्यम के रूप में काम कर सकता है और साथ ही उन्हें आकांक्षाओं को साकार करने में जनसाधारण को भी मदद कर सकता है। सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना शैक्षणिक संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों के सहयोग से की जाती है। दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार 427 सामुदायिक रेडियो स्टेशन प्रचालनरत थे। सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या में वार्षिक वृद्धि को **चित्र–20** में दर्शाया गया है।

चित्र–20 : सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या

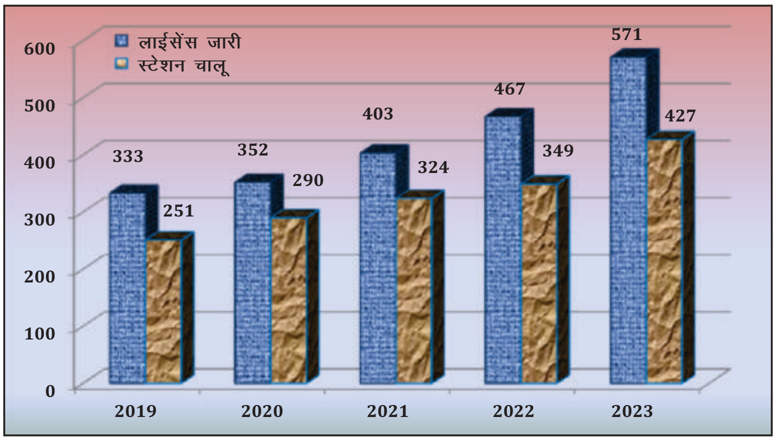

देश में प्रसारण और केबल सेवा क्षेत्र की समग्र स्थिति नीचे तालिका–21 में दी गयी है:

तालिका–21 : प्रसारण एवं केबल सेवा क्षेत्र की समग्र स्थिति

(31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त प्रसारकों की संख्या (लगभग)	332
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ पंजीकृत मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों की संख्या	1748
स्थानीय केबल ऑपरेटरों की संख्या (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार)	81,706
पे डीटीएच ऑपरेटरों की संख्या	4
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ पंजीकृत सैटेलाइट टीवी चैनलों की संख्या (लगभग)	903
एसडी पे टीवी चैनलों की संख्या	254
एचडी टीवी चैनलों की संख्या	104
एफएम रेडियो स्टेशनों की संख्या (ऑल इंडिया रेडियो के अलावा)	388
प्रचालनरत सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या	427

भादूविप्रा
TRAI

अनुलग्नक – I

31 मार्च, 2023 तक पे–टेलीविजन चैनलों की सूची

क्रम संख्या	प्रसारक का नाम	क्रम संख्या	चैनल का नाम	एसडी अथवा एचडी घोषित किया गया
1	एईटीएन 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	1	द हिस्ट्री चैनल	एसडी
		2	हिस्ट्री टीवी 18 एचडी	एचडी
2	एशियानेट स्टार कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड	3	विजय टीवी	एसडी
		4	विजय सुपर	एसडी
		5	विजय एचडी	एचडी
		6	विजय टक्कर (विजय म्यूजिक)	एसडी
		7	एशियानेट	एसडी
		8	एशियानेट प्लस	एसडी
		9	एशियानेट मूवीज	एसडी
		10	सुवर्णा प्लस	एसडी
		11	स्टार सुवर्णा एचडी	एचडी
		12	एशियानेट एचडी	एचडी
		13	स्तर सुवर्णा	एसडी
		14	विजय सुपर एचडी	एचडी
		15	एशियानेट मूवीज एचडी	एचडी
3	बांग्ला एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	16	सोनी आठ	एसडी
		17	सोनी मराठी	एसडी
4	बीबीसी ग्लोबल न्यूज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	18	बीबीसी वर्ल्ड न्यूज	एसडी
		19	सीबीबीज	एसडी
5	बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड	20	जूम	एसडी
		21	रोमेडी नाउ	एसडी
		22	एमएन + (एचडी)	एचडी
		23	मिरर नाउ	एसडी
		24	ईटी नाउ	एसडी
		25	टाइम्स नाउ	एसडी
		26	टाइम्स नाउ नवभारत एचडी	एचडी
		27	मूवीज नाउ एचडी	एचडी
		28	एमएनएक्स एचडी	एचडी
		29	ईटी नाउ स्वदेश	एसडी
		30	एमएनएक्स	एसडी
		31	टाइम्स नाउ वर्ल्ड (एचडी)	एचडी
6	सेलेब्रिटीज मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	32	ट्रैवल एक्सपी एचडी	एचडी
		33	ट्रैवल एक्सपी तमिल	एसडी
		34	फूडएक्सपी	एसडी
7	सीएसएल इन्फो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	35	जन टीवी प्लस	एसडी
8	डायरेक्ट न्यू प्राइवेट लिमिटेड	36	न्यूज एक्स	एसडी
9	डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया	37	एनिमल प्लानेट	एसडी
		38	डिस्कवरी चैनल	एसडी
		39	डिस्कवरी तमिल	एसडी

क्रम संख्या	प्रसारक का नाम	क्रम संख्या	चैनल का नाम	एसडी अथवा एचडी घोषित किया गया
		40	डिस्कवरी किड्स चैनल	एसडी
		41	डिस्कवरी साइंस	एसडी
		42	डिस्कवरी टर्बो	एसडी
		43	इन्वेस्टीगेशन डिस्कवरी	एसडी
		44	डिस्कवरी एचडी	एचडी
		45	एनिमल प्लानेट एचडी	एचडी
		46	टीएलसी एचडी	एचडी
		47	इन्वेस्टिगेशन डिस्कवरी एचडी	एचडी
		48	टीएलसी	एसडी
		49	यूरोस्पोर्ट एचडी	एचडी
		50	यूरोस्पोर्ट एचडी	एसडी
10	डिज्नी ब्रॉडकास्टिंग (इंडिया) लिमिटेड	51	डिज्नी जूनियर	एसडी
		52	सुपर हंगामा (मार्वल एचक्यू)	एसडी
		53	डिज्नी इंटरनेशनल एचडी	एचडी
		54	हंगामा टीवी	एसडी
		55	डिज्नी चैनल	एसडी
		56	यूटीवी बिंदास	एसडी
		57	डिज्नी चैनल एचडी	एचडी
11	ईनाडु टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड	58	ईटीवी तेलुगु	एसडी
		59	ईटीवी आंध्र प्रदेश	एसडी
		60	ईटीवी–तेलंगाना	एसडी
		61	ईटीवी सिनेमा	एसडी
		62	ईटीवी लाइफ	एसडी
		63	ईटीवी प्लस	एसडी
		64	ईटीवी अभिरुचि	एसडी
		65	ईटीवी एचडी	एचडी
		66	ईटीवी प्लस एचडी	एचडी
		67	ईटीवी सिनेमा एचडी	एचडी
		68	ईटीवी बालभारत तेलुगु	एसडी
		69	ईटीवी बालभारत हिंदी	एसडी
		70	ईटीवी बालभारत कन्नड़	एसडी
		71	ईटीवी बालभारत मलयालम	एसडी
		72	ईटीवी बालभारत तमिल	एसडी
		73	ईटीवी बालभारत इंग्लिश	एसडी
		74	ईटीवी बालभारत एचडी	एचडी
		75	ईटीवी बालभारत एसडी	एसडी
12	इन 10 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	76	ईपीआईसी टीवी	एसडी
		77	फिलमची	एसडी
		78	गुब्बारे	एसडी
		79	शोबॉक्स	एसडी
		80	इशारा टीवी	एसडी
13	इनफार्मेशन टीवी प्राइवेट लिमिटेड	81	इंडिया न्यूज	एसडी

क्रम संख्या	प्रसारक का नाम	क्रम संख्या	चैनल का नाम	एसडी अथवा एचडी घोषित किया गया
14	फेम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	82	4टीवी न्यूज	एसडी
15	ग्रेसेल्स18 मीडिया लिमिटेड	83	टॉपर टीवी	एसडी
16	आईबीएन लोकमत न्यूज प्राइवेट लिमिटेड	84	न्यूज 18 लोकमत	एसडी
17	लिविंग एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	85	जी जेस्ट एचडी	एचडी
		86	एलएफ एचडी	एचडी
18	लाइफस्टाइल एंड मीडिया ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड	87	गुड टाइम्स	एसडी
19	लेक्स स्पोर्टेल विजन प्राइवेट लिमिटेड	88	1स्पोर्ट्स	एसडी
20	मेविस सैटकॉम लिमिटेड	89	जे मूवीज	एसडी
		90	जया मैक्स	एसडी
		91	जया प्लस	एसडी
		92	जया टीवी एचडी	एचडी
21	एमएसएम वर्ल्ड वाइड फैक्चुअल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	93	सोनी बीबीसी अर्थ	एसडी
		94	सोनी बीबीसी अर्थ एचडी	एचडी
22	मीडिया वर्ल्ड वाइड लिमिटेड	95	ट्रैवल एक्सपी	एसडी
23	नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड	96	एनडीटीवी 24x7	एसडी
		97	एनडीटीवी इंडिया	एसडी
		98	एनडीटीवी प्रॉफिट	एसडी
24	एनजीसी नेटवर्क (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	99	फॉक्स लाइफ	एसडी
		100	नेशनल ज्योग्राफिक चैनल (एनजीसी)	एसडी
		101	फॉक्स लाइफ एचडी	एचडी
		102	नेट जियो वाइल्ड	एसडी
		103	नेशनल ज्योग्राफिक एचडी	एचडी
		104	नेट जियो वाइल्ड एचडी	एचडी
25	तरंग ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड	105	प्रार्थना	एसडी
		106	तरंग	एसडी
		107	तरंग म्यूजिक	एसडी
		108	अलंकार	एसडी
26	ओडिशा टेलीविजन लिमिटेड	109	तरंग एचडी	एचडी
27	राज टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड	110	राज डिजिटल प्लस	एसडी
		111	राज म्यूजिक्स	एसडी
		112	राज न्यूज	एसडी
		113	राज टीवी	एसडी
28	सिल्वरस्टार कम्युनिकेशंस लिमिटेड	114	मेगा 24	एसडी
		115	मेगा म्यूजिक	एसडी
		116	मेगा टीवी	एसडी
29	कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	117	सोनी याय!	एसडी
		118	सोनी मैक्स	एसडी
		119	सोनी सब	एसडी
		120	सोनी एंटरटेनमेंट चैनल (सेट)	एसडी
		121	सोनी पिक्स	एसडी
		122	सोनी मैक्स 2	एसडी
		123	सोनी पल	एसडी

क्रम संख्या	प्रसारक का नाम	क्रम संख्या	चैनल का नाम	एसडी अथवा एचडी घोषित किया गया
		124	सोनी एंटरटेनमेंट चैनल एचडी	एचडी
		125	पिक्स एचडी	एचडी
		126	मैक्स एचडी	एचडी
		127	सोनी स्पोर्ट्स टेन 2 एचडी	एचडी
		128	सोनी स्पोर्ट्स टेन 3 एचडी	एचडी
		129	सोनी स्पोर्ट्स टेन 2	एसडी
		130	सोनी स्पोर्ट्स टेन 1	एसडी
		131	सोनी स्पोर्ट्स टेन 3	एसडी
		132	सोनी स्पोर्ट्स टेन 1 एचडी	एचडी
		133	सोनी वाह	एसडी
		134	सब एचडी	एचडी
		135	सोनी स्पोर्ट्स टेन 4	एसडी
		136	सोनी स्पोर्ट्स टेन 4 एचडी	एचडी
		137	सोनी स्पोर्ट्स टेन 5	एसडी
		138	सोनी स्पोर्ट्स टेन 5 एचडी	एचडी
30	स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	139	स्टार स्पोर्ट्स 3	एसडी
		140	स्टार स्पोर्ट्स 1 तमिल	एसडी
		141	स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट 2	एसडी
		142	स्टार भारत	एसडी
		143	स्टार गोल्ड 2 (मूवीज ओके)	एसडी
		144	स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी	एसडी
		145	स्टार गोल्ड	एसडी
		146	स्टार जलसा	एसडी
		147	स्टार मूवीज	एसडी
		148	स्टार गोल्ड सेलेक्ट	एसडी
		149	स्टार प्लस	एसडी
		150	स्टार प्रवाह	एसडी
		151	स्टार स्पोर्ट्स 1	एसडी
		152	स्टार स्पोर्ट्स 2	एसडी
		153	जलसा मूवीज	एसडी
		154	स्टार स्पोर्ट्स एचडी 2	एचडी
		155	स्टार स्पोर्ट्स एचडी 1	एचडी
		156	स्टार भारत एचडी	एचडी
		157	स्टार गोल्ड एचडी	एचडी
		158	स्टार मूवीज एचडी	एचडी
		159	स्टार प्लस एचडी	एचडी
		160	स्टार स्पोर्ट्स 1 एचडी हिंदी	एचडी
		161	स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट 1	एसडी
		162	स्टार मूवीज सेलेक्ट एचडी	एचडी
		163	स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट	एसडी
		164	एमएए गोल्ड	एसडी
		165	एमएए मूवीज	एसडी

क्रम संख्या	प्रसारक का नाम	क्रम संख्या	चैनल का नाम	एसडी अथवा एचडी घोषित किया गया
		166	एमएए म्यूजिक	एसडी
		167	एमएए टीवी	एसडी
		168	स्टार प्रवाह एचडी	एचडी
		169	स्टार जलसा एचडी	एचडी
		170	जलसा मूवीज एचडी	एचडी
		171	स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट एचडी 1	एचडी
		172	स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट एचडी 2	एचडी
		173	एमएए एचडी	एचडी
		174	स्टार गोल्ड सेलेक्ट एचडी	एचडी
		175	एमएए मूवीज एचडी	एचडी
		176	स्टार स्पोर्ट 1 तेलुगु	एसडी
		177	स्टार स्पोर्ट 1 कन्नड़	एसडी
		178	स्टार उत्सव	एसडी
		179	स्टार उत्सव फिल्में	एसडी
		180	स्टार गोल्ड रोमांस	एसडी
		181	स्टार गोल्ड रोमांच	एसडी
		182	प्रवाह पिक्चर	एसडी
		183	स्टार किरण	एसडी
		184	स्टार मूवीज सेलेक्ट	एसडी
		185	स्टार गोल्ड 2 एचडी	एचडी
		186	स्टार स्पोर्ट्स 1 तमिल एचडी	एचडी
		187	स्टार स्पोर्ट्स 1 तेलुगु एचडी	एचडी
		188	स्टार किरण एचडी	एचडी
		189	प्रवाह पिक्चर्स एचडी	एचडी
31	सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड	190	आदित्य टीवी	एसडी
		191	चिंटू टीवी	एसडी
		192	छुट्टी टीवी	एसडी
		193	जेमिनी कॉमेडी	एसडी
		194	मिथुन लाइफ	एसडी
		195	मिथुन मूवीज	एसडी
		196	मिथुन म्यूजिक	एसडी
		197	जेमिनी टीवी	एसडी
		198	केटीवी	एसडी
		199	सूर्या मूवीज	एसडी
		200	कुशी टीवी	एसडी
		201	सन लाइफ	एसडी
		202	सन म्यूजिक	एसडी
		203	सन न्यूज	एसडी
		204	सूर्या म्यूजिक	एसडी
		205	सन टीवी	एसडी
		206	सूर्या कॉमेडी	एसडी
		207	सूर्या टीवी	एसडी

क्रम संख्या	प्रसारक का नाम	क्रम संख्या	चैनल का नाम	एसडी अथवा एचडी घोषित किया गया
		208	उदय कॉमेडी	एसडी
		209	उदय मूवीज	एसडी
		210	उदय मूवीज	एसडी
		211	उदय टीवी	एसडी
		212	कोचू टीवी	एसडी
		213	सन टीवी एचडी	एचडी
		214	केटीवी एचडी	एचडी
		215	सन म्यूजिक एचडी	एचडी
		216	जेमिनी टीवी एचडी	एचडी
		217	जेमिनी म्यूजिक एचडी	एचडी
		218	जेमिनी मूवीज एचडी	एचडी
		219	सूर्या टीवी एचडी	एचडी
		220	उदय टीवी एचडी	एचडी
32	सूर्यांश ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	221	फ्लावर्स	एसडी
33	वार्नर मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	222	कार्टून नेटवर्क	एसडी
		223	सीएनएन इंटरनेशनल	एसडी
		224	पोगो	एसडी
		225	कार्टून नेटवर्क एचड़ी	एचडी
34	टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड	226	सीएनएन न्यूज 18	एसडी
		227	सीएनबीसी बाजार	एसडी
		228	सीएनबीसी टीवी 18 प्राइम एचडी	एचडी
		229	सीएनबीसी आवाज	एसडी
		230	न्यूज 18 तमिलनाडु	एसडी
		231	न्यूज18 केरल	एसडी
		232	न्यूज 18 असम/नॉर्थ ईस्ट	एसडी
		233	न्यूज 18 इंडिया	एसडी
		234	सीएनबीसी टीवी 18	एसडी
		235	न्यूज 18 बिहार झारखंड	एसडी
		236	न्यूज 18 मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	एसडी
		237	न्यूज 18 राजस्थान	एसडी
		238	न्यूज 18 उत्तर प्रदेश/उत्तराँचल	एसडी
		239	न्यूज 18 जम्मू/कश्मीर/लद्दाख/हिमाचल	एसडी
		240	न्यूज 18 कन्नड़	एसडी
		241	न्यूज 18 बांग्ला	एसडी
		242	न्यूज 18 पंजाब/हरियाणा	एसडी
		243	न्यूज 18 गुजराती	एसडी
		244	न्यूज 18 उड़िया	एसडी
35	टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड	245	आज तक	एसडी
		246	इंडिया टुडे	एसडी
		247	आजतक एचडी	एचडी
		248	गुड न्यूज टुडे	एसडी
36	वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	249	कलर्स	एसडी

क्रम संख्या	प्रसारक का नाम	क्रम संख्या	चैनल का नाम	एसडी अथवा एचडी घोषित किया गया
		250	कॉमेडी सेंट्रल (एचडी)	एचडी
		251	एमटीवी	एसडी
		252	निक	एसडी
		253	निक जूनियर	एसडी
		254	सोनिक	एसडी
		255	वीएच 1 (एचडी डिस्ट्रीब्यूशन)	एचडी
		256	कलर्स इन्फिनिटी एचडी	एचडी
		257	कलर्स इन्फिनिटी	एसडी
		258	कलर्स एचडी	एचडी
		259	निक्स एचड़ी	एचडी
		260	कलर्स सिनेप्लेक्स	एसडी
		261	एमटीवी बीट्स	एसडी
		262	कलर्स कन्नड़ एचडी	एचडी
		263	कलर्स मराठी एचडी	एचडी
		264	कलर्स बांग्ला एचडी	एचडी
		265	कलर्स सुपर	एसडी
		266	कलर्स सिनेप्लेक्स बॉलीवुड	एसडी
		267	स्पोर्ट्स 18 1	एसडी
		268	स्पोर्ट्स 18 1 एचडी	एचडी
		269	कलर्स बांग्ला	एसडी
		270	कलर्स गुजराती	एसडी
		271	कलर्स कन्नड़	एसडी
		272	कलर्स मराठी	एसडी
		273	कलर्स उड़िया	एसडी
		274	एमटीवी बीट्स एचडी	एचडी
		275	कलर्स तमिल	एसडी
		276	कलर्स सिनेप्लेक्स एचडी	एचडी
		277	वीएच 1	एसडी
		278	कलर्स तमिल एचडी	एचडी
		279	एमटीवी एचडी	एचडी
		280	कलर्स रिश्ते	एसडी
		281	कलर्स कन्नड़ सिनेमा	एसडी
		282	कलर्स गुजराती सिनेमा	एसडी
		283	कॉमेडी सेंट्रल	एसडी
		284	कलर्स बांग्ला सिनेमा	एसडी
		285	कलर्स सिनेप्लेक्स सुपरहिट	एसडी
37	जी आकाश न्यूज प्राइवेट लिमिटेड	286	जी 24 घंटा	एसडी
38	जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड	287	जी बॉलीवुड	एसडी
		288	जी एक्शन	एसडी
		289	जी बांग्ला सिनेमा	एसडी
		290	जी कैफे एचडी	एचडी
		291	जी कैफे	एसडी

क्रम संख्या	प्रसारक का नाम	क्रम संख्या	चैनल का नाम	एसडी अथवा एचडी घोषित किया गया
		292	जी सिनेमा	एसडी
		293	जी टॉकीज	एसडी
		294	जी टीवी	एसडी
		295	जिंग	एसडी
		296	& पिक्चर	एसडी
		297	जी बांग्ला	एसडी
		298	जी मराठी	एसडी
		299	जी जेस्ट	एसडी
		300	जी टीवी एचडी	एचडी
		301	जी सिनेमा एचडी	एचडी
		302	& टी.वी	एसडी
		303	& टीवी एचडी	एचडी
		304	जी कन्नड़	एसडी
		305	जी तेलुगु	एसडी
		306	& पिक्चर एचडी	एचडी
		307	जी सिनेमालू	एसडी
		308	जी युवा	एसडी
		309	जी मराठी एचडी	एचडी
		310	& प्राइव एचडी	एचडी
		311	जी बांग्ला एचडी	एचडी
		312	जी तमिल एचडी	एचडी
		313	जी सिनेमालू एचडी	एचडी
		314	जी तेलुगु एचडी	एचडी
		315	जी तमिल	एसडी
		316	जी कन्नड़ एचडी	एचडी
		317	जी अनमोल सिनेमा	एसडी
		318	& फ्लिक्स एचडी	एचडी
		319	& फ्लिक्स	एसडी
		320	जी केरलम एचडी	एचडी
		321	जी केरलम	एसडी
		322	जी अनमोल	एसडी
		323	बिग मैजिक	एसडी
		324	जी गंगा	एसडी
		325	जी क्लासिक	एसडी
		326	& एक्सप्लोर एचडी	एचडी
		327	जी सार्थक	एसडी
		328	जी टॉकीज एचडी	एचडी
		329	जी पंजाबी	एसडी
		330	जी थिराई	एसडी
		331	जी पिचर	एसडी
		332	जी थिराई एचडी	एचडी
		333	जी पिचर एचडी	एचडी

क्रम संख्या	प्रसारक का नाम	क्रम संख्या	चैनल का नाम	एसडी अथवा एचडी घोषित किया गया
		334	जी बाइस्कोप	एसडी
39	जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	335	जी 24 तास	एसडी
		336	जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा (जी ओडिशा)	एसडी
		337	जी बिजनेस	एसडी
		338	जी पंजाब हरियाणा हिमाचल	एसडी
		339	जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़	एसडी
		340	जी सलाम	एसडी
		341	जी 24 कलाक	एसडी
		342	वियाँन	एसडी
		343	जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड	एसडी
		344	जी हिंदुस्तान	एसडी
		345	जी बिहार झारखंड	एसडी
		346	जी न्यूज	एसडी
		347	जी राजस्थान न्यूज	एसडी
		348	जी न्यूज एचडी	एचडी
40	जूम एंटरटेनमेंट नेटवर्क लिमिटेड	349	मूवीज नाउ	एसडी
41	सिद्धार्थ ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	350	सिद्धार्थ टी.वी	एसडी
		351	जयजगन्नाथ _	एसडी
42	सार्थक म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड	352	सिद्धार्थ भक्ति	एसडी
		353	सिद्धार्थ गोल्ड	एसडी
43	कलैग्नार टीवी प्राइवेट लिमिटेड	354	कलैग्नार टीवी	एसडी
		355	कलैग्नार इसाई अरुवी	एसडी
		356	कलैग्नार सिरीपोली	एसडी
		357	कलैग्नार मुरासु	एसडी
		358	कलैग्नार सेथिगल	एसडी

अनुलग्नक–II

पे डीटीएच ऑपरेटरों की सूची

क्र. सं.	डीटीएच ऑपरेटर
1.	मैसर्स टाटा प्ले लिमिटेड
2.	मैसर्स डिश टीवी इंडिया लिमिटेड
3.	मैसर्स सन डायरेक्ट टीवी प्राइवेट लिमिटेड
4.	मैसर्स भारती टेलीमीडिया लिमिटेड

भाग - II

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यों और प्रचालनों की समीक्षा

(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यों और प्रचालनों की समीक्षा

2.1 रिपोर्ट के भाग–I में 2022–23 के दौरान दूरसंचार, टीवी प्रसारण और रेडियो सेवाओं के क्षेत्र में प्रचलित सामान्य वातावरण का एक परिचय दिया गया है। भादूविप्रा अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिदेश के अनुरूप, भादूविप्रा ने दूरसंचार, प्रसारण और केबल सेवाओं के विकास में एक उत्प्रेरक भूमिका की निभाई है। भादूविप्रा का प्रयास एक निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण प्रदान करना है जो प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए सभी सेवा प्रदाताओं के लिए समान अवसर प्रदान करता है।

2.2 भादूविप्रा अधिनियम 1997 की धारा 36 के अंतर्गत, प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप नियम बना सकता है ताकि इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्र सरकार, भादूविप्रा अधिनियम 1997 की धारा 39 के अंतर्गत आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे प्रावधान कर सकती है जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है जैसा कि इस कठिनाई को दूर करने हेतु आवश्यक हो सकता है।

2.3 अनुशंसाएँ तैयार करने और नीतिगत पहलों के संबंध में सुझाव देने के लिए, भादूविप्रा सेवा प्रदाताओं, उद्योग संगठनों, उपभोक्ता समर्थक समूहों (सीएजी)/उपभोक्ता संगठनों और इस क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों, जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ संपर्क करता है। इसने एक प्रक्रिया विकसित की है, जिसके अंतर्गत सभी हितधारकों और आम जनता को नीति निर्माण के संबंध में विचार–विमर्श में भाग लेने की अनुमति देती है और अनुशंसाएँ तैयार करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। इस प्रक्रिया में संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए, एक परामर्श पत्र को जारी करना तथा उन मुद्दों पर हितधारकों के मत प्राप्त करना, देशभर के विभिन्न शहरों में खुला मंच चर्चा (ओएचडी) बैठकें आयोजित करना, ई–मेल पर और पत्रों के माध्यम से लिखित टिप्पणियां आमंत्रित करना और नीतिगत मुद्दों पर विभिन्न विचार और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ विचार–विमर्श के सत्र आयोजित करना शामिल है। भादूविप्रा द्वारा जारी विनियमों/आदेशों में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन भी होता है, जो कि निर्णय लेने के आधार की व्याख्या करता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई भागीदारी और व्याख्यात्मक प्रक्रिया को व्यापक सराहना प्राप्त हुई है।

2.4 प्राधिकरण, दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र के उपभोक्ता संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के विचारों को प्राप्त करने के लिए उनके साथ भी संपर्क करता है। इसके पास दूरसंचार सेवाओं से जुड़े उपभोक्ता संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों के पंजीकरण और नियमित अंतराल पर उनके साथ संपर्क करने की एक प्रणाली मौजूद है। भादूविप्रा, उपभोक्ता संगठनों को मजबूत बनाने के उपायों को लगातार अपनाता रहता है। यह विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की भागीदारी के साथ सम्मेलनों और कार्यशालाओं का भी आयोजन करता है तथा इन सम्मलेनों में हितधारकों, उपभोक्ता संगठनों और अन्य अनुसंधान संस्थानों को भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है।

2.5 भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11 (1)(क) के अंतर्गत प्राधिकरण को या तो अपने विवेक से या लाईसेंस प्रदाता अर्थात् दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय अथवा प्रसारण और केबल सेवाओं के मामले में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुरोध पर अनुशंसाएँ करनी होती हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान भादूविप्रा द्वारा सरकार को दी गई अनुशंसाएँ नीचे दी गई हैं।

2.5.1 दूरसंचार क्षेत्र

क्र.सं.	अनुशंसाएँ और बैक रेफरेंस एवं प्रतिक्रियाओं की सूची
1	''आईएमटी/5जी के लिए पहचाने गए फ्रीक्वेंसी बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी'' पर दिनांक 11 अप्रैल, 2022 की अनुशंसाएँ।
2	''लो बिट रेट की एप्लीकेशनों के लिए सैटेलाइट–आधारित कनेक्टिविटी हेतु लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क'' पर की गई अनुशंसाओं पर दूरसंचार विभाग के दिनांक 9 मार्च, 2022 के बैक रेफरेंस पर भादूविप्रा की दिनांक 5 मई, 2022 की प्रतिक्रिया।
3	''आईएमटी/5जी के लिए पहचाने गए फ्रीक्वेंसी बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी'' पर की गई अनुशंसाओं पर दूरसंचार विभाग के दिनांक 29 अप्रैल, 2022 के बैक रेफरेंस पर भादूविप्रा के दिनांक 9 मई, 2022 की प्रतिक्रिया।
4	''ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और उन्नत ब्रॉडबैंड स्पीड को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप'' पर की गई अनुशंसाओं पर दूरसंचार विभाग के दिनांक 28 जून, 2022 के बैक रेफरेंस पर भादूविप्रा के दिनांक 25 जुलाई, 2022 की प्रतिक्रिया।
5	''डिफरेंशियल लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न परतों की अनबंडलिंग को सक्षम करने'' पर की गई अनुशंसाओं पर दूरसंचार विभाग के दिनांक 2 अगस्त, 2022 के बैक रेफरेंस पर भादूविप्रा की दिनांक 6 सितंबर, 2022 की प्रतिक्रिया।
6	''भारत में डेटा केंद्रों, सामग्री वितरण नेटवर्क और इंटरकनेक्ट एक्सचेंजों की स्थापना के माध्यम से डेटा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नियामक ढांचा'' पर दिनांक 18 नवंबर, 2022 की अनुशंसाएँ।
7	''सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे (एसईएसजी) की स्थापना और संचालन के लिए लाइसेंसिंग ढांचे'' पर दिनांक 29 नवंबर, 2022 की अनुशंसाएँ।
8	''स्माल सेल और एरियल फाइबर परिनियोजन के लिए स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग'' पर दिनांक 29 नवंबर, 2022 की अनुशंसाएँ।
9	''हिमाचल प्रदेश के दूर–दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी/अवसंरचना में सुधार'' पर दिनांक 12 दिसंबर, 2022 की अनुशंसाएँ।
10	''आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए ट्रेन कंट्रोल सिस्टम के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) की स्पेक्ट्रम आवश्यकताएं'' पर दिनांक 28 दिसंबर, 2022 की अनुशंसाएँ।
11	''डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग'' पर दिनांक 20 फरवरी की अनुशंसाएँ।

अनुशंसाएँ और बैक रेफरेंस की प्रतिक्रियाएँ

2.5.1.1 ''आईएमटी/5जी के लिए पहचाने गए फ्रीक्वेंसी बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी'' पर दिनांक 11 अप्रैल, 2022 की अनुशंसाएँ

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अपने दिनांक 13 सितंबर, 2021 के पत्र के माध्यम से, अन्य बातों के साथ–साथ, भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(क) के तहत भादूविप्रा से ''अंतरराष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी)/5जी के लिए पहचान की गई आवृत्तियों में स्पेक्ट्रम की नीलामी'' पर अपनी अनुशंसाएँ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था। आईएमटी/5जी के लिए 526–698 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300–3670 मेगाहर्ट्ज और 24. 25–28.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए लागू आरक्षित मूल्य, बैंड योजना, ब्लॉक आकार, नीलाम किए जाने वाले स्पेक्ट्रम की मात्रा और संबंधित शर्तों पर अनुशंसा मांगी गई थीं। इसके अलावा, परिसर में मशीन/संयंत्र स्वचालन उद्देश्यों/एम2एम के लिए उद्योगों के कैप्टिव 5जी अनुप्रयोगों की स्पेक्ट्रम आवश्यकताओं

को पूरा करने के लिए निजी कैप्टिव/पृथक 5जी नेटवर्क के लिए निर्धारित किए जाने वाले स्पेक्ट्रम/बैंड की मात्रा, यदि कोई हो, पर आवंटन की प्रतिस्पर्धी/पारदर्शी पद्धति और मूल्य निर्धारण पर अनुशंसाएँ मांगी गईं।

इस संबंध में, भादूविप्रा ने दिनांक 30 नवंबर 2021 को "आईएमटी/5जी के लिए पहचाने गए फ्रीक्वेंसी बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी" पर एक परामर्श पत्र जारी किया, जिसमें पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान की गई और हितधारकों से इनपुट मांगा गया। इस परामर्श पत्र के माध्यम से, हितधारकों से परामर्श पत्र में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

उपर्युक्त परामर्श पत्र के जवाब में, 41 हितधारकों से टिप्पणियाँ और 18 हितधारकों से प्रति टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियाँ और प्रति टिप्पणियाँ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध कराई गई थीं। दिनांक 8 फरवरी, 2022 को ऑनलाइन मोड के माध्यम से खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई थी, जिसमें टीएसपी, उद्योग संघों–भारतीय और वैश्विक, सैटेलाइट ऑपरेटरों, समाधान प्रदाताओं, सलाहकारों और व्यक्तियों सहित हितधारकों ने भाग लिया था।

हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/इनपुट और उसके विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने 11 अप्रैल, 2022 को "आईएमटी/5जी के लिए पहचाने गए फ्रीक्वेंसी बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी" पर अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया। भादूविप्रा द्वारा की गई भादूविप्रा में 5जी/आईएमटी के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी से संबंधित अनुशंसाएँ शामिल थीं जैसे कि नीलाम किए जाने वाले स्पेक्ट्रम की मात्रा, बैंड योजना, ब्लॉक आकार, नीलामी में भाग लेने के लिए पात्रता शर्तें, टीडीडी बैंड में हस्तक्षेप शमन, रोल–आउट दायित्व, स्पेक्ट्रम कैप, स्पेक्ट्रम सौंपना, और स्पेक्ट्रम का मूल्यांकन और आरक्षित मूल्य। इसके अलावा, उद्योग जगत में 5जी के महत्व पर विचार करते हुए कैप्टिव वायरलेस प्राइवेट नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम और 5जी उपयोग मामलों की पहचान, विकास और प्रसार से संबंधित अनुशंसाएँ की गई हैं।

मुख्य अनुशंसाएँ नीचे सूचीबद्ध हैं:

स्पेक्ट्रम की नीलामी

I. मौजूदा बैंड यानी 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज और नए स्पेक्ट्रम बैंड यानी 600 मेगाहर्ट्ज, 3300–3670 मेगाहर्ट्ज और 24.25–28.5 गीगाहर्ट्ज में सभी उपलब्ध स्पेक्ट्रम को नीलामी के लिए रखा जाएगा।

ii. 600 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए एपीटी 600 (विकल्प बी1) बैंड अपनाया जाना चाहिए। इस बैंड योजना को अपनाने से आईएमटी के लिए अतिरिक्त 10 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराया जाएगा। यह बैंड कुल 40 मेगाहर्ट्ज (युग्मित) स्पेक्ट्रम प्रदान करेगा। यह भी प्रस्तावित है कि संपूर्ण 40 मेगाहर्ट्ज (युग्मित) स्पेक्ट्रम [612–652 मेगाहर्ट्ज/663–703 मेगाहर्ट्ज] को आगामी नीलामी में नीलामी के लिए रखा जाना चाहिए।

iii. फ्रीक्वेंसी रेंज 3300–3670 मेगाहर्ट्ज में, दोनों बैंड प्लान यानी, n77 और n78 की अनुमति दी जानी चाहिए और टीएसपी को उनके व्यावसायिक/वाणिज्यिक विचारों के आधार पर, किसी भी बैंड प्लान यानी, n77 या n78 को अपनाने के लिए ढील दिया जाना चाहिए।

iv. फ्रीक्वेंसी रेंज 24.25–28.5 गीगाहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज में, टीएसपी को उन्हें सौंपी गई फ्रीक्वेंसी और अन्य व्यावसायिक/व्यावसायिक विचारों के आधार पर किसी भी बैंड प्लान यानी, n257 या n258 को अपनाने के लिए ढील दिया जाना चाहिए।

v. टीएसपी में छूट प्रदान करने के लिए, 3300–3670 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए 10 मेगाहर्ट्ज और 24.25–28.5 गीगाहर्ट्ज बैंड के लिए 50 मेगाहर्ट्ज के ब्लॉक आकार की अनुशंसा की जाती है। स्पेक्ट्रम को सन्निहित तरीके से आवंटित किया जाना है।

vi. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान में (i) आवृत्ति रेंज 526–612 मेगाहर्ट्ज के लिए बैंड योजना को 3जीपीपी/आईटीयू द्वारा परिभाषित किया जाना बाकी है, (ii) 526–612 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति रेंज में आईएमटी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में कुछ समय लगेगा और (iii) एमआईबी टीवी ट्रांसमीटरों के लिए देश भर में बड़े पैमाने पर 526–582 मेगाहर्ट्ज बैंड का उपयोग कर रहा है, आगामी नीलामी में 526–612 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज की नीलामी में इसे नहीं रखा जाना चाहिए।

vii. दूरसंचार विभाग को आईएमटी परिनियोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले 526–582 मेगाहर्ट्ज बैंड को फिर से तैयार करने की योजना बनानी चाहिए। आईएमटी के लिए 526–582 मेगाहर्ट्ज बैंड उपलब्ध कराने के लिए, दूरसंचार विभाग को एनालॉग से डिजिटल ट्रांसमिशन में शीघ्र स्थानांतरण की योजना तैयार करने के लिए एमआईबी के साथ काम करना चाहिए, ताकि आईएमटी सेवाओं के लिए 526–582 मेगाहर्ट्ज से आवृत्ति बैंड को खाली किया जा सके।

viii. दूरसंचार विभाग को नीलामी आयोजित करने के तुरंत बाद 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए ताकि टीएसपी को सौंपी गई आवृत्तियां सन्निहित तरीके से हों।

आरक्षित मूल्य और आसान भुगतान विकल्प

ix. विभिन्न स्पेक्ट्रम बैंड (20 वर्षों के लिए) के लिए अनुशंसित आरक्षित मूल्य नीचे दी गई तालिका के अनुसार है:

x. 30 वर्षों के मामले में स्पेक्ट्रम आवंटन का आरक्षित मूल्य संबंधित बैंड के लिए 20 वर्षों के स्पेक्ट्रम आवंटन के आरक्षित मूल्य के 1.5 गुना के बराबर होना चाहिए।

20 वर्षों के लिए प्रति मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की आरक्षित कीमत

सेवा क्षेत्र	600 मेगाहर्ट्ज बैंड	700 मेगाहर्ट्ज बैंड	800 मेगाहर्ट्ज बैंड	900 मेगाहर्ट्ज बैंड	1800 मेगाहर्ट्ज बैंड	2100 मेगाहर्ट्ज बैंड	2300 मेगाहर्ट्ज बैंड	2500 मेगाहर्ट्ज बैंड	3300–3670 मेगाहर्ट्ज बैंड	24.25–28.5 मेगाहर्ट्ज बैंड
	(युग्मित)						(अयुग्मित)			
	(करोड़ रू. में)									(रू. में)
दिल्ली	509	509	479	436	270	224	104	86	40	89 लाख
कोलकाता	173	173	153	153	97	80	32	28	15	32 लाख
मुंबई	470	470	468	389	236	196	103	81	35	78 लाख
आंध्र प्रदेश	318	318	292	288	172	142	59	51	26	57 लाख
गुजरात	282	282	262	399	150	125	लागू नहीं	44	23	50 लाख
कर्नाटक	220	220	198	204	121	100	64	47	18	40 लाख
महाराष्ट्र	359	359	338	317	190	158	लागू नहीं	53	29	63 लाख
तमिलनाडु	253	253	225	222	141	लागू नहीं	81	58	21	46 लाख
हरियाणा	71	71	62	68	41	34	लागू नहीं	लागू नहीं	6	13 लाख
केरल	110	110	103	213	58	48	लागू नहीं	लागू नहीं	9	19 लाख
मध्य प्रदेश	156	156	136	156	88	73	लागू नहीं	लागू नहीं	13	29 लाख
पंजाब	112	112	101	104	61	51	लागू नहीं	14	9	20 लाख

राजस्थान	146	146	142	135	75	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	11	25 लाख
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	171	171	160	166	91	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	14	30 लाख
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	154	154	133	152	87	72	लागू नहीं	लागू नहीं	13	29 लाख
पश्चिम बंगाल	102	102	89	99	58	37	लागू नहीं	लागू नहीं	9	19 लाख
असम	57	57	50	56	32	24	लागू नहीं	लागू नहीं	5	10 लाख
बिहार	145	145	126	147	82	68	लागू नहीं	15	12	27 लाख
हिमाचल प्रदेश	26	26	22	26	14	12	लागू नहीं	3	2	5 लाख
जम्मू एवं कश्मीर	16	16	14	16	9	8	लागू नहीं	2	1	3 लाख
उत्तर पूर्व	15	15	13	14	8	5	लागू नहीं	लागू नहीं	1	3 लाख
ओडिशा	62	62	54	64	35	29	लागू नहीं	लागू नहीं	5	12 लाख

xi. दूरसंचार क्षेत्र की दीर्घकालिक वृद्धि और स्थिरता के लिए, तरलता बढ़ाने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अधिस्थगन के लचीलेपन के साथ आंशिक भुगतान सहित आसान भुगतान विकल्पों की अनुमति दी जानी चाहिए।

दायित्वों को आसानी से पूरा करना

xii. मौजूदा कवरेज–आधारित रोलआउट दायित्वों के विपरीत, 3300–3670 मेगाहर्ट्ज और 24.25–28.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में 5जी नेटवर्क की तैनाती पर विचार करते हुए, इन बैंडों के लिए आसान नेटवर्क तैनाती–आधारित रोल–आउट शर्तों की अनुशंसा की गई है।

xiii. 600 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए रोल–आउट दायित्व और संबंधित शर्तें वही होंगी जो 700 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए लागू हैं।

xiv. 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए रोल आउट दायित्वों के संबंध में नए प्रवेशकों की सुविधा मुहैया कराने के लिए मेट्रो एलएसए (लाइसेंस की प्रभावी तारीख से एक वर्ष के भीतर या इस नीलामी प्रक्रिया में जीते गए स्पेक्ट्रम के असाइनमेंट की तारीख, जो भी बाद में हो, एलएसए के 90% का कवरेज) के लिए एमआरओ को पूरा करने के लिए एक वर्ष की समयावधि से दो साल (पहले वर्ष के अंत तक 40% कवरेज और दूसरे वर्ष के अंत तक 90% कवरेज) तक बढ़ाया जाना चाहिए

तर्कसंगत स्पेक्ट्रम की सीमा

xv. स्पेक्ट्रम कैप को युक्तिसंगत बनाया गया है:

(क) उप–1 गीगाहर्ट्ज बैंड में संयुक्त स्पेक्ट्रम होल्डिंग पर 40% की सीमा।

(ख) 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड में संयुक्त स्पेक्ट्रम होल्डिंग पर 40% की सीमा।

(ग) 3300–3670 मेगाहर्ट्ज और 24.25–28.5 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड के लिए 40% की व्यक्तिगत बैंड विशिष्ट सीमा।

(घ) सभी बैंडों पर समग्र सीमा हटा दी गई है।

नाम मात्र के शुल्क पर स्पेक्ट्रम को आसानी से सौंपना

xvi. व्यवसाय सुगमता के लिए, प्रति एलएसए प्रति स्पेक्ट्रम बैंड 1 लाख रुपये के स्पेक्ट्रम सरेंडर शुल्क के साथ आसान और पारदर्शी स्पेक्ट्रम सरेंडर दिशानिर्देशों की अनुशंसा की गई है।

स्पेक्ट्रम का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आईएमटी और सैटेलाइट अर्थ स्टेशन का सह–अस्तित्व

xvii. सह–अस्तित्व के आधार पर आईएमटी के साथ–साथ सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे (पृथ्वी से अंतरिक्ष) के लिए फ्रीक्वेंसी रेंज 27.5–28.5 गीगाहर्ट्ज का उपयोग किया जाना चाहिए।

xviii. सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे को केस–टू–केस आधार पर एकांत या दूरस्थ स्थानों पर आवृत्ति रेंज 27.5–28.5 गीगाहर्ट्ज में स्थापित करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जहां 5जी आईएमटी सेवाओं के आने की संभावना कम है।

xix. दूरसंचार विभाग (डीओटी) को 27.5–28.5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज में आईएमटी और सैटेलाइट अर्थ स्टेशनों (पृथ्वी से अंतरिक्ष) के सह–अस्तित्व के लिए बहिष्करण क्षेत्र की आवश्यकता निर्धारित करनी चाहिए।

xx. दूरसंचार विभाग (डीओटी) को mmWave में आईएमटी बेस स्टेशनों के निर्देशांक के डेटाबेस वाले पोर्टल पर एक सॉफ्टवेयर परिभाषित स्वचालित प्रक्रिया बनानी चाहिए। 27.5–28.5 गीगाहर्ट्ज में प्रस्तावित अर्थ स्टेशन के जियोफेंसिंग निर्देशांक, अर्थ स्टेशन की स्थापना के लिए पोर्टल के माध्यम से व्यवहार्यता परिणाम प्रदान कर सकते हैं।

xxi. इन–फ्लाइट और समुद्री टर्मिनलों के लिए पृथ्वी स्टेशनों इन मोशन (ईएसआईएम) के लिए 27.5–28.5 गीगाहर्ट्ज तक पहुंच की भी अनुमति दी जानी चाहिए, उचित साझाकरण शर्तों के साथ, क्योंकि ऐसे मामलों में, ऑपरेशन भौगोलिक रूप से स्थलीय आईएमटी से अलग हो जाएगा।

xxii. चूंकि 3300–3670 मेगाहर्ट्ज में आईएमटी उत्सर्जन एफएसएस अर्थ स्टेशन के कम शोर ब्लॉक (एलएनबी) को संतृप्त कर सकता है जो पारंपरिक रूप से 3400–4200 मेगाहर्ट्ज में संचालित होता है, इसलिए 3700–4200 मेगाहर्ट्ज रेंज में संचालित उच्च गुणवत्ता वाले बैंडपास फिल्टर का उपयोग करने की आवश्यकता है। इसलिए, दूरसंचार विभाग को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) से उचित कार्रवाई करने और एमएसओ, डीटीएच ऑपरेटरों और अन्य उपयोगकर्ताओं को आईएमटी स्टेशनों के हस्तक्षेप से बचने के लिए 3700–4200 मेगाहर्ट्ज रेंज में संचालित उच्च गुणवत्ता वाले बैंडपास फिल्टर का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील बनाने के लिए कहना चाहिए।

स्पेक्ट्रम रोडमैप

xxiii. अतिरिक्त बैंड जिन्हें आईएमटी सेवाओं के लिए आईटीयू द्वारा पहले से ही निर्दिष्ट किये गए हैं और आईएमटी पहचान के लिए डब्ल्यूआरसी–23 में विचाराधीन अतिरिक्त बैंडों को आईएमटी सेवाओं के लिए इन बैंडों को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की संभावना तलाशी जानी चाहिए और दूरसंचार विभाग को भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए आईएमटी के लिए नए बैंड खोलने के लिए एक स्पेक्ट्रम रोडमैप लाना चाहिए।

xxiv. प्रत्येक वर्ष आईएमटी के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले स्पेक्ट्रम पर कम से कम 5 वर्ष का रोडमैप और नीलामी की संभावित तारीख/माह को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। ऐसा स्पेक्ट्रम रोडमैप निश्चितता प्रदान करेगा, बोलीदाताओं को सूचित निर्णय लेने में सक्षम करेगा और नए प्रवेशकों को भी प्रोत्साहित कर सकता है।

निजी नेटवर्क के लिए ढांचा – प्रस्तावित सक्षम ढांचा

xxv. निजी नेटवर्क के लिए तैयार किया गया सक्षम ढाँचाः कैप्टिव वायरलेस निजी नेटवर्क के लिए खोले जाने वाले सभी विकल्प, नीचे दिए गए हैं:

(क) टीएसपी के पीएलएमएन नेटवर्क से नेटवर्क स्लाइस का उपयोग करके टीएसपी के माध्यम से निजी नेटवर्क।

(ख) उद्यम टीएसपी से टीएसपी के स्पेक्ट्रम का उपयोग करके उद्यम के परिसर में एक स्वतंत्र पृथक निजी नेटवर्क स्थापित करने का अनुरोध कर सकता है।

(ग) उद्यम टीएसपी से पट्टे पर स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकता है और अपना स्वयं का पृथक कैप्टिव वायरलेस प्राइवेट नेटवर्क स्थापित कर सकता है।

(घ) उद्यम सरकार से सीधे स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं और अपना पृथक कैप्टिव वायरलेस निजी नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं।

xxvi. आईएमटी स्पेक्ट्रम का उपयोग करके कैप्टिव वायरलेस प्राइवेट नेटवर्क स्थापित करने के लिए, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 4 के तहत इकाई/उद्यम के पास अनुमति/लाइसेंस होना चाहिए। 'कैप्टिव वायरलेस प्राइवेट नेटवर्क (सीडब्ल्यूपीएन)' के लिए अनुमति/लाइसेंस प्राप्त करने के लिए बहुत हल्के स्पर्श वाली ऑनलाइन पोर्टल–आधारित व्यवस्था की अनुशंसा की गई है।

xxvii. टीएसपी को अपने स्पेक्ट्रम को कैप्टिव वायरलेस निजी नेटवर्क अनुमति धारक/लाइसेंसधारियों को पट्टे पर देने की अनुमति दी जानी चाहिए। कैप्टिव वायरलेस निजी नेटवर्क अनुमति धारक/लाइसेंसधारियों को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा एक्सेस स्पेक्ट्रम के पट्टे के लिए दिशानिर्देशों में शामिल किए जाने वाले प्रमुख तत्वों की अनुशंसा की गई है।

xxviii. कैप्टिव वायरलेस निजी नेटवर्क के लिए कुछ स्पेक्ट्रम निर्धारित किए जाएंगे जो दूरसंचार विभाग द्वारा कैप्टिव वायरलेस प्राइवेट नेटवर्क अनुमति धारकों/लाइसेंसधारकों को सीधे सौंपे जाएंगे।

xxix. निजी नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम की मांग का आकलन करने के लिए दूरसंचार विभाग को एक पोर्टल बनाना चाहिए, जिसमें कंपनियों से स्पेक्ट्रम की मांग पूछी जाए।

xxx. कैप्टिव वायरलेस निजी नेटवर्क अनुमति धारक/लाइसेंसी को स्पेक्ट्रम असाइनमेंट के लिए दिशानिर्देशों में शामिल किए जाने वाले प्रमुख तत्वों की अनुशंसा की गई है।

xxxi. कैप्टिव वायरलेस प्राइवेट नेटवर्क को किसी भी तरह से सार्वजनिक नेटवर्क से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सार्वजनिक नेटवर्क में पीएसटीएन, पीएलएमएन, जीएमपीसीएस और सार्वजनिक इंटरनेट शामिल हैं।

5जी उपयोग के मामलों और अनुप्रयोगों का विकास और प्रसार–5जी प्रौद्योगिकी और डिजिटल समावेशन को व्यापक रूप से अपनाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का प्रस्ताव दिया गया

xxxii. विभिन्न कार्यक्षेत्रों में 5जी के उपयोग संबंधी मामलों को आगे बढ़ाने के लिए, सदस्य (प्रौद्योगिकी), दूरसंचार विभाग की अध्यक्षता में एक 5जी–समर्पित अंतर–मंत्रालयी कार्य समूह (आईएमडब्ल्यूजी) का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उद्योग संवर्धन विभाग और आंतरिक व्यापार, सूचना एवं

प्रसारण मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय और नीति आयोग सदस्य के रूप में हो जिनका प्रतिनिधित्व संयुक्त सचिव (जेएस) स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए।

xxxiii. विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और मंत्रालयों के साथ गठबंधन में टेलीकॉम इनोवेशन सेंटर तैयार किए जाएंगे, जो विभिन्न कार्यक्षेत्रों/क्षेत्रों में 5जी उपयोग के मामलों और अनुप्रयोगों के लिए नवीन समाधानों के विकास के लिए विशिष्ट होंगे।

''अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी)/5जी के लिए पहचानी गई फ्रीक्वेंसी में स्पेक्ट्रम की नीलामी'' पर की गई अनुशंसाएँ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं।

2.5.1.2 ''लो बिट रेट की एप्लीकेशनों के लिए सैटेलाइट–आधारित कनेक्टिविटी हेतु लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क'' पर की गई अनुशंसाओं पर दूरसंचार विभाग के दिनांक 9 मार्च, 2022 के बैक रेफरेंस पर भादूविप्रा की दिनांक 5 मई, 2022 की प्रतिक्रिया।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(क) के तहत अपने संदर्भ पत्र दिनांक 23 नवंबर, 2020 के माध्यम से, भादूविप्रा से वाणिज्यिक और कैप्टिव उपयोग दोनों के लिए लो–बिट–रेट एप्लीकेशन के लिए सैटेलाइट–आधारित कनेक्टिविटी हेतु प्रावधान को सक्षम करने के लिए लाइसेंसिंग ढांचे पर अनुशंसाएँ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था। भादूविप्रा ने दिनांक 26 अगस्त, 2021 को ''लो–बिट–रेट एप्लीकेशन के लिए सैटेलाइट–आधारित कनेक्टिविटी के हेतु लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क'' पर अनुशंसाएँ प्रस्तुत कीं।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) अपने दिनांक 9 मार्च, 2022 के पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) ने दिनांक 4 जनवरी, 2022 की अपनी बैठक में भादूविप्रा की अनुशंसाओं पर विचार किया और एनएलडी एसयूसी के संबंध में पैरा 4.9(ii) को छोड़कर सभी सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय लिया। जिसे भादूविप्रा अधिनियम 1997 की प्रासंगिक धारा के तहत भादूविप्रा को वापस भेज दिया गया है।

दूरसंचार विभाग की टिप्पणियों की जांच करने के बाद, भादूविप्रा ने बैक रेफरेंस पर अपनी प्रतिक्रिया को अंतिम रूप दिया और इसे दिनांक 5 मई, 2022 को भेज दिया। प्राधिकरण द्वारा दिए गए प्रतिक्रिया भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं।

2.5.1.3 ''आईएमटी/5जी के लिए पहचाने गए फ्रीक्वेंसी बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी'' पर की गई अनुशंसाओं पर दूरसंचार विभाग के दिनांक 29 अप्रैल, 2022 के बैक रेफरेंस पर भादूविप्रा के दिनांक 9 मई, 2022 की प्रतिक्रिया।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 13 सितंबर, 2021 के अपने पत्र के माध्यम से, अन्य बातों के साथ–साथ, भादूविप्रा से आईएमटी/5जी के लिए 526–698, 526–698 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300–3670 मेगाहर्ट्ज और 24.25 – 28.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए लागू आरक्षित मूल्य, बैंड योजना, ब्लॉक आकार, नीलाम किए जाने वाले स्पेक्ट्रम की मात्रा और संबंधित शर्तों पर अनुशंसा करने के लिए अनुरोध किया गया था। प्राधिकरण ने विस्तृत परामर्श प्रक्रिया के बाद दिनांक 11 अप्रैल, 2022 को ''आईएमटी/5जी के लिए पहचाने गए फ्रीक्वेंसी बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी'' पर अपनी अनुशंसा भेजी थीं।

दिनांक 29 अप्रैल, 2022 के अपने पिछले संदर्भ में, दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा अधिनियम 1997, यथा संशोधित 2000 की धारा 11 के प्रावधानों के अनुसार पुनर्विचारित अनुशंसाओं के लिए अपनी टिप्पणियों/टिप्पणियों के साथ दिनांक 11 अप्रैल, 2022 को ''आईएमटी/5जी के लिए पहचाने गए फ्रीक्वेंसी बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी'' पर भादूविप्रा की कुछ अनुशंसाओं को वापस संदर्भित किया। इसके अलावा, दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा की कुछ अनुशंसाओं पर अपने विचार संलग्न किए और यह भी बताया कि बाकी अनुशंसाएँ स्वीकार्य हैं।

दूरसंचार विभाग की टिप्पणियों की जांच करने के बाद, भादूविप्रा ने बैक रेफरेंस पर अपनी प्रतिक्रिया को अंतिम रूप दिया और दिनांक 9 मई, 2022 को दूरसंचार विभाग को भेज दिया। प्राधिकरण द्वारा दिए गए प्रतिक्रिया भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं।

2.5.1.4 "ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और उन्नत ब्रॉडबैंड स्पीड को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप" पर की गई अनुशंसाओं पर दूरसंचार विभाग के दिनांक 28 जून, 2022 के बैक रेफरेंस पर भादूविप्रा के दिनांक 25 जुलाई, 2022 की प्रतिक्रिया।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अपने दिनांक 28 जून, 2022 के संदर्भ में "ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और ब्रॉडबैंड स्पीड बढ़ाने के लिए रोडमैप" दिनांक 31 अगस्त, 2021 को भादूविप्रा की कुछ अनुशंसाओं को भादूविप्रा अधिनियम, 1997, (संशोधित) धारा 11 के प्रावधानों के अनुसार इन अनुशंसाओं पर पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया।

भादूविप्रा ने उचित विचार–विमर्श करने के बाद, बैक रेफरेंस पर अपनी प्रतिक्रिया को अंतिम रूप दिया और दिनांक 25 जुलाई, 2022 को दूरसंचार विभाग (डीओटी) को भेज दिया। प्राधिकरण द्वारा दिए गए प्रतिक्रिया भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं।

2.5.1.5 "डिफरेंशियल लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न परतों की अनबंडलिंग को सक्षम करने" पर की गई अनुशंसाओं पर दूरसंचार विभाग के दिनांक 2 अगस्त, 2022 के बैक रेफरेंस पर भादूविप्रा की दिनांक 6 सितंबर, 2022 की प्रतिक्रिया।

"डिफरेंशियल लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न परतों की अनबंडलिंग को सक्षम करने" पर भादूविप्रा की दिनांक 19 अगस्त, 2021 की अनुशंसाओं पर विस्तृत विचार–विमर्श करने के बाद दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 2 अगस्त, 2022 के अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया कि सरकार प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि हो सकता है कि बाजार में अलग एक्सेस नेटवर्क प्रोवाइडर (एएनपी) लाइसेंस की मांग न हो। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने आगे सूचित किया है कि समान पहलुओं वाले "इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी–I पंजीकरण के दायरे को बढ़ाने" पर भादूविप्रा की अनुशंसाओं की भी दूरसंचार विभाग (डीओटी) में जांच की जा रही है।

इसलिए, दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने सूचित किया है कि "डिफरेंशियल लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न परतों की अनबंडलिंग को सक्षम करने" पर भादूविप्रा की अनुशंसाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा अधिनियम की सुसंगत धारा के अनुसार, "डिफरेंशियल लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न परतों की अनबंडलिंग को सक्षम करने" पर भादूविप्रा की अनुशंसाओं को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया।

भादूविप्रा ने इन विन्दुओं पर जांच करने के बाद बैक रेफरेंस पर अपनी प्रतिक्रिया को अंतिम रूप देकर उन्हें दिनांक 6 सितंबर 2022 को दूरसंचार विभाग (डीओटी) को भेज दिया। प्राधिकरण द्वारा दिए गए प्रतिक्रिया भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर रखे उपलब्ध हैं।

2.5.1.6 "भारत में डेटा केंद्रों, सामग्री वितरण नेटवर्क और इंटरकनेक्ट एक्सचेंजों की स्थापना के माध्यम से डेटा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नियामक ढांचा" पर दिनांक 18 नवंबर, 2022 की अनुशंसाएँ।

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी) 2018 में प्रोपेल इंडिया मिशन के तहत 'क्लाउड कंप्यूटिंग, कंटेंट होस्टिंग और डिलीवरी, और डेटा संचार प्रणालियों और सेवाओं के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना' एक रणनीति है। इस रणनीति के तहत प्रावधान संख्या 2.2(च) में (i) परिकल्पना की गई है:

"भारत में अंतर्राष्ट्रीय डेटा केंद्रों, सामग्री वितरण नेटवर्क और स्वतंत्र अंतर्संयोजन एक्सचेंजों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए सक्षम विनियामक ढांचे और प्रोत्साहन का विकास करना"।

प्राधिकरण ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिनांक 16 दिसंबर, 2021 को ''भारत में डेटा केंद्रों, सामग्री वितरण नेटवर्क और इंटरकनेक्ट एक्सचेंजों की स्थापना के माध्यम से डेटा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विनियामक ढांचे'' पर विस्तृत परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया ताकि देश में (i) डेटा सेंटर, (ii) कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, और (iii) इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए विनियामक ढांचे पर हितधारकों के विचार लिया जा सके। इसके पश्चात, विभिन्न मुद्दों पर हितधारकों के विचार जानने हेतु दिनांक 06 मई, 2022 को एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई।

परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/इनपुट पर विचार करने और मुद्दों के आगे के विश्लेषण के बाद, प्राधिकरण ने डीसी, सीडीएन और आईएक्सपी सहित देश में डिजिटल अवसंरचना पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने हेतु इन अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया है। अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

क) डेटा केंद्र

डेटा केंद्रों (डीसी) और डीसी पार्कों की स्थापना को सुविधाजनक बनाना और प्रोत्साहित करना

- प्राधिकरण ने डेटा सेंटर (डीसी) और डेटा सेंटर पार्क (डीसी पार्क) को स्थापित करने के लिए डेटा सेंटर प्रोत्साहन योजना (डीसीआईएस) लाने की अनुशंसा की है। डीसीआईएस के पास प्रोत्साहनों के लिए दो सूचियाँ होंगी–
  - (क) कुछ राजकोषीय और गैर–राजकोषीय प्रोत्साहन है जो केंद्र विशिष्ट हैं और केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए जा सकते हैं।
  - (ख) दूसरी पहल राज्यों के लिए दिशानिर्देश के रूप में है जिसे अपनी नीतियों के माध्यम से राजकोषीय प्रोत्साहनों की घोषणा करने हेतु राज्यों को लचीलापन छोड़ना।
- निम्नलिखित के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) पर एक डेटा सेंटर विशिष्ट पोर्टल के संचालन के लिए:
  - (क) गैर–महत्वपूर्ण श्रेणी की अनुमतियों के लिए निर्धारित समय–सीमा समाप्त होने के बाद स्वीकृत अनुमोदन के प्रावधान के साथ समयबद्ध एकल खिड़की की स्वीकृति।
  - (ख) बिना किसी बाध्यता या पंजीकरण शुल्क के नए डीसी/डीसी पार्क ऑपरेटरों का अनिवार्य ऑनलाइन पंजीकरण।
  - (ग) अधिसूचनाएं जारी करना, योजनाओं और लाभों की घोषणा, संभावित निवेशकों के सवालों का जवाब देने और बातचीत करने की सुविधा, और मौजूदा और संभावित डीसी/डीसी पार्क ऑपरेटरों की शिकायत का निवारण।
- डीसी क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा उनकी उपयुक्तता के अनुसार भारतीय राज्यों को रैंकिंग देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की डीसी रेडीनेस इंडेक्स (डीसीआरआई) रूपरेखा केंद्र सरकार द्वारा लागू की जाएगी। राज्यों की रैंकिंग के लिए मापदंडों और उनके भारांक (वेटेज) की एक सांकेतिक सूची का सुझाव दिया गया है।
- जिन राज्यों में डीसी और डीसी पार्कों की कमी है, उनके लिए केंद्र को अन्य राज्यों के अनुरूप योजना तैयार करनी चाहिए, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ भूमि (राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली), पूंजीगत सब्सिडी और ब्याज सब्सिडी [केंद्र (75%) और राज्य (25%) सरकार के बीच विभाजित किया जाएगा] के रूप में प्रोत्साहन की पेषकष की जानी चाहिए।

- डीसी आर्थिक क्षेत्र (डीसीईजेड) स्थापित करें। सुझाई गई 33 विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की सूची में से एसईजेड, जो प्रचुर बिजली और पानी वाले क्षेत्रों में स्थित हैं, को आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और उड़ीसा के प्रत्येक राज्य को डीसी आर्थिक क्षेत्र (डीसीईजेड) में परिवर्तित करने या डीसी/डीसी पार्क की स्थापना के लिए इन एसईजेड से जोन बनाने के लिए पहचान की जा सकती है।

भारत के विशिष्ट भवन मानदंडों, मानकों और सुरक्षा प्रमाणन ढांचे का विकास करना

- डीसी के निर्माण के लिए विभिन्न भारत–विशिष्ट भवन मानक विकसित करने और डीसी के लिए भारत विशिष्ट मानक–आधारित प्रमाणन ढांचा विकसित करने का काम बीआईएस को सौंपा जाना चाहिए।
- डीसी के सुरक्षा पहलुओं का समाधान करने के लिए, टीईसी और एसटीक्यूसी को तीसरे पक्ष के लेखापरीक्षा के आधार पर डीसी सुरक्षा प्रमाणन ढांचे को विकसित करने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करना चाहिए।

केबल लैंडिंग स्टेशनों (सीएलएस) से कनेक्टिविटी

- सीएलएस की स्थापना को बढ़ावा देने के इच्छुक तटीय राज्यों हेतु, यह अनुशंसा की गई है कि जैसा गुजरात राज्य ने अपनी आईटी/आईटीईएस नीति 2022–27 में किया है, वैसे ही नीति बनाने के लिए सीएलएस के प्रोत्साहन और सुविधाओं पर विचार कर सकते हैं।
- सीएलएस के लिए ओएफसी बुनियादी ढांचे को बिछाने और रखरखाव के लिए राइट ऑफ वे शुल्क माफ किया जा सकता है।

बिजली संबंधी

- विद्युत मंत्रालय के साथ मिलकर दूरसंचार विभाग डीसी के लिए एक अनुकूल लेकिन सरलीकृत रूपरेखा तैयार करने के लिए हितधारकों द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार करेगा, जो अन्य बातों के साथ–साथ अनुशंसा में उठाए गए मुद्दों को हल करेगाः–

  क) उन डीसी/डीसी पार्क प्रचालकों के लिए ऊर्जा बैंकिंग का प्रावधान करना जो डीसी/डीसी पार्कों की खपत के लिए नवीकरण ऊर्जा का उत्पादन करने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें वार्षिक आधार पर बढ़ाया जाना चाहिए।

  ख) डीसी/डीसी पार्क प्रचालको को सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए प्राथमिकता और रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराना।

- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से किसी भी बाधा के बिना डीसी और डीसी पार्क स्थलों को बैकअप बिजली अवसंरचना के रूप में संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

हरित डीसी को बढ़ावा देना

- भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) को टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर (टीईसी) के साथ मिलकर भारत में हरित डीसी के प्रमाणन मानक तैयार करने का काम सौंपा जाना चाहिए।
- सरकार को नई प्रौद्योगिकी/विधियों/प्रक्रियाओं के लिए प्रयोगात्मक आधार पर प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) आमंत्रित करने हेतु एक योजना बनानी चाहिए जिसे हरित डीसी को बढ़ावा देने के लिए अपनाया जा सके।

क्षमता निर्माण

- दूरसंचार विभाग (डीओटी) के अंतर्गत नीति अनुसंधान, नवाचार और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार संस्थान (एनटीआईपीआरआईटी), एमईआईटीवाई, एआईसीटीई और टीएसएससी को अल्पकालिक और दीर्घकालिक पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए डीसी उद्योग के साथ मिलकर सहयोग करना चाहिए। डिप्लोमा, स्नातक–पूर्व और स्नातकोत्तर स्तर पर डीसी संबंधित पाठ्यक्रमों की एक विचारोत्तेजक सूची की भी अनुशंसा की गई है।

डिजिटल डेटा अवसंरचना के मांग पक्ष संबंधी मुद्दों का समाधान –

- डेटा डिजिटलीकरण, साझाकरण और मुद्रीकरण–डेटा डिजिटलीकरण अभियान के संचालन के लिए केंद्र में एक सांविधिक निकाय डेटा डिजिटलीकरण और मुद्रीकरण परिषद (डीडीएमसी) निर्धारित की जानी चाहिए।
- डेटा स्वामित्व–सरकार को दूरसंचार सब्सक्राइबरों को अपने नंबर पोर्ट करते समय प्राप्तकर्ता टीएसपी के साथ अपने केवाईसी डेटा को साझा करने के लिए सहमति आधारित विकल्प प्रदान करने हेतु डीईपीए ढांचे की तर्ज पर एक डेटा साझाकरण और सहमति प्रबंधन ढांचा स्थापित किया जाना चाहिए।
- डेटा आचारनीति (एथिक्स)–डीडीएमसी को भारत में सरकार के साथ–साथ कॉरपोरेट दोनों द्वारा डेटा के नैतिक उपयोग के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करने की जिम्मेदारी भी सौंपी जानी चाहिए। ढांचे को सामान्य और साथ ही ऊर्ध्वाधर क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को हल करना चाहिए।

ख) सूचना सामग्री वितरण नेटवर्क (सीडीएनएस)

- कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क (सीडीएन) सूचना सामग्री वितरण पारिस्थितिकी तंत्र की मूल्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंटरनेट ट्रैफिक, जो पहले अकेले आईएसपी द्वारा वितरित किया जाता था, अब आईएसपी और सीडीएन द्वारा संयुक्त रूप से वितरित किया जा रहा है। आईएसपी लोड संतुलन, ट्रैफिक इंजीनियरिंग करते हैं और अंतिम उपयोगकर्ताओं को सेवा की गारंटीकृत गुणवत्ता प्रदान करते हैं। टीएसपी के सहयोग से सीडीएन प्लेयर्स अंतिम उपयोगकर्ताओं तक सूचना सामग्री की बेहतर प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए लोड संतुलन, कैशिंग, अनुकूलन, सुरक्षा प्रोटोकॉल का उपयोग आदि जैसी विभिन्न तकनीकों का भी लाभ उठाते हैं। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क (सीडीएन) प्लेयर नेटवर्क ट्रैफिक में प्रमुख योगदानकर्ता हैं और ये सेवा की समग्र गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। तदनुसार, भादूविप्रा ने अपनी परामर्श प्रक्रिया में विभिन्न सीडीएन–आईएसपी अंतर्संयोजन और सहयोग संबंधी नीति और विनियामक संबंधी समस्याओं पर चर्चा की थी। देश में सूचना सामग्री वितरण नेटवर्क की स्थापना के लिए चुनौतियों से संबंधित मुद्दों और सीडीएन उद्योग को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा की गई।
- इन मुद्दों के समाधान के लिए, भादूविप्रा ने अनुशंसा की है कि सीडीएन प्लेयर्स को एक सरल ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से दूरसंचार विभाग के साथ पंजीकृत किया जाना चाहिए। पंजीकरण फॉर्म और पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ सीडीएन खिलाड़ियों के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देशों के विचारोत्तेजक मसौदे में 10,000 रुपये के एक बार पंजीकरण शुल्क के साथ अनुशंसा की गई है।
- डीसी के लिए अनुशंसित प्रोत्साहनों से देश में सीडीएन के प्रसार में भी मदद मिलेगी और इससे सीडीएन और आईएक्सपी सहित डिजिटल अवसंरचना के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलेगा।

ग) इंटरकनेक्ट एक्सचेंज प्रदाता (आईएक्सपी)

- वर्तमान में, इंटरकनेक्ट एक्सचेंज प्रदाताओं को इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है, जिसमें सब्सक्राइबर सत्यापन, सुरक्षा आदि से संबंधित कई कठिन लाइसेंसिंग शर्तें होती हैं जो उनके लिए सुसंगत नहीं हैं। यह कृत्रिम रूप से प्रवेश में अवरोध पैदा करता है। इस मुद्दे को हल करने और विशेष रूप से टियर–II और टियर–III शहरों में अधिक इंटरकनेक्ट एक्सचेंज प्रदाता (आईएक्सपी) एक्सचेंजों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए, भादूविप्रा ने अनुशंसा की है कि आईएक्सपी के लिए एकीकृत लाइसेंस में एक अलग प्राधिकरण बनाया जा सकता है, जिसमें नियम और शर्तें आईएसपी लाइसेंस प्राधिकरण की तुलना में बहुत कम कठिन होता है।
- निम्नलिखित निबंधन और शर्तें इसमें शामिल हैं:

लाइसेंस शुल्क	न्यूनतम इक्विटी	न्यूनतम निवल मूल्य	प्रवेश शुल्क (रू.)	पीबीजी (रू.)	एफबीजी (रू.)	आवेदन प्रक्रिया शुल्क (रू.)
शून्य	शून्य	शून्य	20,000	10,000	2,000	10,000

- एनआईएक्सआई सहित सभी मौजूदा कंपनियों (प्लेयर्स) को निर्धारित समय सीमा जो छह महीने से अधिक न हो, के भीतर इस लाइसेंसिंग ढांचे लाया जाना चाहिए।
- सरकार को सीडीएन और आईएक्सपी से संबंधित उपकरणों के वर्गीकरण को स्पष्ट रूप से शामिल करने के लिए पीएलआई और पीपीपी–पीएमआई योजनाओं के तहत उत्पादों की मौजूदा सूची का विस्तार किया जाना चाहिए।

''भारत में डेटा सेंटर, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क और इंटरकनेक्ट एक्सचेंजों की स्थापना के माध्यम से डेटा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विनियामक ढांचा'' पर अनुशंसा भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं।

2.5.1.7 ''सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे (एसईएसजी) की स्थापना और संचालन के लिए लाइसेंसिंग ढांचे'' पर दिनांक 29 नवंबर, 2022 की अनुशंसाएँ।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अपने दिनांक 10 सितंबर, 2021 के पत्र के माध्यम से सैटेलाइट गेटवे की स्थापना के लिए लाइसेंसिंग ढांचे पर भादूविप्रा की अनुशंसाएँ मांगी थीं।

इस संबंध में, 'सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे की स्थापना और संचालन के लिए लाइसेंसिंग ढांचा' पर एक परामर्श पत्र दिनांक 15 नवंबर, 2021 को जारी किया गया था। हितधारकों के साथ एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) दिनांक 25 फरवरी, 2022 को आयोजित की गई थी।

भादूविप्रा ने हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/इनपुट और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, ''सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे (एसईएसजी) की स्थापना और संचालन के लिए लाइसेंसिंग ढांचे'' पर अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया और उन्हें दिनांक 29 नवंबर, 2022 को सरकार को भेज दिया।

इन अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

i. भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4 के तहत एक अलग सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे (एसईएसजी) लाइसेंस होगा। एसईएसजी लाइसेंस एकीकृत लाइसेंस (यूएल) का हिस्सा नहीं बनेगा। एसईएसजी लाइसेंस के लिए सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर होगा।

ii. एसईएसजी लाइसेंसधारी सभी प्रकार की उपग्रह प्रणालियों के लिए भारत के क्षेत्र में कहीं भी एसईएसजी की स्थापना, रखरखाव और काम कर सकता है, जिसके लिए सरकार ने अनुमति दी है।

iii. सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे (एसईएसजी) लाइसेंसधारी किसी भी इकाई को उपग्रह–आधारित संसाधन प्रदान कर सकता है, जिसके पास दूरसंचार विभाग या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) द्वारा दिया गया लाइसेंस/अनुमति है और उसे अपने लाइसेंस/अनुमति के तहत सेवाओं के प्रावधान के लिए उपग्रह मीडिया का उपयोग करने की अनुमति है।

iv. सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे (एसईएसजी) लाइसेंसधारी एक या अधिक सरकार द्वारा अनुमोदित उपग्रह प्रणालियों के संबंध में एसईएसजी स्थापित कर सकता है।

v. सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे (एसईएसजी) लाइसेंसधारी को उपभोक्ताओं को सीधे किसी भी प्रकार की दूरसंचार सेवा या प्रसारण सेवा प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसके प्रावधान के लिए सरकार से एक अलग लाइसेंस/प्राधिकरण/अनुमति की आवश्यकता होती है।

vi. सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे (एसईएसजी) का लाइसेंस 10 वर्षों के नवीनीकरण के प्रावधान के साथ लाइसेंस की प्रभावी तिथि से 20 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा।

vii. लाइसेंसधारी को अपने नेटवर्क में विश्वसनीय उत्पादों को जोड़ने के संबंध में सरकार द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

viii. एसईएसजी लाइसेंसधारी को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में समय–समय पर जारी, लाइसेंसकर्ता (यानी दूरसंचार विभाग) के अनुदेशों/निर्देशों का पालन करना होगा।

ix. केवल भारत के कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत कंपनियां ही एसईएसजी लाइसेंस के अनुदान के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगी।

x. एसईएसजी लाइसेंस प्रदान करने के लिए 10 लाख रू. का एक गैर–वापसीयोग्य एकमुश्त प्रवेश शुल्क लगाया जाएगा।

xi. चूंकि एसईएसजी लाइसेंसधारी अंतिम उपभोक्ताओं को सीधे कोई सेवा प्रदान नहीं करेंगे, एसईएसजी लाइसेंस पर प्रति वर्ष केवल 1 रुपये का टोकन लाइसेंस शुल्क लगाया जाएगा।

xii. एसईएसजी लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन के संबंध में, 5,000 रुपये का प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) शुल्क लगाया जाएगा। इसके अलावा, एक अतिरिक्त एसईएसजी स्थापित करने की अनुमति देने हेतु प्रत्येक आवेदन के लिए 5,000 रुपये का प्रोसेसिंग शुल्क लगाया जाएगा।

xiii. दूरसंचार विभाग और एमआईबी द्वारा दिए गए संबंधित लाइसेंस/अनुमतियों में लैंड अर्थ स्टेशन गेटवे/हब स्टेशन/अपलिंक अर्थ स्टेशन को अनिवार्य रूप से स्थापित करने का जो अधिदेश है उसे हटा दिया जाएगा।

xiv. दूरसंचार और प्रसारण सेवा लाइसेंसधारियों/अनुमति धारकों, जो भारत में उपग्रह–आधारित संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए पात्र हैं, उनके पास अपने स्वयं के सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे स्थापित करने का विकल्प होगा, यदि उनके लाइसेंस/अनुमति के तहत उन्हें अनुमति है, या एसईएसजी लाइसेंसधारियों द्वारा प्रस्तावित निबंधनों और शर्तों पर अपने बेसबैंड उपकरण को एसईएसजी के साथ जोड़कर एसईएसजी लाइसेंसधारियों द्वारा स्थापित एसईएसजी का उपयोग करें।

xv. एसईएसजी लाइसेंसधारी द्वारा सेवा प्रदान किए जा रहे सेवा लाइसेंसधारी/अनुमति धारक, एसईएसजी लाइसेंसधारी द्वारा स्थापित एसईएसजी में अपने स्वयं के बेसबैंड उपकरण स्थापित करेंगे।

संबंधित उपग्रह प्रणाली में ट्रांसपोंडर बैंडविड्थ के आवंटन के अनुसार फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम (गेटवे–साइड स्पेक्ट्रम, साथ ही उपयोगकर्ता टर्मिनल–साइड स्पेक्ट्रम) पात्र सेवा लाइसेंसधारियों/अनुमति धारकों को सौंपा जाना चाहिए। एसईएसजी लाइसेंसधारकों को कोई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम नहीं सौंपा जाएगा।

अनुशंसाएँ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं।

2.5.1.8 ''स्माल सेल और एरियल फाइबर परिनियोजन के लिए स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग'' पर दिनांक 29 नवंबर, 2022 की अनुशंसाएँ।

स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग करके स्मॉल सेल की सबसे तेज संभावित परिनियोजन सुनिश्चित करने के लिए अंतर–क्षेत्रीय समन्वय मुद्दों को हल करने हेतु भादूविप्रा ने 29 नवंबर, 2022 को ''स्मॉल सेल और एरियल फाइबर के परिनियोजन के लिए स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग'' पर अनुशंसाएँ जारी कीं।

जैसा कि भारत 5जी शुरू करने की योजना बना रहा है, इसमें स्मॉल सेल्स नेटवर्क उन्नयन और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। 5जी रोलआउट के लिए उच्च आवृत्ति बैंड के उपयोग से कवरेज कम होगी क्योंकि इन बैंड में सिग्नल भवनों या बाधाओं के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकते हैं। इसलिए, मैक्रो सेल्स को स्मॉल सेल्स की व्यापक तैनाती के साथ पूरक करने की आवश्यकता होगी ताकि सभी स्थानों पर सभी प्रकार के उपयोगों और अनुप्रयोगों का समर्थन किया जा सके। ट्रैफिक ऑफलोडिंग के लिए छोटी कोशिकाओं का भी उपयोग किया जाएगा क्योंकि मैक्रो रेडियो साइटों द्वारा उपयोग की जाने वाली कम आवृत्तियों की वहन क्षमता सीमित है। 5जी स्मॉल सेल स्थापित करने के लिए पहले से ही उपलब्ध स्ट्रीट फर्नीचर जैसे पोल का उपयोग हजारों नए टावरों को खड़ा करने की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप स्मॉल सेल की किफायती और तेज तैनाती हो सकती है। स्मॉल सेल को बैकहॉल कनेक्टिविटी की आवश्यकता होगी जिसे सड़क के फर्नीचर का उपयोग करके हवाई फाइबर परिनियोजन के माध्यम से बहुत तेजी से प्रदान किया जा सकता है।

स्ट्रीट फर्नीचर पर छोटे सेल और एरियल फाइबर के परिनियोजन में कई मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे बैकहॉल की उपलब्धता, बिजली, उपयुक्त उपकरण लगाने के लिए स्ट्रीट फर्नीचर की क्षमताओं, स्केलेबिलिटी और स्थानीय अनुमोदन और सुरक्षा से संबंधित चिंताओं के आधार पर उपयुक्त स्ट्रीट फर्नीचर की पहचान करना। रास्ते के अधिकार की प्रक्रिया, विभिन्न उपयोगकर्ताओं के बीच सड़क के फर्नीचर को साझा करना, राज्य बिजली कानूनों के तहत बिजली आपूर्ति के लिए आवश्यक अनुमति, स्मॉल सेल परिनियोजन के लिए छूट या थोक अनुमति पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। प्राधिकरण ने दिनांक 23 मार्च, 2022 को इन मुद्दों पर हितधारकों से इनपुट मांगने के लिए, ''स्मॉल सेल और एरियल फाइबर परिनियोजन के लिए स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया।

अत्याधुनिक 5जी नेटवर्क विकसित करने के लिए विभिन्न केंद्रीय, राज्य और नगरपालिका प्राधिकरणों के बीच स्ट्रीट फर्नीचर अवसंरचना को साझा करने को बढ़ावा देने वाले क्रॉस–सेक्टोरल ढांचे को विकसित करने के उद्देश्य से, भादूविप्रा ने एक साथ भोपाल स्मार्ट सिटी, जीएमआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली, दीनदयाल पोर्ट कांडला और नम्मा मेट्रो बेंगलुरु में स्मॉल सेल और एरियल फाइबर तैनाती के लिए स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। परामर्श प्रक्रिया और इन प्रायोगिक परियोजनाओं सीख के आधार पर, भादूविप्रा ने सभी स्मार्ट शहरों, अन्य शहरों और कस्बों, बंदरगाहों, हवाई अड्डे, मेट्रो रेल, औद्योगिक पार्क और संपदा, आदि स्थानों में स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग करके छोटे सेल और ऑप्टिकल फाइबर के सफल और तेजी से रोलआउट को सुनिश्चित करने के लिए अनुकूल विनियामक और नीति ढांचे पर सरकार के लिए अपनी व्यापक अनुशंसाएँ तैयार की हैं। इन अनुशंसाओं के माध्यम से एक विनियामक ढांचा बनाने पर जोर दिया गया है जो विभिन्न विभागों, केंद्रीय और राज्य एजेंसियों, स्थानीय निकायों और सेवा प्रदाताओं के बीच सहयोग और भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है।

"स्मॉल सेल और हवाई फाइबर परिनियोजन के लिए स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग" पर अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैः

क. राइट ऑफ वे (RoW) और राइट ऑफ वे नियम, 2016, यथासंशोधित, में वर्तमान प्रावधानों की पर्याप्तता

- राइट ऑफ वे (RoW) नियम, 2022 में अगस्त 2022 में संशोधन लाने में दूरसंचार विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए प्राधिकरण ने "स्ट्रीट फर्नीचर" (इसमें दिनांक 26 अक्टूबर, 2022 का दूरसंचार विभाग का स्पष्टीकरण भी शामिल है) शब्द पर स्पष्टता लाने और अनुप्रयोगों के थोक प्रसंस्करण के प्रावधान को शामिल करने के लिए नियमों में और संशोधन करने की अनुशंसा की है।
- सभी उपयोगिता प्रदाताओं विशेषकर बिजली क्षेत्र के लिए राइट ऑफ वे (RoW) अनुमतियाँ प्रदान करने के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय पोर्टल का कार्यक्षेत्र बढ़ाएँ। राइट ऑफ वे (RoW) और बिजली कनेक्शन सहित विभिन्न अनुमतियाँ देने के लिए साइटों के थोक प्रसंस्करण हेतु एकल आवेदन स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय राइट ऑफ वे (RoW) पोर्टल में एक प्रावधान किया गया है।
- राष्ट्रीय राइट ऑफ वे (RoW) पोर्टल कैप्चरिंग में जीआईएस मैप्ड स्ट्रीट फर्नीचर परिसंपत्तियों की एक सूची का निर्माण।
    - ❖ संरचना की ऊंचाई, भार वहन और पवन भार क्षमता।
    - ❖ यदि बिजली उपलब्ध है तो वाट क्षमता, बिजली का प्रकार (एसी/डीसी), वोल्टेज आदि।
    - ❖ एसएफ (स्ट्रीट फर्नीचर) का चित्र।
    - ❖ नियुक्ति के लिए प्रस्तावित गैर–भेदभावपूर्ण निबंधन और शर्तें।
    - ❖ विशेष स्ट्रीट फर्नीचर के लिए नोडल व्यक्ति का संपर्क विवरण (मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर और ईमेल आईडी)।
- स्मॉल सेल अवसंरचना के स्थान के त्वरित मूल्यांकन और स्ट्रीट फर्नीचर कैटलॉग के निर्माण के लिए जीआईएस प्रणाली में ड्रोन आधारित मैपिंग के उपयोग पर विचार किया जाना चाहिए।
- प्रावधान को शामिल करने के लिए राइट ऑफ वे (RoW) नियमों में संशोधन करें कि यदि एक से अधिक टीएसपी एक ही एसएफ (स्ट्रीट फर्नीचर) का उपयोग करने का अनुरोध करते हैं और सभी अनुरोध करने वाले टीएसपी की मांगों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त स्थान उपलब्ध है, उपकरण की स्थापना के लिए संरचना के साझा उपयोग के लिए तकनीकी रूप से व्यवहार्य समाधान निकालने के लिए उन्हें आपस में समन्वय करना चाहिए। यदि टीएसपी किसी करार पर पहुंचने नहीं पाते हैं, तो उन्हें सीएए के निर्णय को स्वीकार करना चाहिए जो एसएफ का उपयोग करने वाले टीएसपी का चयन करने के लिए एक निष्पक्ष और उचित विधि का उपयोग कर सकता है।
- दूरसंचार विधेयक 2022 के मसौदे में दूरसंचार संपत्तियों की बर्बरता का मुकाबला करने के प्रावधान हैं। हालाँकि, जब तक विधेयक एक कानून के रूप में पारित नहीं हो जाता, सरकार को दूरसंचार विभाग और गृह मंत्रालय की संयुक्त समिति के माध्यम से दूरसंचार परिसंपत्ति की सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की विशेष रूप से निगरानी करनी चाहिए।

ख. टीएसपी और आईपी–आईएस के साथ नियंत्रक प्रशासनिक प्राधिकारियों (सीएए) द्वारा अवसंरचना की साझेदारी

- दूरसंचार विभाग को सीएए को अनिवार्य करने के लिए राज्यों को परामर्शी दिशानिर्देश जारी करना चाहिए

जो ट्रैफिक लाइटों का स्वामित्व/नियंत्रण करते हैं और संरचनात्मक स्थिरता के अधीन स्मॉल सेल की तैनाती के लिए इन संपत्तियों को टीएसपी/आईपी–आईएस के साथ साझा करना चाहते हैं।

- सभी केंद्र सरकार संस्थाओं को स्मॉल और मैक्रो सेल सहित डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर (डीसीआइई) स्थापित करने के लिए अपने मौजूदा और नियोजित भवनों/संरचनाओं में समर्पित स्थान निर्धारित करने होंगे। स्मॉल/मैक्रो सेल को तैनात करने के लिए छतों पर समर्पित स्थानों की पहचान की जानी चाहिए। ऐसे स्थानों को जीआईएस मैप किया जाना है और गैर–भेदभावपूर्ण आधार पर टीएसपी/आईपी–आईएस द्वारा शुल्क मुक्त उपयोग के लिए गतिशक्ति संचार पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाना है। राज्य सरकारों को भी उनकी संस्थाओं और स्थानीय निकायों द्वारा इसी तरह की कार्रवाई के लिए परामर्शी दिशानिर्देश जारी किए जाने चाहिए। दूरसंचार विभाग को दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ भी संपर्क करना चाहिए।
- सभी दूरसंचार लाइसेंसों और आईपी–आई पंजीकरण करार में सक्षम प्रावधान या उपयुक्त निबंधन और शर्तें पेश की जाएंगी, जो टीएसपी/आईपी–आई प्रदाताओं को अवसंरचना के मालिकों/सीएए या किसी अन्य प्राधिकरण के साथ किसी विशेष संविदा करने या तरीकों के अधिकार से रोकेंगी।
- प्राधिकरण ने प्राथमिकता में राष्ट्रीय फाइबर प्राधिकरण (एनएफए) के गठन पर अपनी पिछली अनुशंसाओं को दोहराया है और कहा है कि एनएफए के दायरे को आम नलिकाओं और टेलीग्राफ पोस्टों से परे विस्तारित किया जाना चाहिए, ताकि जमीन के ऊपर के उपकरणों, उपकरणों और तंत्र से संबंधित जिम्मेदारियों को पूरा किया जा सके।
- दूरसंचार विभाग को राज्यों के लिए अपने परामर्शी दिशानिर्देशों में निम्नलिखित को शामिल करना चाहिए:
    - ❖ सभी सीएए या परिसंपत्ति नियंत्रण प्राधिकरणों को किसी भी लाइसेंसधारी/पंजीकरण धारक के साथ विशेष अधिकार/विशेष संपर्क करने पर रोक लगानी चाहिए। एसएफ (स्ट्रीट फर्नीचर) अवसंरचना को एक गैर–अनन्य और गैर–भेदभावपूर्ण तरीके से पेश किया जाना चाहिए।
    - ❖ भविष्य में, स्मॉल सेल्स और एरियल फाइबर जैसे डीसीआई आयोजित करने के लिए उपयुक्त अधिकारियों द्वारा नई एसएफ संरचनाओं की स्थापना के लिए निविदाएं, गैर–विशिष्ट आधार पर एसएफ (स्ट्रीट फर्नीचर) को साझा करने की संभावना को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
    - ❖ गतिशक्ति पहल के अनुरूप, नई संपत्तियों को स्थापित करने या मौजूदा संपत्तियों का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से वित्त पोषित उपयोगिता प्रदाताओं की सभी भविष्य की परियोजनाओं में, स्मॉल सेल, टावर और एरियल फाइबर जैसे डीसीआई की मेजबानी/समर्थन के प्रावधान अंतर्निर्मित होने चाहिए।
    - ❖ दूरसंचार विभाग को भादूविप्रा के दिनांक 1 फरवरी, 2022 के पत्र पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और सामान्य शर्तों और प्राधिकरण विशिष्ट अध्यायों से संबंधित अध्यायों में उल्लिखित एकीकृत लाइसेंस में बुनियादी ढांचे के साझाकरण प्रावधानों में अस्पष्टता को दूर करने के लिए विभिन्न लाइसेंसों के तहत अवसंरचना साझाकरण के प्रावधानों पर स्पष्टता लानी चाहिए।

ग. स्ट्रीट फर्नीचर और स्मॉल सेल का टीएसपी और आईपी–आई में साझाकरण

- अवसंरचना साझाकरण के लिए सेवा प्रदाता को प्रेरित करने हेतु, प्राधिकरण ने अनुशंसा की है कि साझा की गई अवसंरचना के उपयोग के लिए पट्टेदार टीएसपी द्वारा पट्टेदार टीएसपी को भुगतान किए गए शुल्क को ऐसे पट्टेदार टीएसपी के लागू सकल राजस्व (एपीजीआर) पर पहुंचने के लिए पट्टेदार टीएसपी

के सकल राजस्व से कम किया जाना चाहिए। इसे लागू करने के लिए विशिष्टताओं की भी अनुशंसा की गई है।

- आईपी–आई प्रदाताओं के दिशानिर्देशों और पंजीकरण करार को उनके कार्यक्षेत्र में विशेष रूप से 'पोलश शब्द का उल्लेख करने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए।

घ. स्मॉल सेलों के लिए अनुमति छूट और स्मॉल सेलों और संस्थापन प्रथाओं का मानकीकरण

- लो पावर बेस ट्रांसीवर स्टेशन (एलपीबीटीएस) को उन बीटीएस के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए जो ईआईआरपी<=600 डब्ल्यू विकिरण उत्पन्न करते हैं। ऐसे उपकरण/स्मॉल सेल को सभी स्थानों पर स्ट्रीट फर्नीचर/बिल्डिंग ओनर एजेंसी को छोड़कर किसी भी प्राधिकरण से किसी भी प्रकार की अनुमति लेने से छूट दी जानी चाहिए।
- दूरसंचार विभाग के सरलीकृत ईएमएफ (EMF) अनुपालन ढांचे को ईआईआरपी (EIRP) > 2 और ≤ 600 वॉट वाले एलपीबीटीएस को शामिल करने के लिए सामान्य रूप से अनुपालन वर्ग को फिर से परिभाषित करना चाहिए और टीईसी (TEC) को तदनुसार इस वर्ग के लिए अनुपालन तालिकाओं को संशोधित करना चाहिए।
- कम बिजली वाले उपकरण/ईआईआरपी <=100 डब्लू उत्सर्जित करने वाले स्मॉल सेल के लिए एसएसीएफए अनुपालन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा हाल ही में कार्रवाई की गई है। परिनियोजित किए जा रहे अधिकांश स्मॉल सेल/एलपीबीटीएस को कवर करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वरा इस सीमा को 600 वाट तक बढ़ाना चाहिए।
- टर्म सेल द्वारा 10% तक उन स्थलों के लेखापरीक्षा के मानदंड में ढील दी जा सकती है, जिसके लिए टीएसपी ने ईएमएफ स्व–प्रमाणन जमा किया है। दूरसंचार विभाग को बीटीएस/स्मॉल सेल साइटों के लेखापरीक्षा के लिए एक वैज्ञानिक नमूना आकार लाने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) से परामर्श करना चाहिए।
- एलपीबीटीएस के लिए स्व–प्रमाणन मानदंड को पांच साल तक शिथिल किया जाना चाहिए।

ङ. बिजली संबंधी मुद्दे और उनके समाधान

- निम्नलिखित के कार्यान्वयन हेतु दूरसंचार विभाग को विद्युत मंत्रालय, राज्य सरकारों और राज्य विद्युत नियामक आयोगों के साथ मामला उठाना चाहिए:
    - ❖ डिस्कॉम (वितरण कंपनियों) को प्राथमिकता के आधार पर टीएसपी/आईपी–आईएस को दूरसंचार साइटों के लिए कनेक्शन प्रदान करने का प्रावधान करना चाहिए। कनेक्शन प्रदान करने की समय सीमा (अधिमानतः 15 दिन) तय की जानी चाहिए और पोर्टल के माध्यम से निगरानी की जानी चाहिए।
    - ❖ राज्यों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए डीसीआई के महत्व को देखते हुए, डिस्कॉम (वितरण कंपनियों) को ट्रांसफार्मर की संस्थापना/उन्नयन या विद्युत कनेक्शन के अंतिम मील को खींचने के लिए टीएसपी/आईपी–आईएस पर शुल्क नहीं लगाना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो राज्यों को शुल्कों की ऐसी छूट के लिए डिस्कॉम (वितरण कंपनियों) को प्रतिपूर्ति देने के लिए आवश्यक प्रावधान करना चाहिए।

- ❖ चूंकि पूरे दिन स्मॉल सेल के लिए बिजली की आवश्यकताएं लगभग समान रहती हैं, इसलिए डिस्कॉम (वितरण कंपनियों) को टीएसपी/आईपी–आईएस को रनिंग लोड के आधार पर चार्ज करना चाहिए, न कि स्वीकृत लोड के आधार पर इस चार्ज करना चाहिए।
- ❖ सभी डिस्कॉम को बिजली कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से स्ट्रीट फर्नीचर पते को वाणिज्यिक पते के रूप में मानना चाहिए और विभिन्न वाणिज्यिक संस्थाओं को एक ही स्ट्रीट फर्नीचर वाणिज्यिक पते पर कई बिजली कनेक्शन की अनुमति देनी चाहिए।
- ❖ डिस्कॉम (वितरण कंपनियों) को स्ट्रीट फर्निचर स्थानों पर कनेक्शनों को सब–लेटिंग पर देने की अनुमति देनी चाहिए।
- ❖ सभी मौजूदा दूरसंचार प्रतिष्ठानों में प्राथमिकता और समयबद्ध तरीके से स्मार्ट प्री–पेड बिजली मीटर लगाए जाने चाहिए। इसके अलावा सभी नई संस्थापनाओं पर, जिनमें स्मॉल सेल भी शामिल हैं, डिस्कॉम को केवल स्मार्ट प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर ही स्थापित करना चाहिए।
- ❖ व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए कई साइटों के लिए बिजली कनेक्शन अनुरोधों के थोक प्रसंस्करण के लिए एक आवेदन का प्रावधान पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- ❖ दूरसंचार स्थलों पर उपयोगिता/औद्योगिक टैरिफ के तहत बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाना चाहिए।
- ❖ डिस्कॉम को उन सभी टेलीकॉम क्षेत्र सेवा/अवसंरचना प्रदाता उपयोगकर्ताओं जो कई स्थानों पर बिजली कनेक्शन का उपयोग करते हैं, उनके लिए एक डिस्कॉम–एक बिल–एक भुगतान नीति अपनानी चाहिए ।
- ❖ सौर/नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के लिए ओपन एक्सेस नीति को एक डिस्कॉम द्वारा सेवा प्रदान की जाने वाली टीएसपी/आईपी–I की सभी साइटों से कुल मांग के प्रावधान को शामिल करने के लिए संशोधित करने की आवश्यकता है।
- ❖ डिस्कॉम (वितरण कंपनियों) को अपने रखरखाव कार्यक्रम टीएसपी/आईपी (स्थल मालिकों) के साथ पहले से साझा करना चाहिए ताकि स्थल मालिकों को बिजली कटौती की स्थिति में तैयार किया जा सके। सभी बिजली कटौती की वास्तविक अवधि को उनकी वेबसाइट पर क्षेत्रवार भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

- पीएम गतिशक्ति पहल के अनुरूप, परिसंपत्तियों के सहयोगात्मक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, दूरसंचार विभाग राज्यों के साथ बातचीत करेगा कि जब भी उपयोगिता कंपनी को अनुकूल शर्तों पर भूमि प्रदान की जाती है और वे उपयोगिता कंपनी उसे अन्य उपयोगिता कंपनी के साथ उपयोग के लिए साझा करती है, तो भूमि के उपयोग की शर्तों में बदलाव नहीं होना चाहिए।

च. नियंत्रण प्रशासनिक प्राधिकारियों और टीएसपी/आईपी–आईएस के बीच सहयोग को सक्षम करने हेतु संस्थागत तंत्र

- प्राधिकरण ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (एनबीएम) समितियों और इसके घटक सदस्यों के कार्यक्षेत्र की सीमा के विस्तार के लिए स्ट्रीट फर्नीचर पर स्मॉल सेल के परिनियोजन की निगरानी को शामिल करने की अनुशंसा की है। आवश्यकता के अनुसार नागरिक उड्डयन, रक्षा, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग, बिजली आदि जैसे अन्य मंत्रालयों या विभागों को शामिल करने के लिए ब्रॉडबैंड संचालन समिति के प्रतिनिधित्व का विस्तार किया जाना चाहिए।

- उन शहरों में जहां स्ट्रीट फर्नीचर को कई एजेंसियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, संबंधित राज्य/स्थानीय सरकार को स्मॉल सेल से संबंधित अनुमतियों की निगरानी के लिए परिसंपत्ति स्वामित्व वाली एजेंसियों में से एक को अग्रणी/नोडल प्राधिकरण के रूप में नामित करना चाहिए।
- प्राधिकरण ने राइट ऑफ वे (RoW) पोर्टल में केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय प्राधिकरणों के लिए स्पष्ट भूमिकाओं को परिभाषित करने के संदर्भ में अपनी पिछली अनुशंसा को दोहराया है और कहा है कि सामान्य जीआईएस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए ई–मार्केट प्लेस का दायरा, स्मॉल सेल को भी शामिल करने के लिए विस्तारित किया जाना चाहिए।

2.5.1.9 ''हिमाचल प्रदेश के दूर–दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी/अवसंरचना में सुधार'' पर दिनांक 12 दिसंबर 2022 की अनुशंसाएँ।

पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश (एचपी) के कुछ हिस्सों में खराब दूरसंचार कनेक्टिविटी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और राज्य में डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए, प्राधिकरण ने संबंधित हितधारकों अर्थात हिमाचल प्रदेश सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी), राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, दूरसंचार सेवा प्रदाता, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) और स्थानीय उपभोक्ता प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। प्राधिकरण ने राज्य में चार सबसे अधिक प्रभावित राजस्व जिलों यानी लाहौल और स्पीति, चंबा, कुल्लू और मंडी की पहचान की है, जहां कवरेज/कनेक्टिविटी अंतराल में सुधार के लिए उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

दूरसंचार संबंधी अवसंरचना की वर्तमान स्थिति तक पहुँच बनाने और राज्य में मौजूदा डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए, भादूविप्रा ने राज्य में कार्यरत टीएसपी, बीबीएनएल, यूएसओएफ, बिजली उत्पादन/पारेषण कंपनियों से उपरोक्त चार जिलों में उपलब्ध दूरसंचार नेटवर्क कनेक्टिविटी की वर्तमान स्थिति प्राप्त की और दूरसंचार अवसंरचना में पाए जाने वाले अंतराल को समाप्त करने के लिए डेटा का विश्लेषण किया।

व्यापक अंतर विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण ने ''हिमाचल प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी/अवसंरचना में सुधार'' पर अपनी अनुशंसा कीं, जिसे विचार हेतु दिनांक 12 दिसंबर, 2022 को दूरसंचार विभाग को भेजा गया था।

''हिमाचल प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में दूरसंचार कनेक्टिविटी/अवसंरचना में सुधार'' पर अनुशंसाओं के मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं:

क. हिमाचल प्रदेश (एचपी) के शामिल नहीं किये गए 25 गांवों (यह तीन राजस्व जिलों लाहौल–स्पीति, कुल्लू और चंबा के अंतर्गत आता है) में दूरसंचार अवसंरचना और कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए आवश्यक पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) और परिचालन व्यय (ओपेक्स) को यूएसओएफ के माध्यम से सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाना चाहिए।

ख. चूंकि यूएसओएफ द्वारा प्रायोजित ''देश भर के वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति'' के मौजूदा प्रावधान, इसके वर्तमान कार्यक्षेत्र के तहत अतिरिक्त 20% समुदायों को शामिल करने की अनुमति देता है और यह अनुशंसा की गई है कि यूएसओएफ को शामिल नहीं किये गए गांवों का जमीनी सर्वेक्षण करने के बाद 4जी प्रदान करने के लिए इन 25 शामिल नहीं किये गए गांवों को तुरंत अपने 20% अतिरिक्त कार्यक्षेत्र के तहत शामिल करना चाहिए। इन छूटे हुए 25 गांवों में 4जी कवरेज प्रदान करने के लिए अपेक्षित समग्र अतिरिक्त खर्च का भी सुझाव दिया गया है।

ग. जिन 38 गांवों में 4जी आधारित कवरेज नहीं है वहाँ सेलुलर मोबाइल अवसंरचना को 20% अतिरिक्त कार्यक्षेत्र के तहत 4जी आधारित दूरसंचार सेवा में अपग्रेड करने की भी अनुशंसा की गई है, जो यूएसओएफ द्वारा प्रायोजित ''देश भर के वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति'' में मौजूद है।

घ. यह अनुशंसा की गई है कि 4जी संतृप्ति योजना के लिए, यूएसओएफ को शुरुआत में ऐसे सभी गांवों के लिए वीएसएटी आधारित बैकहॉल कनेक्टिविटी की योजना बनानी चाहिए जहां ओएफसी या अन्य बैकहॉल मीडिया वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। वीएसएटी उपकरण को मासिक किराये के मॉडल या साझा बैंडविड्थ मॉडल सहित अन्य प्रचलित मॉडल पर लिया जा सकता है। ओएफसी बैकहॉल उपलब्ध होते ही वीसैट कनेक्टिविटी को सरेंडर किया जा सकता है।

ङ. भारतनेट परियोजना के तहत राज्य के दूरस्थ या सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित गांवों में दूरसंचार कवरेज (ब्रॉडबैंड सेवाओं सहित) का विस्तार करने के लिए एनएफएस नेटवर्क पर ओएफसी की एक/दो जोड़ी के आवंटन के लिए दूरसंचार विभाग को रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के साथ इसे उठाना चाहिए। यदि यह संभव नहीं है, तो ऐसे गांवों में दूरसंचार कवरेज का विस्तार करने के लिए अपने मौजूदा कार्यात्मक ओएफसी पर उपयुक्त बैंडविड्थ आवंटित करने के लिए रक्षा मंत्रालय से संपर्क किया जा सकता है।

च. हिमाचल प्रदेश के राजस्व जिलों जैसे चंबा, कुल्लू, लाहौल और स्पीति और मंडी के लिए, जो गांव अभी तक भारत नेट परियोजना के तहत नहीं जुड़े हैं, उन्हें तुरंत वीएसएटी मीडिया से जोड़ा जाना चाहिए। उन गाँवों को जैसे ही ओएफसी बैकहॉल उपलब्ध हो जाएगा, वीसैट कनेक्टिविटी को सरेंडर किया जा सकेगा।

छ. हिमाचल प्रदेश के चिन्हित जिलों के लिए, शामिल न किए गए गांवों को मोबाइल कवरेज प्रदान करने के अलावा, सभी तहसीलों/तालुकाओं को कवर करने वाले रिंग स्ट्रक्चर में एक कोर ट्रांसमिशन बैकहॉल नेटवर्क को भी यूएसओएफ के माध्यम से वित्त पोषित किया जाना चाहिए। भादूविप्रा इसके लिए एक विस्तृत निवेश योजना पर कार्य करेगा और अलग से इसकी अनुशंसा करेगा।

ज. दूरसंचार विभाग लाहौल और स्पीति, मंडी, कुल्लू और चंबा के चार जिलों के सभी स्थानों सहित राज्य के दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए टीएसपी/आईपी–आईएस पर कोई राइट ऑफ वे शुल्क नहीं लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के साथ मामला उठा सकता है। राज्य के राइट ऑफ वे नियमों को भी तुरंत दूरसंचार विभाग द्वारा राइट ऑफ वे नियम 2016 में किए गए नवीनतम संशोधनों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।

झ. दूरसंचार विभाग को दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों (लाहौल और स्पीति, मंडी, कुल्लू और चंबा जिलों के सभी स्थानों सहित) में दूरसंचार स्थलों तक बिजली कनेक्शन बढ़ाने के लिए अंतिम मील स्थापना शुल्क को माफ करने पर विचार करने हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के साथ भी बात करनी चाहिए क्योंकि इससे इन क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं को शीघ्र शुरू करने की सुविधा मिलेगी और डिजिटल विभाजन को पाटने में सहायता मिलेगी।

ञ. दूरसंचार विभाग को राज्य सरकार, एनएचएआई और बीआरओ के साथ इस पर काम करना चाहिए कि सभी सड़क निर्माण, सड़क चौड़ीकरण या अन्य संबंधित कार्यों में टीएसपी के साथ पूर्व समन्वय (पूर्व सूचना के माध्यम से) किया जाना चाहिए और दूरसंचार नेटवर्क को नुकसान के लिए भुगतान करने के लिए संविदाकार की देनदारी संविदा में अन्तर्निहित होनी चाहिए।

ट. प्राधिकरण की अनुशंसा है कि दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रणनीतिक दूरसंचार साइटों पर सौर पैनलों की स्थापना के लिए धन देने की योजना लाने के लिए दूरसंचार विभाग को इसे एमएनआरई और हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ उठाना चाहिए।

ठ. दूरसंचार विभाग को ऐसी सभी साइटों का साइटवार विश्लेषण करना चाहिए जो हिमाचल प्रदेश के दूरदराज और पहाड़ी इलाकों में वीएसएटी पर बीएसएनएल द्वारा चलाई जा रही हैं। ऐसी सभी साइटों के लिए जो सरकार की रणनीतिक या सेवा वितरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चलाई जा रही हैं, इन साइटों को चलाने की पूरी परिचालन लागत सरकार द्वारा वहन की जानी चाहिए।

''हिमाचल प्रदेश के दूर–दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी/अवसंरचना में सुधार'' पर अनुशंसाएँ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं।

2.5.1.10 ''आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए ट्रेन कंट्रोल सिस्टम के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) की स्पेक्ट्रम आवश्यकताएं'' पर दिनांक 28 दिसंबर, 2022 की अनुशंसाएँ।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अपने दिनांक 29 नवंबर, 2021 के पत्र के माध्यम से भादूविप्रा से निम्नलिखित प्रस्तुत करने अनुरोध किया:

i. 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में एनसीआरटीसी की अलग स्पेक्ट्रम आवश्यकताओं के लिए एनसीआरटीसी को स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक समनुदेशन और उसकी मात्रा, मूल्य निर्धारण/चार्जिंग और किसी भी अन्य नियम और शर्तों पर अनुशंसाएँ।

ii. पूरे भारत में अन्य आरआरटीएस/मेट्रो रेल नेटवर्क के लिए समान स्पेक्ट्रम के आवंटन सहित इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली कोई अन्य अनुशंसाएँ।

इस संबंध में, ''आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए ट्रेन कंट्रोल सिस्टम के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) की स्पेक्ट्रम आवश्यकताएं'' पर एक परामर्श पत्र दिनांक 9 जून, 2022 को जारी किया गया था। इस पर 20 हितधारकों से टिप्पणियाँ और 1 हितधारक से प्रति टिप्पणी प्राप्त हुई। वर्चुअल मोड के माध्यम से दिनांक 25 अगस्त, 2022 को एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई थी।

हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने ''आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए ट्रेन कंट्रोल सिस्टम के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) की स्पेक्ट्रम आवश्यकताओं'' पर अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया है और इसे दिनांक 28 दिसंबर, 2022 को सरकार को भेज दिया है।

इन अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(क) रेलवे ट्रैक के साथ आरआरटीएस कॉरिडोर में उपयोग के लिए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज (युग्मित) स्पेक्ट्रम एनसीआरटीसी को सौंपा जाएगा। एनसीआरटीसी को सौंपी जाने वाली फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में भारतीय रेलवे को सौंपी गई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के लगभग समीप होगी।

(ख) एनसीआरटीसी को सौंपी गई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम अन्य आरआरटीएस/मेट्रो रेल नेटवर्क जो भौगोलिक रूप से अलग हैं, को भी सौंपी जा सकती है, और इसमें एक–दूसरे के साथ किसी भी तरह के हस्तक्षेप की संभावना नहीं होगी।

(ग) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को गैर–हस्तक्षेप के आधार पर समान फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम (एनसीआरटीसी और अन्य आरआरटीएस/मेट्रो रेल नेटवर्क को सौंपा गया) आवंटित करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के

लिए, रेल मंत्रालय और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को शामिल करते हुए दूरसंचार विभाग की देखरेख में एक फील्ड परीक्षण किया जा सकता है।

(घ) आरएएन शेयरिंग की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए, आईआर और एनसीआरटीसी को शामिल करते हुए दूरसंचार विभाग की देखरेख में रेल मंत्रालय द्वारा एमओसीएन के माध्यम से आरएएन शेयरिंग का एक फील्ड परीक्षण आयोजित किया जा सकता है।

(ङ) रेलवे नेटवर्क (सीएनपीएन–आर) के लिए कैप्टिव गैर–सार्वजनिक नेटवर्क के लिए अनुमति/लाइसेंस की एक अलग श्रेणी बनाई जा सकती है। हालाँकि, सीएनपीएन–आर के लिए अनुमति/लाइसेंसिंग व्यवस्था को बहुत सरल और हल्का रखा जा सकता है।

(च) स्पेक्ट्रम चार्जिंग तंत्र और भुगतान की शर्तें निम्नानुसार होंगें:

i. 10 वर्ष के आवंटन के लिए नीलामी निर्धारित मूल्य संबंधित एलएसए के लिए 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड के लिए नवीनतम 2022 नीलामी में खोजे गए नीलामी निर्धारित मूल्य के 0.5 गुना (आधे गुना) के बराबर होना चाहिए।

ii. संबंधित एलएसए की नीलामी निर्धारित कीमत जिसके माध्यम से आरआरटीएस/मेट्रो रेल नेटवर्क जाता है, को एक बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए, और इसे आनुपातिक आधार पर किसी विशेष एलएसए के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष कॉरिडोर क्षेत्र के लिए समायोजित किया जाना चाहिए।

iii. भविष्य में स्पेक्ट्रम की आवश्यकता के मामले में एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करने हेतु एक समान पद्धति अन्य आरआरटीएस/मेट्रो रेल नेटवर्क के साथ–साथ मौजूदा आरआरटीएस/मेट्रो रेल नेटवर्क पर भी लागू होगी।

iv. भुगतान की शर्तें लचीली होंगी, जिसमें पूर्ण अग्रिम भुगतान, आंशिक अग्रिम भुगतान के साथ–साथ समान वार्षिक किस्तों के विकल्प उपलब्ध होंगे।

इन अनुशंसाओं की एक प्रति भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं।

2.5.1.11 ''डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग'' पर दिनांक 20 फरवरी, 2023 की अनुशंसाएँ।

भादूविप्रा ने भवनों या क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर (डीसीआई) के विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने हेतु स्वतः आधार पर परामर्श की प्रक्रिया शुरू की। भादूविप्रा ने दिनांक 25 मार्च, 2022 को ''डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग'' पर एक परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया, ताकि दिनांक 07 जुलाई, 2022 तक उसमें उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से इनपुट मांगा जा सके। प्राप्त टिप्पणियों, खुला मंच चर्चा के दौरान हितधारकों के साथ हुई चर्चा और उसके विश्लेषण के आधार पर, ''डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए इमारतों या क्षेत्रों की रेटिंग'' पर भादूविप्रा की अनुशंसाएँ 20 फरवरी, 2023 को भेजी गईं।

इन अनुशंसाओं का जोर डिजिटल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीसीआई) को किसी भी भवन विकास योजना का आंतरिक हिस्सा बनाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर है, जो विभिन्न शहरी/स्थानीय निकायों में संपत्ति प्रबंधकों (मालिक या डेवलपर या बिल्डर आदि), सेवा प्रदाताओं, अवसंरचना प्रदाताओं, डीसीआई पेशेवरों और प्राधिकरणों सहित विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा। यह ढांचा युवा पेशेवरों के लिए डीसीआई पेशेवर बनने और डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के डिजाइनिंग, तैनाती और मूल्यांकन का हिस्सा बनने के लिए नौकरी के अवसर भी खोलेगा।

भादूविप्रा ने मार्च 2022 में टीसीपीओ, MoHUA द्वारा जारी ''इन–बिल्डिंग सॉल्यूशंस डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रावधान'' शीर्षक से ''मॉडल बिल्डिंग उपनियम 2016 के अनुशेष'' को आशोधित करने की भी अनुशंसा की है और मॉडल बिल्डिंग उपनियम 2016 में शामिल करने के लिए इमारतों में डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक नया मसौदा अध्याय प्रस्तावित किया। भादूविप्रा ने इस बात पर जोर डाला कि डिजिटल सेवाओं तक पहुंच के लिए सभी प्रकार की इमारतों में डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर (डीसीआई) के विकास के लिए एक व्यापक ढांचा होना जरूरी है और संपत्ति प्रबंधक को बिना किसी शुल्क के सेवा प्रदाताओं को अपने स्वामित्व वाले डीसीआई तक पहुंच प्रदान करनी चाहिए।

भादूविप्रा ने सरकार को विभिन्न उप–शीर्षकों के तहत समूहीकृत कुल 39 अनुशंसाएँ की हैं। ''डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए इमारतों या क्षेत्रों की रेटिंग'' पर अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं हैं:

क. डिजिटल कनेक्टिविटी: एक अनिवार्य सेवा

1. डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर (डीसीआई) पर आवश्यक प्रावधानों को शामिल करने के लिए मॉडल बिल्डिंग बायलॉज (एमबीबीएल) और नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया (एनबीसी) में संशोधन किया जाना चाहिए।

2. डीसीआई को जल आपूर्ति, विद्युत सेवाओं, गैस आपूर्ति, अग्नि सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं आदि की तर्ज पर भवन विकास योजनाओं का एक अनिवार्य घटक के रूप में बनाया जाना चाहिए।

3. सरकार संबंधित उपनियमों या अन्य प्रासंगिक कानूनों या राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अन्य प्रासंगिक कानूनों में डीसीआई विकास के लिए उपयुक्त प्रावधानों को शामिल करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ कार्य कर सकती है।

4. भवनों के अंदर डीसीआई को अनिवार्य करने, उसके रखरखाव, समय पर उन्नयन आदि के प्रावधानों को आरईआरए (रेरा) अधिनियम के अधिकार क्षेत्र और रेरा द्वारा इसकी प्रवर्तनीयता के तहत कवर करने के लिए बिल्डर–खरीदार करार में शामिल किया जाना चाहिए।

ख. डीसीआई के विकास के लिए इकाईयाँ

5. डीसीआई को डिजाइन करने, तैनात करने और मूल्यांकन करने वाले कलाकारों में संपत्ति प्रबंधक और डीसीआई पेशेवर यानी डीसीआई डिजाइनर, डीसीआई इंजीनियर और डीसीआई मूल्यांकनकर्ता शामिल होने चाहिए।

6. कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपेक्षित कौशल है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, डीसीआई डिजाइनर या डीसीआई इंजीनियर या डीसीआई मूल्यांकनकर्ता के रूप में कार्य कर सकता है।

ग. डीसीआई की प्रक्रियाएं एवं मानक

7. डीसीआई के विकास के लिए विस्तृत ढांचे पर एमबीबीएल में एक अलग अध्याय जोड़ा जाना चाहिए।

8. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) को भवनों के लिए डीसीआई के मौजूदा मानकों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने का काम सौंपा जाना चाहिए।

9. एनबीसी के तहत गठित ''नेशनल बिल्डिंग कोड सेक्शनल कमेटी'' में दूरसंचार विभाग और दूरसंचार उद्योग के सदस्य शामिल होने चाहिए।

10. एनबीसी के तहत 'सूचना और संचार सक्षम प्रतिष्ठानों' पर पैनल का विस्तार किया जाना चाहिए, जिसमें दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र (टीईसी) और दूरसंचार मानक विकास सोसायटी इंडिया (टीएसडीएसआई) के

प्रतिनिधियों और दूरसंचार आरएफ योजना के विशेषज्ञों और भवनों के डिजिटल मॉडलिंग के विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए। इस पैनल का संयोजक दूरसंचार विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि होना चाहिए।

घ. डीसीआई के लिए उत्पादों और प्रक्रियाओं के मानकों पर:

11.क) बीआईएस को मानक टेम्पलेट्स का उपयोग संपत्ति प्रबंधकों द्वारा भवन–संबंधी जानकारी और उपयोगकर्ताओं की कनेक्टिविटी आवश्यकताओं को एकत्र करने के लिए किया जाएगा, को निर्धारित और अद्यतन करने चाहिए ।

ख) बीआईएस द्वारा डीसीआई के लिए विनिर्धारित मानकों और प्रक्रियाओं और टेम्पलेट्स को राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड (एनबीसी) का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

ग) टीईसी को डीसीआई के लिए आवश्यक मानक उत्पादों और उपकरणों के लिए उपकरण मानकीकरण और प्रमाणन एजेंसी के रूप में काम करना जारी रखना चाहिए।

घ) टीईसी को डीसीआई के उन्नयन के लिए आवश्यक नए उत्पादों के संबंध में आवश्यक विनिर्देश निर्धारित करने चाहिए।

ङ.) टीईसी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि डीसीआई के लिए प्रमाणित उत्पाद साझा करने योग्य और अंतरप्रचालनीय हैं।

च) टीईसी को ऐसे डीसीआई उत्पादों और उपकरणों को सूचीबद्ध और प्रकाशित करना चाहिए जिनके लिए प्रमाणीकरण की आवश्यकता है।

12. बीआईएस को डीसीआई के लिए भवनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग–अलग मानक निर्धारित करने चाहिए।

13. बीआईएस को डीसीआई के ऐसे प्रावधान भी निर्धारित करने चाहिए जिन्हें भवनों के लिए पूर्णता/अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनिवार्य रूप से पूरा किया जाना आवश्यक होगा।

ङ. स्वामित्व और डीसीआई तक पहुंच

14. परिनियोजित डीसीआई का मालिक संपत्ति प्रबंधक होगा, चाहे वह स्वयं द्वारा या उसके एजेंट के माध्यम से बनाया गया हो और वह ऐसे डीसीआई के रखरखाव, विस्तार और उन्नयन के लिए जिम्मेदार होगा। संपत्ति प्रबंधक सभी सेवा प्रदाताओं को निष्पक्ष, गैर–प्रभार्य, पारदर्शी और गैर–भेदभावपूर्ण तरीके से डीसीआई तक पहुंच की अनुमति देगा और किसी भी अवसंरचना/सेवा प्रदाता के साथ कोई विशेष व्यवस्था या समझौता नहीं करेगा।

बशर्ते कि यदि किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सक्रिय वायरलेस उपकरण स्थापित किया गया हो, तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसे डीसीआई के रखरखाव, विस्तार और उन्नयन के लिए जिम्मेदार होगा और उस सीमा तक, स्वामित्व उस अनुज्ञप्तिधारी के पास होगा। हालाँकि, सक्रिय वायरलेस उपकरणों की यह स्थापना संपत्ति प्रबंधक की ओर से की जाएगी और संपत्ति प्रबंधक यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि लाइसेंसधारी अनिवार्य रूप से निष्पक्ष, पारदर्शी, गैर–भेदभावपूर्ण और गैर–विशिष्ट तरीके से सभी सेवा प्रदाताओं को ऐसे सक्रिय वायरलेस उपकरणों तक पहुंच प्रदान करता है।

15. भवनों में सक्रिय वायरलेस उपकरणों को अनिवार्य रूप से साझा करने के प्रावधान के साथ वर्तमान एकीकृत लाइसेंस शर्तों में संशोधन दूरसंचार विभाग द्वारा किया जा सकता है।

16. पट्टेदार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा डीसीआई के हिस्से के रूप में सक्रिय वायरलेस उपकरणों को साझा करने से अर्जित राजस्व पर लाइसेंस शुल्क (एलएफ) नहीं लगना चाहिए। इसके लिए, ऐसे पट्टेदार अनुज्ञप्तिधारी के लागू सकल राजस्व (एपीजीआर) पर पहुंचने के लिए ऐसे राजस्व को पट्टादाता अनुज्ञप्तिधारी के सकल राजस्व (जीआर) से कम किया जाना चाहिए।

17. मौजूदा भवनों के लिए जहां डीसीआई आंशिक रूप से बनाई गई है, प्राधिकरण स्वामित्व तय करने के लिए हितधारकों के बीच एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण यानी डीसीआई के विकास, उन्नयन और विस्तार के लिए संपत्ति प्रबंधक तय करने के लिए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण की अनुशंसा करता है। हालाँकि, ऐसे मामलों में जहां डीसीआई एक सेवा प्रदाता/आईपी–आई द्वारा विकसित किया गया है, जब तक डीसीआई को संपत्ति प्रबंधक को हस्तांतरित करने के लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं की जाती है, ऐसे सेवा प्रदाता/आईपी–आईएस लाइसेंस/पंजीकरण शर्तों के अनिवार्य प्रावधानों द्वारा शासित होंगे।

18. प्राधिकरण ने दिनांक 29 नवंबर, 2022 की अपनी अनुशंसाओं के पैरा 2.90 में ''स्मॉल सेल और एरियल फाइबर परिनियोजन के लिए स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग'' पर अपनी अनुशंसा दोहराई है, जिसमें यह अनुशंसा की गई थी कि ''सभी दूरसंचार लाइसेंसों और आईपी–आई पंजीकरण समझौते में सक्षम प्रावधान या उपयुक्त निबंधन और शर्तें पेश की जाएंगी जो टीएसपी/आईपी–आई प्रदाताओं को अवसंरचना के मालिकों/सीएए या किसी अन्य प्राधिकरण के साथ किसी भी विशेष संविदा या तरीकों के अधिकार में करने से रोकेंगी''।

च. डीसीआई के विस्तार एवं उन्नयन हेतु प्रावधान

19. नए स्पेक्ट्रम बैंड की शुरूआत, प्रौद्योगिकियों में बदलाव, उपयोगकर्ताओं की बढ़ी हुई मांग आदि के मामले में,

क. दूरसंचार विभाग को क्रमशः राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड और मॉडल बिल्डिंग उप–कानूनों में संशोधन शामिल करने के लिए बीआईएस और MoHUA के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।

ख. डीसीआई के उन्नयन और विस्तार के लिए संपत्ति प्रबंधक द्वारा पूरा किया जाने वाले आवश्यक प्रावधानों को भी बीआईएस द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए।

20. एमबीबीएल के पास डीसीआई के उन्नयन और विस्तार की स्वीकृति के लिए उचित प्रावधान होने चाहिए।

21. संपत्ति प्रबंधक को एमबीबीएल में निर्धारित समयसीमा में डीसीआई का उन्नयन और विस्तार सुनिश्चित करना चाहिए।

22. सरकार, पीएसयू या सरकार के स्वायत्त निकायों के स्वामित्व वाले सभी मौजूदा भवनों, वाणिज्यिक भवनों और सार्वजनिक स्थानों जैसे हवाई अड्डे, बंदरगाह, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन या किसी अन्य भवन में जैसा कि दूरसंचार विभाग के परामर्श से MoHUA द्वारा तय किया जा सकता है, अत्याधुनिक डिजिटल कनेक्टिविटी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डीसीआई को उन्नत या प्रदान किया जाएगा। ऐसे मामलों में, बिल्डिंग उपनियमों को एक उचित समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए ताकि उन्नत डीसीआई की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

23. अन्य मौजूदा भवनों के लिए, नए भवन उपनियम विभिन्न हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बाद तीन साल के भीतर MoHUA द्वारा जारी किए जाने चाहिए। तब तक, ऐसे मौजूदा भवनों के संपत्ति प्रबंधक स्वेच्छा से नए उपनियम लागू करेंगे।

छ. डीसीआई पेशेवरों की क्षमता निर्माण के लिए संस्थागत तंत्र

24. भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 में निम्नानुसार संशोधन किया जाना चाहिए:

क) केंद्र सरकार काउंसिल ऑफ डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर (सीओडीसीआई) के गठन के लिए नियम निर्धारित कर सकती है।

ख) नियम डीसीआई को डिजाइन करने, तैनात करने और मूल्यांकन करने के लिए व्यक्तियों के प्रमाणीकरण के तरीके को निर्दिष्ट कर सकते हैं।

ग) ऐसे नियमों में अर्हता और निबंधन और शर्तें निर्दिष्ट की जा सकती हैं, जिनके अधीन, ऐसे प्रमाणन प्रदान किए जा सकते हैं, जिसमें ऐसे प्रमाणन प्रदान करने के लिए परीक्षाओं का संचालन, उसके लिए भुगतान की जाने वाली फीस और शुल्क और अन्य जुड़े मामले शामिल हैं।

25. आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (एनएसडीसी), टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल (टीएसएससी), और कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल (सीएसडीसी) या कोई अन्य संगठन/संस्थान जो उचित समझा जाए के सहयोग से दूरसंचार विभाग (डीओटी), संचार मंत्रालय के अंतर्गत डीसीआई परिषद (सीओडीसीआई) की स्थापना की जानी चाहिए। सीओडीसीआई डीसीआई पेशेवरों के प्रमाणन, पंजीकरण और क्षमता निर्माण के संबंध में सभी निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होगा।

26. सीओडीसीआई की व्यापक भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं:

क) डीसीआई पेशेवरों की अर्हता, भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निर्धारित करना।

ख) भारत के भीतर और बाहर मौजूदा समान पाठ्यक्रमों की विषय सूची और भारत में डीसीआई पेशेवरों के लिए उनकी उपयुक्तता का अध्ययन करना।

ग) डीसीआई पेशेवरों के लिए विभिन्न स्तरों पर वैकल्पिक/प्रमाणन पाठ्यक्रमों सहित उपयुक्त स्नातक और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का सुझाव देना।

घ) डीसीआई से संबंधित प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की पेशकश के लिए संस्थानों और संगठनों को मान्यता देना। यह ध्यान में रखते हुए कि प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में बड़ी संख्या में भवनें हैं, ऐसे पाठ्यक्रमों का प्रस्ताव और कार्यबल के विकास के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में संस्थानों की मान्यता की आवश्यकता हो सकती है।

ड़) परीक्षा आयोजित करना और डीसीआई पेशेवरों को प्रमाणित करना।

च) प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और डीसीआई पेशेवरों के कौशल उन्नयन का आयोजन करना।

छ) सीओए के समान ही अर्हता प्राप्त और प्रमाणित डीसीआई पेशेवरों को पंजीकृत करना। ऐसे पेशेवर जो एक बार संपत्ति प्रबंधकों द्वारा डीसीआई के विकास के लिए नियुक्त किए गए और उनके योजना दस्तावेजों में घोषित किए गए, वे पर्सन ऑन रिकॉर्ड होंगे।

ज) डीसीआई पेशेवरों का एक रजिस्टर बनाए रखना और विभिन्न हितधारकों द्वारा पहुंच और उपयोग के लिए इसे ऑनलाइन पोर्टल पर प्रकाशित करना।

झ) क्षमता निर्माण और सभी हितधारकों तक सूचना के प्रसार से संबंधित विभिन्न गतिविधियों पर नजर रखने हेतु, परिषद को डीसीआई के सामंजस्यपूर्ण कार्यान्वयन और इसे विभिन्न एजेंसियों के साथ जोड़ने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने की आवश्यकता है।

ञ) क्षमता निर्माण से संबंधित कोई अन्य कार्य जो परिषद द्वारा उचित समझा जाए।

27. डीसीआई परिषद (सीओडीसीआई) को अपनी स्थापना के एक वर्ष के भीतर या इन अनुशंसाओं की तारीख से तीन वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, डीसीआई के समेकित कार्यान्वयन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना सहित डीसीआई पेशेवरों के प्रमाणीकरण, पंजीकरण और क्षमता निर्माण के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।

28. डीसीआई परिषद (सीओडीसीआई) की स्थापना होने तक डीसीआई के लिए नए भवन उपनियमों में अनुशंसित प्रावधानों को इमारतों और डीसीआई के डिजाइन और विकास के क्षेत्र में पहले से ही काम कर रहे मौजूदा पेशेवरों की सेवाओं का उपयोग करके लागू किया जाना चाहिए।

ज. डीसीआई के विकास के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और साधन

29. डीसीआई परिषद (सीओडीसीआई) द्वारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित और रखरखाव किया जाना चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म के व्यापक उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

क) डीसीआई पेशेवरों की क्षमता निर्माण से संबंधित गतिविधियाँ:

i. पाठ्यक्रमों, मान्यता प्राप्त संस्थानों और प्रवेश के लिए प्रक्रिया, और लागू शुल्क संरचना, यदि कोई हो, का विवरण प्रकाशित करें।

ii. डीसीआई पेशेवरों के प्रमाणीकरण के लिए परीक्षा आयोजित करने की सुविधा।

iii. प्रमाणित डीसीआई पेशेवरों के लिए पंजीकरण की सुविधा होनी चाहिए।

ख) पंजीकृत डीसीआई पेशेवरों और प्रमाणित उत्पादों और उपकरणों की सूची प्रकाशित करें।

ग) प्रमाणित उत्पादों को क्रय और विक्रय के लिए बाजार उपलब्ध कराना। ऐसे ई–मार्केटप्लेस को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) से जोड़ा जाना चाहिए।

घ) संपत्ति प्रबंधकों को पंजीकृत डीसीआई पेशेवरों की सेवाएं लेने में सक्षम बनाना।

ड.) विभिन्न प्रौद्योगिकियों और उपकरणों के माध्यम से विभिन्न हितधारकों के बीच बातचीत और सहयोग को सक्षम करना।

च) पंजीकृत डीसीआई पेशेवरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और उपयोग किए गए प्रमाणित उत्पादों के लिए एक फीडबैक तंत्र प्रदान करना।

छ) स्थानीय निकायों और अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित, चालू, पूर्ण और उपयोग में लाई जाने वाली विकास परियोजनाओं/भवनों के संबंध में विवरण बनाए रखना।

ज) प्रौद्योगिकी और स्पेक्ट्रम बैंड के साथ उन सेवा प्रदाताओं के संबंध में एक संचय बनाना, जो क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं और समय–समय पर इसे अद्यतन करना।

झ) प्रक्रियाओं के मानकीकरण में सहायता के लिए डीसीआई परियोजनाओं के कार्यान्वयन की पिछली शिक्षण के आधार पर ज्ञान का भंडार बनाना।

ञ) डीसीआई से संबंधित भारत और वैश्विक स्तर पर मानकों, प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रथाओं पर नियमित आधार पर जानकारी उपलब्ध कराना।

ट) डीसीआई के विकास और संबंधित मुद्दों पर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट/लेख प्रकाशित करना।

ठ) डीसीआई से संबंधित अधिनियम/कानून/उपनियम/नियम/विनियम उपलब्ध कराना।

ड) भवनों में निर्मित डीसीआई तक पहुंच चाहने वाले सेवा प्रदाताओं के लिए ऑनलाइन आवेदन, स्वीकृति और अनुमोदन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना।

30. जब तक डीसीआई परिषद (सीओडीसीआई) स्थापित नहीं हो जाता, तब तक दूरसंचार विभाग द्वारा तत्काल उद्देश्यों को पूरा करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाना चाहिए, जिसे बाद में डीसीआई परिषद (सीओडीसीआई) को सौंपा जा सकता है।

झ. डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए रेटिंग ढांचा

31. हरित भवनों की रेटिंग के लिए एमबीबीएल में किए गए प्रावधानों की तर्ज पर डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों की रेटिंग के लिए उचित प्रावधानों को एमबीबीएल में शामिल किया जाना चाहिए।

32. डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों की रेटिंग आरंभ करने के लिए, भादूविप्रा द्वारा विनियामक ढांचे के जारी होने के दो वर्ष के भीतर या अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने के दो वर्ष के भीतर, जो भी बाद में हो, सार्वजनिक महत्व की सभी मौजूदा और नई भवनों के लिए अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। प्राधिकरण आगे अनुशंसा करता है कि सार्वजनिक महत्व की निम्नलिखित भवनों की रेटिंग अनिवार्य की जानी चाहिए:

क) हवाई अड्डे,

ख) बंदरगाह,

ग) रेलवे/मेट्रो स्टेशन,

घ) बस स्टेशन,

ड़) केंद्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रो के सरकारों/स्थानीय प्राधिकरणों/सरकारी एजेंसियों/पीएसयू की भवनें,

च) सरकारी आवासीय कॉलोनियाँ,

छ) औद्योगिक पार्क, एसईजेड, मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क सहित औद्योगिक संपदा,

ज) बड़े वाणिज्यिक कार्यालय परिसर,

झ) बड़े वाणिज्यिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स,

ञ) अनुसंधान संस्थानों सहित उच्च शिक्षा के सभी संस्थान,

ट) सभी बहु–विशिष्ट अस्पताल, और

ठ) कोई अन्य भवन जैसा सरकार निर्णय ले।

33. डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य हितधारकों के परामर्श से MoHUA द्वारा तय भवनों की श्रेणी को छोड़कर सभी नये भवनों के लिए भवनों की रेटिंग को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

34. भादूविप्रा द्वारा विनियामक ढांचा जारी करने के पश्चात संपत्ति प्रबंधक को अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने के दो वर्ष के भीतर डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों की रेटिंग करानी चाहिए।

35. डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए अनिवार्य भवनों के अलावा अन्य भवनों हेतु संपत्ति प्रबंधक स्वैच्छिक आधार पर अपने भवनों को रेट कर सकता है।

ञ. **एमबीबीएल और एनबीसी में प्रस्तावित संशोधन**

36. इस उद्देश्य के लिए भवनों के डीसीआई डिजाइन, कार्यान्वयन और उपयोग का अनुमोदन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सरकारों के कानून के अनुसार मौजूदा संस्थानों के पास ही रहनी चाहिए।

37. विकास योजनाओं के अनुमोदन के लिए जिम्मेदार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों को डीसीआई डिजाइन और मूल्यांकन पर डीसीआई परिषद (सीओडीसीआई) द्वारा विधिवत पंजीकृत और प्रमाणित एक उपयुक्त विशेषज्ञ/एजेंसी की सेवाएं लेनी चाहिए।

38. दिए गए सुझाव के अनुसार, अनुशंसाओं के अनुरूप मॉडल बिल्डिंग उपनियमों में इमारतों के लिए डीसीआई पर एक नया मसौदा अध्याय शामिल किया जाना चाहिए।

39. 'सूचना और संचार सक्षम प्रतिष्ठानों' पर बीआईएस पैनल को भवनों के लिए डीसीआई के संबंध में मानक विकसित करना चाहिए, जिन्हें राष्ट्रीय भवन कोड में शामिल किया जाएगा।

2.5.2 प्रसारण क्षेत्र

क्र. सं.	अनुशंसाएँ और बैक रेफरेंस एवं प्रतिक्रियाओं की सूची
1	दिनांक 10 अप्रैल, 2020 को "एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य" पर भादूविप्रा द्वारा की गई अनुशंसाओं पर एमआईबी से प्राप्त दिनांक 13 जनवरी, 2022 के बैक रेफरेंस पर दिनांक 1 अगस्त, 2022 को भादूविप्रा की प्रतिक्रिया।
2	"केबल टीवी सेवाओं में बाजार संरचना/प्रतिस्पर्धा" पर दिनांक 7 सितंबर, 2022 की अनुशंसाएँ।
3	"मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) पंजीकरण के नवीनीकरण" पर दिनांक 29 दिसंबर, 2022 की अनुशंसाएँ।
4	"सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से संबंधित मुद्दे" पर दिनांक 22 मार्च, 2023 की अनुशंसाएँ।
5	"टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना" पर 31 मार्च, 2023 की अनुशंसाएँ।

अनुशंसाएँ और बैक रेफरेंस की प्रतिक्रियाएँ

2.5.2.1 दिनांक 10 अप्रैल, 2020 को "एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य" पर भादूविप्रा द्वारा की गई अनुशंसाओं पर एमआईबी से प्राप्त दिनांक 13 जनवरी, 2022 के बैक रेफरेंस पर दिनांक 1 अगस्त, 2022 को भादूविप्रा की प्रतिक्रिया।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने अपने दिनांक 13 जनवरी, 2022 के संदर्भ संख्या 38032/43/2021–एफएम/13 के माध्यम से "एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य" पर दिनांक 10 अप्रैल, 2020 को भादूविप्रा द्वारा की अनुशंसाओं को वापस संदर्भित करते हुए भादूविप्रा से कुछ बिंदुओं अर्थात सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) डेटा, सकल राजस्व (जीआर), कोविड–19 महामारी के कारण बदले हुए परिदृश्य के मद्देनजर एफएम रेडियो श्रोताओं के मूल्यों पर वर्तमान रुझान, चरण III के शेष चैनलों की नीलामी से संबंधित मुद्दों पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया और और भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11(1) के तहत और अनुशंसाएँ प्रदान करें।

दिनांक 13 जनवरी, 2022 को एमआईबी के बैक रेफरेंस में उठाए गए बिंदुओं पर भादूविप्रा की प्रतिक्रिया दिनांक 1 अगस्त, 2022 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भेजी गई थी। इसके अलावा, जहां तक चरण–III के शेष चैनलों की अनुशंसा संबंधी नीलामी की बात है तो इसे संबंधित प्रौद्योगिकी से अलग करके किया जाना चाहिए, एनालॉग से डिजिटल रेडियो प्रसारण में सुचारु परिवर्तन की सुविधा के लिए, रेडियो प्रसारकों को उनकी व्यावसायिक योजना

के आधार पर भविष्य में नीलामी के माध्यम से आवंटित आवृत्ति पर रेडियो प्रसारण के लिए किसी भी प्रौद्योगिकी (एनालॉग या डिजिटल) का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है। एक सेवा प्रदाता का व्यावसायिक हित होता है और वह सबसे उपयुक्त प्रौद्योगिकी पर निर्णय लेने वाला सबसे अच्छा निर्णायक होगा। प्रौद्योगिकी की पसंद पर कोई भी प्रतिबंध केवल विकास को बाधित करेगा। तदनुसार, भादूविप्रा ने दिनांक 10 अप्रैल, 2020 को ''एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य'' पर अपनी अनुशंसाओं में दी गई निम्नलिखित अनुशंसा को दोहराया है:

''प्राधिकरण की अनुशंसा है कि चरण–III के शेष चैनलों की नीलामी उन्हें प्रौद्योगिकी से अलग करके की जानी चाहिए। प्रसारकों को भविष्य में नीलामी के माध्यम से आवंटित फ्रीक्वेंसी पर रेडियो प्रसारण के लिए किसी भी तकनीक (एनालॉग या डिजिटल या दोनों) का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि रेडियो प्रसारक डिजिटल प्रौद्योगिकी का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें आवंटित एकल फ्रीक्वेंसी पर तकनीकी व्यवहार्यता के अधीन एक से अधिक चैनल प्रसारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।''

2.5.2.2 ''केबल टीवी सेवाओं में बाजार संरचना/प्रतिस्पर्धा'' पर दिनांक 7 सितंबर, 2022 की अनुशंसाएँ

''केबल टीवी सेवाओं में बाजार संरचना/प्रतिस्पर्धा'' पर भादूविप्रा ने दिनांक 7 सितंबर, 2022 को अपनी अनुशंसाएँ जारी कीं। अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं निम्न थीं:

- वर्तमान में केबल टेलीविजन वितरण क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, प्राधिकरण ने यह अनुशंसा की है कि केबल टीवी वितरण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के स्तर को और बढ़ाने हेतु अलग से कोई नियम लाने या इसमें कोई सुधारात्मक उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, घटनाक्रम की निगरानी की जा सकती है, और उचित समय पर आवश्यक समझे जाने वाले हस्तक्षेप पर विचार किया जाएगा।
- प्राधिकरण ने आगे यह अनुशंसा की है कि सरकार ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रावधान के लिए अंतिम छोर (लास्ट माइल) तक सक्षम बनाने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ स्थानीय केबल ऑपरेटर द्वारा केबल संबंधी अवसंरचना को साझा करने की सुविधा और बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त उपाय कर सकती है। सरकार ब्रॉडबैंड कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए टीएसपी द्वारा केबल ऑपरेटर द्वारा बनाए गए लास्ट माइल अवसंरचना के उपयोग को सक्षम करने हेतु मौजूदा नियमों/दिशानिर्देशों में आवश्यक संशोधन जारी कर सकती है।
- सरकार निम्नलिखित को स्पष्ट रूप से इंगित करने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन), अधिनियम 1995 के तहत नियमों में संशोधन कर सकती है:

  ''केबल ऑपरेटर ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रसार के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर–भेदभावपूर्ण तरीके से एक्सेस सेवा प्रदाताओं/इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को अंतिम छोर तक अभिगम प्रदान करने का प्रयास कर सकते हैं।''

2.5.2.3 ''मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) पंजीकरण का नवीनीकरण'' पर दिनांक 29 दिसंबर, 2022 की अनुशंसाएँ

भादूविप्रा ने दिनांक 29 दिसंबर, 2022 को ''मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) पंजीकरण के नवीनीकरण'' पर अनुशंसाएँ जारी कीं। अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं थीं:

- एमएसओ पंजीकरण का नवीनीकरण 10 वर्ष की अवधि के लिए किया जाना चाहिए।
- प्राधिकरण की अनुशंसा है कि नवीनीकरण के समय प्रोसेसिंग शुल्क 1 लाख रुपये रखा जाना चाहिए।

अनुशंसाओं का पूरा पाठ (full text) भादूविप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

2.5.2.4 ''सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से संबंधित मुद्दे'' पर दिनांक 22 मार्च, 2023 की अनुशंसाएँ

भादूविप्रा ने दिनांक 22 मार्च, 2023 को, ''सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से संबंधित मुद्दों'' पर अपनी अनुशंसाएँ जारी कीं। अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं निम्न थीं:

- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत स्थापित गैर–लाभकारी कंपनियां पहले से ही सामुदायिक रेडियो स्टेशन के लिए मौजूदा पात्रता मानदंडों में शामिल हैं।
- सामुदायिक रेडियो स्टेशन अधिष्ठापित करने के लिए कुछ प्रकार की संस्थाओं को छोड़कर एमआईबी दिशानिर्देशों में निर्धारित मौजूदा मानदंड धारा 8 कंपनियों पर भी समान रूप से लागू होते हैं।
- प्राधिकरण ने सामुदायिक रेडियो स्टेशन सहित प्रसारण चैनलों के मालिक होने से धार्मिक निकायों की अयोग्यता के संबंध में अनुशंसाओं को दोहराया है, जैसा कि दिनांक 12 नवंबर, 2008 को 'प्रसारण और वितरण गतिविधियों में कुछ संस्थाओं के प्रवेश से संबंधित मुद्दों पर अनुशंसाओं' में उल्लेख किया गया है।
- अनुमति की प्रारंभिक अवधि को एक बार में पांच वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष किया जाना चाहिए।
- सामुदायिक रेडियो स्टेशन लाइसेंस के विस्तार/नवीनीकरण के लिए वर्तमान नीति दिशानिर्देश पर्याप्त हैं और वही बने रहने चाहिए।
- सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को लाइसेंस विस्तार की मंजूरी के लिए संबंधित जिले के एसडीएम से निरंतर सेवा रिपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
- सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर विज्ञापन की अवधि सात मिनट प्रति घंटा से बढ़ाकर बारह मिनट प्रति घंटा की जानी चाहिए।
- कई जिलों में काम करने वाले गैर–लाभकारी संगठनों को अपने संचालन क्षेत्र में कई सीआरएस स्थापित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- एक संगठन को पूरे देश में अधिकतम छह सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- एक से अधिक स्टेशन स्थापित करने की इच्छा रखने वाले संगठन को यह पुष्टि करते हुए एक उपक्रम प्रस्तुत करना चाहिए कि कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर तैयार किए जाएंगे और अन्य सामुदायिक रेडियो स्टेशन से नहीं भेजे जाएंगे।
- सामुदायिक रेडियो स्टेशन को उनकी स्थिरता में मदद करने के लिए एमआईबी सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर अधिक कार्यक्रमों को प्रायोजित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ सक्रिय रूप से काम कर सकता है।
- केंद्र/राज्य सरकारों के सभी विश्वविद्यालयों को सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने और संचालित करने के लिए बजटीय सहायता प्रदान की जा सकती है। एमआईबी ऐसे विश्वविद्यालयों के लिए लाइसेंस/स्पेक्ट्रम प्रदान करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर सकता है।
- सामुदायिक रेडियो स्टेशन grant करने की सभी प्रक्रियाओं को एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन किया जाना चाहिए।
- एसएसीएफए मंजूरी आवेदन के एक महीने के भीतर दी जानी चाहिए।
- डब्ल्यूओएल लाइसेंस देने की भी एक निर्धारित अवधि जो अधिमानतः आवेदन करने के एक महीने के भीतर होनी चाहिए।

2.5.2.5 ''टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना'' पर दिनांक 31 मार्च, 2023 की अनुशंसाएँ

भादूविप्रा ने दिनांक 31 मार्च, 2023 को ''टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना'' पर अनुशंसाएँ जारी कीं। इन अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं निम्न थीं:

- उभरती प्रौद्योगिकियों और अभिसरण के युग के सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है और प्रसारण उपकरणों के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना इसका लक्ष्य है। प्रसारण उपकरणों के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा सकता है या प्रसारण उपकरणों पर भी ध्यान केंद्रित करने के लिए मौजूदा दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्रों को उन्नत किया जा सकता है।
- स्थानीय स्तर पर निर्मित प्रसारण उपकरणों के निर्यात को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए टेलीकॉम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (टीईपीसी) या कुछ इसी तरह के संगठन जैसे संगठन को सक्षम करना।
- दूरसंचार विभाग के टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर (टीईसी) को सभी प्रसारण उपकरणों का परीक्षण और मानकीकरण करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।
- सार्वजनिक क्षेत्र में मौजूदा अनुसंधान एवं विकास केंद्रों, जैसे सी–डॉट को मजबूत करें। पीपीपी मार्ग के माध्यम से उद्योग की भागीदारी के साथ–साथ स्थानीय अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करें। प्रसारण क्षेत्र के लिए अनुसंधान एवं विकास और स्थानीय उत्पादों/प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए 'प्रौद्योगिकी विकास कोष' बनाएं। स्थानीय सीएएस के उपयोग को प्रोत्साहित करें, अनुसंधान एवं विकास और मानकीकरण को बढ़ावा देने के लिए ऐसे उपायों के परिणामों की समीक्षा करें।
- स्थानीय अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से विकसित उत्पादों के लिए बाजार में जाने की रणनीति भी अपनाई जा सकती है।
- लीनियर सेट–अप बॉक्स को पीएलआई योजना के तहत लाया जाना चाहिए।
- चिपसेट सहित प्रसारण उपकरणों के लिए आवश्यक स्वदेशी घटकों की उपलब्धता की समय–समय पर समीक्षा करें। पीएलआई योजना के तहत स्थानीयकरण स्तर निर्धारित करते समय स्थानीय घटकों की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाएगा। समय–समय पर पहचाने जाने वाले कुछ चयनित उपकरणों के लिए एमएसएमई द्वारा विनिर्माण को बढ़ावा देने की दृष्टि से पीएलआई योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवेश परिव्यय की समीक्षा करें।
- सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम की तर्ज पर टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र के अन्य सुसंगत घटकों के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना।
- स्थानीय रूप से प्राप्त घटकों/सेवाओं के प्रतिशत के संदर्भ में टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में विभिन्न उपकरण श्रेणियों के लिए 'स्थानीय विनिर्माण' के कार्यक्षेत्र को परिभाषित करें।
- टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में स्थानीय विनिर्माण पर उनके प्रभाव के संबंध में एफटीए और ऐसे करारों की समीक्षा करें।

2.6 पूर्व में सरकार को भेजी गई महत्वपूर्ण अनुशंसाओं के संबंध में अतिरिक्त जानकारी

पिछले कुछ वर्षों में भादूविप्रा ने देश में दूरसंचार सेवाओं और प्रसारण और केबल सेवाओं के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर या तो स्वतः संज्ञान पर या संदर्भ के आधार पर दूरसंचार विभाग और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

(एमआईबी) को कई अनुशंसाएँ भेजी हैं। वर्ष के दौरान, भादूविप्रा ने दूरसंचार विभाग और एमआईबी दोनों के साथ कार्य किया है और ठोस प्रयासों से, इस अवधि के दौरान इनमें से कई अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया गया है। हालाँकि, कई महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ अभी भी दूरसंचार विभाग और एमआईबी द्वारा निर्णय/कार्यान्वयन के लिए लंबित हैं, जिन्हें यदि लागू किया जाता है, तो दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह महसूस किया गया है कि दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में तकनीकी प्रगति और परिवर्तन होते रहते हैं, और यदि निर्णय उचित समय–सीमा में नहीं लिए जाते हैं, तो ये अनुशंसाएँ अपनी प्रासंगिकता खो देती हैं और भादूविप्रा द्वारा परिकल्पित अनुशंसा करने का पूरा उद्देश्य विफल हो जाता है। कभी–कभी अनुशंसाओं को आंशिक रूप से स्वीकार/कार्यान्वित किया जाता है जिससे अनुशंसा करते समय किसी विषय के प्रति व्यापक दृष्टिकोण में परिकल्पित उद्देश्य ही विफल हो जाता है। इसके अलावा, केवल अनुशंसाओं को स्वीकार करने से इस क्षेत्र को तब तक मदद नहीं मिलती है, जब तक कि उन्हें जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया जाता। यदि इन अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया जाता है, और कई वर्षों के अंतराल के बाद लागू किया जाता है, तो इस देरी के कारण क्षेत्र पर किसी विशेष अनुशंसा का प्रभाव कम हो जाता है।

इसलिए, फीडबैक तंत्र की आवश्यकता है जिसके माध्यम से मंत्रालय भादूविप्रा की अनुशंसाओं की स्वीकृति/कार्यान्वयन या अन्यथा के बारे में भादूविप्रा के साथ जानकारी साझा कर सकते हैं। अस्वीकृति/आंशिक स्वीकृति/स्वीकृति में विलंब के मामलों में, भादूविप्रा की अनुशंसाओं की अस्वीकृति/आंशिक स्वीकृति/लंबित होने के कारणों को संबंधित मंत्रालय (डीओटी/एमआईबी) द्वारा भादूविप्रा के साथ सुसंगत विवरण के साथ साझा किया जाना चाहिए। यह तंत्र जिसके तहत डीओटी/एमआईबी में भादूविप्रा की लंबित अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की समय–समय पर समीक्षा होती है, जो भादूविप्रा को भविष्य में नीतियों और विनियामक ढांचे के निर्माण में सहायता करेगा।

उपरोक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और सभी अनुशंसाओं की स्थिति की वास्तविक समय पर नजर रखने के लिए केंद्रीय भंडार बनाने के लिए भादूविप्रा ने एक रेकमेंडसन एस्टेटस पोर्टल विकसित किया है, जिसे की गई अनुशंसाओं को अपडेट करने और की गई कार्रवाई/अनुशंसा की स्थिति को जानने के लिए भादूविप्रा, डीओटी और एमआईबी द्वारा संयुक्त रूप से की गई अनुशंसाओं और कार्रवाई के विवरण को अपडेट करने के लिए एक्सेस किया जा सकता है।

2.6.1 इस अवधि के दौरान दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित स्वीकृत अनुशंसाएँ

अतीत में भादूविप्रा द्वारा दूरसंचार विभाग को की गई कई अनुशंसाओं में से निम्नलिखित महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ जिन्हें वर्ष 2022–23 के दौरान सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है (दूरसंचार विभाग द्वारा प्रदान की गई स्थिति के अनुसार) और दूरसंचार क्षेत्र पर इन अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के सकारात्मक प्रभाव का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) ''आईएमटी/5जी के लिए पहचाने गए फ्रीक्वेंसी बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी'' पर अनुशंसाएँ दिनांक 11 अप्रैल, 2022 को अग्रेषित की गईं। सरकार ने इन अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया जिससे सरकार के लिए जुलाई/अगस्त, 2022 में 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी का मार्ग प्रशस्त हो गया। अक्टूबर, 2022 में भारत में 5जी सेवाएं शुरू की गईं।

2.6.2 वर्ष 2022–23 की अवधि के दौरान प्रसारण और केबल सेवा क्षेत्र से संबंधित स्वीकृत अनुशंसाएँ

''भारत में टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग से संबंधित मुद्दे'' पर एक महत्वपूर्ण अनुशंसा दिनांक 25 जून, 2018 को सरकार को अग्रेषित की गई थी। वर्ष 2022–23 के दौरान, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने अपने आदेश दिनांक 09 नवंबर, 2022 के माध्यम से भारत में सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग, 2022 के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

2.6.3 दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित लंबित अनुशंसाएँ

कुछ महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ, जो पहले दूरसंचार विभाग (डीओटी) को भेजी गई थीं, लंबित हैं। ऐसी अनुशंसाओं की सूची जो दिनांक 31 मार्च, 2023 तक स्वीकृति और कार्यान्वयन के लिए सरकार के पास लंबित हैं, उनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	विषय	अग्रेषित करने की तिथि
1	"दूरसंचार क्षेत्र में डेटा की गोपनीयता, सुरक्षा और स्वामित्व" पर अनुशंसाएँ।	16-07-2018
2	"दूरसंचार लाइसेंस के हस्तांतरण/विलय के लिए दिशानिर्देशों में सुधार" पर अनुशंसाएँ।	21-02-2020
3	"क्लाउड सेवाओं" पर अनुशंसाएँ।	14-09-2020
4	"नेट न्यूट्रैलिटी के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज (टीएमपी) और मल्टी–स्टेकहोल्डर बॉडी" पर अनुशंसाएँ	22-09-2020
5	"भारत में डेटा केंद्रों, सामग्री वितरण नेटवर्क और इंटरकनेक्ट एक्सचेंजों की स्थापना के माध्यम से डेटा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विनियामक ढांचे" पर अनुशंसाएँ।	18-11-2022
6	"सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे (एसईएसजी) की स्थापना और संचालन के लिए लाइसेंसिंग ढांचे" पर अनुशंसाएँ।	29-11-2022
7	"हिमाचल प्रदेश के दूर–दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी/अवसंरचना में सुधार" पर अनुशंसाएँ।	12-12-2022
8	"डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग" पर अनुशंसाएँ।	20-02-2023

2.6.4 प्रसारण और केबल सेवा क्षेत्र से संबंधित लंबित अनुशंसाएँ।

प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को कई अनुशंसाएँ भेजी गईं थीं। तथापि, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भेजी गई 11 अनुशंसाएँ जो सरकार के पास लंबित हैं, नीचे दी गई हैं:

क्र.सं.	विषय	अग्रेषित करने की तिथि
1	''टीवी चैनलों के प्रसारण और वितरण के व्यवसाय में प्रवेश करने से कुछ संस्थाओं पर प्रतिबंध'' पर अनुशंसाएँ।	28-12-2012
2	''भारत में रेडियो ऑडियंस के मापन और रेटिंग से संबंधित मुद्दे'' पर अनुशंसाएँ।	15-09-2016
3	''भारत में डिजिटल स्थलीय प्रसारण (डीटीटी) से संबंधित मुद्दे'' पर अनुशंसाएँ।	31-01-2017
4	''भारत में डिजिटल रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दे'' पर अनुशंसाएँ।	01-02-2018
5	''नए शहरों में एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य'' पर अनुशंसाएँ।	10-04-2020
6	''सेट–टॉप बॉक्स की इंटरऑपरेबिलिटी'' पर अनुशंसाएँ।	10-04-2020
7	''भारत में टेलीविजन दर्शकों के मापन और रेटिंग प्रणाली की समीक्षा'' पर अनुशंसाएँ।	28-04-2020
8	''केबल टीवी सेवाओं में बाजार संरचना/प्रतिस्पर्धा'' पर अनुशंसाएँ ।	07-09-2022
9	''मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) पंजीकरण के नवीनीकरण'' पर अनुशंसाएँ।	29-12-2022
10	''सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से संबंधित मुद्दे'' पर अनुशंसाएँ।	22-03-2023
11	''टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना'' पर अनुशंसाएँ।	31-03-2023

2.7 वर्ष 2022–23 के दौरान, प्राधिकरण ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत सौंपे गए अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए, प्रसारण क्षेत्र में निम्नलिखित विनियम तैयार किए हैं:

प्रसारण क्षेत्र

क्र.सं.	विनियमों की सूची
1	''प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे'' में संशोधन, दिनांक 22 नवंबर, 2022 को ।

2.7.1 ''प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे'' में संशोधन, दिनांक 22 नवंबर, 2022 को ।

भादूविप्रा ने दिनांक 22 नवंबर, 2022 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ (तीसरा संशोधन) आदेश, 2022 और दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल सिस्टम) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022 अधिसूचित किया। इन संशोधनों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं:

(i) टीवी चैनलों की एमआरपी पर छूट जारी रहेगी।

(ii) केवल उन्हीं चैनलों को बुके का हिस्सा बनने की अनुमति दी जाएगी जिनकी एमआरपी 19/– रू. या उससे कम है।

(iii) एक ब्रॉडकास्टर अपने पे चैनलों के बुके का मूल्य निर्धारण करते समय उस बुके में सभी पे चैनलों की एमआरपी के योग पर अधिकतम 45% की छूट दे सकता है।

(iv) किसी ब्रॉडकास्टर द्वारा पे चैनल के अधिकतम खुदरा मूल्य पर प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली छूट उस चैनल की ए–ला–कार्टे और बुके दोनों में संयुक्त सब्सक्रिप्शन पर आधारित होगी।

2.8 टैरिफ आदेश

वर्ष 2022–23 के दौरान प्राधिकरण ने दूरसंचार क्षेत्र में निम्नलिखित टैरिफ आदेश जारी किया:

दूरसंचार क्षेत्र

क्र.सं.	टैरिफ आदेशों की सूची
1.	दूरसंचार टैरिफ (68वां संशोधन) आदेश, 2022 दिनांक 7 अप्रैल, 2022
2.	दूरसंचार टैरिफ (69वां संशोधन) आदेश, 2022 दिनांक 6 दिसंबर, 2022

2.8.1 दूरसंचार टैरिफ (68वां संशोधन) आदेश दिनांक 7 अप्रैल, 2022

एक विस्तृत परामर्श प्रक्रिया और ऑनलाइन खुला मंच चर्चा के बाद, भादूविप्रा ने दिनांक 7 अप्रैल, 2022 को ''यूएसएसडी–आधारित टैरिफ के लिए विनियामक ढांचे'' पर टेलीकॉम टैरिफ (68वां संशोधन) आदेश, 2022 अधिसूचित किया, जो लिंक https://trai.gov.in/sites/default/files/Regulation_07042022.pdf पर उपलब्ध है।

भादूविप्रा ने पहले दिनांक 22 नवंबर, 2013 को दूरसंचार टैरिफ (56वां संशोधन) आदेश जारी किया था, जिसमें यूएसएसडी–आधारित मोबाइल बैंकिंग सेवा के लिए प्रति यूएसएसडी सत्र 1.50 रुपये की अधिकतम टैरिफ निर्धारित की गई थी। इसके बाद, प्राधिकरण ने दूरसंचार टैरिफ (61वां संशोधन) आदेश, 2016 के माध्यम से बैंकिंग और भुगतान सेवाओं के लिए यूएसएसडी–आधारित टैरिफ की सीमा को 1.50 रुपये से घटाकर 0.50 रुपये प्रति सत्र कर दिया।

यूएसएसडी आधारित टैरिफ के लिए मौजूदा विनियामक ढांचे की समीक्षा करने हेतु, प्राधिकरण ने दिनांक 24 नवंबर, 2021 को मसौदा दूरसंचार टैरिफ (66वां संशोधन) आदेश जारी किया, जिसके तहत मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं के लिए यूएसएसडी सत्रों के लिए 'शून्य' शुल्क का प्रस्ताव किया गया। इस पर हितधारकों से क्रमशः दिनांक 8 दिसंबर, 2021 और 17 दिसंबर, 2021 तक टिप्पणियाँ और प्रति टिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं।

हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और उसके पास उपलब्ध अन्य डेटा/जानकारी का विश्लेषण करने के बाद, प्राधिकरण का विचार था कि, यूएसएसडी उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, यूएसएसडी शुल्कों को तर्कसंगत बनाना आवश्यक है। इसे देखते हुए, प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया कि सब्सक्राइबरों से मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवा के लिए यूएसएसडी शुल्क नहीं लिया जाएगा। तदनुसार, दूरसंचार टैरिफ (68वां संशोधन) आदेश, 2022 को दिनांक 7 अप्रैल, 2022 को अधिसूचित किया गया था, जिसमें मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं के लिए यूएसएसडी सत्रों के लिए 'शून्य' शुल्क निर्धारित किया गया था। प्राधिकरण सेवा की प्रगति पर नजर रखना जारी रखेगा और दो वर्ष की अवधि के बाद शुल्क की समीक्षा कर सकता है।

2.8.2 दूरसंचार टैरिफ (69वां संशोधन) आदेश दिनांक 6 दिसंबर, 2022 को जारी

एक समुचित परामर्श प्रक्रिया और खुला मंच चर्चा का अनुपालन करते हुए, ''आपदाओं/गैर–आपदाओं के दौरान कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (सीएपी) प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित एसएमएस और सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट के लिए

टैरिफ'' पर भादूविप्रा ने दिनांक 6 दिसंबर, 2022 को दूरसंचार टैरिफ (69वां संशोधन) आदेश, 2022 अधिसूचित किया जो https://trai.gov.in/sites/default/files/Regulation_06122022.pdf पर उपलब्ध है।

संशोधन आदेश ने दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 के खंड 3 में प्रिंसिपल टैरिफ ऑर्डर में अनुसूची XIII को शामिल किया, जो कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रसारित लघु संदेश सेवा (एसएमएस) और सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट के लिए निम्नलिखित टैरिफ प्रदान करता है।

मदें	टैरिफ	प्रति एसएमएस (रू. में)	प्रति सेल प्रसारण (रू. में)
(1)	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) के तहत जारी निर्देशों के अलावा गैर–आपदा स्थितियों के दौरान भेजे गए अलर्ट या संदेश।	0.02	शून्य
(2)	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) के तहत जारी निर्देशों के अनुसार, आपदा की अधिसूचना से पूर्व या आपदा की समाप्ति के बाद भेजे गए अलर्ट या संदेश।	शून्य	शून्य
(3)	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) के तहत जारी निर्देशों के अनुसार, आपदा की स्थिति के दौरान भेजे गए अलर्ट या संदेश।	शून्य	शून्य
(4)	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) के तहत जारी निर्देशों के अलावा किसी आपदा की स्थिति के दौरान भेजे गए अलर्ट या संदेश।	0.02	शून्य

2.9 निर्देश

भादूविप्रा ने वर्ष 2022–23 के दौरान अपने आदेश/विनियमों के अनुपालन के लिए सेवा प्रदाताओं को निम्नलिखित निर्देश और आदेश जारी किए:–

दूरसंचार क्षेत्र

क्र.सं.	निर्देशों की सूची
1	त्रैमासिक राजस्व और उपयोग रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रोफार्मा को संशोधित करने के संबंध में सभी सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिनांक 6 दिसंबर, 2022 जारी किया गया।
2	जीआर, एजीआर, एपीजीआर, एलएफ और एसयूसी जमा करने के संबंध में सभी सेवा प्रदाताओं को आदेश दिनांक 12 दिसंबर, 2022 जारी किया गया।
3	दूरसंचार संसाधनों का उपयोग करके अप्राधिकृत गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उपायों और दूरसंचार वाणिज्यिक संचार सब्सक्राइबर वरीयता विनियमन, 2018 के तहत अभ्यास संहिता में संशोधन के संबंध में सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं को दिनांक 16 फरवरी, 2023 को निर्देश जारी किया गया।
4	टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन, 2018 के तहत हेडर और कंटेंट टेम्प्लेट के दुरुपयोग को रोकने के उपायों के संबंध में सभी एक्सेस प्रदाताओं को दिनांक 16 फरवरी, 2023 को निर्देश जारी किया गया।
5	प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए सेवा की गुणवत्ता मानकों के बेंचमार्क की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दिनांक 23 फरवरी, 2023 को निर्देश जारी किया गया।
6	भादूविप्रा को प्रमुख नेटवर्क आउटेज की रिपोर्ट करने के संबंध में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दिनांक 28 मार्च, 2023 को निर्देश जारी किया गया।

2.9.1 राजस्व और उपयोग पर आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दिनांक 6 दिसंबर, 2022 को जारी निर्देश

प्राधिकरण ने दिनांक 6 दिसंबर, 2022 को सभी टीएसपी को निर्देश जारी किया कि वे वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही, जिसके लिए रिपोर्ट तिमाही के अंत से 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी को छोड़कर, इस निर्देश के साथ संलग्न संशोधित प्रारूप–ए (वायरलेस सेवाओं के लिए) और प्रारूप–बी (वायरलाइन सेवाओं के लिए) में प्रत्येक तिमाही के अंत से पैंतालीस दिनों के भीतर प्राधिकरण को राजस्व और उपयोग पर त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

यह निर्देश https://www.trai.gov.in/sites/default/files/Direction_06122022.pdf लिंक पर उपलब्ध है।

2.9.2 सभी सेवा प्रदाताओं को सकल राजस्व, लागू सकल राजस्व, समायोजित सकल राजस्व, स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क और लाइसेंस शुल्क इत्यादि पर जानकारी प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 12 दिसंबर, 2022 को आदेश जारी किया गया।

प्राधिकरण ने 12 दिसंबर, 2022 को सभी सेवा प्रदाताओं को यह आदेश जारी किया की वे वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही को छोड़कर, जिसके लिए विवरण तिमाही के अंत से साठ दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे को छोड़कर प्रत्येक तिमाही के अंत से पैंतालीस दिनों के भीतर प्राधिकरण को राजस्व, लागू सकल राजस्व, समायोजित सकल राजस्व, स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क और लाइसेंस शुल्क फाइल के त्रैमासिक विवरण की हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों लाइसेंसदाता (डीओटी) के पास प्रस्तुत करें।

ऑडिटर के प्रमाणपत्र की प्रति के साथ त्रैमासिक विवरण में दिखने वाले आंकड़ों और ऐसे सेवा प्रदाता के वार्षिक खातों में दिखने वाले आंकड़ों के बीच वार्षिक समाशोधन विवरण की प्रति, उन्हें लाइसेंसकर्ता (डीओटी) के पास दाखिल करने के एक महीने के भीतर हो।

आदेश https://www.trai.gov.in/sites/default/files/Direction_13122022.pdf लिंक पर उपलब्ध है।

2.9.3 दूरसंचार संसाधनों का उपयोग करके अप्राधिकृत गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उपायों और दूरसंचार वाणिज्यिक संचार सब्सक्राइबर वरीयता विनियमन, 2018 के तहत अभ्यास संहिता में संशोधन के संबंध में सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं को दिनांक 16 फरवरी, 2023 को निर्देश जारी किया गया।

प्राधिकरण ने 16 फरवरी, 2023 को सभी एक्सेस प्रदाताओं को ऐसे पीई द्वारा संलग्न टेलीमार्केटर्स की पूरी श्रृंखला प्राप्त करके पीई से प्राप्तकर्ता तक संदेशों की ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किया। एक्सेस प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया था कि – प्रचार संदेश अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स (यूटीएम) या टेलीफोन नंबरों का उपयोग करने वाले टेलीमार्केटर्स के माध्यम से प्रसारित नहीं किए जाते हैं और ऐसे संदेशों के प्रसारण के लिए किसी भी पंजीकृत टेलीमार्केटर्स (आरटीएम) या अनधिकृत टेलीमार्केटर्स द्वारा हेडर और सामग्री टेम्पलेट्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए उपाय किए जाते हैं एक्सेस प्रदाताओं को नियमों के प्रावधानों के अनुसार ऐसे सभी गलती करने वाले टेलीमार्केटर्स के खिलाफ कार्रवाई करने और प्रासंगिक कानूनी कानूनों के अनुसार कार्रवाई शुरू करने और ऐसे टेलीमार्केटर्स के विवरण को अन्य एक्सेस प्रदाताओं को सूचित करने के लिए भी निर्देशित किया गया था, जो बदले में, इन संस्थाओं को अपने नेटवर्क के माध्यम से किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संचार भेजने से रोक देंगे।

निर्देश https://www.trai.gov.in/sites/default/files/Direction_16022023.pdf लिंक पर उपलब्ध है।

2.9.4 टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन, 2018 के तहत हेडर और कंटेंट टेम्प्लेट के दुरुपयोग को रोकने के उपायों के संबंध में सभी एक्सेस प्रदाताओं को दिनांक 16 फरवरी, 2023 को निर्देश जारी किया गया।

प्राधिकरण ने दिनांक 16 फरवरी, 2023 को सभी एक्सेस प्रदाताओं को निम्न निर्देश जारी किया –

(क) डीएलटी प्लेटफॉर्म पर सभी पंजीकृत हेडर और मेसेज टेम्प्लेट को पुनः सत्यापित करें और सभी असत्यापित हेडर और मेसेज टेम्प्लेट को क्रमशः 30 और 60 दिनों के भीतर ब्लॉक करें।

(ख) 60 दिनों के अंदर एक इसके लिए प्रणाली विकसित करना सुनिश्चित करें (i) पिछले 30 दिनों में अप्रयुक्त रहे सभी हेडर को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर देंय (ii) ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पीई द्वारा हेडर को पुनः सक्रिय करें और (iii) सुनिश्चित करें कि पीई पंजीकरण के समय प्रत्येक हेडर को 'अस्थायी' या 'स्थायी' हेडर के रूप में वर्गीकृत करेगा, जैसा भी मामला हो, और यह कि 'अस्थायी' हेडर उस समय अवधि के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा जिसके लिए ऐसा 'अस्थायी' हेडर पंजीकृत किया गया है;

(ग) सुनिश्चित करें कि प्रत्येक हेडर अलग है और पंजीकरण के दौरान, ऐसे हेडर को अस्वीकार कर दिया जाएगा जो स्मॉल केस या लार्ज केस अक्षरों के संयोजन के आधार पर समान हैं।

(घ) अपने संबंधित सीओपी में हेडर और सामग्री टेम्पलेट्स के त्रैमासिक पुनः सत्यापन के लिए प्रक्रिया शामिल करें।

(ङ) संदेशों के सामग्री टेम्पलेट में परिवर्तनीय भागों की संख्या को केवल दो चर तक सीमित करें, बशर्ते कि रिकॉर्ड किए जाने वाले कारणों के लिए, अत्यावश्यकता के मामले में तीसरे चर की अनुमति दी जा सकती है; और सुनिश्चित करें कि सामग्री टेम्पलेट्स में चर गैर–सन्निहित हैं।

निर्देश https://www.trai.gov.in/sites/default/files/Directions_16022023.pdf लिंक पर उपलब्ध है।

2.9.5 प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए सेवा की गुणवत्ता मानकों के बेंचमार्क की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दिनांक 23 फरवरी, 2023 को निर्देश जारी किया गया।

प्राधिकरण ने पाया है कि विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता के इष्टतम विश्लेषण के लिए सेवा की गुणवत्ता मापदंडों के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र–वार डेटा प्रस्तुत करना एक आवश्यक जरुरत है।

टीएसपी को दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही से तिमाही आधार पर बुनियादी (वायरलाइन) सेवाओं के लिए विनियम 3 में निर्दिष्ट सेवा गुणवत्ता मापदंडों और सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं के लिए विनियम 5 के 'नेटवर्क सेवा गुणवत्ता मापदंडों' के संबंध में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश–वार रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

इस संबंध में, दिनांक 30 सितंबर, 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही से भादूविप्रा को सेवा गुणवत्ता मापदंडों के लिए राज्यवार पीएमआर डेटा जमा करने के लिए समय बढ़ाने के संबंध में सीओएआई से दिनांक 28 मार्च, 2023 को एक पत्र प्राप्त हुआ था। इस संबंध में, मार्च, 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही से सेवा गुणवत्ता पैरामीटर के लिए पीएमआर डेटा जमा करने के लिए दो महीने का विस्तार देने के लिए सीओएआई को दिनांक 19 अप्रैल, 2023 को एक पत्र जारी किया गया था।

2.9.6 भादूविप्रा को प्रमुख नेटवर्क आउटेज की रिपोर्ट करने के संबंध में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दिनांक 28 मार्च, 2023 को निर्देश जारी किया गया।

प्राधिकरण ने पाया है कि तकनीकी कारणों से या प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले दूरसंचार नेटवर्क के प्रमुख नेटवर्क आउटेज की घटनाओं की सूचना टीएसपी द्वारा भादूविप्रा को नहीं दी जाती है। देश में लंबे समय तक, विशेष रूप से सीमावर्ती और पहाड़ी क्षेत्रों में ये प्रमुख नेटवर्क आउटेज, प्रभावित क्षेत्रों में सेवा की उपलब्धता या गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

भादूविप्रा ने दिनांक 28 मार्च, 2023 को सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को भादूविप्रा को निम्नलिखित प्रमुख नेटवर्क आउटेज की रिपोर्ट करने के लिए एक निर्देश जारी किया था।

(क) किसी जिले (केंद्र/राज्य सरकार द्वारा परिभाषित राजस्व जिला) के सभी उपभोक्ताओं की दूरसंचार सेवाओं को चार घंटे से अधिक समय तक लगातार प्रभावित करने वाली प्रमुख नेटवर्क आउटेज की सभी घटनाएं, निर्देश में निर्दिष्ट प्रारूप में उनके घटित होने के चौबीस घंटों के भीतर।

(ख) निर्देश में निर्दिष्ट प्रारूप में, सेवाओं की बहाली के बहत्तर घंटों के भीतर, ऐसे प्रमुख नेटवर्क आउटेज का मूल कारण और उसके लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाइयां।

प्रसारण क्षेत्र

वर्ष 2022–23 के दौरान इस क्षेत्र के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किये गये।

2.10 परामर्श पत्र

भादूविप्रा ने विभिन्न मुद्दों पर हितधारकों के विचार जानने के लिए निम्नलिखित परामर्श पत्र जारी किए:

दूरसंचार क्षेत्र

क्र.सं.	परामर्श पत्रों की सूची
1	"आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए ट्रेन कंट्रोल सिस्टम के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) की स्पेक्ट्रम आवश्यकताएँ पर दिनांक 9 जून, 2022 को परामर्श पत्र।
2	दिनांक 25 जुलाई, 2022 को "एम2एम कम्युनिकेशंस के लिए एंबेडेड सिम" पर परामर्श पत्र।
3	"एकीकृत लाइसेंस (यूएल)/एकीकृत लाइसेंस (वीएनओ) में प्रवेश शुल्क के युक्तिकरण और बैंक गारंटी के विलय" पर दिनांक 26 जुलाई, 2022 को परामर्श पत्र।
4	"दूरसंचार क्षेत्र में कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) (एआई) और बिग डेटा (बीडी) का लाभ उठाना" पर दिनांक 5 अगस्त, 2022 परामर्श पत्र।
5	"दूरसंचार नेटवर्क में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) की शुरुआत" पर दिनांक 29 नवंबर, 2022 को परामर्श पत्र।
6	"भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अलावा अन्य संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच डेटा संचार सेवाएं" पर दिनांक 10 दिसंबर, 2022 को परामर्श पत्र।
7	"भारत में पनडुब्बी केबल लैंडिंग के लिए लाइसेंसिंग ढांचा और नियामक तंत्र" पर दिनांक 23 दिसंबर, 2022 को परामर्श पत्र।
8	"दूरसंचार अवसंरचना साझाकरण, स्पेक्ट्रम साझाकरण और स्पेक्ट्रम लीजिंग" पर दिनांक 13 जनवरी, 2023 को परामर्श पत्र।
9	"अभिसरण डिजिटल प्रौद्योगिकियों और सेवाओं को विनियमित करना – प्रसारण और दूरसंचार सेवाओं के परिवहन के अभिसरण को सक्षम करना" दिनांक 30 जनवरी, 2023 को परामर्श पत्र।
10	"यूनिफाइड लाइसेंस (यूएल) के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर (डीसीआईपी) प्राधिकार की शुरूआत पर परामर्श पत्र" पर दिनांक 9 फरवरी, 2023 को परामर्श पत्र।
11	सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग सटीकता के लिए अभ्यास संहिता) विनियम, 2023 की समीक्षा पर मसौदा विनियमन पर दिनांक 24 फरवरी, 2023 को परामर्श पत्र ।

2.10.1 आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए ट्रेन कंट्रोल सिस्टम के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) की स्पेक्ट्रम आवश्यकताओं पर दिनांक 9 जून, 2022 को परामर्श पत्र।

दूरसंचार विभाग (DoT) ने अपने दिनांक 29 नवंबर, 2021 के पत्र के माध्यम से भादूविप्रा को सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने पहले चरण में दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ, दिल्ली–गुरुग्राम–अलवर, दिल्ली–पानीपत के साथ लगभग 350 किलोमीटर की लंबाई के 3 रेल कॉरिडोर सहित 8 रेल गलियारों में एनसीआरटीसी द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के लिए ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए दूरसंचार विभाग से अनुरोध किया है।

इस पृष्ठभूमि में, दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से निम्नलिखित उपलब्ध कराने का अनुरोध किया:

i. 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में एनसीआरटीसी की अलग स्पेक्ट्रम आवश्यकताओं के लिए एनसीआरटीसी को स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन और उसकी मात्रा, मूल्य निर्धारण/चार्जिंग और किसी भी अन्य नियम और शर्तों पर अनुशंसाएँ।

ii. पूरे भारत में अन्य आरआरटीएस/मेट्रो रेल नेटवर्क के लिए समान स्पेक्ट्रम के आवंटन सहित इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली कोई अन्य अनुशंसाएँ।

इस संबंध में, हितधारकों से इनपुट मांगने के लिए दिनांक 9 जून, 2022 को "आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए ट्रेन कंट्रोल सिस्टम के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) की स्पेक्ट्रम आवश्यकताएं" पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया था, जिसे भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर रखा गया। इस परामर्श पत्र में उपर्युक्त मुद्दों पर हितधारकों के विचार हेतु विशिष्ट मुद्दे उठाए गए हैं।

परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.10.2 दिनांक 25 जुलाई 2022 को "एम2एम कम्युनिकेशंस के लिए एंबेडेड सिम" पर परामर्श पत्र।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 9 नवंबर, 2021 को अपने पत्र के माध्यम से विभिन्न प्रोफाइल–टीएसपी द्वारा प्रोफाइल का कॉन्फिगरेशन और स्विच के तहत कार्यान्वयन तंत्र सहित भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में ई–सिम की समग्र परिनियोजन के लिए भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के तहत भादूविप्रा की अनुशंसाएँ मांगी हैं।

इस संबंध में, हितधारकों से इनपुट मांगने के लिए दिनांक 25 जुलाई, 2022 को "एम2एम कम्युनिकेशंस के लिए एंबेडेड सिम" पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया था। इस परामर्श पत्र में, विभिन्न प्रोफाइल कॉन्फिगरेशन के तहत कार्यान्वयन तंत्र और टीएसपी द्वारा प्रोफाइल के स्विच सहित भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में ईयूआईसीसी (एम्बेडेड यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड) की समग्र तैनाती से संबंधित मुद्दों को हितधारकों के विचार और टिप्पणियों के लिए उठाया गया है।

परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.10.3 "एकीकृत लाइसेंस (यूएल)/एकीकृत लाइसेंस (वीएनओ) में प्रवेश शुल्क के युक्तिकरण और बैंक गारंटी के विलय" पर दिनांक 26 जुलाई, 2022 को परामर्श पत्र।

वर्तमान यूएल/यूएल (वीएनओ) व्यवस्था के अनुसार, प्रत्येक सेवा प्राधिकरण के लिए अलग–अलग प्रवेश शुल्क और दो अलग–अलग बैंक गारंटी (बीजी) यानी फाइनेंशियलबैंक गारंटी (एफबीजी) और प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) का प्रावधान है।

इस संबंध में, यूनिफाइड लाइसेंस (यूएल) और यूनिफाइड लाइसेंस वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर {यूएल (वीएनओ)} में प्रवेश शुल्क और बैंक गारंटी के युक्तिकरण पर डीओटी से दिनांक 3 मार्च, 2022 को एक संदर्भ प्राप्त हुआ था, जिसमें डीओटी का विचार है कि–

- ❖ प्रवेश शुल्क को कम किया जाना चाहिए और सभी प्राधिकरणों में एक समान किया जाना चाहिए।
- ❖ एफबीजी और पीबीजी दोनों को विलय कर दिया जाना चाहिए, और प्रत्येक प्राधिकरण के लिए एकल बीजी की राशि निर्धारित की जानी चाहिए।

तदनुसार, दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने भादूविप्रा से यूनिफाइड लाइसेंस (यूएल) और यूनिफाइड लाइसेंस वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर {यूएल (वीएनओ)} में प्रवेश शुल्क और बैंक गारंटी के युक्तिकरण पर अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिए अनुरोध किया।

भादूविप्रा ने दिनांक 26 जुलाई, 2022 को प्रवेश शुल्क के युक्तिकरण, बैंक गारंटी के विलय और विभिन्न प्राधिकरणों/लाइसेंस/पंजीकरणों/अनुमतियों के लिए बीजी की एक ही राशि निर्धारित करने पर सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले हितधारकों की टिप्पणियों को मांगने के लिए दिनांक 26 जुलाई, 2022 को ''प्रवेश शुल्क का युक्तिकरण और एकीकृत लाइसेंस (यूएल)/एकीकृत लाइसेंस (वीएनओ) (नया संदर्भ) में बैंक गारंटी का विलय'' पर परामर्श पत्र जारी किया।

टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 23 अगस्त, 2022 थी और प्रति टिप्पणियाँ दिनांक 6 सितंबर, 2022 थी।

बाद में, हितधारकों से प्राप्त विभिन्न अनुरोधों को देखते हुए, टिप्पणियाँ जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 6 सितंबर, 2022 तक और प्रति टिप्पणियों के लिए दिनांक 20 सितंबर, 2022 तक बढ़ा दी गई थी।

परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.10.4 ''दूरसंचार क्षेत्र में कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) (एआई) और बिग डेटा (बीडी) का लाभ उठाना'' पर दिनांक 5 अगस्त, 2022 परामर्श पत्र

प्राधिकरण ने दिनांक 5 अगस्त, 2022 को, ''दूरसंचार क्षेत्र में कृत्रिम मेधा (एआई) और बिग डेटा (बीडी) का लाभ उठाने'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया। यह दूरसंचार विभाग (डीओटी) के दिनांक 6 जून, 2019 के पत्र के संदर्भ में है जिसके माध्यम से दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से प्रावधान संख्या एनडीसीपी का 2.2(जी) अर्थात, ''सेवा, स्पेक्ट्रम प्रबंधन, नेटवर्क सुरक्षा और विश्वसनीयता की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक समकालिक और प्रभावी तरीके से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बड़े डेटा का लाभ उठाना'' पर अनुशंसाएँ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। भादूविप्रा से अनुशंसाएँ मांगने के लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा संदर्भित एआई और बीडी के पहलू मुख्य रूप से दूरसंचार क्षेत्र पर केंद्रित हैं। एआई प्रत्येक क्षेत्र के विकास और क्रांति में योगदान दे रहा है। इसलिए, सभी क्षेत्रों को कवर करने के लिए परामर्श पत्र का दायरा बढ़ा दिया गया है। परामर्श पत्र में एआई और बीडी को अपनाने के अवसरों और जोखिमों पर चर्चा की गई है। यह मुद्दा विभिन्न बाधाओं और संभावित समाधानों और पहलों से संबंधित है जो जोखिमों और चिंताओं को दूर करने के लिए और एआई को तेजी से अपनाने के लिए भी उठाए जा सकते हैं।

परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.10.5 ''दूरसंचार नेटवर्क में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) की शुरआत'' पर दिनांक 29 नवंबर, 2022 को परामर्श पत्र ।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 21 मार्च, 2022 के एक संदर्भ के माध्यम से प्राधिकरण से भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) सुविधा शुरू करने पर भादूविप्रा अधिनियम, 1997 (संशोधित) की सुसंगत धारा के तहत अपनी अनुशंसाएँ प्रदान करने का अनुरोध किया।

इस संबंध में, ''दूरसंचार नेटवर्क में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) का परिचय'' पर एक परामर्श पत्र दिनांक 29 नवंबर, 2022 को जारी किया गया था, जिसमें हितधारकों से टिप्पणियां/प्रति टिप्पणियां मांगी गई थीं।

परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.10.6 ''भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अलावा अन्य संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच डेटा संचार सेवाएं'' पर दिनांक 10 दिसंबर, 2022 को परामर्श पत्र ।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 12 अप्रैल, 2022 के एक पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ–साथ यह कहा है कि वीएचएफ डेटा लिंक सेवाओं में उड़ानों की सुरक्षा के लिए विमानों को ट्रैक करने के लिए डेटा शामिल है। संचार मंत्रालय ने विमानों और ग्राउंड स्टेशनों के बीच वीएचएफ डेटा कम्युनिकेशन लिंक संचालित करने के लिए मेसर्स सोसाइटी इंटरनेशनेल डी टेलीकम्युनिकेशंस एरोनॉटिक्स (एसआईटीए) और मेसर्स बर्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (बीसी) को फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट दिया है। यह ध्यान में रखते हुए कि विमान संचार एड्रेसिंग और रिपोर्टिंग (एसीएआर) सेवा प्रदान करने के लिए वीएचएफ डेटा लिंक सेवाएं वास्तविक समय के आधार पर विमानों को ट्रैक करने और विमानन आपदा की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में जांच/खोज और बचाव कार्यों में मदद करने के लिए फायदेमंद हो सकती हैं, दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा अधिनियम, 1997 (संशोधित) के खंड 11(1)(ए) की शर्तों के तहत भादूविप्रा से निम्नलिखित पर अनुशंसाएँ प्रदान करने का अनुरोध किया है:

i. इन संगठनों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक उचित तंत्र।

ii. वर्ष 2012 में 2जी मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में, इन संगठनों को फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट किस प्रकार किया जाना चाहिए – केवल नीलामी के माध्यम से रेडियो आवंटित करने के लिए फ्रीक्वेंसी।

इस संबंध में, ''भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अलावा अन्य संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच डेटा संचार सेवाएं'' पर एक परामर्श पत्र दिनांक 10 दिसंबर, 2022 को जारी किया गया था, जिसमें हितधारकों से इनपुट मांगा गया था, जिसे भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर रखा गया है।

परामर्श पत्र की एक प्रति भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.10.7 ''भारत में पनडुब्बी केबल लैंडिंग के लिए लाइसेंसिंग ढांचा और नियामक तंत्र'' पर दिनांक 23 दिसंबर, 2022 को परामर्श पत्र।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने कुछ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के ऑपरेटरों (आईएलडीओ) के पनडुब्बी केबल प्रणाली में अभी तक कोई हिस्सेदारी नहीं होने के कारण अपनी चिंता साझा करते हुए अपने संदर्भ पत्र दिनांक 12 अगस्त, 2022 के माध्यम से भादूविप्रा से संपर्क किया है और भारतीय क्षेत्रीय जल/विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों में ऐसी केबल बिछाने/रखरखाव के लिए और ऐसी पनडुब्बी केबलों के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन (सीएलएस) की स्थापना के लिए आवेदन करने के लिए भी पनडुब्बी केबल के मालिकों की ओर से स्वीकृति मांगी है। दूरसंचार विभाग ने मौजूदा यूएल–आईएलडी/स्टैंडअलोन आईएलडी लाइसेंस के तहत भारत में उतरने वाली पनडुब्बी केबलों के लिए लाइसेंसिंग ढांचे और विनियामक तंत्र पर भादूविप्रा की अनुशंसा मांगी हैं।

तदनुसार, भादूविप्रा ने दिनांक 23 दिसंबर, 2022 को ''भारत में पनडुब्बी केबल लैंडिंग के लिए लाइसेंसिंग ढांचे और विनियामक तंत्र'' पर एक परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया, जिसमें दूरसंचार विभाग से प्राप्त संदर्भ में चिह्नित मुद्दों पर हितधारकों के विचार मांगे गए। उक्त परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर भी उपलब्ध है।

2.10.8 ''दूरसंचार अवसंरचना साझाकरण, स्पेक्ट्रम साझाकरण और स्पेक्ट्रम लीजिंग'' पर दिनांक 13 जनवरी, 2023 को परामर्श पत्र।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 10 फरवरी, 2022 के अपने पत्र के माध्यम से भादूविप्रा को सूचित किया कि लाइसेंसधारियों के बीच इष्टतम संसाधन उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, अधिकृत दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए भारतीय टेलीग्राफ, अधिनियम, 1885 की धारा 4 के तहत लाइसेंस प्राप्त सभी श्रेणियों के सेवा प्रदाताओं के बीच सभी प्रकार के दूरसंचार बुनियादी ढांचे और नेटवर्क तत्वों को साझा करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। उक्त पत्र के माध्यम से, दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने इस मुद्दे पर भादूविप्रा अधिनियम, 1997 (संशोधित) की धारा 11(1)(क) के तहत भादूविप्रा की अनुशंसाएँ मांगीं।

अंतर–बैंड स्पेक्ट्रम साझाकरण और स्पेक्ट्रम के पट्टे पर अनुमति देने के हितधारकों के अनुरोध पर विचार करते हुए, अवसंरचना के बंटवारे से संबंधित मुद्दों के साथ–साथ स्पेक्ट्रम साझाकरण और स्पेक्ट्रम के पट्टे से संबंधित मुद्दों को भी उठाया गया है।

इस संबंध में, भादूविप्रा ने दिनांक 13 जनवरी, 2023 को 'टेलीकम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, स्पेक्ट्रम शेयरिंग और स्पेक्ट्रम लीजिंग' पर एक परामर्श पत्र जारी किया, जिसमें हितधारकों से दिनांक 3 मार्च, 2023 तक टिप्पणियां और दिनांक 17 मार्च, 2023 तक प्रति टिप्पणियां मांगी गईं।

परामर्श पत्र की एक प्रति भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.10.9 ''अभिसरण डिजिटल प्रौद्योगिकियों और सेवाओं को विनियमित करना–प्रसारण और दूरसंचार सेवाओं के परिवहन के अभिसरण को सक्षम करना'' दिनांक 30 जनवरी, 2023 को परामर्श पत्र।

प्राधिकरण ने दिनांक 30 जनवरी, 2023 को अभिसरण प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए कानूनी, प्रशासनिक और लाइसेंसिंग ढांचे में आवश्यक परिवर्तनों, यदि कोई हो, पर हितधारकों के विचार जानने के लिए ''अभिसरण डिजिटल प्रौद्योगिकियों और सेवाओं को विनियमित करना–प्रसारण और दूरसंचार सेवाओं के परिवहन के अभिसरण को सक्षम करना'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया।

2.10.10 ''यूनिफाइड लाइसेंस (यूएल) के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर (डीसीआईपी) प्राधिकार की शुरूआत पर परामर्श पत्र'' पर दिनांक 9 फरवरी, 2023 को परामर्श पत्र।

दूरसंचार विभाग ने अपने दिनांक 11 अगस्त, 2022 के संदर्भ के माध्यम से भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11(1) (क) के तहत लाइसेंस की एक नई श्रेणी नामतः 'टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर लाइसेंस (टीआईएल)' लाइसेंस और ऐसे लाइसेंस के निबंधन और शर्तों, लागू लाइसेंस शुल्क आदि के निर्माण के संबंध में भादूविप्रा से अनुशंसा मांगी थीं।

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी–2018) डिजिटल अवसंरचना पर बहुत जोर डालती है, जिसमें कहा गया है कि ''डिजिटल अवसंरचना और सेवाएं तेजी से देश के विकास और कल्याण के प्रमुख समर्थकों और महत्वपूर्ण निर्धारकों के रूप में उभर रही हैं''। एनडीसीपी–2018 में अपने 'प्रोपेल इंडिया' मिशन को पूरा करने की रणनीतियों में से एक के रूप में ''डिफरेंशियल लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न परतों (जैसे, अवसंरचना, नेटवर्क, सेवाओं और एप्लिकेशन परत) को अलग करने में सक्षम बनाना'' की भी परिकल्पना की गई है।

एक सुदृढ़ डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर (डीसीआई) उत्पादकता बढ़ाने और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने वाली सुविधाएं प्रदान करके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। डीसीआई विकास के संदर्भ में, विभिन्न देशों ने अपने दूरसंचार लाइसेंसिंग ढांचे को संसाधनों (स्पेक्ट्रम सहित) के उपयोग में वृद्धि, लागत में कमी, निवेश को आकर्षित करने और अवसंरचना/नेटवर्क परत और सेवा/एप्लिकेशन परतों को अलग करके सेवा वितरण खंड

को मजबूत करने के लिए संरेखित किया है। ऐसे ढांचे का लाभ यह है कि वे लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाते हैं और प्रौद्योगिकियों के अभिसरण पर विचार करते हुए बाजार के विकास और समाज के सामाजिक—आर्थिक कल्याण में सुधार के लिए अधिक अनुकूल परिवेश प्रदान करते हैं।

डीसीआई डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) और स्मार्ट सिटी के विकास के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण और अग्रणी भूमिका निभाता है। हाल ही में शुरू किया गया 5जी भारत को ब्रॉडबैंड सुपरहाइवे में बदल देगा और देश की सामाजिक—आर्थिक संरचना में सुधार करेगा। इस आलोक में, यह भी जरूरी है कि सक्रिय और निष्क्रिय दोनों तरह के अवसंरचना के निर्माण के लिए अनुकूल लाइसेंसिंग ढांचे के माध्यम से नई कंपनियों (प्लेयर्स) को प्रोत्साहित किया जाए। इसके परिणामस्वरूप साझा करने योग्य डीसीआई और नेटवर्क संसाधनों में वृद्धि होने की संभावना है, इससे लागत में कमी आएगी, निवेश आकर्षित होगा, सेवा वितरण खंड मजबूत होगा और यह उद्योग 4.0, उद्यम खंड और विभिन्न अन्य उपयोग के मामलों के लिए 5जी सेवाओं के प्रसार में उत्प्रेरक भी साबित हो सकता है।

तदनुसार, भादूविप्रा ने दिनांक 9 फरवरी, 2023 को ''यूनिफाइड लाइसेंस (यूएल) के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर (डीसीआईपी) प्राधिकार की शुरूआत'' पर एक परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया। परामर्श पत्र की एक प्रति भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर भी उपलब्ध है।

2.10.11 सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग सटीकता के लिए अभ्यास संहिता) विनियम, 2023 की समीक्षा पर मसौदा विनियमन पर दिनांक 24 फरवरी, 2023 को परामर्श पत्र।

भादूविप्रा ने दिनांक 24 फरवरी, 2023 को एक परामर्श पत्र जारी कर ''सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग सटीकता के लिए अभ्यास संहिता) विनियम, 2023'' पर मसौदा विनियमन और मसौदा दिशानिर्देशों पर हितधारकों की टिप्पणियां मांगीं।

जारी किया गया परामर्श पत्र इस लिंक पर उपलब्ध है: https://trai.gov.in/draft-regulation-review-quality-service-code-practice-metering-and-billing-accuracy-regulations-2023.

प्रसारण एवं केबल टीवी क्षेत्र

क्र.सं.	परामर्श पत्रों की सूची
1	''मीडिया स्वामित्व से संबंधित मुद्दे'' पर दिनांक 12 अप्रैल, 2022 का परामर्श पत्र।
2	''प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नए विनियामक ढांचे से संबंधित मुद्दे'' पर दिनांक 7 मई, 2022 का परामर्श पत्र।
3	''मल्टी—सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) पंजीकरण का नवीनीकरण'' पर दिनांक 20 जुलाई, 2022 का परामर्श पत्र।
4	''सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से संबंधित मुद्दे'' पर दिनांक 21 जुलाई, 2022 का परामर्श पत्र।
5	''ड्राफ्ट टेलीकॉम (प्रसारण और केबल) सेवा अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल सिस्टम) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022'' पर दिनांक 9 सितंबर, 2022 का परामर्श पत्र।
6	''डीटीएच सेवाओं के लाइसेंस शुल्क और नीतिगत मामले'' पर दिनांक 13 जनवरी, 2023 का परामर्श पत्र।
7	''एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दे'' पर दिनांक 9 फरवरी, 2023 का परामर्श पत्र।

2.10.12 ''मीडिया स्वामित्व से संबंधित मुद्दे'' पर दिनांक 12 अप्रैल, 2022 का परामर्श पत्र

मीडिया बहुलवाद का विचार किसी देश में मजबूत और स्वस्थ लोकतंत्र की नींव के रूप में कार्य करता है। यह मीडिया स्वामित्व की एकाग्रता की घटना के विपरीत है। मीडिया स्वामित्व की एकाग्रता को कई समस्याओं के साथ पहचाना गया है। निःसंदेह इनमें से सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए खतरा है। मीडिया, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते, संवैधानिक लक्ष्यों और आकांक्षाओं को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्राधिकरण को दिनांक 19 फरवरी, 2021 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से एक संदर्भ प्राप्त हुआ, जिसमें मीडिया और मनोरंजन उद्योग में उभरते बदलावों, विशेष रूप से ओवर–द–टॉप प्लेटफॉर्म (ओटीटी) जैसी नई डिजिटल प्रौद्योगिकियों के आगमन के मद्देनजर, अपनी 2014 की अनुसंशा पर पुनर्विचार करने और नई अनुशंसाएँ जारी करने की मांग की गई थी।

तदनुसार, 12 अप्रैल, 2022 को प्राधिकरण ने ''मीडिया स्वामित्व से संबंधित मुद्दों'' पर परामर्श पत्र जारी किया। यह परामर्श पत्र मीडिया स्वामित्व, विशेष रूप से क्रॉस–मीडिया स्वामित्व और प्रसारण क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर एकीकरण (vertical integration) से संबंधित मुद्दों के संबंध में आवश्यकता, प्रकृति और सुरक्षा उपायों के स्तर पर हितधारकों के विचार मांगता है। मुद्दे के महत्व को देखते हुए, भादूविप्रा मीडिया स्वामित्व से संबंधित मुद्दों पर अनुशंसाएँ तैयार करने की प्रक्रिया में है।

2.10.13 ''प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नए विनियामक ढांचे से संबंधित मुद्दे'' पर दिनांक 7 मई, 2022 का परामर्श पत्र

भादूविप्रा ने दिनांक 7 मई, 2022 को विनियामक फ्रेमवर्क 2020 के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए लंबित बिंदुओं/मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियां मांगने के लिए ''प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नए विनियामक ढांचे से संबंधित मुद्दों'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया। इस परामर्श पत्र में मुख्य रूप से बुके के निर्माण में दी जाने वाली छूट, बुके में शामिल करने के लिए चैनलों की अधिकतम कीमत और वितरण शुल्क के अलावा प्रसारकों द्वारा डीपीओ को दी जाने वाली छूट से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। इस परामर्श प्रक्रिया के अनुसरण में, भादूविप्रा ने दिनांक 22 नवंबर, 2022 को विनियामक ढांचे 2017 में संशोधन को अधिसूचित किया।

2.10.14 ''मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) पंजीकरण का नवीनीकरण'' पर दिनांक 20 जुलाई, 2022 का परामर्श पत्र।

भारतीय प्रसारण क्षेत्र का डिजिटलीकरण वर्ष 2012 में शुरू हुआ और मार्च, 2017 तक पूरे देश में पूरा हो गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने जून, 2012 में डीएएस कार्यान्वयन के दौरान मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) को नए पंजीकरण जारी किए, जो जून, 2022 में नवीनीकरण/विस्तार के कारण हुआ। तथापि, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में एमएसओ पंजीकरण के नवीनीकरण के बारे में प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

इसे देखते हुए, दिनांक 7 फरवरी, 2022 को, प्राधिकरण को एमआईबी से एमएसओ नवीनीकरण प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों पर अनुशंसाएँ मांगने के लिए एक संदर्भ प्राप्त हुआ।

तदनुसार, दिनांक 20 जुलाई, 2022 को ''मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) पंजीकरण के नवीनीकरण'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया। इस परामर्श पत्र में एमएसओ पंजीकरण के नवीनीकरण से संबंधित प्रासंगिक मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियां मांगी गईं, जिसमें ऐसे नवीनीकरण के लिए भुगतान की जाने वाली शुल्क की मात्रा भी शामिल है। ''मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) पंजीकरण के नवीनीकरण'' पर अनुशंसाएँ दिनांक 29 दिसंबर, 2022 को सरकार को भेजी गईं।

2.10.15 ''सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से संबंधित मुद्दे'' पर दिनांक 21 जुलाई, 2022 का परामर्श पत्र

सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) अपने ऑडियंस की दिन–प्रतिदिन की चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए और उनकी विशिष्ट जानकारी और मनोरंजन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए एक स्थानीय और सुपरिभाषित समुदाय की सेवा करते हैं। सरकार ने दिसंबर, 2002 में सीआरएस की स्थापना के लिए अनुमति देने के लिए अपनी नीति की घोषणा की, जिसमें आईआईटी/आईआईएम सहित अच्छी तरह से स्थापित शैक्षणिक संस्थानों को सीआरएस स्थापित करने की अनुमति दी गई। विकास और सामाजिक परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर नागरिक समाज की अधिक भागीदारी की अनुमति देने के लिए, सरकार ने दिनांक 4 दिसंबर, 2006 को सीआरएस के लिए एक संशोधित नीति की घोषणा की जिसे 2017 में विधिवत संशोधित किया गया है।

एमआईबी ने अपने दिनांक 11 नवंबर, 2021 और 17 जनवरी, 2022 के संदर्भों के माध्यम से प्राधिकरण से निम्नलिखित मुद्दों पर भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(क)(ii) और 11(1) (घ) के तहत अपनी अनुशंसाएँ प्रदान करने का अनुरोध किया।

(i) पात्र संगठनों की सूची में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत गैर–लाभकारी कंपनियों को शामिल करना।

(ii) अनुमति अवधि को मौजूदा 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करना।

(iii) सीआरएस पर प्रसारण के प्रति घंटे विज्ञापन की अधिकतम अवधि।

(iv) कई जिलों में संचालित गैर–लाभकारी संगठनों द्वारा संचालन के प्रत्येक जिले में संचालित सीआर स्टेशनों की संख्या।

तदनुसार, दिनांक 21 जुलाई, 2022 को, प्राधिकरण ने ''सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से संबंधित मुद्दों'' पर परामर्श पत्र जारी किया, जिसमें सीआरएस से संबंधित मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियां/विचार मांगे गए थे। ''सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से संबंधित मुद्दों'' पर अनुशंसाएँ दिनांक 23 मार्च, 2023 को सरकार को भेजी गईं।

2.10.16 ''ड्राफ्ट टेलीकॉम (प्रसारण और केबल) सेवा अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल सिस्टम) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022'' पर दिनांक 9 सितंबर, 2022 का परामर्श पत्र।

डिजिटल राइट मैनेजमेंट (डीआरएम) डिजिटल मीडिया के लिए कॉपीराइट सुरक्षा का एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है। डीआरएम का उद्देश्य डिजिटल मीडिया के अनधिकृत पुनर्वितरण को रोकना और उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई सामग्री की प्रतिलिपि बनाने के तरीकों को प्रतिबंधित करना है। डीआरएम उत्पादों को व्यावसायिक रूप से विपणन की गई सामग्री की ऑनलाइन चोरी में तेजी से वृद्धि के जवाब में विकसित किया गया था, जो पीयर–टू–पीयर फाइल एक्सचेंज कार्यक्रमों के व्यापक उपयोग के माध्यम से फैल गया था। आमतौर पर, डीआरएम को एम्बेडिंग कोड द्वारा कार्यान्वित किया जाता है जो किसी प्रकार की प्रतिलिपि बनाने से रोकता है, एक समय अवधि निर्दिष्ट करता है जिसमें सामग्री तक अभिगम किया जा सकता है या मीडिया स्थापित किए जा सकने वाले उपकरणों की संख्या को सीमित करता है।

अंतर्संयोजन विनियमों की अनुसूची III डीआरएम आधारित प्रणालियों की आवश्यकताओं/विनिर्देशों का प्रावधान नहीं करती है। लेखापरीक्षा नियम पुस्तिका पर अपने परामर्श के दौरान प्राधिकरण को फीडबैक मिला कि इसके लाभों के कारण आईपीटीवी आधारित डीपीओ डीआरएम प्रौद्योगिकी पर स्विच कर रहे हैं। यह आवश्यक है कि ऑडिट व्यवस्था डीआरएम आधारित नेटवर्क को कवर करे और ऐसे ऑपरेटरों के लिए सक्षम प्रावधान प्रदान करे।

तदनुसार, ऊपर उल्लिखित दिनांक 27 अगस्त, 2019 के मसौदा विनियमों में अनुसूची III में डीआरएम विनिर्देश शामिल हैं।

प्राधिकरण को परामर्श प्रक्रिया के दौरान इस मुद्दे पर विभिन्न हितधारकों से कई टिप्पणियाँ और सुझाव प्राप्त हुए। कई हितधारकों द्वारा कई संशोधन/परिवर्धन प्रस्तावित किए गए थे। इसलिए, प्राधिकरण की यह राय थी कि डीआरएम के लिए सिस्टम आवश्यकताओं को एक अलग परामर्श पत्र में निपटाया जाएगा।

तदनुसार, दिनांक 9 सितंबर, 2022 को, भादूविप्रा ने दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल सिस्टम) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022 का मसौदा जारी किया गया, जिसमें अंतर्संयोजन विनियमन में एक नई अनुसूची के रूप में डिजिटल राइट मैनेजमेंट (डीआरएम) के लिए सिस्टम आवश्यकता को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया। तदनुसार, मसौदा विनियम 2022 (और उसकी अनुसूची) पर हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की गईं।

2.10.17 ''डीटीएच सेवाओं के लाइसेंस शुल्क और नीतिगत मामले'' पर दिनांक 13 जनवरी, 2023 का परामर्श पत्र।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अक्टूबर, 2021 में एजीआर और बैंक गारंटी (बीजी) के लिए एकीकृत लाइसेंस (यूएल) समझौते में संशोधन किया है। उपरोक्त संशोधनों के मद्देनजर, और डीटीएच एसोसिएशन के अनुरोध पर, दिनांक 2 फरवरी, 2022 को, प्राधिकरण को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) से एक संदर्भ प्राप्त हुआ जिसमें भादूविप्रा से जीआर/एजीआर की परिभाषा से गैर–लाइसेंस प्राप्त गतिविधियों को बाहर करने और बीजी के युक्तिकरण के मुद्दों की जांच करने का अनुरोध किया गया था।

तदनुसार, दिनांक 13 जनवरी, 2023 को, भादूविप्रा ने एमआईबी के उक्त संदर्भ के आधार पर ''डीटीएच सेवाओं के लाइसेंस शुल्क और नीति मामलों'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया। यह पत्र देय लाइसेंस शुल्क और डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा दी गई बैंक गारंटी से संबंधित मुद्दों पर हितधारकों से टिप्पणियां मांगता है। भादूविप्रा परामर्श में उठाए गए मुद्दों पर अनुशंसाएँ तैयार कर रहा है।

2.10.18 ''एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दे'' पर दिनांक 9 फरवरी, 2023 का परामर्श पत्र।

प्राधिकरण को दिनांक 11 मई, 2022 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) से एक संदर्भ प्राप्त हुआ जिसमें दो मुद्दों पर अर्थात (i) दिनांक 25 जुलाई, 2011 के एफएम चरण–III नीति दिशानिर्देशों में निर्धारित वार्षिक शुल्क के फॉर्मूले में गैर–वापसीयोग्य एकमुश्त प्रवेश शुल्क (एनओटीईएफ) के लिंकेज को हटाने, और (ii) 15 साल की मौजूदा एफएम लाइसेंस अवधि को 3 साल तक बढ़ाएं जाने पर भादूविप्रा की अनुशंसाएँ मांगी गईं।

एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, एआरओआई के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें उन्होंने प्राधिकरण के विचारार्थ दो मुद्दे अर्थात् (i) निजी एफएम रेडियो चैनलों को स्वतंत्र समाचार बुलेटिन प्रसारित करने की अनुमति देना और (ii) मोबाइल हैंडसेट में एफएम रेडियो रिसीवर की उपलब्धता उठाए हैं।

तदनुसार, दिनांक 9 फरवरी, 2023 को, प्राधिकरण ने ''एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया, जिसमें एमआईबी के संदर्भ में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों और एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित एआरओआई के प्रतिनिधियों की टिप्पणियां/विचार मांगे गए थे। भादूविप्रा एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों पर विश्लेषण और अनुशंसाएँ तैयार करने की प्रक्रिया में है।

दूरसंचार के क्षेत्र में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कामकाज और संचालन की समीक्षा

नीतिगत ढांचे के विशिष्ट संदर्भ में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कामकाज और संचालन की समीक्षा निम्नलिखित पैराग्राफ में की गई है (क) ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क; (ख) टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार; (ग) बुनियादी और मूल्यवर्धित सेवा में निजी क्षेत्र का प्रवेश; (घ) सेवा प्रदाताओं के साथ तकनीकी सुसंगतता और प्रभावी अंतर्संयोजन; (ड.) दूरसंचार प्रौद्योगिकी; (च) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का कार्यान्वयन; (छ) सेवा की गुणवत्ता; और (ज) सार्वभौमिक सेवा दायित्व, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:–

(क) ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क

2.11 ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबर बेस 31 मार्च, 2022 के अंत में 1.96 मिलियन की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2023 को 2.25 (22,47,975) मिलियन था, जो वर्ष के दौरान 14.92% की वृद्धि दर्शाती है।

(ख) टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार

2.12 दिनांक 31 मार्च, 2023 को कुल वायरलाइन ग्राहकों की संख्या 28.41 मिलियन थी, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2022 को 24.84 मिलियन ग्राहकों की तुलना में, वर्ष 2022–23 के दौरान 14.73% की वृद्धि दर्ज की गई। 28.41 मिलियन वायरलाइन ग्राहकों में से 26.16 मिलियन ग्राहक शहरी क्षेत्र के हैं और 2.25 मिलियन ग्राहक ग्रामीण क्षेत्र के हैं।

(ग) बुनियादी और मूल्यवर्धित सेवा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र का प्रवेश

2.13 विभिन्न सेवा क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं की सूची नीचे तालिका में दी गई है:

दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार एक्सेस सेवा प्रदाता

क्र.सं.	सेवा प्रदाता	लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्र
1	भारती एयरटेल लिमिटेड	अखिल भारत
2	बीएसएनएल	अखिल भारत (दिल्ली और मुंबई को छोड़कर)
3	एमटीएनएल	दिल्ली एवं मुंबई
4	रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड	अखिल भारत (असम और उत्तर पूर्व को छोड़कर)
5	रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड	अखिल भारत
6	वोडाफोन आइडिया लिमिटेड	अखिल भारत

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार वायरलेस सेवाएं प्रदान करने वाले एक्सेस सेवा प्राधिकार वाले यूएल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर लाइसेंसधारी

क्र.सं.	सेवा प्रदाता	लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्र
1	एडपे मोबाइल पेमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड	चेन्नई सहित तमिलनाडु
2	सर्फटेलकॉम प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में फ्लिंट्रॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)	अखिल भारत

स्रोतः सेवा प्रदाताओं द्वारा यथासूचित

यूएल/यूएएसएल/यूएल (वीएनओ) एक्सेस सर्विसेज लाइसेंसधारी जो 31 मार्च, 2023 को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं

क्र.सं.	लाइसेंस का प्रकार	*वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान जारी लाइसेंस की संख्या	*31 मार्च, 2023 तक जारी किए गए लाइसेंसधारियों की कुल संख्या'
1	यूएल	42	17
2	यूएएसएल	06	0
3	यूएल (वीएनओ)	196	51

**DOT वेबसाइट से डेटा एकत्र किया गया।*

(घ) सेवा प्रदाताओं के साथ तकनीकी सुसंगतता और प्रभावी अंतर्संयोजन

2.14 दूरसंचार सेवाओं के लिए अंतर्संयोजन एक जीवन रेखा है। दूरसंचार सेवाओं के सब्सक्राइबर एक दूसरे के साथ संवाद नहीं कर सकते हैं या उन सेवाओं से नहीं जुड़ सकते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है जब तक कि आवश्यक अंतर्संयोजन (इंटरकनेक्शन) व्यवस्था न हो। प्रभावी और शीघ्र अंतर्संयोजन की उपलब्धता दूरसंचार सेवा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

वित्तीय वर्ष यानी 2020–21 के दौरान, भादूविप्रा ने दिनांक 10 जुलाई, 2020 को दूरसंचार अंतर्संयोजन (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 को अधिसूचित किया जो किन्हीं दो सार्वजनिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क (आमतौर पर फिक्स्ड लाइन नेटवर्क के रूप में जाना जाता है) और सार्वजनिक टेलीफोन नेटवर्क (पीएसटीएन) और नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस (एनएलडी) नेटवर्क के बीच इंटरकनेक्शन को आसान बनाता है।

''दूरसंचार अंतर्संयोजन विनियम, 2018'' में उपर्युक्त संशोधनों का सारांश इस प्रकार हैः

(i) एक ही सेवा क्षेत्र के भीतर, पीएसटीएन और पीएसटीएन के बीच या पीएसटीएन और एनएलडी नेटवर्क के बीच कॉल के लिए पीओआई का स्थान ऐसे स्थान पर होगा जो अंतर्संयोजन प्रदाता और अंतर्संयोजन प्राप्तकर्ता के बीच पारस्परिक रूप से सहमत हो सकता है।

(ii) यदि अंतर्संयोजन प्रदाता और अंतर्संयोजन प्राप्तकर्ता सहमत होने में विफल रहता है, तो पीएसटीएन और पीएसटीएन के बीच, या पीएसटीएन और एनएलडी नेटवर्क के बीच कॉल के लिए पीओआई का स्थान एलडीसीसी पर होगा। ऐसे मामले में, एलडीसीसी से एसडीसीसी और इसके विपरीत कॉल के परिवहन के लिए कैरिज शुल्क, जैसा लागू हो, अंतर्संयोजन चाहने वाले द्वारा अंतर्संयोजन प्रदाता को भुगतान किया जाएगा।

(iii) पीएसटीएन और पीएसटीएन के बीच, या पीएसटीएन और एनएलडी नेटवर्क के बीच कॉल के लिए एसडीसीसी स्तर पर मौजूदा पीओआई, कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए परिचालन में रहेंगे या तब

तक जब तक परस्पर जुड़े सेवा प्रदाता परस्पर ऐसे पीओआई को बंद करने का निर्णय नहीं लेते, जो भी पहले हो।

(iv) पीएसटीएन और पीएसटीएन के बीच या पीएसटीएन और एनएलडी नेटवर्क के बीच कॉल के लिए एसडीसीसी स्तर पर मौजूदा पीओआई को बंद किया जा सकता है, यदि उस एसडीसीए में किसी भी अंतर्संयोजित सेवा प्रदाता की सेवाएं बंद कर दी जाती हैं।

(ङ) दूरसंचार प्रौद्योगिकी

2.15 दूरसंचार उपभोक्ताओं तक प्राधिकरण की पहुंच और बातचीत को बढ़ाने के लिए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित तकनीकी उपाय किए गए:

i. डेटा रिपोर्टिंग, विश्लेषण और प्रक्रिया स्वचालन के लिए व्यापक आईटी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण:

भादूविप्रा रिपोर्ट विश्लेषण और प्रकाशन के साथ डेटा रिपोर्टिंग, अनुपालन, विश्लेषण और प्रक्रिया स्वचालन के लिए एप्लिकेशन आधारित एकीकृत प्रणाली के कार्यान्वयन की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। इस दिशा में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु एक परामर्शदाता नियुक्त किया जाएगा, जिसके आधार पर एक एकीकृत प्रणाली विकसित की जाएगी।

ii. भादूविप्रा को आईसीटी आधारित समाधान प्रदान करने हेतु एप्लिकेशन सेवा प्रदाता को पैनलबद्ध करना:

भादूविप्रा के विभिन्न प्रभागों की जरूरतों को पूरा करने हेतु, आईटी प्रभाग भादूविप्रा को विभिन्न आईसीटी आधारित समाधान प्रदान करने के लिए एप्लिकेशन सेवा प्रदाताओं को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया में है।

iii. ईएचआरएमएस:

भादूविप्रा ने मानव संसाधन संबंधी गतिविधियों को स्वचालित करने के लिए एक आईटी एप्लिकेशन लागू किया है। एप्लिकेशन को एनआईसी द्वारा तैयार किया गया है। विभिन्न मॉड्यूल में से सेवा पुस्तिका, अवकाश, प्रतिपूर्ति (समाचार पत्र एवं बाल शिक्षा भत्ता), हेल्पडेस्क एवं एनालिटिक्स डैशबोर्ड लागू किया गया है।

iv. स्पैरो (एसपीएआरआरओडब्ल्यू):

भादूविप्रा में वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन गतिविधियों के स्वचालन के लिए एनआईसी द्वारा विकसित स्पैरो (स्मार्ट परफॉर्मेंस मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो) नामक एप्लिकेशन की स्वीकृति दे दी गई है।

v. रिपोर्टिंग स्वचालन (ऑटोमेशन):

विनियमन/निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न हितधारकों द्वारा भादूविप्रा को डेटा रिपोर्टिंग एक विनियमित गतिविधि है। हितधारकों से ऑनलाइन डेटा एकत्र करने की एक प्रणाली मौजूद है। नई रिपोर्ट, यूआई परिवर्तन और सुरक्षा संवर्द्धन को शामिल करके डेटा सबमिशन को आसान बनाने के लिए सिस्टम को अपडेट किया गया है।

vi. ट्राई रेकमेन्डेशन स्टेटस पोर्टल (टीआरएसपी):

प्राधिकरण समय–समय पर दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों के लिए भारत सरकार को अनुशंसाए प्रदान करता है। सभी अनुशंसाओं की स्थिति की वास्तविक समय पर नजर रखने हेतु केंद्रीय भंडार बनाने के उद्देश्य से भादूविप्रा ने ट्राई रेकमेन्डेशन स्टेटस पोर्टल विकसित किया है। पोर्टल को संदर्भ दस्तावेजों को अपलोड करने, यूआई परिवर्तन और सुरक्षा संवर्द्धन जैसी स्थिति के अतिरिक्त विवरण प्राप्त करने के लिए अद्यतन किया गया है। स्थिति की निगरानी एक विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड के माध्यम से की जा रही है।

vii. लीगल केस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयरः

निचली अदालत, उपभोक्ता अदालत, जिला अदालत, टीडीसैट, ग्रीन ट्रिब्यूनल, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट आदि, जिसमें भादूविप्रा को पार्टी बनाया गया था, से सभी मामलों का विवरण प्राप्त करने के लिए कानूनी प्रभाग की जरूरतों को पूरा करने के लिए लीगल केस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लागू की गई है। इस प्रणाली का कार्य कानूनी प्रभाग द्वारा दर्ज विवरण को बनाए रखना, किसी भी मामले की सुनवाई से पूर्व सचेत करना, महीने–वार सुनवाई कैलेंडर बनाए रखना, विभिन्न रिपोर्ट तैयार करना, मामलों की प्रगति की निगरानी के लिए डैशबोर्ड रखना आदि है।

viii. क्लाउड प्रबंधन और ऐप्स और पोर्टल का रखरखावः

भादूविप्रा ने विभिन्न पोर्टल और ऐप लागू किए हैं। पोर्टल और बैक–एंड सेवाएँ क्लाउड पर होस्ट की जाती हैं। सभी पोर्टल/ऐप का रखरखाव क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लिकेशन के स्तर पर किया जा रहा है। एनआईसी, सर्ट–इन और अन्य संगठनों से प्राप्त चेतावनी के आधार पर उन्हें साइबर हमले से सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है।

ix. अवसंरचना उन्नयनः

- अवसंरचना को मजबूत करने के लिए, भादूविप्रा ने यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट (यूटीएम) फायरवॉल को अपग्रेड किया है, क्योंकि यूटीएम वायरस, वर्म्स, स्पाइवेयर और अन्य मैलवेयर और नेटवर्क हमलों सहित खतरों के खिलाफ सुरक्षा की प्राथमिक दीवार/एकल बिंदु है। यह सुरक्षा, निष्पादन, प्रबंधन और अनुपालन क्षमताओं को एक ही संस्थापन में जोड़ता है, जिससे प्रशासकों के लिए नेटवर्क प्रबंधित करना आसान हो जाता है।
- कुशल कामकाज के लिए, डेस्कटॉप किसी भी संगठन के लिए बहुत आवश्यक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इसलिए, आईटी डिवीजन ने भादूविप्रा के विभिन्न डिवीजनों के लिए 104 डेस्कटॉप की खरीद शुरू की है।
- ई–ऑफिस में डिजिटल हस्ताक्षर उद्देश्य के लिए, भादूविप्रा में विभिन्न स्तरों के लिए 115 डीएससी खरीदे गए हैं।
- आईटी टीम नये भवन के लिए आईटी अवसंरचना की आवश्यकता को भी अंतिम रूप दे रही है। आईटी अवसंरचना की सुचारू योजना और कार्यान्वयन के लिए, आईटी प्रभाग अत्याधुनिक आईटी अवसंरचना को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न परामर्शदाताओं के साथ बातचीत कर रहा है, जो भविष्य के लिए तैयार होगा।
- भादूविप्रा में सभी सेवाओं के सुचारु संचालन के लिए, विभिन्न लाइसेंसों यानी टैब्लो (Tableau) एडोब एक्रोबैट, एमएस ऑफिस 365, एसएसएल सर्टिफिकेट आदि की समय पर निगरानी की जा रही है और इनकी समाप्ति पर आवश्यक नवीनीकरण किया जा रहा है।

(च) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का कार्यान्वयन

2.16 दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 8 मई, 2019 के अपने पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ–साथ यह सूचित किया है कि भारत सरकार द्वारा अपने "प्रोपेल इंडिया" मिशन के तहत जारी राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी), 2018 में "निवेश और नवाचार को उत्प्रेरित करने और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंसिंग और विनियामक व्यवस्था में सुधार" जैसी रणनीतियों में से एक की परिकल्पना की गई है। विभेदक लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न परतों (उदाहरण के लिए, अवसंरचना, नेटवर्क, सेवाओं और एप्लिकेशन परत) को अलग करने में सक्षम बनाना उपर्युक्त रणनीति को पूरा करने के लिए कार्य योजनाओं में से एक है। दिनांक 8 मई,

2019 के उक्त पत्र के माध्यम से, दूरसंचार विभाग ने अन्य बातों के साथ–साथ भादूविप्रा से विभेदक लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न परतों को खोलने में सक्षम बनाने पर अनुशंसाएँ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। एक विस्तृत परामर्श प्रक्रिया के बाद, दिनांक 19 अगस्त, 2021 को, प्राधिकरण ने ''विभेदक लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न परतों के अनबंडलिंग को सक्षम करने'' पर अपनी अनुशंसाएँ प्रस्तुत कीं। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 2 अगस्त, 2022 के अपने पत्र के माध्यम से उक्त अनुशंसाओं पर अपना बैक रैफरेंस भेजा। दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर पुनर्विचार करने के बाद, बैक रैफरेंस की प्रतिक्रिया दूरसंचार विभाग (डीओटी) को दिनांक 6 सितंबर, 2022 को भेजा गया था।

(छ) सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस)

2.17 भादूविप्रा ने सेवा की गुणवत्ता के विभिन्न मापदंडों के लिए निम्नलिखित नियमों द्वारा बेंचमार्क निर्धारित किए हैं:

(क) बेसिक टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा विनियम, 2009 की सेवा की गुणवत्ता के मानक।

(ख) ब्रॉडबैंड सेवा विनियम, 2006 की सेवा की गुणवत्ता।

(ग) वायरलेस डेटा सेवा विनियम, 2012 के लिए सेवा की गुणवत्ता के मानक

वायरलाइन, सेल्युलर और ब्रॉडबैंड के नियम अनुपालन के लिए नेटवर्क और ग्राहक पैरामीटर प्रदान करते हैं। बेंचमार्क के विरुद्ध सेवा प्रदाताओं के सेवा प्रदर्शन की गुणवत्ता का मूल्यांकन सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट के माध्यम से किया जाता है। सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं, वायरलेस डेटा सेवाओं, बुनियादी सेवाओं (वायरलाइन) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन) सेवाओं के लिए अनुपालन रिपोर्ट तिमाही आधार पर प्रस्तुत की जाती है।

सेवा की गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए, भादूविप्रा ने निर्धारित मानकों का अनुपालन न करने, अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी और झूठी रिपोर्टिंग के लिए वित्तीय दंड लगाने की प्रणाली निर्धारित की। इस अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर, जहां भी बेंचमार्क के साथ गैर–अनुपालन देखा जाता है, तो सेवा प्रदाता का स्पष्टीकरण मांगा जाता है और सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, गैर–अनुपालन की गंभीरता, सेवा में सुधार के लिए की गई कार्रवाई, वित्तीय दंड सेवा प्रदाताओं पर लगाया जाता है।

अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी के लिए, प्रति दिन 5,000/– रुपये का वित्तीय दंड और झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, सेलुलर, बेसिक (वायरलाइन) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन) सेवाओं के लिए प्रति पैरामीटर 10,00,000/– रुपये का वित्तीय दंड निर्धारित है।

गैर–अनुपालन के लिए वित्तीय दंड का विवरण नीचे दिया गया है:

सेलुलर सेवाएँ:

I. नेटवर्क_क्यूएसडी (90,90) और नेटवर्क_क्यूटीडी (97,90) के अलावा मापदंड हेतु:

क) एक तिमाही में पहली बार बेंचमार्क का अनुपालन न करने पर प्रति पैरामीटर एक लाख रुपये से अधिक नहीं।

ख) दो या दो से अधिक तिमाहियों में लगातार एक ही पैरामीटर के बेंचमार्क का अनुपालन नहीं किए जाने पर, दूसरे उल्लंघन के लिए डेढ़ लाख रुपये से अधिक नहीं और तदुपरांत प्रत्येक लगातार उल्लंघन के लिए दो लाख रुपये से अधिक नहीं।

ग) किसी बाद की तिमाही में समान पैरामीटर के लिए बेंचमार्क का अनुपालन नहीं किया जाना, जो लगातार नहीं है, प्रति पैरामीटर एक लाख रुपये।

ii. नेटवर्क_क्यूएसडी (90,90) और नेटवर्क_क्यूटीडी (97,90) के अलावा अन्य मापदंडों के लिए:

क. नेटवर्क_क्यूएसडी (90,90)

त्रैमासिक रिपोर्ट में नेटवर्क_क्यूएसडी का मूल्य (90,90)	वित्तीय दंड की राशि रूपये में
2% से अधिक लेकिन 4% से अधिक नहीं	एक लाख से अधिक नहीं
4% से अधिक लेकिन 6% से अधिक नहीं	दो लाख से अधिक नहीं
6% से अधिक लेकिन 8% से अधिक नहीं	तीन लाख से अधिक नहीं
8% से अधिक लेकिन 10% से अधिक नहीं	चार लाख से अधिक नहीं
10 से अधिक%	पांच लाख से अधिक नहीं

ख. नेटवर्क_क्यूटीडी (97,90)

त्रैमासिक रिपोर्ट में नेटवर्कऋक्यूएसडी का मूल्य (97,90)	वित्तीय दंड की राशि रूपये में
3% से अधिक लेकिन 5% से अधिक नहीं	एक लाख से अधिक नहीं
5% से अधिक लेकिन 7% से अधिक नहीं	दो लाख से अधिक नहीं
7% से अधिक लेकिन 9% से अधिक नहीं	तीन लाख से अधिक नहीं
9% से अधिक लेकिन 11% से अधिक नहीं	चार लाख से अधिक नहीं
11 से अधिक%	पांच लाख से अधिक नहीं

ग. दो या अधिक बाद की तिमाहियों में लगातार एक ही पैरामीटर के बेंचमार्क के साथ, लगातार उल्लंघन करने पर देय वित्तीय दंड के डेढ़ गुना से अधिक राशि नहीं और लगातार उल्लंघन करने के लिए और उसके बाद होने वाले प्रत्येक लगातार उल्लंघन के लिए उपरोक्त तालिका में निर्दिष्ट अनुसार दोगुने से अधिक वित्तीय दंड का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।

घ. पैरामीटर नेटवर्क_क्यूएसडी (90,90) और नेटवर्क_क्यूटीडी (97,90) के लिए वित्तीय निरुत्साहन के रूप में देय कुल राशि एक तिमाही में दस लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

मूलभूत सेवाएं (वायरलाइन)

बेंचमार्क का अनुपालन न करने पर वित्तीय दंड 50,000/– रुपये प्रति पैरामीटर है।

ब्रॉडबैंड वायरलाइन सेवाएँ

बेंचमार्क के अनुपालन नहीं करने पर, पहली बार में, 50,000/– रुपये प्रति पैरामीटर वित्तीय दंड है और दूसरे या उसके बाद के ऐसे उल्लंघन के लिए, वित्तीय दंड प्रत्येक उल्लंघन के लिए 1,00,000/– रुपये प्रति पैरामीटर है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान भादूविप्रा द्वारा लगाया गया कुल वित्तीय दंड 88,55,000/– रुपये है। क्यूओएस नियमों के उल्लंघन के कारण वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान प्राप्त वित्तीय दंड की कुल राशि 1,84,30,000/– रुपये की है।

उपर्युक्त के अलावा, मीटरिंग और बिलिंग विनियमन के अनुसार टीएसपी द्वारा की गई अधिक वसूली की राशि और 60 दिनों की निर्धारित समय अवधि के दौरान उनके द्वारा वापस नहीं की गई राशि पर वित्तीय दंड लगाया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान भादूविप्रा द्वारा लगाया और प्राप्त किया गया कुल वित्तीय दंड की राशि 47,89,435.82/– रुपये है।

सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर और भादूविप्रा द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर सेवा प्रदाताओं के निष्पादन का हर तिमाही में मूल्यांकन किया जाता है। आवधिक रिपोर्टों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं के निष्पादन की बारीकी से निगरानी के माध्यम से जहां भी सेवा की गुणवत्ता के मानकों को प्राप्त करने में कमियां देखी गई हैं, स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से सेवा की गुणवत्ता का लेखापरीक्षा और मूल्यांकन किया जाता है। भादूविप्रा विभिन्न मापदंडों के लिए बेंचमार्क प्राप्त करने में ऐसी कमियों को दूर करने हेतु सेवा प्रदाताओं के साथ संपर्क बनाए रखा है।

इस संबंध में समय–समय पर सेवा प्रदाताओं के साथ भादूविप्रा में विभिन्न बैठकें आयोजित की गईं। सेवा प्रदाताओं के साथ ये बैठकें और अनुवर्ती कार्रवाई सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण रही हैं।

हितधारकों की जानकारी के लिए भादूविप्रा अपनी वेबसाइट पर सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा की गुणवत्ता के निष्पादन, स्वतंत्र एजेंसियों या अपने अधिकारियों के माध्यम से किए गए सेवा की गुणवत्ता के ऑडिट और मूल्यांकन के परिणामों के बारे में जानकारी भी प्रकाशित करता है। सेवा की गुणवत्ता से संबंधित जानकारी का प्रकाशन भी सेवा प्रदाताओं को सेवा की गुणवत्ता के निष्पादन में सुधार करने और बेंचमार्क को पूरा करने में कमियों को दूर करने के लिए प्रेरित कर रहा है।

अनचाहे वाणिज्यिक संचार (यूसीसी)

अनचाहे वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) पर अंकुश लगाने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने अनचाहे वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) से निपटने के लिए दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियमन, 2018 (टीसीसीसीपीआर–2018) अधिसूचित किया। टीसीसीसीपीआर–2018 विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन कई निर्देशनों का पालन किया गया।

टीसीसीसीपीआर–2018 में प्रमुख संस्थाओं (पीई), एक व्यक्ति, व्यवसाय या कानूनी इकाई के पंजीकरण का प्रावधान करता है जो एक्सेस प्रदाताओं के साथ वाणिज्यिक संचार भेजता है। वे संस्थाएँ जो पीई को एक्सेस प्रदाताओं से जुड़ने की सुविधा प्रदान करती हैं और विनियमों के तहत प्रदान की गई कार्यात्मकताओं को निष्पादित कर सकती हैं वे पंजीकृत टेलीमार्केटर्स (आरटीएम) कहलाती हैं। पीई अपने वाणिज्यिक संचार पंजीकृत टेलीमार्केटर्स (आरटीएम) को शामिल करके या सीधे इस उद्देश्य के लिए एक्सेस प्रदाताओं द्वारा विकसित और स्थापित पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से भेज सकते हैं। पीई और आरटीएम किसी भी एक्सेस प्रदाता के साथ पंजीकृत हो सकते हैं और वाणिज्यिक संचार भेजने के लिए किसी भी एक्सेस प्रदाता के साथ कनेक्टिविटी प्राप्त कर सकते हैं।

पीई को एक्सेस प्रदाताओं के साथ सामग्री टेम्पलेट पंजीकृत कराना आवश्यक है। आरटीएम मार्ग के माध्यम से आने वाले किसी भी वाणिज्यिक संचार को एक्सेस प्रदाता के अंत में सिस्टम द्वारा पंजीकृत सामग्री टेम्पलेट के खिलाफ स्क्रबिंग के अधीन किया जाता है और, यदि यह विफल रहता है, तो इसे आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है।

यूसीसी के कारण होने वाली असुविधा से बचने के लिए, एक दूरसंचार सब्सक्राइबर सभी वाणिज्यिक संचारों को ब्लॉक करने का विकल्प चुन सकता है या वरीयता श्रेणियों के अनुसार चुनिंदा वाणिज्यिक संचारों को ब्लॉक कर सकता है। इन विनियमों के अनुसार, प्रत्येक एक्सेस प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि इन विनियमों के अनुसार पंजीकृत प्राथमिकताओं या डिजिटल रूप से पंजीकृत सहमति के अलावा किसी भी प्राप्तकर्ता को कोई वाणिज्यिक संचार नहीं किया जाएगा।

टीसीसीसीपीआर–2018 अपनी तरह दुनिया में प्रथम कार्यक्रम था जिसने अनचाहे वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) समस्या के समाधान के लिए रेगटेक ब्लॉकचेन/वितरित लेजर के उपयोग को अनिवार्य किया। डीएलटी प्लेटफॉर्म

पर प्रक्रियाओं की ऑनबोर्डिंग के साथ, अब प्राथमिकता पंजीकरण वास्तविक समय के करीब है। प्रमुख संस्थाओं के पंजीकरण, हेडर, सामग्री टेम्पलेट, शिकायत समाधान आदि जैसी सभी गतिविधियों के लिए आवश्यक समय काफी कम हो गया है।

यदि किसी ग्राहक को यूसीसी प्राप्त होता है, तो वह एसएमएस भेजकर या 1909 पर वॉयस कॉल करके या भादूविप्रा/एक्सेस प्रदाता के ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है।

टीसीसीसीपीआर–2018 विनियमों के अनुसार, यदि एक्सेस प्रदाता यूसीसी पर अंकुश लगाने में विफल रहता है, तो एक कैलेंडर माह के लिए प्रत्येक लाइसेंस सेवा क्षेत्र में एक्सेस प्रदाता द्वारा आरटीएम से अनचाहे वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) को नियंत्रित नहीं करने के लिए वित्तीय दंड नीचे दिया गया है:

	"एक कैलेंडर माह के लिए आरटीएम के लिए यूसीसी की गणना" का मूल्य	वित्तीय दंड की राशि रुपए में
(क)	शून्य से अधिक लेकिन सौ से अधिक नहीं	प्रत्येक पर एक हजार रूपये
(ख)	सौ से अधिक लेकिन एक हजार से अधिक नहीं	अधिकतम वित्तीय दंड (क) सौ से अधिक होने पर प्रत्येक पर पांच हजार रुपये
(ग)	एक हजार से भी ज्यादा	अधिकतम वित्तीय दंड (ख) हजार से अधिक होने पर प्रत्येक पर दस हजार रुपये

विनियमन के तहत वित्तीय दंड के रूप में देय कुल राशि प्रति कैलेंडर माह पचास लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

वाणिज्यिक संचार का एक प्रेषक, जो एक्सेस प्रदाता के साथ टेलीमार्केटिंग के उद्देश्य से पंजीकृत नहीं है, अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स (यूटीएम) है। यूटीएम के मामले में, एक्सेस प्रदाताओं को चेतावनी देकर, उन्हें उपयोग सीमा के अंतर्गत रखकर या बार–बार उल्लंघन के लिए सेवाओं को डिस्कनेक्ट करके यूटीएम के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। उपयोग सीमा का अर्थ है प्रति दिन अधिकतम 20 आउटगोइंग वॉयस कॉल और प्रति दिन अधिकतम 20 आउटगोइंग संदेश करने के लिए एक टेलीफोन नंबर पर लगाई गई सीमा। यूटीएम के खिलाफ कार्रवाई के लिए विनियमों में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं–

(क) उल्लंघन के पहले उदाहरण पर – चेतावनी जारी की जाएगी और जांच के दौरान अस्थायी उपयोग सीमा लगाई जाएगी।

(ख) उल्लंघन की दूसरी घटना पर – छह महीने की अवधि के लिए उपयोग सीमा।

(ग) उल्लंघन के तीसरे और बाद के उदाहरणों पर – प्रेषक के सभी दूरसंचार संसाधनों को दो साल तक की अवधि के लिए डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा और ओरिजिनेटिंग एक्सेस प्रोवाइडर (ओएपी) प्रेषक को काला सूची की श्रेणी में डाल देगा, इस अवधि के दौरान किसी अन्य सेवा प्रदाता द्वारा कोई नया दूरसंचार संसाधन प्रदान नहीं किया जाएगा।

विनियामकों की संयुक्त स्थायी समिति (जेसीओआर)

डिजिटल दुनिया में भविष्य के विनियामक प्रभावों का अध्ययन करने और भविष्य के नियमों पर सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए भादूविप्रा की पहल पर विनियामकों की एक संयुक्त स्थायी समिति का गठन किया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), उपभोक्ता मामले मंत्रालय और भादूविप्रा के प्रतिनिधि समिति के सदस्य हैं। पिछली कुछ बैठकों का फोकस दूरसंचार संसाधनों का उपयोग करके अनचाहे वाणिज्यिक संचार (स्पैम) पर अंकुश लगाने के लिए संयुक्त कार्य योजना तैयार करना था। इसके लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी) और गृह मंत्रालय (एमएचए) के प्रतिनिधियों को भी बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

(ज) सार्वभौमिक सेवा दायित्व

2.18 हिमाचल प्रदेश के चार जिलों लाहौल और स्पीति, चंबा, कुल्लू और मंडी में खराब दूरसंचार कनेक्टिविटी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, भादूप्रावि ने स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित हितधारकों अर्थात हिमाचल प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी), स्थानीय राज्य सरकार के अधिकारी, दूरसंचार सेवा प्रदाता, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) और स्थानीय उपभोक्ता प्रतिनिधियों के साथ एक परामर्श प्रक्रिया शुरू की है। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/इनपुट और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण ने दिनांक 12 दिसंबर, 2022 को ''हिमाचल प्रदेश के दूर–दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी/अवसंरचना में सुधार'' पर अपनी अनुशंसाएँ कीं, जिन्हें सरकार के पास विचार के लिए भेजा गया था।

2.19 प्रसारण क्षेत्र

2.19.1 कार्यान्वयन योजना–नया विनियामक ढांचा 2020

- प्रसारकों और डीपीओ को दिनांक 1 जून, 2022 का पत्र जिसमें क्रमशः दिनांक 31 अगस्त, 2022 और 30 सितंबर, 2022 तक ''कार्यान्वयन योजना– नया विनियामक ढांचा 2020'' पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने और दिनांक 30 नवंबर, 2022 तक उपभोक्ताओं को स्थानांतरित करने के लिए कहा गया है।
- प्रसारकों और डीपीओ को दिनांक 1 सितंबर, 2022 का पत्र जिसमें क्रमशः दिनांक 30 नवंबर, 2022 और 31 दिसंबर, 2022 तक ''कार्यान्वयन योजना– नया विनियामक ढांचा 2020'' पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने और दिनांक 28 फरवरी, 2022 उपभोक्ताओं को स्थानांतरित करने के लिए कहा गया है।

2.19.2 एमएसओ पंजीकरण पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को दिनांक 12 अप्रैल, 2022 को जारी पत्र

भादूविप्रा ने एमएसओ द्वारा भादूविप्रा के विनियमन/निर्देश/आदेश आदि का अनुपालन न करने के कारण उनके एमएसओ पंजीकरण को रद्द करने सहित 13 मल्टी–सिस्टम ऑपरेटरों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने हेतु सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को दिनांक 12 अप्रैल, 2022 को पत्र जारी किया।

2.19.3 यथा संशोधित अंतर्संयोजन विनियम 2017 के विनियम 15 के उप–विनियम (1) के प्रावधान के अनुपालन के लिए सेवा प्रदाताओं को दिनांक 20 जून, 2022 को जारी पत्र

भादूविप्रा ने दिनांक 20 जून, 2022 को 1320 ऐसे डीपीओ को पत्र/ईमेल जारी किए, जिन्होंने कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए अब तक अपने सिस्टम का लेखापरीक्षा नहीं कराया है और इस पत्र के माध्यम से सुझाव दिया गया है कि यथा संशोधित अंतर्संयोजन विनियम, 2017 के विनियम 15 के उप–विनियम (1) के प्रावधान का अनुपालन करें तथा उक्त पत्र/ईमेल जारी होने के 90 दिनों के भीतर, कैलेंडर वर्ष 2022 के अनुपालन सहित, सभी गैर–लेखापरीक्षित अवधि के लिए, यदि अब तक ऑडिट नहीं किया गया है, अपने सिस्टम का ऑडिट करवाएं।

2.19.4 दिनांक 27 जून, 2022 को प्राप्त संदर्भ के जवाब में दिनांक 7 जुलाई, 2022 का एमआईबी को जारी पत्र जिसमें कहा गया है कि सरकार को प्रसारण क्षेत्र के ऑपरेटरों के लिए भी अंतरिक्ष खंड के उपयोग के लिए एनओसीसी शुल्क खत्म करने पर विचार करना चाहिए।

''लो बिट रेट की एप्लीकेशनों के लिए सैटेलाइट–आधारित कनेक्टिविटी हेतु लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क'' पर की गई अनुशंसाओं पर दिनांक 26 अगस्त, 2021 की भादूविप्रा की अनुशंसा दूरसंचार लाइसेंसधारी के लिए प्रतिबंधित नहीं है, बल्कि टीवी/प्रसारण ऑपरेटरों पर भी लागू है और इस विषय पर कोई और अनुशंसा करना आवश्यक नहीं है।

2.19.5 यथा संशोधित अंतर्संयोजन विनियम 2017 के विनियम 15 के उप–विनियम (1) के प्रावधान के अनुपालन करने के लिए सभी डीपीओ को दिनांक 22 नवंबर, 2022 को जारी पत्र

भादूविप्रा ने दिनांक 22 नवंबर, 2022 को सभी डीपीओ को पत्र/ईमेल जारी कर यथा संशोधित अंतर्संयोजन विनियम 2017 के विनियम 15 के उप–विनियम (1) के प्रावधान का अनुपालन करें और कैलेंडर वर्ष 2022 के अनुपालन सहित, यदि अब तक ऑडिट नहीं किया गया है, तो सभी गैर–ऑडिट अवधि के लिए दिनांक 31 दिसंबर, 2022 तक अपने सिस्टम का ऑडिट करवाएं।

2.19.6 दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाओं (आठवें) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ (तीसरा संशोधन) आदेश, 2022 (2022 का 4) दिनांक 22 नवंबर, 2022 के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन के लिए डीपीओ को जारी पत्र

भादूविप्रा ने दिनांक 19 जनवरी, 2023 को दिनांक 22 नवंबर, 2022 के दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाओं (आठवें) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ (तीसरा संशोधन) आदेश, 2022 (2022 का 4) के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन हेतु सभी वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीपीओ) को एक पत्र भेजा। इस पत्र के अनुसार, ऐसे सभी डीपीओ, जिन्होंने टैरिफ संशोधन आदेश के प्रावधानों के अनुसार टैरिफ घोषित नहीं किया है, को टैरिफ संशोधन आदेश के प्रावधानों का अनुपालन करने और प्राधिकरण को तुरंत अनुपालन रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है।

2.19.7 डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (DAS) को लागू करने के लिए ऑडिटर के पैनल में शामिल होने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)

भादूविप्रा ने दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियमन 2017, यथा संशोधित, के अनुपालन में डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (DAS) को चलाने के लिए ऑडिटर के पैनल में शामिल होने के लिए 6 अप्रैल, 2022 को रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की।

2.19.8 डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (DAS) का लेखापरीक्षा करने के लिए लेखा परीक्षकों का पैनल बनाना

दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, DAS का लेखापरीक्षा ऑडिट करने हेतु 52 लेखा परीक्षकों को भादूविप्रा द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। सूचीबद्ध लेखा परीक्षकों की अद्यतन सूची हितधारकों के संदर्भ के लिए भादूविप्रा की वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध है। सूचीबद्ध लेखा परीक्षकों और बीईसीआईएल से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान, उनके द्वारा डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम की कुल 776 लेखापरीक्षा की गईं। इन 776 लेखापरीक्षाओं में से, वर्ष 2022 के दौरान 409 डीपीओ–कारित लेखापरीक्षा और 367 प्रसारक–कारित लेखापरीक्षा थे।

2.19.9 सेवा प्रदाताओं को कारण बताओ नोटिस (एससीएन)

- दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाओं (आठवें) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ आदेश, 2017 दिनांक 3 मार्च, 2017 और सेदूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ, सेवा की गुणवत्ता के मानक और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017, दिनांक 3 मार्च, 2017 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए

मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अर्थात् मेसर्स थमिझागा केबल टीवी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (टीसीसीएल) को दिनांक 8 मार्च, 2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

➢ अनिवार्य वार्षिक डीएएस लेखापरीक्षा से संबंधित दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियमन, 2017 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए मल्टी सिस्टम ऑपरेटर नामतः मेसर्स टेक वन जेके मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस दिनांक 9 जनवरी, 2023 को जारी किया गया।

2.19.10 सेवा प्रदाताओं को उनके डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के अनिवार्य वार्षिक लेखापरीक्षा से संबंधित, अंतर्संयोजन विनियमन, 2017, यथा संशोधित, के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए आदेश जारी किए गए

➢ भादूविप्रा ने दिनांक 20 जनवरी, 2023 को कैलेंडर वर्ष 2020 और 2021 के लिए अपने डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के अनिवार्य वार्षिक लेखापरीक्षा से संबंधित, अंतर्संयोजन विनियमन, 2017, यथा संशोधित, के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित तीन मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) को वित्तीय दंड के आदेश जारी किए।

- मैसर्स लकी केबल नेटवर्क, दमन
- मैसर्स अलवर टेलीलिंक प्राइवेट लिमिटेड, अलवर
- मेसर्स जेंटल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर

भादूविप्रा ने दिनांक 27 मार्च, 2023 को कैलेंडर वर्ष 2020, 2021 और 2022 के लिए अपने डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के अनिवार्य वार्षिक लेखापरीक्षा से संबंधित यथा संशोधित अंतर्संयोजन विनियमन, 2017 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित दो मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) को वित्तीय दंड के आदेश जारी किए।

- मैसर्स टेक वन जेके मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, जम्मू
- मैसर्स डिजिटल एंटरटेनमेंट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, श्रीनगर

2.20 अन्य कार्य

2.20.1 ओपन हाउस डिस्कशन (खुला मंच चर्चा)/(ओएचडी)

❖ **"दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में व्यापार में सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनस)" के परामर्श पत्र पर खुला मंच चर्चा (ओएचडी)**

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 21 अप्रैल, 2022 को "दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में व्यापार में सुगमता" के परामर्श पत्र पर एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई।

❖ **"भारत में डेटा केंद्रों, सामग्री वितरण नेटवर्क और अंतर्संयोजन एक्सचेंजों की स्थापना के माध्यम से डेटा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विनियामक ढांचे" के परामर्श पत्र पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 6 मई, 2022 को एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया गया**

भादूविप्रा ने दिनांक 6 मई, 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से "भारत में डेटा केंद्रों, सामग्री वितरण नेटवर्क और अंतर्संयोजन एक्सचेंजों की स्थापना के माध्यम से डेटा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विनियामक ढांचे" के परामर्श पत्र पर एक खुला मंच चर्चा आयोजित की।

संबंधित हितधारकों के बहुमूल्य इनपुट प्राप्त करने हेतु ओएचडी का आयोजन किया गया था। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, उद्योग संघों और व्यक्तियों आदि सहित कई हितधारकों ने ओएचडी में भाग लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित ओएचडी को अच्छी प्रतिक्रिया मिली।

- **''स्मॉल सेल और एरियल फाइबर परिनियोजन के लिए स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग'' के परामर्श पत्र पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम दिनांक 23 अगस्त, 2022 को खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई**

  भादूविप्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 23 अगस्त, 2022 को ''स्मॉल सेल और एरियल फाइबर परिनियोजन के लिए स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग'' के परामर्श पत्र पर एक खुला मंच चर्चा आयोजित की।

  संबंधित हितधारकों के मूल्यवान इनपुट प्राप्त करने के लिए ओएचडी का आयोजन किया गया था। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, उद्योग संघों आदि सहित कई हितधारकों ने ओएचडी में भाग लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित ओएचडी को अच्छी प्रतिक्रिया मिली।

- **''आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए ट्रेन कंट्रोल सिस्टम के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) की स्पेक्ट्रम आवश्यकताओं'' के परामर्श पत्र पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 25 अगस्त, 2022 को ओएचडी आयोजित किया गया**

  भादूविप्रा ने दिनांक 25 अगस्त, 2022 को ''आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए ट्रेन कंट्रोल सिस्टम के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) की स्पेक्ट्रम आवश्यकताओं'' के परामर्श पत्र पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक खुला मंच चर्चा आयोजित की।

  संबंधित हितधारकों के बहुमूल्य इनपुट प्राप्त करने के लिए ओएचडी का आयोजन किया गया था। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, उद्योग संघों आदि सहित कई हितधारकों ने इस खुली चर्चा में भाग लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित ओएचडी को अच्छी प्रतिक्रिया मिली।

- **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 29 अगस्त, 2022 को ''डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग'' के परामर्श पत्र पर ओएचडी का आयोजन किया गया**

  भादूविप्रा ने दिनांक 29 अगस्त, 2022 को ''डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग'' के परामर्श पत्र पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक खुला मंच चर्चा का आयोजन किया। संबंधित हितधारकों के बहुमूल्य इनपुट प्राप्त करने के लिए ओएचडी का आयोजन किया गया था। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, उद्योग संघों, उपभोक्ता वकालत समूहों (सीएजी), व्यक्तियों आदि सहित कई हितधारकों ने खुली चर्चा में भाग लिया।

- **''सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से संबंधित मुद्दों'' के परामर्श पत्र पर खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन**

  दिनांक 11 नवंबर, 2022 को ''सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से संबंधित मुद्दों'' के परामर्श पत्र पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया गया था।

- **दिनांक 14 दिसंबर, 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ''एम2एम संचार के लिए एंबेडेड सिम पर अनुशंसाएँ'' के परामर्श पत्र पर एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया गया**

  भादूविप्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 14 दिसंबर, 2022 को ''एम2एम कम्युनिकेशंस के लिए एंबेडेड सिम पर अनुशंसाएँ'' के परामर्श पत्र पर एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया गया था।

संबंधित हितधारकों के बहुमूल्य इनपुट प्राप्त करने के लिए ओएचडी आयोजित की गई थी। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, उद्योग संघों आदि सहित कई हितधारकों ने खुली चर्चा में भाग लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित ओएचडी को अच्छी प्रतिक्रिया मिली।

❖ **''मीडिया स्वामित्व से संबंधित मुद्दे'' के परामर्श पत्र पर दिनांक 11 जनवरी, 2023 में एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया गया**

दिनांक 11 जनवरी, 2023 को ''मीडिया स्वामित्व से संबंधित मुद्दों'' के परामर्श पत्र पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया गया था।

❖ **दिनांक 17 फरवरी, 2023 को ''दूरसंचार क्षेत्र में कृत्रिम मेधा (एआई) और बिग डेटा (बीडी) का लाभ उठाने'' के परामर्श पत्र पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओएचडी का आयोजन किया गया**

भादूविप्रा ने ''दूरसंचार क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और बिग डेटा (बीडी) का लाभ उठाने'' के परामर्श पत्र पर दिनांक 17 फरवरी, 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक खुला मंच चर्चा आयोजित की।

संबंधित हितधारकों के बहुमूल्य इनपुट प्राप्त करने के लिए इस खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया गया। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, उद्योग संघों आदि सहित कई हितधारकों ने इस खुला मंच चर्चा में भाग लिया।

❖ **''ड्राफ्ट टेलीकॉम (प्रसारण और केबल) सेवा अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल सिस्टम) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022'' के परामर्श पत्र पर एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन**

डिजिटल अधिकार प्रबंधन के लिए सिस्टम आवश्यकता (डीआरएम) से संबंधित ''ड्राफ्ट टेलीकॉम (प्रसारण और केबल) सेवा अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल सिस्टम) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022'' के परामर्श पत्र पर दिनांक 24 फरवरी, 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक खुला मंच चर्चा आयोजित की गई।

❖ **''दूरसंचार नेटवर्क में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) की शुरुआत'' के परामर्श पत्र पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 9 मार्च, 2023 को खुला मंच चर्चा आयोजित की गई।**

भादूविप्रा द्वारा दिनांक 9 मार्च, 2023 को ''दूरसंचार नेटवर्क में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) की शुरुआत'' के परामर्श पत्र पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक खुला मंच चर्चा आयोजित की गई।

संबंधित हितधारकों के अहम इनपुट प्राप्त करने के लिए ओएचडी का आयोजन किया गया था। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, उद्योग संघों आदि सहित कई हितधारकों ने खुला मंच चर्चा में भाग लिया। कोविड महामारी के दौरान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओएचडी आयोजित करने के लिए अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी।

❖ **दिनांक 10 मार्च, 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ''भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अलावा अन्य संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच डेटा संचार सेवाएं'' के परामर्श पत्र पर खुला मंच चर्चा का आयोजन किया गया।**

भादूविप्रा द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2023 को ''भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अलावा अन्य संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच डेटा संचार सेवाएं'' के परामर्श पत्र पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक खुला मंच चर्चा आयोजित की गई।

संबंधित हितधारकों के अहम इनपुट प्राप्त करने के लिए ओएचडी का आयोजन किया गया था। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, उद्योग संघों आदि सहित कई हितधारकों ने खुला मंच चर्चा में भाग लिया। कोविड महामारी के दौरान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओएचडी आयोजित करने के लिए अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी।

2.20.2 सम्मेलन

- **''डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग'' विषय पर दिनांक 16 नवंबर, 2022 नई दिल्ली में सम्मेलन का आयोजन**

  भादूविप्रा ने दिनांक 16 नवंबर, 2022 को नई दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सभी संबंधित हितधारकों अर्थात MoHUA, टीसीपीओ, डीओटी, बिल्डर्स, डेवलपर्स, सीओए, बीआईएस, बीईई, ओईएम, टीएसपी, टेलीकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन, बिल्डर्स एसोसिएशन आदि को ''डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग'' के परामर्श पत्र में परिकल्पित नए पारिस्थितिकी तंत्र पर विचार–विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

2.20.3 DAS ऑडिट पर कार्यशाला

दिनांक 27 मई, 2022 को प्रसारण और केबल सेवा क्षेत्र में रिपोर्टिंग और कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए भादूविप्रा मुख्यालय, नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड (भौतिक और आभासी) के माध्यम से कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यशाला का आयोजन भादूविप्रा के पैनलबद्ध लेखा परीक्षकों के लिए किया गया था, जिन्हें डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (डीएएस) का ऑडिट करने के लिए पैनल में शामिल किया गया है। इस कार्यशाला में 47 प्रतिभागियों ने भौतिक रूप से भाग लिया और कई प्रतिभागियों ने आभासी रूप से कार्यशाला में भाग लिया। आईबीडीएफ के कुछ नामांकित सदस्यों ने भी इस कार्यशाला में भाग लिया।

2.20.4 संगोष्ठी

- **दिनांक 18 मई, 2022 को ''सहयोगात्मक विनियमः बुनियादी ढांचे का सह–निर्माण और साझाकरण (पीएम गति–शक्ति के साथ समन्वय में)'' के विषय पर संगोष्ठी**

  प्राधिकरण द्वारा ''सहयोगात्मक विनियमः बुनियादी ढांचे का सह–निर्माण और साझाकरण (पीएम गति–शक्ति के साथ तालमेल)'' के विषय पर दिनांक 18 मई, 2022 को नई दिल्ली के अशोक होटल में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रमुख मंत्रालयिक विभागों और प्रतिष्ठानों जैसे सचिव–आवासन और शहरी मामलों (MoHUA), सचिव–सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, अध्यक्ष–केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग और सदस्य प्रौद्योगिकी–डीओटी के साथ–साथ भादूविप्रा के वरिष्ठ अधिकारियों के विभिन्न प्रतिष्ठित वक्ताओं ने लक्षित दर्शकों के साथ सेमिनार के विषय पर अपने विचार साझा किए। इस कार्यक्रम में एक 'उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय सत्र' भी शामिल था, जिसमें माननीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल के साथ–साथ माननीय संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव भी उपस्थित थे।

  संगोष्ठी में बांग्लादेश, बोत्सवाना, कंबोडिया जैसे अंतरराष्ट्रीय विनियामक निकायों के प्रतिनिधियों के साथ–साथ प्रमुख दूरसंचार/इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, उपकरण विक्रेताओं, दूरसंचार उद्योग संघों, सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों आदि के प्रतिनिधियों सहित लगभग 250 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

  इस संगोष्ठी को विभिन्न सत्रों में संरचित किया गया था। मोटे तौर पर ये सत्र निम्नलिखित विशिष्ट क्षेत्रों पर केंद्रित थेः

  i. भारत में स्मार्ट शहरों के लिए डिजिटल अवसंरचना के समाधान के निर्माण के लिए सुरक्षित, टिकाऊ, स्केलेबल और सहयोगात्मक दृष्टिकोण।

  ii. दूरसंचार और बिजली क्षेत्र में अवसंरचना की साझेदारी के निर्माण और व्यवहार्यता के लिए बहुपक्षीय दृष्टिकोण–संभावनाएं और चुनौतियां।

iii. ई–क्रांति के लिए साझा अवसंरचना के रूप में सामान्य उपयोगिता गलियारों का निर्माण, इसका प्रभाव और उपयोग की रणनीति।

iv. नवीन डिजिटल अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक–निजी सहयोग की क्रॉस–सेक्टोरल गतिशीलता।

❖ **''भारत में प्रसारण क्षेत्र में उभरते रुझान मोबाइल कांग्रेस, 2022'' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन**

जब देश ने वर्ष 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया तो भादूविप्रा ने अपने अस्तित्व के 25 वर्ष पूर्ण पूरे किए. अपने रजत जयंती समारोह के क्रम में, इंडिया मोबाइल कांग्रेस द्वारा प्रदान किए गए सम्मानित मंच पर, भादूविप्रा ने दिनांक 3 अक्टूबर, 2022 को ''प्रसारण क्षेत्र में उभरते रुझान'' पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। यह संगोष्ठी क्षेत्र में हाल के प्रौद्योगिकी विकास और उनके प्रभाव की पृष्ठभूमि में आयोजित किया गया था।

उक्त संगोष्ठी का आयोजन उद्योग और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम करने के लिए भादूविप्रा की सक्रिय भूमिका की भावना से किया गया था और यह सुनिश्चित किया गया था कि विनियामक ढांचा नए तकनीकी विकास और उनके अपनाने में बाधा न बने। संगोष्ठी उभरते रुझानों की मूलभूत समझ विकसित करने और क्षेत्र पर उनके प्रभाव पर चर्चा को बढ़ावा देने में सफल रहा।

2.20.5 स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग करके तैनात स्मॉल सेल के लिए भोपाल स्मार्ट सिटी, जीएमआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली, दीनदयाल पोर्ट कांडला और नम्मा मेट्रो बेंगलुरु में भादूविप्रा के प्रायोगिक परियोजनाओं के तहत 5जी तत्परता का परीक्षण किया गया

प्राधिकरण ने मार्च, 2022 में भोपाल स्मार्ट सिटी, जीएमआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली, दीनदयाल पोर्ट कांडला और नम्मा मेट्रो बेंगलुरु में स्मॉल सेल और एरियल फाइबर परिनियोजन के लिए स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग पर प्रायोगिक परियोजना शुरू किया था। भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल जैसे प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और अवसंरचना प्रदाताओं ने विभिन्न स्थानों पर इन प्रायोगिक परियोजनाओं में भाग लिया है। दूरसंचार विभाग द्वारा 5जी आवृत्तियों के आवंटन के बाद, टेलीकॉम कंपनियों के लिए 5जी नेटवर्क के त्वरित कार्यान्वयन के लिए क्रॉस सेक्टोरल बुनियादी ढांचे को अधिक सुलभ बनाने में ये प्रायोगिक परियोजनाएँ

काफी सहायक होंगे। जुलाई, 2022 में, दूरसंचार विभाग द्वारा स्पेक्ट्रम की नीलामी से पूर्व, सभी चार प्रायोगिक परियोजना वाले स्थानों पर 5जी की तत्परता का परीक्षण किया गया था।

ये प्रोजेक्ट भोपाल स्मार्ट सिटी में 11 स्थानों पर चलाया गया। प्रायोगिक परियोजनाओं के तहत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा 5जी स्मॉल सेलों के विकिरण और परीक्षण के साथ, स्मार्ट सिटी भोपाल ट्रैफिक सिग्नल पोल, स्ट्रीट लाइट पोल, स्मार्ट पोल, बिलबोर्ड, डायरेक्शन बोर्ड, रोड साइनेज, फुट ओवर ब्रिज और सिटी बस शेल्टर जैसे स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग के लिए 5जी तैयारी का परीक्षण करने वाला देश का पहला स्मार्ट शहर बन गया है। इसी तरह, भादूविप्रा के प्रायोगिक परियोजनाओं के तहत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा स्ट्रीट फर्नीचर पर 5जी स्मॉल सेल की तैनाती के साथ, दीनदयाल पोर्ट कांडला और जीएमआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली 5जी तत्परता का परीक्षण करने वाले क्रमशः देश के पहले बंदरगाह और हवाईअड्डे बन गए हैं। नम्मा मेट्रो बेंगलुरु में, एमजी रोड मेट्रो स्टेशन को इसके कॉनकोर्स क्षेत्र, प्लेटफॉर्म और दोनों तरफ के ट्रैक पर सड़क स्तर पर 5जी कवरेज को लक्षित करने के लिए मुख्य स्टेशन के रूप में चुना गया था। स्टेशन पर 5जी आउटडोर स्मॉल सेल्स के विकिरण को बदलकर, नम्मा मेट्रो 5जी तत्परता का परीक्षण करने वाली भारत की पहली मेट्रो रेल प्रणाली बन गई।

2.20.6 ''स्मॉल सेलों और एरियल फाइबर परिनियोजन के लिए स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग'' पर प्रायोगिक परियोजना रिपोर्ट दिनांक 29 नवंबर, 2022

अत्याधुनिक 5जी नेटवर्क विकसित करने के लिए विभिन्न केंद्रीय, राज्य और नगरपालिका प्राधिकरणों के बीच स्ट्रीट फर्नीचर अवसंरचना को साझा करने को बढ़ावा देने वाले क्रॉस सेक्टोरल ढांचे को विकसित करने के उद्देश्य से, मार्च, 2022 में भादूविप्रा ने स्मॉल सेल और एरियल फाइबर परिनियोजन के लिए स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग पर भोपाल स्मार्ट सिटी, जीएमआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली, दीनदयाल पोर्ट कांडला और नम्मा मेट्रो बेंगलुरु में प्रायोगिक परियोजना शुरू किया था।

इन प्रायोगिक परियोजनाओं से मिली सीख के आधार पर, प्राधिकरण ने दिनांक 29 नवंबर, 2022 को ''स्मॉल सेल और एरियल फाइबर परिनियोजन के लिए स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग'' पर पायलट प्रोजेक्ट रिपोर्ट जारी की। उम्मीद की जा रही थी कि रिपोर्ट आम सहमति विकसित करने के लिए विभिन्न उद्योग और प्रशासनिक हितधारकों को एक साथ लाने में सक्षम होगी और उद्योग की समझ को मजबूत करेगी कि इन तैनाती प्रथाओं का उपयोग 5जी स्मॉल सेलों के प्रसार को सक्षम करने के लिए कैसे किया जा सकता है।

2.20.7 ''दूरसंचार, प्रसारण और आईटी (ICT) क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना'' पर अध्ययन पत्र

प्राधिकरण ने दिनांक 25 जनवरी, 2021 को ''दूरसंचार, प्रसारण और आईटी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना'' पर एक अध्ययन पत्र तैयार करने के लिए एक कंसल्टेंसी फर्म को काम पर रखने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति जारी की। नतीजतन, प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) संख्या 01/2021–टीडी 31 मई, 2021 को जारी किया गया था और मेसर्स अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी को कार्य आदेश संख्या ए–25/(2)/2021–आईटी/01 दिनांक 29 सितंबर, 2021 को जारी किया गया था। इसे दिनांक 1 अक्टूबर, 2021 को मेसर्स अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा, प्राधिकरण ने दूरसंचार, प्रसारण और आईटी (ICT) क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के लिए देश में हितधारकों से इनपुट लेने और इसके विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ तुलना करने के उद्देश्य से ''दूरसंचार, प्रसारण और आईटी (ICT) क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने'' पर एक परामर्श पत्र शुरू करने का निर्णय लिया।

2.20.8 उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रम (सीओपी)

पूरे देश में उपभोक्ताओं तक पहुंचने के महत्व को देखते हुए, भादूविप्रा के पास अपनी वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और देश भर में आयोजित उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से

दूरसंचार सब्सक्राइबरों के साथ एक सार्वजनिक इंटरफेस है। भादूविप्रा ने उपभोक्ता समर्थन समूहों (सीएजी) के रूप में उपभोक्ता संगठनों के पंजीकरण के लिए एक प्रणाली स्थापित की है। पंजीकृत सीएजी उपभोक्ताओं, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और भादूविप्रा के बीच वार्ताकार के रूप में कार्य करते हैं और उपभोक्ता शिक्षा में भादूविप्रा की सहायता करते हैं। भादूविप्रा शैक्षिक/प्रचार सामग्री लाकर और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मीडिया अभियान चलाकर उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और सेवा संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी लगातार काम कर रहा है।

उपभोक्ता शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए, भादूविप्रा देश भर में उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रम (सीओपी) आयोजित करता है। ये सीओपी उपभोक्ताओं को भादूविप्रा और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ अपने स्थानीय मुद्दों को उठाने के लिए एक मंच भी प्रदान करते हैं। वर्ष के दौरान, भादूविप्रा ने पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर ऑफलाइन/ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 53 (तिरपन) उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रम (सीओपी) आयोजित किए। आयोजित सीओपी की सूची अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

सीएजी की क्षमता निर्माण के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला के संबंध में, कुल 5 कार्यशालाएं क्रमशः आयोजित की गईं – (i) दिनांक 11 नवंबर, 2022 को देहरादून (उत्तराखंड), (ii) दिनांक 29 नवंबर, 2022 को पुरी (ओडिशा), (iii) 23 फरवरी, 2023 एकता नगर (गुजरात), (iv) दिनांक 17 मार्च, 2023 को देवगढ़ (झारखंड) में और (v) दिनांक 29 मार्च, 2023 गोवा में।

2.20.9 उपभोक्ता समर्थन समूहों का पंजीकरण

भादूविप्रा के साथ पंजीकृत उपभोक्ता समर्थन समूह (सीएजी) अपने क्षेत्रों में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों के लिए भादूविप्रा की गतिविधियों के बारे में जानकारी के प्रसार में भादूविप्रा का समन्वय और सहायता करते हैं। वे भादूविप्रा द्वारा संचालित उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं। ये सीएजी टीएसपी के अपीलीय प्राधिकारियों की सलाहकार समिति के भी सदस्य हैं। सीएजी के निष्पादन की समीक्षा की गई, जिनका कार्यकाल 1 अप्रैल, 2023 से नवीनीकरण के लिए था। अब तक भादूविप्रा में कुल 84 सीएजी पंजीकृत हैं।

2.20.10 उपभोक्ता शिक्षा साहित्य और मीडिया अभियान

यूसीसी वीडियो हिंदी और अंग्रेजी में उपभोक्ता जागरूकता के लिए विकसित किए गए हैं और भादूविप्रा के उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रमों में उपयोग किए गए हैं। सीएजी द्वारा इन वीडियो का उपयोग अपने उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों में भी किया जा सकता है। उपभोक्ताओं की व्यापक पहुंच के लिए ये वीडियो भादूविप्रा के पोर्टल और यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध कराए गए हैं।

2.20.11 उपभोक्ता हितों और संरक्षण पर सेमिनार/वेबिनार

भादूविप्रा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और उपभोक्ता हितों की रक्षा करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भादूविप्रा समसामयिक तकनीकी और उपभोक्ता संबंधी मुद्दों पर सेमिनार आयोजित करता है। ये सेमिनार उपभोक्ताओं को दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में विकास के बारे में खुद को अपडेट करने का मौका देते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित वेबिनार ने प्रतिभागियों को एक सरल पंजीकरण प्रक्रिया के साथ देश के किसी भी हिस्से से कार्यक्रमों में शामिल होने में सक्षम बनाया। वर्ष के दौरान भादूविप्रा द्वारा आयोजित 9 वेबिनार/सेमिनार इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	विषय	आरओ द्वारा संचालन किया गया	दिनांक
1	पूर्वोत्तर राज्यों में 5जी परिनियोजन के मुद्दे और चुनौतियाँ	कोलकाता	4 नवंबर, 2022
2	दूरसंचार में उभरते रुझान	जयपुर	2022 नवंबर, 19
3	दूरसंचार अवसंरचना	हैदराबाद	15 दिसंबर, 2022
4	दूरसंचार अवसंरचना और आर्थिक विकास – एक युगपत दृष्टिकोण	भोपाल	16 दिसंबर, 2022
5	दूरसंचार अवसंरचना विकास–मुद्दे और चुनौतियाँ	बेंगलुरु	24 जनवरी, 2023
6	डिजिटल संचार के नए रुझान , उपयोग के मामले और चुनौतियाँ	भोपाल	8 फरवरी, 2023
7	5जी युग में स्मार्ट खेती	बेंगलुरु	1 मार्च, 2023
8	संधारणीय विकास पर सामुदायिक रेडियो का प्रभाव	जयपुर	29 मार्च, 2023
9	5जी मोबाइल प्रौद्योगिकी का परिचय, डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन चुनौतियाँ और उपयोग के मामले	हैदराबाद	31 मार्च, 2023

2.20.12 उपभोक्ता शिकायतों का निवारण

भादूविप्रा अधिनियम, 1997, भादूविप्रा द्वारा व्यक्तिगत उपभोक्ता शिकायतों से निपटने की परिकल्पना नहीं करता है। तथापि, भादूविप्रा में प्राप्त शिकायतों को उचित कार्रवाई करने हेतु संबंधित सेवा प्रदाताओं को भेज दिया जाता है। दिनांक 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के दौरान भादूविप्रा को दूरसंचार सेवाओं से संबंधित 44096 शिकायतें और प्रसारण और केबल टीवी से संबंधित 5967 शिकायतें प्राप्त हुईं। इन सभी शिकायतों को उचित कार्रवाई हेतु संबंधित सेवा प्रदाताओं को भेज दिया गया। सामान्य प्रकृति या वर्ग की कार्रवाई की आवश्यकता वाली शिकायतों को अंतर्निहित मुद्दों के समाधान हेतु कार्रवाई की गई।

उपभोक्ता केंद्रित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, उपभोक्ता शिकायतों और अपीलों की संख्या, उपभोक्ता शिकायतों के प्रमुख क्षेत्रों और सुधार के लिए सेवा प्रदाताओं के प्रयासों आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर सेवा प्रदाताओं के साथ नियमित बैठकें आयोजित की गईं।

2.21 अंतर्राष्ट्रीय संबंध

2.21.1 भादूविप्रा द्वारा हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौते

भादूविप्रा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) का एक सेक्टर सदस्य है। भादूविप्रा आईटीयू से संबंधित गतिविधियों और एपीटी (एशिया पैसिफिक टेली–कम्युनिटी), एसएटीआरसी, आसियान, जीएसएमए, ब्रिक्स आदि से संबंधित गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है, जिससे उसे अन्य अंतरराष्ट्रीय विनियामकों के साथ जुड़ने के अवसर मिल रहे हैं।

मौजूदा मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने और भादूविप्रा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय विनियामकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, इसने आशय पत्र (एलओआई) और समझौता ज्ञापन (एमओयू) के रूप में द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये द्विपक्षीय समझौते विचारों, सूचनाओं के आदान–प्रदान और अनुभव साझा करने के माध्यम से पारस्परिक हित के क्षेत्रों में जुड़ाव के लिए एक मंच प्रदान करते हैं, जो हस्ताक्षरकर्ता देशों के लिए लाभप्रद है।

इस वर्ष के दौरान, भादूविप्रा ने जीएसएमए एसोसिएशन के साथ आशय पत्र (एलओआई) के रूप में एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। बार्सिलोना में एमडब्ल्यूसी–23 (मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2023) के मौके पर भादूविप्रा के अध्यक्ष डॉ. पी.डी. वाघेला और जीएसएमए के महानिदेशक श्री मैट्स ग्रैनरिड ने दिनांक 28 फरवरी, 2023 को उक्त आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए।

भादूविप्रा के अध्यक्ष डॉ. पी.डी. वाघेला और जीएसएमए के महानिदेशक श्री मैट्स ग्रैनरिड द्वारा श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता, सदस्य एवं भादूविप्रा के अधिकारियों, जीएसएमए के अधिकारियों और उद्योग के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आशय पत्र पर हस्ताक्षर

2.21.2 भादूविप्रा द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

क. ''रेगटेक और प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों का उपयोग करके सहयोगात्मक विनियम'' पर दिनांक 18 मई, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय विनियामकों का गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने ''रेगटेक और प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों का उपयोग करके सहयोगात्मक विनियम'' विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय विनियामक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। इस गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य स्पैम और अनचाहे संचार के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को कम करने के लिए अपनाए गए अनुभवों और कार्यप्रणाली को साझा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय नियामक निकायों के बीच द्विपक्षीय/बहुपक्षीय जुड़ाव की संभावनाओं पर सहयोग और चर्चा करना था। इस गोलमेज सम्मेलन का आयोजन दिनांक 18 मई, 2022 को नई दिल्ली में भादूविप्रा के रजत जयंती समारोह के एक भाग के रूप में किया गया था, जो भारत की आजादी के 75वें वर्ष के साथ मेल खाता है, जिसे 'आजादी का महोत्सव' के रूप में मनाया जाता है।

कुल मिलाकर, कंबोडिया, बांग्लादेश, बोत्सवाना, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और एशिया प्रशांत दूरसंचार (एपीटी) जैसे देशों के 15 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।

''रेगटेक और प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों का उपयोग करके सहयोगात्मक विनियम'' पर अंतर्राष्ट्रीय विनियामकों के गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन सत्र

ख. स्पेक्ट्रम पर दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद (एसएटीआरसी) कार्य समूह की बैठक दिनांक 21 से 23 जून, 2022 तक भादूविप्रा कार्यालय में आयोजित हुई

भादूविप्रा ने स्पेक्ट्रम पर दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामकों के कार्य समूह की बैठक दिनांक 21 से 23 जून, 2022 तक आयोजित की। यह बैठक हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी और इसमें एसएटीआरसी देशों, जीएसएमए, आईटीयू–एपीटी, डीओटी, भादूविप्रा आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले 32 प्रतिभागियों ने भाग लिया। भादूविप्रा के प्रधान सलाहकार श्री एस.टी. अब्बास की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित हुई थी। बैठक के दौरान एसएटीआरसी कार्य योजना चरण–VIII के एक भाग के रूप में विभिन्न कार्य मदों पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक बहुत जानकारीपूर्ण थी, और सभी सत्र अत्यधिक संवादात्मक थे।

स्पेक्ट्रम पर दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद (एसएटीआरसी) स्पेक्ट्रम कार्य समूह की दिनांक 21—23 जून, 2022 की बैठक का उद्घाटन सत्र

ग. आसियान—भारत आईसीटी संवाद के तहत ''ब्रॉडबैंड एक्सेस और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना'' विषय पर दिनांक 30—31 अगस्त, 2022 को ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की गई

भादूविप्रा ने विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार और दूरसंचार विभाग (डीओटी), भारत सरकार के समन्वय से आसियान—भारत आईसीटी संवाद के तहत ''ब्रॉडबैंड एक्सेस और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना'' विषय पर दिनांक 30—31 अगस्त, 2022 को दो दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया।

इस कार्यशाला में छह आसियान सदस्य देशों (लाओ पीडीआर, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, इंडोनेशिया, सिंगापुर) का प्रतिनिधित्व करने वाले 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया और दूरसंचार विभाग (डीओटी) और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के प्रतिभागी भी थे। यह कार्यशाला क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की श्रृंखला में से एक है जिसे भादूविप्रा ने आसियान भारत कोष (एआईएफ) के माध्यम से आसियान सदस्य देशों के लिए आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध किया था।

आसियान—भारत आईसीटी संवाद के तहत ''ब्रॉडबैंड पहुंच और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना'' विषय पर दिनांक 30—31 अगस्त, 2022 को आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन सत्र

घ. स्पेक्ट्रम पर दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद (एसएटीआरसी) की कार्यशाला 31 जनवरी से 2 फरवरी, 2023 तक होटल पार्क, नई दिल्ली में आयोजित की गई

भादूविप्रा द्वारा स्पेक्ट्रम पर तीन दिवसीय एसएटीआरसी कार्यशाला दिनांक 31 जनवरी से 2 फरवरी, 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस एसएटीआरसी कार्यशाला में बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, एपीटी, दूरसंचार विभाग के अंतरराष्ट्रीय और देश के प्रतिभागियों ने भाग लिया। स्पेक्ट्रम पर एसएटीआरसी कार्य समूह के अध्यक्ष होने के नाते, भादूविप्रा के प्रधान सलाहकार, श्री एस. टी. अब्बास ने कार्यशाला की अध्यक्षता की।

सभी सत्रों में प्रतिभागियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने स्पेक्ट्रम विषय पर अपने–अपने देशों में अपनाई जा रही सर्वोत्तम अभ्यास विधियों को साझा किया। सत्र अत्यधिक संवादात्मक और जानकारीपूर्ण थे

स्पेक्ट्रम पर दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद (एसएटीआरसी) की द होटल पार्क, नई दिल्ली में दिनांक 31 जनवरी से 2 फरवरी, 2023 तक आयोजित कार्यशाला का उद्‌घाटन सत्र

2.21.3 अन्य विनियामकों द्वारा द्विपक्षीय दौरे

टीपीआरए–सूडान के प्रतिनिधिमंडल का अध्ययन दौरा

दूरसंचार और पोस्ट विनियामक प्राधिकरण (टीपीआरए) सूडान के आठ सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दूरसंचार विनियमन और अन्य विनियामक मुद्दों में भारतीय अनुभवों पर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए दिनांक 8 से 10 फरवरी, 2023 तक तीन दिवसीय अध्ययन दौरे पर भादूविप्रा का दौरा किया। भादूविप्रा और दूरसंचार विभाग के अधिकारियों ने दौरे पर आए प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा सत्र में भाग लिया।

दूरसंचार और पोस्ट विनियामक प्राधिकरण (टीपीआरए) सूडान की दिनांक 8 से 10 फरवरी, 2023 तक तीन दिवसीय अध्ययन दौरा

2.21.4 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भागीदारी

क. स्टॉकहोम, स्वीडन में 'सभी के लिए ब्रॉडबैंड' पर वैश्विक वार्षिक सम्मेलन दिनांक 27–28 जून, 2022 को आयोजित हुआ

स्टॉकहोम, स्वीडन में दिनांक 27–28 जून, 2022 को आयोजित वैश्विक वार्षिक सम्मेलन 'ब्रॉडबैंड फॉर ऑल' में भादूविप्रा, अध्यक्ष ने मुख्य भाषण दिया।

स्टॉकहोम, स्वीडन में 'सभी के लिए ब्रॉडबैंड' सम्मेलन में भादूविप्रा, अध्यक्ष ने मुख्य भाषण दिया

ख. **जीएमएसए मंत्रिस्तरीय कार्यक्रम मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस दिनांक 27 फरवरी से 1 मार्च, 2023 तक बार्सिलोना, स्पेन में आयोजित हुई**

भादूविप्रा, अध्यक्ष ने 27 फरवरी से 1 मार्च, 2023 तक बार्सिलोना, स्पेन में आयोजित जीएसएमए मंत्रिस्तरीय कार्यक्रम एमडब्ल्यूसी 2023 में सत्र–विनियामक से पूछें में मुख्य भाषण दिया।

दिनांक 27 फरवरी से 1 मार्च, 2023 तक बार्सिलोना, स्पेन में आयोजित जीएसएमए मंत्रिस्तरीय कार्यक्रम एमडब्ल्यूसी 2023 में सत्र – विनियामक से पूछें' में भादूविप्रा, अध्यक्ष ने मुख्य भाषण दिया।

ग. **जिनेवा, स्विट्जरलैंड में दिनांक 13 से 16 मार्च, 2023 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोसायटी पर विश्व शिखर सम्मेलन (डब्ल्यूएसआईएस) 2023 उच्च–स्तरीय नीति सत्र**

जिनेवा, स्विट्जरलैंड में दिनांक 13 से 16 मार्च, 2023 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोसायटी पर विश्व शिखर सम्मेलन (डब्ल्यूएसआईएस) 2023 उच्च–स्तरीय नीति सत्र

घ. **22वां एपीटी नीति और विनियामक फोरम (पीआरएफ 21) दिनांक 19 से 21 जुलाई, 2022 तक का आयोजित किया गया**

भादूविप्रा के अध्यक्ष डॉ. पी.डी. वाघेला ने विनियामकों के गोलमेज सम्मेलन में आभासी रूप में भाग लिया और दिनांक 19 से 21 जुलाई, 2022 तक आयोजित 22वें एपीटी नीति और विनियामक फोरम (पीआरएफ 21) के दौरान ''विनियामक ढांचे की नई अवधारणा की ओर'' पर अपना विचार साझा किए।

दिनांक 19 से 21 जुलाई, 2022 तक आयोजित 22वें एपीटी नीति और विनियामक फोरम (पीआरएफ–21)

ङ. **दिनांक 14–16 नवंबर, 2022 तक दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद (एसएटीआरसी–23) की 23वीं बैठक**

भादूविप्रा के अध्यक्ष डॉ. पी.डी. वाघेला ने विनियामकों के गोलमेज सम्मेलन में आभासी रूप में भाग लिया और दिनांक 14 से 16 नवंबर, 2022 तक आयोजित एसएटीआरसी की 23वीं बैठक के दौरान 'सार्वभौमिक और सार्थक डिजिटल कनेक्टिविटी–नीति निर्माताओं और नियामकों की भूमिका' पर विचार साझा किए। यह बैठक ईरान के तेहरान में आयोजित की गई थी।

दिनांक 14–16 नवंबर, 2022 तक आयोजित दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद (एसएटीआरसी–23) की 23वीं बैठक

2.21.5 अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर की गई भागीदारी

भादूविप्रा के अधिकारियों ने कई अंतराष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे–स्टॉकहोम, स्वीडन में दिनांक 27–28 जून, 2022 को आयोजित 'सभी के लिए ब्रॉडबैंड' पर वैश्विक वार्षिक सम्मेलन, बैंकॉक में 19–21 जुलाई, 2022 को आयोजित 22वीं एपीटी नीति और विनियामक फोरम (पीआरएफ 21), सिंगापुर में 2 और 3 अगस्त, 2022 को आयोजित जीएसएमए मोबाइल 360 एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस और पॉलिसी लीडर्स फोरम, बार्सिलोना, स्पेन में 27 फरवरी से 1 मार्च, 2023 तक आयोजित जीएसएमए मंत्रिस्तरीय कार्यक्रम मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में 13 मार्च–16 मार्च, 2023 तक आयोजित वर्ल्ड समिट इंटरनेशनल सोसाइटी (डब्ल्यूएसआईएस), 2023 के दौरान उच्च स्तरीय नीति सत्र में भाग लिया।

2.21.6 प्राधिकरण के अंतर्राष्ट्रीय दौरों के दौरान आयोजित द्विपक्षीय बैठकें

क. स्टॉकहोम, स्वीडन (27–28 जून, 2022) में 'ब्रॉडबैंड फॉर ऑल' सम्मेलन के मौके पर भादूविप्रा प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गई।

I. संघीय संचार आयोग (एफसीसी)–यूएस के आयुक्त श्री स्टार्क्स जेफ्री के साथ द्विपक्षीय बैठक।

ii. पीटीएस (स्वीडिश पोस्ट और दूरसंचार प्राधिकरण–स्वीडन) के महानिदेशक श्री डैन सोब्लोम के साथ द्विपक्षीय बैठक

iii. **बीईआरईसी (इलेक्ट्रॉनिक कमीशन के लिए यूरोपीय नियामकों का निकाय) की अध्यक्ष सुश्री एनेमेरी स्पाइक्स के साथ द्विपक्षीय बैठक**

iv. **एमसीएमसी (मलेशियाई संचार और मल्टीमीडिया आयोग)–मलेशिया के अध्यक्ष डॉ. फदलुल्लाह सुहैमी अब्दुल मालेक के साथ द्विपक्षीय बैठक**

ख. **बार्सिलोना, स्पेन (27 फरवरी से 1 मार्च, 2023) में ''जीएसएमए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस'' के मौके पर प्राधिकरण– भादूविप्रा द्वारा आयोजित द्विपक्षीय बैठकें।**

I. सीएसटी संचार और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (सीएसटी) – सऊदी अरब के गवर्नर डॉ. मोहम्मद अल तमैमी के साथ द्विपक्षीय बैठक।

ii. बीईआरईसी (इलेक्ट्रॉनिक कमीशन के लिए यूरोपीय विनियामकों का निकाय) बोर्ड, यूरोपीय विनियामक के अध्यक्ष, श्री कोस्टास मैसेलोस के साथ द्विपक्षीय बैठक।

iii. आईसीएएसए (दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्र संचार प्राधिकरण) – दक्षिण अफ्रीका के अध्यक्ष डॉ. चार्ली लुईस के साथ द्विपक्षीय बैठक।

ग. **प्राधिकरण–भादूविप्रा द्वारा जिनेवा, स्विट्जरलैंड (13 से 16 मार्च, 2023) में ''वर्ल्ड समिट ऑन इंटरनेशनल सोसाइटी (डब्ल्यूएसआईएस)'' के मौके पर निम्नलिखित द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गईं।**

i. सुश्री डोरेन बोगडान–मार्टिन, महासचिव, आईटीयू के साथ द्विपक्षीय बैठक।

ii. डॉ. कॉसमास लकीसन जावाजावा, निदेशक (बीडीटी), आईटीयू के साथ द्विपक्षीय बैठक।

iii. श्री टॉमस लामानौस्कस, उप महासचिव – आईटीयू के साथ द्विपक्षीय बैठक।

iv. श्री डिक क्रिस्टोफ एनजी सुई डब्ल्यूए, अध्यक्ष, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्राधिकरण (आईसीटीए), मॉरीशस के साथ द्विपक्षीय बैठक।

v. श्री गियाकोमो लासोरेला, प्रेसीडेंट, ऑटोरिटा पर ले गारंजीनेले कॉमुनिकाजियोनी (एजीसीओएम) – रोम, इतालवी रेगुलेटर के साथ उनकी रोम यात्रा (17 से 18 मार्च, 2023) के दौरान द्विपक्षीय बैठकें हुईं।

2.22 दूरसंचार विभाग के विचाराधीन प्रशासनिक और कानूनी मुद्दे

रिपोर्ट में चर्चा किए गए विभिन्न मामलों के अलावा, निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रशासनिक और कानूनी मुद्दे हैं, जो दूरसंचार विभाग के विचाराधीन हैं:

(i) भादूविप्रा अधिनियम 1997 में संशोधन का प्रस्ताव

भादूविप्रा अधिनियम 1997 के तहत भादूविप्रा की स्थापना की गई है, अन्य बातों के साथ–साथ इसकी स्थापना दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने और दूरसंचार क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए की गई है। प्राधिकरण को अपने विनियामक संबंधी कार्यों के निर्वहन में निर्देश, विनियम और आदेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं, लेकिन इसके द्वारा उठाए गए विनियामक उपायों के अनुपालन को

सुनिश्चित करने के लिए दंडात्मक कार्रवाई करने की कोई शक्ति नहीं है। भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के तहत अपने कार्यों का प्रभावी निर्वहन सुनिश्चित करने हेतु प्राधिकरण ने वर्ष 2007 में भादूविप्रा अधिनियम में संशोधन के लिए एक व्यापक प्रस्ताव भेजा। तत्पश्चात, दूरसंचार विभाग के साथ कई पत्राचार किए गए और दूरसंचार विभाग द्वारा कैबिनेट के लिए दो मसौदा नोट भी तैयार किए गए, लेकिन अभी तक प्रस्तावित संशोधन नहीं किए गए हैं। इसलिए, भादूविप्रा अधिनियम में संशोधन के लिए एक व्यापक प्रस्ताव दिनांक 3 जून, 2016 को दूरसंचार विभाग को भेजा गया था। इसके बाद, प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा के लिए भादूविप्रा और दूरसंचार विभाग के बीच कई बैठकें हुई हैं। भादूविप्रा ने दिनांक 27 जून, 2017 को विस्तृत टिप्पणियाँ भी भेजीं। इस संबंध में दिनांक 1 दिसंबर, 2017 को आखिरी बैठक हुई थी और इससे संबंधित कुछ स्पष्टीकरण दिनांक 5 दिसंबर 2017, 10 अप्रैल, 2018, 21 अगस्त 2019 और 9 दिसंबर, 2019 को दूरसंचार विभाग को भेजे गए थे। दिनांक 12 फरवरी, 2021 को दूरसंचार विभाग से एक और पत्र प्राप्त हुआ जिसमें भादूविप्रा से भादूविप्रा अधिनियम, 1997 में प्रस्तावित संशोधनों के साथ–साथ दूरसंचार विधेयक के मसौदे पर इनपुट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। इसलिए, भादूविप्रा अधिनियम, 1997 में संशोधन के लिए एक व्यापक प्रस्ताव दिनांक 02 जून, 2021 को फिर से दूरसंचार विभाग को भेजा गया। दिनांक 18 अगस्त, 2021 को दूरसंचार विभाग के साथ एक बैठक आयोजित की गई और दिनांक 05 अक्टूबर, 2021 को दूरसंचार विभाग को कुछ स्पष्टीकरण भेजे गए। प्रस्तावित संशोधनों में शीघ्रता लाने के उद्देश्य से दिनांक 19 जनवरी, 2022 को दूरसंचार विभाग को एक अनुस्मारक भी भेजा गया था। दूरसंचार विभाग ने 22 सितंबर, 2022 के पत्र के माध्यम से भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 के मसौदे पर प्राधिकरण की टिप्पणियां मांगीं, जिसके तहत भादूविप्रा अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया था। प्राधिकरण ने अपने पत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2022 के माध्यम से अपनी टिप्पणियाँ प्रदान कीं और दूरसंचार विभाग से भादूविप्रा अधिनियम में संशोधन को अलग से करने का अनुरोध किया और दिनांक 10 जनवरी, 2023 के पत्र के माध्यम से दूरसंचार विभाग से भादूविप्रा अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव पर शीघ्रता से कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

भादूविप्रा अधिनियम, 1997 में संशोधन का प्रस्ताव दूरसंचार विभाग के विचाराधीन है।

(ii) भादूविप्रा (अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) संबंधी नियम, 2002 की अनुसूची I में संशोधन

भादूविप्रा (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2002 की अनुसूची–I में 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान शामिल करने के लिए संशोधन की आवश्यकता है।

भादूविप्रा ने (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवाओं की अन्य शर्तें) नियम, 2002 की अनुसूची–I में कुछ श्रेणी के पदों में संशोधन/शुरुआत के उद्देश्य से संशोधन हेतु एक प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव में कुछ नई श्रेणी के पदों को शामिल करना था जो बाद में वेतन आयोगों द्वारा बनाए गए और सभी मंत्रालयों में संचालित किए गए और कुछ श्रेणी के पदों को बाहर करना था जिनकी भादूविप्रा में अब आवश्यकता/प्रचालनरत नहीं है।

भादूविप्रा (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2002 की अनुसूची–I को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन नियम, 2022 के द्वारा दूरसंचार विभाग ने दिनांक 11 फरवरी, 2022 को जारी अधिसूचना के माध्यम से संशोधन कर दिया है। दिनांक 14 फरवरी, 2022 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना के माध्यम से, केंद्र सरकार ने अनुसूची–I के भाग में संशोधन किया है और स्टाफ कार ड्राइवर के पद को चार ग्रेडों में पुनर्गठित किया है, फोटो कॉपी मशीन ऑपरेटर और डिस्पैच राइडर के पद को सम्मिलित किया गया है तथा और परिचारक पद का पदनाम परिवर्तित कर मल्टी–टास्किंग स्टाफ किया गया है। तथापि, पदों की शेष श्रेणियों के लिए, नियमों की अनुसूची–I में संशोधन अभी भी लंबित है।

तेजी से बदलते प्रौद्योगिकी परिदृश्य और बढ़े हुए कार्यभार से जुड़ी नई विनियामक चुनौतियों के मद्देनजर, भादूविप्रा ने भादूविप्रा में संभावित पुनर्गठन पर विचार–विमर्श शुरू किया। उचित विचार–विमर्श के बाद, पुनर्गठन एवं अतिरिक्त पदों के सृजन का एक प्रस्ताव प्रारंभ किया गया है और वित्त मंत्रालय से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के लिए दूरसंचार विभाग को भेजा गया है। इस वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के माध्यम से सहायक और वैयक्तिक सहायक के कैडर में सीधी भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की है।

अनुलग्नक–I

दिनांक 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के दौरान सीओपी (ऑफलाइन/ऑनलाइन) की सूची

क्र.सं.	पुलिस का स्थान	तारीख
1	बिहार (ऑनलाइन)	25.05.2022
2	तेलंगाना (ऑनलाइन)	27.05.2022
3	मेघालय और मिजोरम (ऑनलाइन)	30.06.2022
4	मध्य प्रदेश (ऑनलाइन)	15.07.2022
5	हरियाणा (ऑनलाइन)	29.07.2022
6	गोसाबा, सुंदरबन (पश्चिम बंगाल)	03.08.2022
7	राजस्थान (ऑनलाइन)	05.08.2022
8	विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश)	12.08.2022
9	भिलाई (छत्तीसगढ़)	23.08.2022
10	वारंगल (तेलंगाना)	25.08.2022
11	पटियाला (पंजाब)	31.08.2022
12	रामगढ़ (झारखंड)	02.09.2022
13	बेंगलुरु (कर्नाटक)	02.09.2022
14	भोपाल (मध्य प्रदेश)	07.09.2022
15	बालासिनोर, महिसागर (गुजरात)	12.09.2022
16	झाँसी (उत्तर प्रदेश)	14.09.2022
17	रत्नागिरी (महाराष्ट्र)	22.09.2022
18	कोयंबटूर (तमिलनाडु)	23.09.2022
19	अमीनगांव, गुवाहाटी (असम)	27.09.2022
20	अहमदनगर (महाराष्ट्र)	30.09.2022
21	भीलवाड़ा (राजस्थान)	11.10.2022
22	महेश्वर (मध्य प्रदेश)	19.10.2022
23	होसुर (तमिलनाडु)	21.10.2022
24	रामपछोड़ावरम (आंध्र प्रदेश)	10.11.2022
25	अमरावती (महाराष्ट्र)	22.11.2022
26	रेवाडी (हरियाणा)	23.11.2022
27	राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)	23.11.2022
28	चुराचांदपुर (मणिपुर)	26.11.2022
29	मोइनाबाद (हैदराबाद)	06.12.2022
30	कच्छ (गुजरात)	12.12.2022
31	कालामस्सेरी (केरल)	13.12.2022
32	बेंगलुरु (कर्नाटक)	19.12.2022
33	ललितपुर (उत्तर प्रदेश)	21.12.2022
34	गया (बिहार)	22.12.2022
35	गुजरात (ऑनलाइन)	10.01.2023
36	सीहोर (मध्य प्रदेश)	18.01.2023

37	जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल)	21.01.2023
38	नेल्लोर (आंध्र प्रदेश)	24.01.2023
39	रोहतक (हरियाणा)	24.01.2023
40	मसूरी (उत्तराखंड)	09.02.2023
41	गुंटूर (आंध्र प्रदेश)	15.02.2023
42	त्रिशूर (बेंगलुरु)	23.02.2023
43	ओडिशा (ऑनलाइन)	24.02.2023
44	बीकानेर (राजस्थान)	27.02.2023
45	अमृतसर (पंजाब)	03.03.2023
46	गंगटोक (सिक्किम)	14.03.2023
47	गरियाबंद (छत्तीसगढ़)	14.03.2023
48	गोवा (गोवा)	14.03.2023
49	सिवनी (मध्य प्रदेश)	15.03.2023
50	कांचीपुरम (तमिलनाडु)	15.03.2023
51	सोलन (हिमाचल प्रदेश)	24.03.2023
52	तुमकुर (कर्नाटक)	27.03.2023
53	दीमापुर (नागालैंड)	28.03.2023

भाग - III

भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्य

भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्य

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997, यथा संशोधित, की धारा–11 में उपबंध है कि –

(1) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) में कुछ भी अंतर्विष्ट होने के बावजूद, प्राधिकरण के निम्नलिखित कार्य होंगे–

(क) निम्नलिखित मामलों पर स्वतः अथवा लाइसेन्सदाता के अनुरोध पर संस्तुति करना, नामतः

(i) नए सेवा प्रदाता के प्रवेश की आवश्यकता और समय।

(ii) सेवा प्रदाता को लाइसेन्स प्रदान करने के निबंधन और शर्तें।

(iii) लाइसेन्स के निबंधन और शर्तों का पालन नहीं करने पर लाइसेन्स निरस्त करना।

(iv) दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन में प्रतिस्पर्धा सुविधाजनक बनाने तथा दक्षता को प्रोत्साहन हेतु उपाय करना, ताकि इन सेवाओं का विकास सुसाध्य बनाया जा सके।

(v) सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में प्रौद्योगिकी की दृष्टि से सुधार करना।

(vi) नेटवर्क में प्रयुक्त उपस्करों के निरीक्षण के उपरान्त सेवा प्रदाताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपस्कर का प्रकार निर्धारित करना।

(vii) दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास तथा ऐसे अन्य मामलों हेतु उपाय करना, जो साधारण रूप में दूरसंचार उद्योग से संबद्ध करने योग्य है।

(viii) उपलब्ध स्पेक्ट्रम का दक्षतापूर्ण प्रबंधन

(ख) निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन, नामतः

(i) लाइसेन्स के निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

(ii) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2000 लागू होने से पहले स्वीकृत लाइसेन्स के निबंधन एवं शर्तों में कुछ भी अंतर्विष्ट होने के बावजूद सेवा प्रदाताओं के बीच अंतर्संयोजन के निबंधन एवं शर्तें निर्धारित करना।

(iii) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी समायोजनीयता तथा कारगर अंतर्संयोजन सुनिश्चित करना।

(iv) दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने से मिलने वाले राजस्व में सेवा प्रदाताओं के मध्य उनकी हिस्सेदारी के लिए व्यवस्था विनियमित करना।

(v) सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा की गुणवत्ता निर्धारित करना तथा सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली इन सेवाओं का आवधिक सर्वेक्षण संचालित करना ताकि दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं का हित संरक्षित किया जा सके।

(vi) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच दूरसंचार के स्थानीय और लम्बी दूरी के परिपथ उपलब्ध कराने हेतु समयावधि निर्धारित और सुनिश्चित करना।

(vii) अंतर्संयोजन अनुबंधों तथा ऐसे सभी मामलों का रजिस्टर तैयार करना, जिनका प्रावधान विनियमों में किया गया है।

(viii) खंड (vii) के तहत अनुरक्षित रजिस्टर, जनता के किसी भी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखना, उसके लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान तथा विनियमों में दी गई व्यवस्था का अनुपालन करने पर, उपलब्ध करना।

(ix) सर्वसामान्य सेवा दायित्वों का कारगर अनुपालन सुनिश्चित करना।

(ग) ऐसी दरों पर तथा ऐसी सेवाओं के संबंध में शुल्क तथा अन्य प्रभार वसूल करना जैसा कि विनियम में निर्धारित किया गया है।

(घ) इस तरह के प्रशासनिक तथा वित्तीय कार्यों सहित ऐसे अन्य कार्य निष्पादित करना, जो केन्द्र सरकार द्वारा इसे सौंपे जा सकते हैं या इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं:

बशर्ते यह भी कि इस उप–धारा के खंड(क) में विनिर्दिष्ट प्राधिकरण की संस्तुतियां केन्द्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होंगी।

बशर्ते यह भी कि केन्द्र सरकार सेवा प्रदाता को जारी करने हेतु नए लाइसेन्स के संबंध में इस उप–धारा के खंड (क) के उप–खंड (i) एवं (ii) में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में प्राधिकरण की संस्तुतियां मांगेगी तथा प्राधिकरण अपनी संस्तुतियां सरकार द्वारा संस्तुतियां मांगे जाने की तिथि से साठ दिन के भीतर अग्रसारित करेगा:

बशर्ते यह भी कि प्राधिकरण केन्द्र सरकार से ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है, जो इस उप–धारा के खंड (क) के उप–खंड (i) एवं (ii) के अधीन संस्तुतियां करने हेतु आवश्यक है तथा कि सरकार ऐसी सूचना उस हेतु अनुरोध की प्राप्ति से सात दिन की अवधि के भीतर उपलब्ध कराएगी:

बशर्ते यह भी कि केन्द्र सरकार सेवा प्रदाता को लाइसेन्स जारी कर सकती है, यदि दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट अवधि अथवा केन्द्र सरकार और प्राधिकरण के बीच परस्पर सहमति के आधार पर निर्धारित अवधि के भीतर कोई संस्तुति प्राप्त नहीं होती है:

बशर्ते यह भी है कि यदि केन्द्र सरकार प्राधिकरण की संस्तुति पर विचार किए जाने के बाद प्रथमदृष्टया निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्राधिकरण की संस्तुति स्वीकार नहीं की जा सकती है अथवा कि उसमें संशोधन की आवश्यकता है, यह संस्तुति प्राधिकरण द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजेगी तथा प्राधिकरण, पुनर्विचार अनुरोध की प्राप्ति की तिथि से पंद्रह दिन के भीतर, सरकार द्वारा संदर्भित पुनर्विचार के उपरांत अपनी संस्तुति केन्द्र सरकार को अग्रेषित करेगा। केन्द्र सरकार अतिरिक्त संस्तुति, यदि कोई हो, की प्राप्ति के पश्चात अंतिम निर्णय लेगी।

(2) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885(1885 का 13) में कुछ भी अंतर्विष्ट होने के बावजूद, प्राधिकरण समय–समय पर आदेश द्वारा, सरकारी राजपत्र में दरें अधिसूचित कर सकता है, जिन पर इस अधिनियम के अधीन भारत के भीतर और भारत से बाहर दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, इनमें वे दर शामिल हैं, जिन पर भारत से बाहर किसी देश को संदेश भेजा जा सकता है

बशर्ते यह कि प्राधिकरण समान प्रकार की दूरसंचार सेवाओं के लिए विभिन्न व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग हेतु भिन्न दरें अधिसूचित कर सकता है तथा जहां उपरोक्तानुसार भिन्न दरें निर्धारित की जाती हैं, प्राधिकरण उसके लिए कारण अभिलेखबद्ध करेगा।

(3) प्राधिकरण उप–धारा (1) तथा उप–धारा (2) के अधीन अपने कार्यदायित्वों का निर्वहन करते समय भारत की सम्प्रभुता तथा अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टता अथवा नैतिकता के हित विरूद्ध कार्य नहीं करेगा।

(4) प्राधिकरण अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय तथा अपने कार्यदायित्वों का निर्वहन करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा

3. प्राधिकरण ने, उद्योग का विकास सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित करने के उद्देश्यों की प्राप्ति के अनुसरण में, स्वतः स्फूर्त विधि में अथवा सरकार द्वारा इसके विचारार्थ प्रेषित मामलों पर अनेक संस्तुतियां की हैं; अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न विनियम अधिसूचित किए है; लाइसेन्स के निबंधन एवं शर्तें लागू करने हेतु कार्रवाई सुनिश्चित की गई है; तथा अन्य अनेक मुद्दों पर कार्य आरंभ किया गया है। विभिन्न संस्तुति संबंधी तथा विनियामक कार्यों के निर्वहन द्वारा भादूविप्रा ने उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि तथा पूरे देश में दूरसंचार सेवाएं प्रदायक नेटवर्क उपलब्ध कराने के रूप में प्रसारण एवं केबल सेवाओं सहित दूरसंचार सेवाओं के विकास में अपना योगदान दिया है। इन सतत् उपायों के परिणामस्वरूप उपभोक्तागण सेवाओं के विकल्प, दूरसंचार सेवा की घटी दरों, सेवा की बेहतर गुणवत्ता इत्यादि के रूप में समग्र रूप से लाभान्वित हुए हैं। भादूविप्रा द्वारा भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 में विभिन्न मामलों के संबंध में निष्पादित कुछ विशिष्ट कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है।

क) दूरसंचार दरें, भारत के अंदर और भारत से बाहर दोनों के लिए, जिनमें भारत से बाहर किसी देश को संदेश भेजने की दरें सम्मिलित हैं

3.1 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (संशोधन) भादूविप्रा अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधित, की धारा 11(2) प्राधिकरण को सरकारी राजपत्र में ऐसी दरें अधिसूचित करने का अधिकार प्रदान करती हैं, जिन पर भारत के अंदर और भारत से बाहर दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जाएंगी, इनमें वे दरें सम्मिलित हैं, जिन पर भारत से बाहर किसी देश को संदेश भेजा जा सकता है। इसमें यह प्रावधान भी किया गया है कि प्राधिकरण समान प्रकार की दूरसंचार सेवाओं के लिए भिन्न व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग हेतु भिन्न दरें अधिसूचित कर सकता है। विभिन्न सेवाओं के लिए लागू प्रशुल्क व्यवस्था विनिर्दिष्ट करने के अतिरिक्त, भादूविप्रा से यह भी सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि बाजार में विद्यमान प्रशुल्क विनिर्दिष्ट प्रशुल्क व्यवस्था के अनुरूप हैं। इस प्रयोजन हेतु, प्राधिकरण सेवा प्रदाताओं द्वारा विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए वसूल की जा रही दरों की निगरानी भी करता है। इसके अतिरिक्त, पे चैनलों के लिए तथा केबल सेवाओं के लिए दरें तय करने हेतु मानदंड निर्धारित करने का कार्य भी भादूविप्रा को सौंपा गया है।

3.1.1 वर्तमान प्रशुल्क फ्रेमवर्क के अनुसार, मोबाइल सेवाओं और डेटा सेवाओं के लिए प्रशुल्क प्रविरत रखे गए हैं। सेवा प्रदाता के पास अपने प्रचालन के विभिन्न सेवा क्षेत्रों के लिए मल्टीपल कॉम्बीनेशन के साथ विभिन्न प्रकार की कॉल्स, एसएमएस या इंटरनेट डाटा पेशकश तय करने के विकल्प हैं। तथापि, प्रशुल्क पेशकश दूरसंचार प्रशुल्क आदेशों एवं दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम के अनुसार होने चाहिए।

भादूविप्रा प्रशुल्क विनियम द्वारा उपभोक्ता हितों की संरक्षा करता है। प्रशुल्क विनियम, उपभोक्ताओं को प्रशुल्क प्रस्तावों में स्पष्टता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा जहां, बाजार यथेष्ट दरें प्रदान नहीं कर रहा है, वहां प्रशुल्क प्रभार तय किए जाने के रूप में होता है।

ख) (i) नए सेवा प्रदाताओं की आवश्यकता और समय (ii) नए सेवा प्रदाता को लाइसेंस देने के निबंधन और शर्तें; तथा (iii) लाइसेंस के निबंधन और शर्तों का अनुपालन न करने पर लाइसेंस प्रतिसंहरण पर अनुशंसाएँ

3.2 भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(क) के अंतर्गत, प्रसारण और केबल सेवाओं के मामले में प्राधिकरण के लिए स्वतः अथवा लाइसेंसप्रदाता अर्थात् दूरसंचार विभाग या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुरोध किए जाने पर अनुशंसाएँ करना अपेक्षित है। भादूविप्रा द्वारा वर्ष 2022–23 के दौरान सरकार को की गई अनुशंसाएँ इस प्रकार हैं:

(i) ''आईएमटी/5जी के लिए पहचाने गए फ्रीक्वेंसी बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी'' पर दिनांक 11 अप्रैल, 2022 की अनुशंसाएँ।

(ii) ''केबल टीवी सेवाओं में बाजार संरचना प्रतिस्पर्धा'' पर दिनांक 7 सितंबर, 2022 की अनुशंसाएँ।

(iii) ''सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे (एसईएसजी) की स्थापना और संचालन के लिए लाइसेंसिंग ढांचे'' पर दिनांक 29 नवंबर, 2022 की अनुशंसाएँ।

(iv) ''स्मॉल सेल और एरियल फाइबर परिनियोजन के लिए स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग'' पर दिनांक 29 नवंबर, 2022 की अनुशंसाएँ।

(v) ''आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए ट्रेन कंट्रोल सिस्टम के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) की स्पेक्ट्रम आवश्यकताएं'' पर दिनांक 28 दिसंबर, 2022 की अनुशंसाएँ।

(vi) ''मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) पंजीकरण के नवीनीकरण'' पर दिनांक 29 दिसंबर, 2022 की अनुशंसाएँ।

(vii) ''डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग'' पर दिनांक 20 फरवरी, 2023 की अनुशंसाएँ।

(viii) ''सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से संबंधित मुद्दे'' पर दिनांक 22 मार्च, 2023 की अनुशंसाएँ।

(ix) ''टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना'' पर दिनांक 31 मार्च, 2023 की अनुशंसाएँ।

इन सिफारिशों के ब्योरे पर रिपोर्ट के भाग–II में पहले ही चर्चा की जा चुकी है।

ग) तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी अंतर्संयोजन सुनिश्चित करना

3.3 अंतर्संयोजन दूरसंचार सेवाओं की जीवन रेखा है। जब तक कि आवश्यक अंतर्संयोजन व्यवस्था लागू न हो तब तक दूरसंचार सेवाओं के सब्सक्राइबर एक दूसरे के साथ संवाद नहीं कर सकते हैं अथवा उन आवश्यक सेवाओं से जुड़ नहीं सकते हैं। एक प्रभावी और कुशल अंतर्संयोजन करार दूरसंचार सेवा क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भादूविप्रा ने 10 जुलाई, 2020 को ''दूरसंचार अंतर्संयोजन (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020'' अधिसूचित किया, जो किसी भी दो सार्वजनिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क (आमतौर पर फिक्स्ड लाइन नेटवर्क के रूप में संदर्भित), और पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क (पीएसटीएन) और राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) नेटवर्क के बीच अंतर्संयोजन को आसान बनाता है।

घ) सेवा प्रदाताओं को दूरसंचार सेवा उपलब्ध कराने के माध्यम से प्राप्त किए गए उनके राजस्व की साझेदारी के लिए उनके बीच व्यवस्था का विनियमन

3.4 अंतर्संयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) व्यवस्था एक सेवा प्रदाता के सब्सक्राइबरों को किसी अन्य सेवा प्रदाता के सब्सक्राइबरों के साथ संवाद करने में सक्षम बनाने के लिए एक अनिवार्य अपेक्षा है। अंतर्संयोजन प्रदान करने के लिए लागत आती है जिसके लिए सेवा प्रदाताओं की पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति किए जाने की आवश्यकता है। आईयूसी प्रणाली न केवल सेवा प्रदाताओं पर अर्जित राजस्व का निर्धारण करती है बल्कि यह भी निर्धारित करता है कि यह राजस्व उनके बीच किस प्रकार संवितरित किया जाना है। एक कुशल अंतर्संयोजन और प्रभार व्यवस्था विभिन्न नेटवर्कों के बीच कुशल और निर्बाध संपर्क के लिए प्रमुख शर्त है।

ङ) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच दूरसंचार के स्थानीय और लंबी दूरी के सर्किट उपलब्ध कराने के लिए समय–सीमा

3.5 पीओआई पर प्रारंभिक अंतर्संयोजन और पोर्ट्स के संवर्द्धन के लिए पोर्ट्स के प्रावधान की समय सीमा को वर्ष 2018–19 में ''दूरसंचार अंतर्संयोजन (संशोधन) विनियम, 2018'' दिनांक 05 जुलाई, 2018 के माध्यम से बढ़ाकर 42 दिन कर दिया गया है।

च) लाइसेंस के नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना

3.6 भादूविप्रा द्वारा बहु–आयामी दृष्टिकोण के माध्यम से समय–समय पर इस कार्य का निर्वहन किया जाता है। इनमें से एक दृष्टिकोण सेवा प्रदाताओं से प्राप्त रिपोर्टों के माध्यम से विश्लेषण करना है और दूसरा दृष्टिकोण उपभोक्ताओं/उपभोक्ता संगठनों, विशेषज्ञों आदि से प्राप्त फीडबैक/अभ्यावेदन के माध्यम से है।

छ) दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने हेतु उठाये गए कदम

3.7 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, उपभोक्ता शिक्षा और जागरूकता को बढ़ाने के लिए भादूविप्रा के पंजीकृत उपभोक्ता संगठनों के क्षमता निर्माण पर उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं आयोजित करता है और उपभोक्ता शिक्षण सामग्री प्रकाशित करता है तथा मीडिया अभियान चलाता है। वर्ष 2022–23 के दौरान, आयोजित कार्यक्रमों और चलाए गए अभियानों का विवरण रिपोर्ट के भाग–II में दिया गया है। इसके अलावा, दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए उठाए गए अन्य कदम निम्नलिखित पैराग्राफों में दिए गए हैं:

3.7.1 मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली की लेखापरीक्षा

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने (i) मीटरिंग और बिलिंग के संबंध में सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुपालन की जा रही प्रक्रियाओं में एकरूपता और पारदर्शिता लाने; (ii) बिलिंग के मापन में सटीकता और विश्वसनीयता से संबंधित मानदण्ड विनिर्दिष्ट करने; (iii) सेवा प्रदाताओं द्वारा समय–समय पर उपलब्ध कराई जाने वाली बिलिंग की सटीकता का मापन करने तथा उनकी तुलना मानदण्डों से करना ताकि निष्पादन के स्तर का आंकलन किया जा सके; (iv) बिल संबंधी शिकायतों का न्यूनीकरण करने; और (v) दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भादूविप्रा ने सेवा गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग की सटीकता के लिए प्रक्रिया संहिता) विनियम, 2006 की समीक्षा की तथा दिनांक 25 मार्च, 2013 को सेवा गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग सटीकता के लिए प्रक्रिया संहिता) विनियम, 2013 जारी किए।

विनियमों में सेवा प्रदाताओं के लिए अधिदेशित किया गया है कि वे भादूविप्रा द्वारा अधिसूचित किसी भी लेखापरीक्षक के माध्यम से वार्षिक आधार पर उनकी मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली की लेखापरीक्षा की व्यवस्था करें तथा प्रत्येक वर्ष दिनांक 31 जुलाई के पश्चात् उसके संबंध में एक लेखापरीक्षा प्रमाण–पत्र को भादूविप्रा को प्रेषित करें।

विनियमों में यह उपबंध भी है कि सेवा प्रदाताओं को एजेंसी द्वारा प्रमाणपत्र में उल्लिखित किसी अपर्याप्तता, यदि कोई है, के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 15 नवम्बर तक भादूविप्रा को उस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रेषित करनी होगी। इसके अतिरिक्त, इन विनियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भादूविप्रा ने ऑडिट रिपोर्टों और की गई कार्रवाई की रिपोर्टों को प्रस्तुत करने में हुए विलंब के लिए 1,00,000/– रुपये प्रति सप्ताह की दर से वित्तीय दंड तथा गलत या अपूर्ण जानकारी देने के लिए प्रति कार्रवाई की गई रिपोर्ट 10,00,000/– रुपये से अनधिक का वित्तीय दंड भी प्रवर्तित किया है।

सेवा प्रदाताओं ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्टें और की गई कार्रवाई रिपोर्टें को निर्धारित समय–सीमा के भीतर प्रस्तुत किया है। लेखापरीक्षा ने बिलिंग और चार्जिंग में कमियों की पहचान करने में मदद की है जिसके फलस्वरूप प्रभावित उपभोक्ताओं से उद्गृहीत अतिरिक्त प्रभारों की वापसी की गई है और मुद्दों को व्यवस्थित रूप से हल करने में मदद मिली है।

3.7.2. स्पैम नियंत्रण

अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषण (यूसीसी) की समस्या की रोकथाम के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा ने नए प्रौद्योगिकीय प्लेटफार्म अर्थात् 'डिस्ट्रीब्यूटिड लेजर टेक्नालाजी (डीएलटी) को अपनाने को अधिदेशित करते हुए दिनांक 19 जुलाई, 2018 के ढांचे की समीक्षा की है और दूरसंचार वाणिज्यिक सम्प्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2018 को अधिसूचित किया है। विनियम, प्रेषकों (व्यवसायों और टेलीमार्केटर्स), हेडर, सब्सक्राइबरों की सहमति, संदेश टेम्पलेट आदि के पंजीकरण और वरीयताओं पर सूक्ष्म नियंत्रण का उपबंध करता है। यह एक सह–विनियम है जहां दूरसंचार सेवा प्रदाता/एक्सेस प्रदाता ढांचे की स्थापना और व्यवस्था करते हैं, जो विधिक रूप से विनियम द्वारा समर्थित है।

एक कैलेंडर माह के लिए प्रत्येक लाइसेंस सेवा क्षेत्र में एक्सेस प्रदाता द्वारा आरटीएम से अनचाहे वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) को नियंत्रित नहीं करने के लिए वित्तीय दंड नीचे दिया गया है:

	"एक कैलेंडर माह के लिए आरटीएम के लिए यूसीसी की गणना" का मूल्य	वित्तीय दंड की राशि रुपए में
(क)	शून्य से अधिक लेकिन सौ से अधिक नहीं	प्रत्येक पर एक हजार रूपये
(ख)	सौ से अधिक लेकिन एक हजार से अधिक नहीं	अधिकतम वित्तीय दंड (क) सौ से अधिक होने पर प्रत्येक पर पांच हजार रुपये
(ग)	एक हजार से भी ज्यादा	अधिकतम वित्तीय दंड (ख) हजार से अधिक होने पर प्रत्येक पर दस हजार रुपये

विनियमन के तहत वित्तीय दंड के रूप में देय कुल राशि प्रति कैलेंडर माह 50 लाख रू. से अधिक नहीं होगी।

सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक तिमाही में सेवा प्रदाताओं के निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है।

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए इन विनियमों के तहत निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

3.7.3 ट्राई डीएनडी ऐप

यह मोबाइल एप्लिकेशन ग्राहकों को एक सामान्य मोड के माध्यम से किसी भी सेवा प्रदाता के साथ अपनी डू–नॉट–डिस्टर्ब (डीएनडी) वरीयता और शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। यह एक इंटेलीजेंट स्पैम डिटेक्शन इंजन का उपयोग करके ग्राहकों को उनकी शिकायतों की रिपोर्ट करने में सहायता करता है और ऐप के भीतर शिकायतों पर की गई कार्रवाई के बारे में अपडेट करता है।

3.7.4 शिकायत निवारण

यदि किसी सब्सक्राइबर को अवांछित संचार प्राप्त होता है, तो वह इसके एक्सेस प्रदाता से शिकायत कर सकता है। शिकायत दर्ज करने के विभिन्न तरीके जैसे शॉर्ट कोड 1909 पर एसएमएस भेजना, 1909 पर कॉल करना और मोबाइल ऐप के माध्यम से निर्धारित किए गए हैं। एक्सेस प्रदाताओं को ग्राहक शिकायत पंजीकरण सुविधा (सीसीआरएफ) पूरे वर्ष 24 घंटे x 7 दिन के आधार पर उपलब्ध कराना आवश्यक है।

3.7.5 हेडर सूचना पोर्टल

हेडर सूचना पोर्टल ग्राहकों को वाणिज्यिक और सरकारी जागरूकता संचार भेजने वाले को जानने की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल अन्य प्रमुख संस्थाओं को यह जांचने में भी मदद कर सकता है कि क्या कोई समान दिखने वाला हेडर किसी अन्य इकाई द्वारा पंजीकृत है। कोई भी व्यक्ति किसी विशेष हेडर के बारे में पूछ सकता है या पूरी सूची डाउनलोड कर सकता है। टीएसपी प्रमुख संस्थाओं (व्यवसाय या कानूनी संस्थाओं) को सौंपे गए अल्फा–न्यूमेरिक हेडर की सूची अपलोड कर सकते हैं।

3.7.6 सरकारी संस्थाओं को जनहित के एसएमएस भेजने की छूट

एसएमएस समाप्ति शुल्क से छूट के लिए पोर्टलः यह पोर्टल सरकारी संस्थाओं को टीसीसीसीपीआर, 2018 के विनियमन 35 के तहत पंजीकृत हेडर के लिए 5 पैसे तक एसएमएस समाप्ति शुल्क से छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा देता है। यह पोर्टल सरकारी संस्थाओं को नवीनीकरण की तारीखों और एसएमएस समाप्ति शुल्क से 5 पैसे की छूट से संबंधित अन्य जानकारी जानने में भी मदद करता है।

3.7.7 भवनों के अंदर सेवा की गुणवत्ता में सुधार

समय–समय पर भादूविप्रा ने सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) में सुधार के लिए विभिन्न पहल की हैं। प्राधिकरण ने दिनांक 25 मार्च, 2022 को ''डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग'' पर एक परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया, जिसमें विशेष रूप से भवन और टाउनशिप से संबंधित किसी भी विकास कार्यों के आंतरिक भाग के रूप में डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर जोर दिया गया। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से टिप्पणियाँ/प्रति टिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं। प्राप्त टिप्पणियों, विभिन्न स्तरों पर हुए विचार–विमर्श और भादूविप्रा के स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, ''डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग'' पर अनुसंशाओं को अंतिम रूप दिया गया है और दिनांक 20 फरवरी, 2023 को दूरसंचार विभाग (डीओटी) को प्रस्तुत किया गया है।

इन अनुशंसाओं का जोर डिजिटल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीसीआई) बनाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर है – जो किसी भी भवन विकास योजना का एक आंतरिक हिस्सा है, जो विभिन्न शहरी/स्थानीय निकायों के संपत्ति प्रबंधकों (स्वामी या डेवलपर या बिल्डर आदि), सेवा प्रदाताओं, अवसंरचना प्रदाता, डीसीआई पेशेवर और प्राधिकरण सहित विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा। यह अनुशंसा की जाती है कि डीसीआई को जल आपूर्ति, बिजली सेवाओं, गैस आपूर्ति, अग्नि सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं आदि की तर्ज पर भवन विकास योजनाओं का एक अनिवार्य घटक बनाया जाना चाहिए।

इन अनुशंसाओं में परिकल्पित पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न खिलाड़ियों के लिए क्षमता निर्माण के लिए संस्थागत तंत्र तैयार करने और डीसीआई परिषद (सीओ–डीसीआई) के निर्माण की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। भादूविप्रा ने मार्च 2022 में टीसीपीओ, MoHUA द्वारा जारी "इन–बिल्डिंग सॉल्यूशंस डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रावधान" शीर्षक से "मॉडल बिल्डिंग उपनियम 2016 के परिशिष्ट" को संशोधित करने की भी सिफारिश की है, और और मॉडल बिल्डिंग उपनियम 2016 में शामिल करने के लिए भवनों में डिजिटल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर एक नया मसौदा अध्याय प्रस्तावित किया। भवनों के लिए डीसीआई के संबंध में मानकों को विकसित करने और शामिल करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) को भी समय–समय पर संशोधित करने की सिफारिश की गई है।

भादूविप्रा ने इन सिफारिशों के माध्यम से इस बात पर भी जोर दिया कि डिजिटल सेवाओं तक पहुंच के लिए सभी प्रकार की इमारतों में डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर (डीसीआई) के विकास के लिए एक व्यापक ढांचा होना जरूरी है और संपत्ति प्रबंधक को बिना किसी शुल्क के सेवा प्रदाताओं को अपने स्वामित्व वाले डीसीआई तक पहुंच प्रदान करनी चाहिए। इमारतों में डिजिटल कनेक्टिविटी की सर्वोत्तम गुणवत्ता रखने के लिए संपत्ति प्रबंधक को प्रेरित करने के लिए, अनुसंशाओं में डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों को रेट करने के लिए ढांचे का विकास भी शामिल है।

3.7.8 प्रसारण सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु उठाए गए कदम

भादूविप्रा सक्रिय रूप से टैरिफ विनियमन के माध्यम से उपभोक्ता हितों की संरक्षण को बढ़ावा देता है। टैरिफ विनियमन टैरिफ प्रस्तावों में स्पष्टता और पारदर्शिता का आश्वासन देता है। प्रसारण क्षेत्र में, प्राधिकरण ने उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए प्रसारण टैरिफ को विनियमित करने के लिए डीएएस, डीटीएच आदि के लिए विभिन्न टैरिफ आदेश अधिसूचित किए हैं।

ज) दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन में प्रतिस्पर्धा को सुकर बनाने तथा कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करने हेतु उठाए गए कदम जिससे इस तरह की सेवाओं के विकास को सुगम बनाया जा सके

3.8 भादूविप्रा ने सदैव ही ऐसी नीतियां तैयार करने का प्रयास किया है जो समसामयिक हों, वर्तमान कल्याण पर अपेक्षित प्रभाव होना चाहिए। प्राधिकरण, इस तथ्य के बारे में सतर्क है कि उपयुक्त व्यवसाय कार्यनीतियां तैयार करने, प्रतिस्पर्धा को संवर्धित करने और इसके द्वारा अभिनवता का लाभ घटनाक्रमों के अनुकूल हों, सरल और व्यावहारिक हों। उनका प्रतिस्पर्धा, अवसंरचना, राजस्व और उपभोक्ता को देने के लिए एक विनियामक निश्चितता अनिवार्य है। भादूविप्रा ने प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करने तथा समस्त गंभीरता के साथ प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदाताओं के प्रवेश को आसान बनाने के लिए कार्य प्रारंभ किया है। अनुसंशा/विनियमों/प्रशुल्क आदेशों/निदेशों आदि के रूप में किए गए उपाय उद्योग के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुए हैं।

दूरसंचार के संचालन में प्रतिस्पर्धा को सुविधाजनक बनाने और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए भादूविप्रा ने दिनांक 17 अप्रैल, 2020 को जारी "दूरसंचार अंतर्संयोजन उपयोग शुल्क (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2020" के माध्यम से संशोधित किया गया था। इन विनियमों के माध्यम से, 0.30 रुपये प्रति मिनट की दर से निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय

समापन शुल्क (आईटीसी) की व्यवस्था को 0.35 रुपये प्रति मिनट 0.65 रुपये प्रति मिनट की निर्धारित सीमा के भीतर संशोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त, स्टैंडअलोन और इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल लॉन्ग–डिस्टेंस ऑपरेटर्स (आईएलडीओ) के बीच समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए, यह अनिवार्य है कि एक एक्सेस सर्विस प्रदाता हर किसी के लिए आईटीसी की गैर–भेदभावपूर्ण दर की पेशकश करेगा, यानी अपने स्वयं के संबद्ध आईएलडीओ के साथ–साथ स्टैंडअलोन आईएलडीओ के लिए भी। ये विनियम 01 मई, 2020 से लागू हुए।

झ) ऐसी दरों पर तथा ऐसी सेवाओं के संबंध में शुल्कों और अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण, जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं

3.9 भादूविप्रा को दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं के लिए प्रशुल्क नीतियों का निर्णय लेने का अधिदेश दिया गया है। भादूविप्रा प्रशुल्क के विनियमन के माध्यम से उपभोक्ता हितों का ध्यान रखता है। प्रशुल्क विनियम, उपभोक्ताओं को प्रशुल्क प्रस्तावों में स्पष्टता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा वहां प्रशुल्क प्रभार निर्धारित करने का स्वरूप लेता है, जहां बाजार इष्टतम दरें प्रदान नहीं कर रहा है।

ञ) सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम

3.10 सार्वभौमिक सेवा दायित्व की स्थापना 1 अप्रैल, 2002 को भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम 2003 के तहत की गई थी और देश के व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2006 में इसे और संशोधित किया गया था।

सरकार ने ब्रॉडबैंड के प्रसार और आम लोगों के लिए इंटरनेट/दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार करने हेतु सार्वभौमिक सेवा दायित्व फंड (यूएसओएफ) का उपयोग करके कई योजनाएं शुरू की हैं। हिमाचल प्रदेश के चार जिलों लाहौल और स्पीति, चंबा, कुल्लू और मंडी में खराब दूरसंचार कनेक्टिविटी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, भादूविप्रा ने स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रासंगिक हितधारकों जैसे हिमाचल प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी), स्थानीय राज्य सरकार के अधिकारियों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) और स्थानीय उपभोक्ता प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू की है। हितधारकों के साथ बातचीत और विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण ने दिनांक 12 दिसंबर, 2022 को ''हिमाचल प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी/बुनियादी ढांचे में सुधार'' पर अपनी अनुसंशाओं को अंतिम रूप दिया और सरकार को विचार के लिए भेजा।

प्राधिकरण ने यह भी सिफारिश की है कि हिमाचल प्रदेश के 25 वंचित गांवों (लाहौल और स्पीति, कुल्लू और चंबा के तीन राजस्व जिलों के अंतर्गत आने वाले) को दूरसंचार बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए आवश्यक पूंजीगत व्यय और ओपेक्स को यूएसओएफ के माध्यम से सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाना चाहिए।

ट) दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास और सामान्य रूप से दूरसंचार उद्योग से संबंधित किसी भी अन्य मामले में केंद्र सरकार को दी गई सलाह का विवरण

3.11 दूरसंचार क्षेत्र के विकास से संबंधित मामलों में भादूविप्रा द्वारा केंद्र सरकार को दी गई सुझाव का विवरण नीचे दिया गया है:

क) ''भारत में डेटा केंद्रों, सामग्री वितरण नेटवर्क और इंटरकनेक्ट एक्सचेंजों की स्थापना के माध्यम से डेटा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विनियामक ढांचा'' पर दिनांक 18 नवंबर, 2022 की अनुशंसाएँ।

ख) ''स्मॉल सेल और एरियल फाइबर परिनियोजन के लिए स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग'' पर दिनांक 29 नवंबर, 2022 की अनुशंसाएँ।

ठ) सेवा की गुणवत्ता की निगरानी और सेवा प्रदाताओं द्वारा ऐसी सेवाओं के प्रचारात्मक सर्वेक्षण का विवरण

3.12 सेवा प्रदाताओं से प्राप्त रिपोर्ट

3.12.1 मूलभूत और सेल्युलर सेवाएं

भादूविप्रा मूलभूत तथा सेल्युलर मोबाइल सेवा निष्पादन की निगरानी उपरोक्त निदेशों के अनुसार सेवा प्रदाताओं से प्राप्त तिमाही निष्पादन निगरानी रिपोर्ट (पीएमआर) के माध्यम से भादूविप्रा द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार करता है। सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा की गुणवत्ता के सुधार के क्रम में, भादूविप्रा ने मूलभूत टेलीफोन सेवा (वॉयरलाइन) तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की सेवा की गुणवत्ता (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012 दिनांक 08 नवम्बर, 2012 के माध्यम से मूलभूत टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा ऑपरेटरों पर नेटवर्क सेवा गुणवत्ता ऑपरेटरों तथा उपभोक्ता सेवा गुणवत्ता ऑपरेटरों के लिए मानदंडों का पालन नहीं किए जाने पर वित्तीय दंड निर्धारित किए हैं।

इन विनियमों में सेवा मानदंडों की गुणवत्ता की असत्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्ब के लिए वित्तीय दंड के रूप में दंडात्मक सुधार की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है।

3.12.2 ब्रॉडबैंड सेवा

भादूविप्रा दिनांक 6 अक्टूबर, 2006 के ब्रॉडबैंड सेवा के लिए सेवा की गुणवत्ता पर विनियमन के तहत त्रैमासिक प्रदर्शन निगरानी रिपोर्ट (पीएमआर) के माध्यम से भादूविप्रा द्वारा निर्धारित सेवा की गुणवत्ता मानकों के अनुसार सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन की निगरानी करता है। ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत तिमाही रिपोर्ट का विश्लेषण सेवा की गुणवत्ता मानदंड के संबंध में उनके निष्पादन के आंकलन हेतु किया जाता है। मानदंडों का स्तर और ऊंचा करने के लिए भादूविप्रा द्वारा ब्रॉडबैंड के गति सुधार के लिए दिनांक 25 जून, 2014 को ''ब्रॉडबैंड सेवा के लिए सेवा की गुणवत्ता (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012'' जारी किए गए।

3.12.3 ट्राई माईकॉल ऐप

''ट्राई माईकॉल ऐप'' का उद्देश्य क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से कॉल की गुणवत्ता को मापना है। ट्राई माईकॉल ऐप क्राउड सोर्स्ड वॉइस कॉल मॉनिटरिंग के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन है, जो एंड्रायड तथा आईओएस प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध है। यह एप्लिकेशन फोन उपयोगकर्ताओं की 'रीयल टाइम' में वॉइस कॉल की क्वालिटी के बारे में अपने अनुभव का मूल्यांकन करने और भादूविप्रा को नेटवर्क डाटा के साथ उपभोक्ताओं के अनुभव संबंधी डाटा एकत्रित करने में मदद करता है।

3.12.4 ट्राई माई स्पीड ऐप

यह एप्लिकेशन सब्सक्राइबर को वायरलेस डेटा स्पीड अनुभव को मापने की अनुमति देता है और भादूविप्रा को परिणाम भेजता है। एप्लिकेशन, डिवाइस और परीक्षणों के स्थान के साथ कवरेज, डेटा गति और अन्य नेटवर्क जानकारी को इकट्ठा करता है और भेजता है। माईस्पीड पोर्टल प्रत्येक लाइसेंस सेवा क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं के बीच ऐसे नमूनों से वायरलेस डेटा गति की तुलना प्रदर्शित करता है।

माईस्पीड ऐप में सुधार का सुझाव देने वाला एक पत्र दिनांक 14 फरवरी, 2023 को आईटी डिवीजन को भेजा गया था। आईटी डिवीजन के माध्यम से मेसर्स रेड मैंगो एनालिटिक्स को आधिकारिक तौर पर इसकी सूचना दी गई थी। आईटी डिवीजन और मेसर्स रेड मैंगो एनालिटिक्स लिमिटेड के बीच कई ऑनलाइन बैठकें हुई हैं। सुधार के प्रमुख बिंदुओं को माईस्पीड ऐप में शामिल किया गया है। माईस्पीड ऐप में सुधार के शेष बिंदुओं पर विक्रेता के साथ चर्चा की जा रही है।

झ) नेटवर्क में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों का निरीक्षण और सेवा प्रदाताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के प्रकार के संबंध में की गई सिफारिश

3.13 इस शीर्ष के तहत उठाए गए विशिष्ट कदम निम्नानुसार हैं:

''वायरलाइन एक्सेस सेवाओं के लिए सेवाओं के वाणिज्यिक लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण'' पर दिनांक 22 अप्रैल, 2020 की अनुशंसाएँ।

प्राधिकरण ने उचित परामर्श प्रक्रिया के बाद वायरलाइन एक्सेस सेवाओं के लिए सेवाओं के वाणिज्यिक लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण पर अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया और इसे दिनांक 22 अप्रैल, 2020 को दूरसंचार विभाग को उसके विचारार्थ अग्रेषित कर दिया।

भाग - IV

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले तथा वित्तीय कार्य निष्पादन

(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले तथा वित्तीय कार्य निष्पादन

4.1 यह खंड विशेष रूप से संगठन संरचना, वित्त पोषण, मानव संसाधन के क्षेत्रों जिसमें भर्ती, क्षमता निर्माण और अन्य सामान्य मुद्दों से संबंधित भादूविप्रा के संगठनात्मक मामलों पर जानकारी प्रदान करता है।

4.2 संगठन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना दिनांक 28 मार्च, 1997 को अधिनियमित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत की गई थी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण) उपरोक्त नाम से निगमित एक निकाय है, जिसके पास इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान करने और अनुबंध करने की शक्ति प्राप्त है, और उक्त नाम से मुकदमा करने या मुकदमा चलाने की शक्ति है। भादूविप्रा (संशोधन) अधिनियम, 2000 के परिणामतः प्राधिकरण का पुनर्गठन हुआ। प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, अधिकतम दो पूर्णकालिक सदस्य और अधिकतम दो अंशकालिक सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है। दिनांक 31 मार्च, 2023 को प्राधिकरण की संरचना निम्नानुसार थी:

डा. पी.डी. वाघेला
अध्यक्ष

सुश्री मीनाक्षी गुप्ता
सदस्य
(पूर्णकालिक)

सदस्य
(पूर्णकालिक)
VACANT

प्रोफेसर
भास्कर राममूर्ति
सदस्य (अंशकालिक)

सदस्य
(अंशकालिक)
VACANT

4.3 भादूविप्रा का सचिवालय (मुख्यालय)

प्राधिकरण सचिव की अध्यक्षता में एक सचिवालय के माध्यम से कार्य करता है तथा इस कार्य में उनकी सहायता, सात प्रभागों द्वारा की जाती है जो इस प्रकार हैं:

(I) प्रशासन एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध (प्रशासन एवं आईआर);

(ii) प्रसारण और केबल सेवाएँ (बी एंड सीएस);

(iii) वित्त और आर्थिक विश्लेषण (एफ एंड ईए);

(iv) नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग (एनएसएल);

(v) सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस);

(vi) विधि; और

(vii) उपभोक्ता मामले, सूचना प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी विकास (सीए, आईटी और टीडी)।

4.4 प्रशासन एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध (प्रशासन एवं आईआर) प्रभाग

प्रशासन प्रभाग सभी प्रशासनिक और कार्मिक कार्यों के लिए उत्तरदायी है जिसमें भादूविप्रा में मानव संसाधन विकास की योजना और नियंत्रण के साथ–साथ प्राधिकरण के उपयोग के लिए सूचना की समन्वित उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। प्रशासन प्रभाग के पास प्रशासन और कार्मिक अनुभाग (ए एंड पी), सामान्य प्रशासन अनुभाग (जीए), संचार और जनसंपर्क अनुभाग (कॉम और पीआर), राजभाषा अनुभाग (ओएल), प्रबंधन प्रतिनिधि और आरटीआई अनुभाग (एमआर एवं आरटीआई) की गतिविधियों के प्रबंधन और नियंत्रण की जिम्मेदारी है। प्रभाग ने एक सुसज्जित पुस्तकालय का प्रबंधन किया है जिसमें ज्ञान का अच्छा संग्रह है, जिसमें तकनीकी पुस्तकें, कानूनी पुस्तकें, साहित्य पुस्तकें आदि शामिल हैं। संसाधनों को साझा करने के लिए इसमें डेलनेट की संस्थागत सदस्यता भी है। यह प्रभाग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी संभालता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/निकायों जैसे आईटीयू, एपीटी, एसएटीआरसी, आसियान, जीएसएमए, ब्रिक्स और अन्य देशों के विनियामक निकायों के साथ समन्वय शामिल है।

4.5 प्रसारण और केबल सेवाएं (बी एंड सीएस) प्रभाग

प्रसारण एंड केबल सेवाएँ (बी एंड सीएस) प्रभाग प्राधिकरण को टैरिफ, इंटरकनेक्शन और सेवाओं की गुणवत्ता पहलुओं को शामिल करना; सैटेलाइट टीवी चैनलों का प्रसारण, डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवाएं, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) और लोकल केबल ऑपरेटर्स (एलसीओ) के माध्यम से केबल टीवी सेवाएं, हेड–एंड इन द स्काई (एचआईटीएस) सेवाएं, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवाएं, एफएम रेडियो प्रसारण आदि प्रसारण क्षेत्रों के लिए समग्र विनियामक संरचना निर्धारित करने में परामर्श देने के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग प्रसारण क्षेत्र के आधुनिकीकरण/डिजिटलीकरण से संबंधित मुद्दों की जांच करने और विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर अनुशंसाएँ करने और सरकार द्वारा जारी किए गए लाइसेंस/अनुमतियों के नियमों और शर्तों पर अनुशंसाएँ करने के लिए भी उत्तरदायी है। यह प्रभाग प्रसारण क्षेत्र के सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उपायों के बारे में प्राधिकरण को सलाह देता है, जिनमें उपभोक्ता विकल्पों को सुगम बनाना, किफायती कीमतों पर वांछनीय गुणवत्ता की सेवाओं की उपलब्धता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना शामिल है।

4.6 वित्त एवं आर्थिक विश्लेषण (एफ एंड ईए) प्रभाग

एफ एंड ईए प्रभाग मुख्य रूप से दूरसंचार टैरिफ आदेशों में निहित प्रावधानों, दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012 में निहित कुछ प्रावधानों और समय–समय पर संबंधित पहलुओं पर प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा, एफ एंड ईए प्रभाग दूरसंचार क्षेत्र के विभिन्न परिचालन पहलुओं पर सलाह प्रदान करने के लिए भी उत्तरदायी है, जैसे टैरिफ विनियमन (जहां भी आवश्यक हो, दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ का निर्धारण, सेवा प्रदाताओं द्वारा पालन किए जाने वाले टैरिफ सिद्धांतों को निर्धारित करना, टैरिफ की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना और विनियामक ढांचे के अनुरूप उनकी जांच करना आदि). लागत आधारित इंटरकनेक्शन शुल्क का निर्धारण, मोबाइल पोर्टेबिलिटी के लिए प्रति पोर्ट लेनदेन शुल्क का निर्धारण, दूरसंचार सेवाओं के लिए लागत पद्धति तथा लागत आदि। एफ एंड ईए प्रभाग मौजूदा विनियामक ढांचे के साथ इसकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय विवरणों, लेखा पृथक्करण रिपोर्ट, एजीआर रिपोर्ट आदि

की समीक्षा करने के लिए भी उत्तरदायी है। एफ एंड ईए प्रभाग ''भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट'' भी संकलित करता है और इसे तिमाही आधार पर प्रकाशित करता है।

4.7 नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग (एनएसएल) प्रभाग

नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग (एनएसएल) प्रभाग इंटरकनेक्शन के नियमों तथा शर्तों को तय करने, विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच प्रभावी इंटरकनेक्शन सुनिश्चित करने, इंटरकनेक्शन उपयोग शुल्क (आईयूसी) के निर्धारण सहित सभी इंटरकनेक्शन मुद्दों को संभालने तथा उसकी नियमित समीक्षा के लिए उत्तरदायी है। सबमरीन केबल लैंडिंग स्टेशनों के एक्सेस फैसिलिटेशन और को–लोकेशन चार्ज से संबंधित मुद्दों को भी प्रभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एनएसएल प्रभाग मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सेवा को भी नियंत्रित करता है।

एनएसएल प्रभाग एक्सेस सेवा (वायर्ड और वायरलेस दोनों), इंटरनेट सेवा, नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस (एनएलडी) सेवा, सैटेलाइट द्वारा ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन (जीएमपीसीएस) सेवा, अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) सेवा, मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा, वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल (वीएसएटी) सेवा, सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा (पीएमआरटीएस), वर्चुअल नेटवर्क प्रदाता (वीएनओ), कैप्टिव गैर–सार्वजनिक नेटवर्क (सीएनपीएन) और मूल्य वर्धित सेवाएं जैसे ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ऑडियोटेक्स/वॉइस मेल आदि की लाइसेंस शर्तों से संबंधित मामलों पर अनुशंसाएँ करने के लिए उत्तरदायी है।

यह प्रभाग अंतरिक्ष–आधारित संचार, मशीन टू मशीन (एम2एम) संचार, ओवर–द–टॉप (ओटीटी) संचार आदि जैसी नई और विकसित प्रौद्योगिकियों और सेवाओं की शुरूआत से संबंधित मामलों पर अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिए भी उत्तरदायी है।

एनएसएल डिवीजन संबंधित शर्तों, कुशल उपयोग और स्पेक्ट्रम के प्रबंधन के साथ–साथ इसके साझाकरण, व्यापार और री–फ्रेमिंग सहित स्पेक्ट्रम के असाइनमेंट पर अनुशंसाएँ भी प्रदान करता है। क्रॉस–सेक्टर समन्वय से संबंधित मामले जैसे, बुनियादी ढांचे की साझेदारी, सतत दूरसंचार, सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा राहत (पीपीडीआर) के लिए रेडियो संचार प्रणाली भी प्रभाग द्वारा संभाली जाती है। यह यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन (यूएसओ) और सभी संबंधित मामलों से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें प्रदान करता है। स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग के लिए अभिसरण, राइट ऑफ वे और नीति जैसे मुद्दों पर भी विचार किया जाता है। एनएसएल प्रभाग राष्ट्रीय नंबरिंग योजना, इंटेलिजेंट नेटवर्क (आईएन) सेवा, कॉलिंग कार्ड और सैटकॉम नीति से संबंधित मुद्दों से भी निपटता है।

उपर्युक्त के अलावा, प्रभाग उपरोक्त सभी प्रकार की सेवाओं के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा लाइसेंस शर्तों के अनुपालन की निगरानी करता है और देश में वायरलाइन, वायरलेस, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सदस्यता की भी निगरानी करता है।

4.8 सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) प्रभाग

क्यूओएस प्रभाग सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता (बेसिक टेलीफोन सेवा, सेलुलर मोबाइल दूरसंचार सेवा, वायरलेस डेटा सेवा और ब्राडबैंड सेवा) के मानकों को सुनिश्चित करने के लिए विनियमों को निर्धारित करने, दूरसंचार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, मीटरिंग और बिलिंग की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी), स्पैम को रोकने के लिए उत्तरदायी है।

प्रभाग विभिन्न निष्पादन संकेतकों पर सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत आवधिक निष्पादन रिपोर्ट के माध्यम से सेवा की गुणवत्ता की निगरानी करता है। सेवा प्रदाताओं की सेवा की गुणवत्ता का भी देश भर में किए गए फील्ड मापन के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है। यह प्रभाग दूरसंचार क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों की शुरूआत से पहले प्राप्त

संदर्भों पर अनुशंसाओं को संभालता है। प्रभाग इंटरकनेक्ट समझौतों और ऐसे सभी अन्य मामलों के रजिस्टर को बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी है जो कि विनियमों में प्रदान किए गए हैं।

4.9 विधि प्रभाग

विधि प्रभाग सभी विनियामक मुद्दों पर प्राधिकरण को विधिक परामर्श प्रदान करने, सभी विधिक दस्तावेजों को तैयार करने और पुनरीक्षण के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग उन सभी वाद मामलों का प्रबंधन करता है, जिसमें भादूविप्रा एक पक्षकार होता है।

4.10 उपभोक्ता मामले, सूचना प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी विकास (सीए, आईटी एंड टीडी) प्रभाग

सीए प्रभाग दूरसंचार क्षेत्र में उपभोक्ता परामर्श के विकास और उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के बारे में उपभोक्ताओं के बीच सामान्य जागरूकता पैदा करने के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग देश भर के उपभोक्ता संगठनों और गैर–सरकारी संगठनों को भादूविप्रा के साथ पंजीकृत होने की सुविधा प्रदान करता है और उपभोक्ताओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर उनके साथ बातचीत करता है। प्रभाग की अन्य गतिविधियों में उपभोक्ता शिक्षा/आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करना, भादूविप्रा के साथ पंजीकृत उपभोक्ता संगठनों की क्षमता निर्माण, प्रासंगिक विषयों पर क्षेत्रीय कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन, मीडिया अभियान चलाना, उपभोक्ता शिक्षा आदि को बढ़ाने के लिए हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में उपभोक्ता शिक्षा सामग्री का विकास और प्रकाशन करना शामिल है।

भादूविप्रा में आईटी प्रभाग विभिन्न प्रभागों की आईटी संबंधी आवश्यकताओं जैसे डेटा के विश्लेषण और विजुअलाइजेशन, विभिन्न पोर्टलों के कार्यान्वयन और रखरखाव और भादूविप्रा वेबसाइट, वेब एप्लिकेशन, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है। भादूविप्रा का आईटी प्रभाग कंप्यूटर हार्डवेयर एसेट्स और भादूविप्रा के लैन सेटअप का रखरखाव भी करता है।

टीडी प्रभाग को भादूविप्रा अधिकारियों के बीच नई प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियों और संभावनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित करके समय–समय पर तकनीकी सत्र आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। टीडी प्रभाग द्वारा आयोजित तकनीकी सत्रों के विषय दूरसंचार के लिए एआई/एमएल, दूरसंचार में ब्लॉकचेन हैं। ऑप्टिकल फाइबर संचार में नवीनतम रुझान, चिपसेट बनाने के लिए रोडमैप, नेटवर्क एग्नोस्टिक सुरक्षा के लिए एंड–टू–एंड सुरक्षा, 5जी–आईआईटी दिल्ली का उत्कृष्टता केंद्र और 5जी ब्रॉडकास्ट/मल्टीकास्ट। टीडी प्रभाग को दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में ज्ञान के प्रसार के लिए समय–समय पर 'टेक्नोलॉजी डाइजेस्ट' के रूप में तकनीकी सूचना पत्र प्रकाशित करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) का एक कार्य दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास के लिए उपायों की अनुशंसा करना है। तदनुसार, टीडी प्रभाग एक परामर्श पत्र "दूरसंचार और प्रसारण अनुभाग में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना" पर काम कर रहा है। टीडी अनुभाग मोबाइल टावरों से संबंधित शिकायतों जैसे स्थापना/हटाने, विकिरण खतरा, मौद्रिक धोखाधड़ी, अदालती मामले आदि की भी देखभाल करता है।

4.11 ट्राई सेंटर ऑफ स्टडीज एंड रिसर्च (ट्राई सीएसआर)

भादूविप्रा ने अपना ट्राई सेंटर ऑफ स्टडीज एंड रिसर्च–ट्राई सीएसआर स्थापित किया है। यह केंद्र उद्योग, शिक्षा और नीति निर्माण संस्थानों के सहयोग से तकनीकी अध्ययन की अवधारणा, समन्वय और सक्षम करेगा। ट्राई सेंटर ऑफ स्टडीज एंड रिसर्च भविष्य के रुझानों की पहचान करने और उभरती नीति/विनियामक चुनौतियों का आकलन करने के लिए निरंतर अनुसंधान की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करेगा, ताकि विभिन्न हितधारकों को जोड़ने और नवाचार की सुविधा के लिए एक क्रॉस–इंडस्ट्री दृष्टिकोण को सक्षम किया जा सके। यह केंद्र

नीति/विनियामक ब्लाइंड स्पॉट्स की पहचान करने और अग्रिम योजना और कार्रवाई के लिए आसन्न तकनीकी विकास के साथ नीति निर्माताओं को संवेदनशील बनाने का प्रयास करेगा। इस केंद्र का उद्देश्य उपयोगकर्ता विभागों की क्षमता निर्माण की दिशा में शैक्षिक और अनुसंधान केंद्रों के साथ मिलकर कामकाज करना है, जिससे प्रौद्योगिकी– आधारित समाधानों पर उचित ध्यान केंद्रित किया जा सके।

निम्नलिखित उद्देश्यों से ट्राई सीएसआर की स्थापना की गई है:

(i) नई प्रौद्योगिकी, तकनीकी व्यवधान आदि और क्षेत्रों, समग्र अर्थव्यवस्था और समाज पर उनके प्रभाव सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दों पर अध्ययन तथा अनुसंधान और सर्वेक्षण करना।

(ii) इन अध्ययनों/अनुसंधान/सर्वेक्षणों के परिणामों को समीचीन मानकर प्रकाशित करना। नीति अनुशंसाओं और विनियमों के लिए इन–हाउस ऐसे अध्ययनों और रिपोर्टों का उपयोग करना।

(iii) डिजिटल साक्षरता और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के संबंध में हितधारकों और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को सशक्त बनाना।

(iv) नीति आयोग, अन्य भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय विनियामकों, आईटीयू और अन्य अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संगठनों, भारत सरकार के विभागों और मंत्रालयों, राज्य सरकारों, स्थानीय स्व–शासन एजेंसियों और भारत और विदेशों में अन्य संगठन जैसे प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान और केंद्र, मानक विकास संगठन इत्यादि जैसे अन्य संगठनों के साथ सहयोग करना।

(v) सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रासंगिक चर्चा को सक्षम बनाना।

4.12 मानव संसाधन

भादूविप्रा के सचिवालय (मुख्यालय) में कार्य संचालन हेतु 187 कर्मचारी (31 मार्च, 2023 को) है, जो प्राधिकरण द्वारा सौंपे गए कार्यों के निर्वहन में उसे सौंपे गए कार्यों को करता है। जहां भी आवश्यक हो, परामर्शदाताओं को नियुक्त किया जाता है।

4.13 भादूविप्रा मुख्यालय में कर्मचारियों की संख्या (31 मार्च, 2023 को)

दिनांक 31 मार्च, 2023 को, भादूविप्रा (मुख्यालय) में कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार थी:

क्र.सं.	पद	संस्वीकृत	वास्तविक
1.	सचिव	01	01
2.	प्रधान सलाहकार	14	15*
3.	सलाहकार		
4.	संयुक्त सलाहकार	25	25
5.	उप सलाहकार	10	10
6.	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	03	03
7.	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	30#	26
8.	प्रधान निजी सचिव	05	05
9.	तकनीकी अधिकारी	22**	16
10.	अनुभाग अधिकारी	20	16
11.	निजी सचिव	12	11
12.	सहायक	48	30
13.	निजी सहायक	18	07
14	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	01	00
15.	अवर श्रेणी लिपिक (एलडीसी)	07	00
16.	स्टाफ कार चालक विशेष ग्रेड	01	01
17.	स्टाफ कार चालक ग्रेड–I	04	04
18.	स्टाफ कार चालक ग्रेड–II	04	04
19.	स्टाफ कार चालक साधारण ग्रेड	04	01
20.	पीसीएमओ	02	02
21.	डिस्पैच राइडर	01	01
22.	बहु–कार्य कर्मचारीवृंद (मल्टी टास्किंग स्टाफ)	05	09
कुल		**237**	**187**

* इसमें दो भादूविप्रा संवर्ग के सलाहकार भी शामिल हैं जो अन्य सरकारी संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

\# वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पांच (05) पद अस्थायी रूप से तकनीकी अधिकारी के रूप में संचालित किये जा रहे हैं।

** तकनीकी अधिकारी (इंजीनियरिंग) के 5 पद शामिल हैं।

4.14 31 मार्च, 2023 को भादूविप्रा (मुख्यालय) में सचिव, प्रधान सलाहकार/सलाहकार स्तर के अधिकारियों का विवरण

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पद	फोटो
1	श्री वी. रघुनन्दन	सचिव	
2	श्री एस.टी. अब्बास	प्रधान सलाहकार (बी एंड सीएस)	

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पद	फोटो
3	श्री कौशल किशोर	प्रधान सलाहकार (एफ एंड ईए)–प्रभारी	
4	श्री राजीव सिन्हा	प्रधान सलाहकार (एनएसएल)	
5	श्री महेंद्र श्रीवास्तव	प्रधान सलाहकार (क्यूओएस, सीए एवं आईटी)	
6	सुश्री वंदना सेठी	सलाहकार (प्रशासन एवं आईआर)	
7	श्री अनिल कुमार	सलाहकार (बी एंड सीएस)	
8	श्री संजीव कुमार शर्मा	सलाहकार (बीबी एवं पीए)	
9	श्री आनंद कुमार सिंह	सलाहकार (सीए एवं आईटी)	

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पद	फोटो
10	श्री अमित शर्मा	सलाहकार (एफ एंड ईए–II)	
11	श्री राजीव रंजन तिवारी	सलाहकार (विधि)	
12	श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी	सलाहकार (एनएसएल–II)	
13	श्री तेजपाल सिंह	सलाहकार (क्यूओएस–I)	
14	श्री जयपाल सिंह तोमर	सलाहकार (क्यूओएस–II)	

नोटः दो भादूविप्रा संवर्ग के सलाहकार अन्य सरकारी संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

4.15 भादूविप्रा के अधिकांश कार्मिकों को प्रारंभ में सरकारी विभागों से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है। दूरसंचार, अर्थशास्त्र, वित्त, प्रशासन आदि के क्षेत्रों में प्रासंगिक अनुभव रखने वाले प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों को प्रारंभ में दो/तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और उसके पश्चात, यदि अपेक्षित होता है, तो संबंधित सरकारी विभागों/संगठनों से उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि बढाने के लिए अनुरोध किया जाता है। प्रशिक्षित और अनुभवी मौजूदा कर्मचारियों के संबंध में प्रतिनियुक्ति के विस्तार की मांग करना प्रायः कठिन होता है। जबकि प्राधिकरण के कार्यों का कार्यक्षेत्र, स्तर और जटिलता में लगातार वृद्धि हो रही है, प्राधिकरण को अपने मूल विभागों में बार–बार प्रत्यावर्तन के कारण प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मियों को खोने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, प्राधिकरण ने भादूविप्रा में स्थायी रूप से आमेलित करने के विकल्प के साथ विशेष विशेषज्ञता और कौशल वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का एक संवर्ग गठित किया है। तेजी से बदलते प्रौद्योगिकी परिदृश्य और बढ़े हुए कार्यभार से जुड़ी नई विनियामक चुनौतियों के मद्देनजर, भादूविप्रा ने भादूविप्रा में संभावित पुनर्गठन पर विचार–विमर्श शुरू किया है। उचित विचार–विमर्श के बाद, अतिरिक्त पदों के पुनर्गठन और सृजन का एक प्रस्ताव शुरू किया गया है और वित्त मंत्रालय से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने हेतु दूरसंचार विभाग को भेजा गया है।

4.16 भर्ती

प्राधिकरण ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से भादूविप्रा में प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों को आमेलित करके अधिकारियों और कर्मचारियों का अपना संवर्ग गठित किया है। तथापि, अधिकांश प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कार्मिक, विशेष रूप से वरिष्ठ और मध्यम स्तर पर, स्थायी आमेलन के विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए, इसके सचिवालय के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से कर्मियों की भर्ती अभी भी जारी है। इसका कारण यह है कि सरकारी कर्मचारियों के बीच, प्रासंगिक विशेषज्ञता मुख्य रूप से मंत्रालयों में या सरकार के स्वामित्व वाले दूरसंचार ऑपरेटरों के पास उपलब्ध है। तथापि, सेवा के अनाकर्षक नियमों और शर्तों के कारण प्राधिकरण को विशेष जनशक्ति की भर्ती में कठिनाई आ रही है। भादूविप्रा ने इस वर्ष कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के माध्यम से सहायक और वैयक्तिक सहायक के संवर्ग में सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है।

4.17 प्रशिक्षण

भादूविप्रा दूरसंचार और प्रसारण के क्षेत्र में विशेष रूप से टैरिफ और सेवा मानकों की गुणवत्ता, सेवा की गुणवत्ता तथा उपभोक्ता से संबंधित अन्य मामलों पर सर्वेक्षण के संचालन के क्षेत्र में अपने कर्मचारियों में विशेषज्ञता विकसित करने के लिए मानव संसाधन पहल को अत्यधिक महत्व देता है। सभी कर्मचारियों को शामिल करते हुए एक संरचित प्रशिक्षण नीति बनाई गई है। भादूविप्रा के कर्मचारियों को निम्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं–

I. ओरिएंटेशन / प्रवेश स्तरीय प्रशिक्षण

ii. अल्पावधि विषयगत प्रशिक्षण

iii. दीर्घकालिक प्रशिक्षण – अधिकतर ऑनलाइन पाठ्यक्रम

iv. कैरियर मध्य वृत्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम

v. अन्य – अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण और सेवाकाल के दौरान प्रशिक्षण

यह पहल प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्राधिकरण के लिए परामर्श प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए परामर्श पत्र तैयार करने और प्राप्त फीडबैक और प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने और खुला मंच चर्चा (ओपन हाउस चर्चा) के दौरान भी उपयोगी साबित हुई है। इसके कारण दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित करने में उत्पन्न होने वाले विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए नीतिगत ढांचे को विकसित करने में भी मदद मिली है। प्रशिक्षण

कार्यक्रमों/कार्यशालाओं के चयन तथा तैयार करने में, भादूविप्रा का प्रयास मैक्रो–स्तरीय नीति के लिए विविध कौशल प्रदान करना और नीतियों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए प्रासंगिक तकनीकी आर्थिक कार्य विवरण के संचालन को संभालना है। भादूविप्रा की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष कार्यक्रमों की पहचान / डिजाइन और संचालित किए जा रहे हैं। प्राधिकरण संगठन में अपने अधिकारियों को उनकी विशेषता को और विकसित करने के लिए संस्थागत क्षमता निर्माण परियोजना के अंतर्गत उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए भी प्रायोजित करता है।

वर्ष के दौरान कुछ भादूविप्रा के अधिकारियों को विभिन्न संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा आभासी (वर्चुअल) और भौतिक (फिजिकल) दोनों रूप में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नामित किया गया था। प्रशिक्षणों की एक सूची इस रिपोर्ट के भाग–IV के अनुलग्नक–I के रूप में संलग्न है। अधिकारियों को इन प्रशिक्षणों के माध्यम से बहुमूल्य इनपुट प्राप्त हुए हैं और इनपुट ने विनियामक कार्य के उनके संबंधित क्षेत्र में उनके कौशल को समृद्ध किया है। इन प्रशिक्षणों में टेलीकॉम रेगुलेटरी मास्टर क्लास, 5जी में अनुरूपता और इंटरऑपरेबिलिटी, ब्रॉडबैंड एक्सेस टेक्नोलॉजीज का विकास और उभरते रुझान, आईओटी सुरक्षा चुनौतियां और समाधान, इंटरनेट गवर्नेंस और नवाचारों आदि के लिए रणनीतिक पहलू आदि शामिल हैं। भादूविप्रा के कार्मिकों को विभिन्न घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी प्रतिनियुक्त किया गया था, जिसमें इंटरनेट नेटवर्क में सुरक्षा और क्यूओएस, विनियामक प्रशासन, स्टार्टअप अर्थव्यवस्था में तेजी लाना, नियामक मास्टर क्लास, प्रतिस्पर्धा कानून और बाजार विनियमों में उन्नत पेशेवर पाठ्यक्रम, खरीद (जीएफआर, जीईएम और ई–प्रापण पर आधारित नीति और प्रक्रियाएं) और सुशासन के लिए अनुबंध प्रबंधनरू कार्यान्वयन में चुनौतियाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग, डब्ल्यूईबी3ः स्वामित्व का विकेंद्रीकृत इंटरनेट–ब्लॉकचेन, आईओटी, आईपीवी6 और एआई का अभिसरण, दूरसंचार क्षेत्र में कृत्रिम मेधा (एआई), प्रशासनिक प्रभावशीलता, फोकसः मानव संसाधन प्रबंधन, जेम पर रिवर्स नीलामी के माध्यम से खरीद की प्रक्रिया, अवसंरचना परियोजना प्रबंधनः अवसंरचना परियोजनाओं की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी, उत्पादकता और डिजिटल कार्यस्थल प्रबंधन पर उन्नत पाठ्यक्रम, सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) और इसके संचालन की बुनियादी समझरू पीपीपी मॉडल, परियोजना व्यवहार्यता, परियोजना प्रबंधन, परियोजना वित्त, मात्रात्मक विश्लेषण, पीपीपी के कानूनी पहलू, बाजार और प्रतिस्पर्धा, प्रशासन, केस अध्ययन के साथ जोखिम विश्लेषण और परियोजना मूल्यांकन, विनियामक प्रशासन में परिवर्तन और चुनौतियां, ई–गवर्नेंस और आईसीटी के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन, आदि शामिल है।

भादूविप्रा के पास इन–हाउस प्रशिक्षण और कार्यशालाओं की एक प्रणाली भी है, जिसमें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को दूरसंचार क्षेत्र में नवीनतम विकास पर अपने अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए आमंत्रित किया जाता है। भादूविप्रा के अधिकारियों ने ''रेगटेक और प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों का उपयोग करके सहयोगात्मक विनियम'', ''स्पेक्ट्रम पर दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद (एसएटीआरसी) कार्य समूह की बैठक'', ''ब्रॉडबैंड एक्सेस और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना'', ''स्पेक्ट्रम पर दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद (एसएटीआरसी) कार्यशाला'', ''सभी के लिए ब्रॉडबैंड'', आदि पर प्राधिकरण द्वारा आयोजित और मेजबानी की गई कार्यक्रमों सहित ऐसे विभिन्न कार्यशाला–सह–प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल हुए।

4.18 संगोष्ठियाँ/कार्यशालाएँ

राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर हो रहे विकास के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए, प्राधिकरण ने अपने कर्मचारियों के सदस्यों को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय/घरेलू सेमिनारों, बैठकों और कार्यशालाओं में नामांकित किया, जिससे उन्हें अपनी नीति निर्माण के लिए मूल्यवान फीडबैक/इनपुट एकत्र करने के साथ–साथ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम विकास के साथ अपडेट रहने में सहायता मिली। इसने विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफार्मों पर महत्वपूर्ण विनियामक पहलों को दिखाने के अवसर भी प्रदान किए हैं, जिन्होंने भारत और कई अन्य देशों में प्रमुख विनियामक

चिंताओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में योगदान दिया है और भारत को उभरते वैश्विक सूचना समाज में अग्रणी भूमिका निभाने में सक्षम बनाया है। प्राधिकरण द्वारा कई सेमिनार भी आयोजित किए गए, जिनका विवरण रिपोर्ट के भाग– II में उपलब्ध है।

4.19 कार्यालय के लिए स्थान

सन् 1997 में प्राधिकरण की स्थापना के बाद से ही भादूविप्रा किराए के परिसर में कार्य कर रहा है। भारत सरकार (गवर्नमेंट ऑफ इंडिया) ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) के दिनांक 26 नवंबर, 2020 के पत्र के माध्यम से नौरोजी नगर, नई दिल्ली में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (डब्ल्यूटीसी) के रूप में विकसित किए जा रहे एनबीसीसी वाणिज्यिक परिसर में भादूविप्रा के कार्यालय परिसर के लिए बिल्ट–अप ऑफिस स्पेस की खरीद के लिए सक्षम प्राधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है।

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने दिनांक 26 फरवरी, 2021 के आबंटन पत्र के माध्यम से भादूविप्रा को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान के साथ टॉवर– एफ (चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वीं मंजिल) पर कुल 1,15,982 वर्ग फुट सुपर बिल्ट अप एरिया (85,545 कारपेट एरिया) भादूविप्रा को आवंटित किया है। साइट पर निर्माण कार्य पूरे जोरों पर है और उम्मीद है कि वर्ष 2023 में इसे भादूविप्रा को सौंप दिया जाएगा।

इस बीच, एनबीसीसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली–110029 के टावर–एफ में चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वीं मंजिल पर भादूविप्रा कार्यालय के लिए स्थान के नियोजन, डिजाइनिंग और इंटीरियर फिट–आउट नवीनीकरण/फर्निशिंग कार्यों के लिए एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड (नवरत्न सीपीएसई एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के साथ दिनांक 22 नवंबर, 2022 को एक समझौता ज्ञापन/करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

4.20 भादूविप्रा के कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर

भारत सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार, प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों को प्राधिकरण द्वारा विशेष लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर सामान्य पूल आवास में बने रहने की अनुमति है, प्राधिकरण कर्मचारियों से सामान्य लाइसेंस शुल्क ले सकते हैं। प्रतिधारण की अनुमेय अवधि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तक या प्राधिकरण के साथ उनके कार्यकाल की अवधि तक जो भी पहले हो, तक होगी। वर्तमान समय में, सामान्य पूल आवासीय व्यवस्था के आवंटन की पात्रता दिल्ली में प्राधिकरण (भादूविप्रा) के सचिवालय में तैनात उन अधिकारियों तक ही सीमित है, जो संपदा निदेशालय को भादूविप्रा द्वारा विशेष लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर प्राधिकरण में शामिल होने से पहले सामान्य पूल से आवास आवंटन के लिए पात्र थे। वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए संपदा निदेशालय न तो सामान्य पूल आवास आवंटित कर रहा है और न ही अधिकारियों और कर्मचारियों को भादूविप्रा में आमेलित होने के बाद पहले से आवंटित आवास को बनाए रखने की अनुमति दे रहा है। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए, इस मामले को आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत संपदा निदेशालय (डीओई) के समक्ष उठाया गया है, जिसमें प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी, या सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित आधार पर नियुक्त, या स्थायी रूप से भादूविप्रा में आमेलित कर्मचारी, भादूविप्रा में शामिल होने से पहले जीपीआरए के लिए उनकी पात्रता होने के बावजूद, मौजूदा नीति के दायरे में उपयुक्त संशोधन सहित नियुक्त भादूविप्रा के सभी कर्मचारियों के लिए सामान्य पूल आवासीय आवास (जीपीआरए) सुविधा के विस्तार का अनुरोध किया गया है। एमटीएनएल / बीएसएनएल के साथ एक समझौता ज्ञापन करके के कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत एमटीएनएल / बीएसएनएल अपने आवासीय क्वार्टरों को पट्टे के आधार पर को प्रदान करने के लिए चिह्नित करेगा ताकि उन्हें अपने कर्मचारियों को किराए पर दे सके।

4.21 भादूविप्रा में विभिन्न दिवस / दिवस मनाना

(I) दुनिया भर में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को विश्व स्तर पर "अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस" के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए, भादूविप्रा कर्मचारियों के लिए महिलाओं के लिए वित्तीय नियोजन पर एक सत्र और महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर एक सत्र आयोजित किया गया, जिसके बाद प्राधिकरण की सभी महिला अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया गया।

(ii) भादूविप्रा में दिनांक 21 जून, 2022 को आठवां "अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस" मनाया गया। प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस योग सत्र में हाइब्रिड मोड में भाग लिया।

(iii) भादूविप्रा में प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह उस सप्ताह के दौरान मनाया जाता है, जिसमें सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्मदिन (31 अक्टूबर) आता है। इस वर्ष दिनांक 31.10.2022 से 15.11.2022 तक निम्नलिखित विषय के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया:

''भ्रष्टाचार मुक्त भारत - विकसित भारत''

"Corruption free India for a developed Nation".

भादूविप्रा में दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 को भादूविप्रा के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सत्यनिष्ठा की शपथ लेने के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2022 मनाया गया। भादूविप्रा की सदस्य श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता के नेतृत्व में सत्यनिष्ठा की शपथ ली गई।

4.22 रजत जयंती समारोह

दिनांक 17 मई, 2022 को, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष उद्घाटन समारोह में रजत जयंती समारोह की शुरुआत हुई। यह कार्यक्रम विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया जिसमें भारत के माननीय प्रधान मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति रही और वे इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वर्चुअली शामिल हुए।

इस उत्सव में शामिल होने के लिए केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, संचार राज्य मंत्री, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री, साथ ही विभिन्न सरकारी विभागों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी, और अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों, सेवा प्रदाताओं और नियामकों के प्रतिनिधि शामिल थे।

इस विशेष समारोह के दौरान माननीय प्रधान मंत्री ने निम्नलिखित को भी जारी किया:

- एक डाक टिकट
- भादूविप्रा की 25 वर्षों की विनियामक यात्रा का वर्णन करने वाली एक स्मारिका
- भादूविप्रा पर बनी लघु फिल्म रिलीज

भादूविप्रा मुख्यालय ने रजत जयंती वर्ष के दौरान देश भर में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ मिलकर सेमिनार, विशेष उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रम, रक्तदान शिविर आदि जैसी कई गतिविधियों का आयोजन किया।

अपने रजत जयंती समारोह के हिस्से के रूप में, भादूविप्रा ने दिनांक 18 मई, 2022 को दो कार्यक्रम भी आयोजित किए–

क. ''सहयोगात्मक विनियमः बुनियादी ढांचे का सह–निर्माण और साझाकरण (पीएम गति–शक्ति के अनुरूप)'' पर एक सेमिनार और

ख. ''रेगटेक और प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों का उपयोग करके सहयोगात्मक विनियम'' पर एक अंतर्राष्ट्रीय विनियामक गोलमेज सम्मेलन।

इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले वक्ताओं ने कई संगठनों का प्रतिनिधित्व किया, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय विनियामक, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, देश के अन्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विनियामक, भादूविप्रा अधिकारी आदि शामिल थे। इन दो कार्यक्रमों का व्यापक विषय 'सहयोगात्मक विनियमन' था।

भादूविप्रा के रजत जयंती वर्ष के समापन समारोह को चिह्नित करने हेतु, दिनांक 20 फरवरी, 2023 को जोरावर हॉल, मानेकशॉ सेंटर, दिल्ली कैंट में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर भादूविप्रा के पूर्व अधिकारियों और सचिवों को संगठन में उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मानित करने हेतु एक सांस्कृतिक संध्या और एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रतिनिधियों सहित भादूविप्रा के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

4.23 भादूविप्रा के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधाः

भादूविप्रा के कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा समय–समय पर संशोधित भादूविप्रा (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य शर्तें) नियम, 2002 की अनुसूची II द्वारा शासित होती है। प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी, सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों, चिकित्सा सुविधाओं के लाभ के हकदार हैं।

4.24 वित्तपोषण

भादूविप्रा संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक विनियामक संस्था है। यह पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 21 के अनुसार, केंद्र सरकार, इस संबंध में संसद द्वारा कानून द्वारा किए गए उचित विनियोग के बाद, प्राधिकरण को प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन और भत्ते का भुगतान करने के लिए आवश्यक धनराशि का अनुदान दे सकती है। अधिनियम की धारा 22(1) (क) और (ख) में कहा गया है कि एक कोष का गठन किया जाएगा जिसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सामान्य निधि कहा जाएगा और इस अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी अनुदान, शुल्क तथा प्रभार और प्राधिकरण द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशियाँ, जो केंद्र सरकार द्वारा तय की जाए, इस निधि में जमा की जाएंगी। वर्ष 2022–23 में भादूविप्रा द्वारा किया गया कुल व्यय 108.67 करोड़ रुपये था। अवधि के दौरान व्यय के प्रमुख शीर्ष 'वेतन', 'किराया', 'पेशेवर शुल्क' आदि थे।

4.25 यदि विनियामकों से वसूले जा रहे लाइसेंस शुल्क के एक छोटे से हिस्से को भादूविप्रा के परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए प्रशासनिक शुल्क के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी जाती है, तो सहायता अनुदान के रूप में सरकारी सहायता की आवश्यकता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इस तरह की व्यवस्था से भादूविप्रा को एक स्वतंत्र विनियामक के रूप में प्रभावी ढंग से प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक लचीलापन और स्वतंत्रता मिलेगी। आईआरडीए, सेबी और आरबीआई जैसे नियामकों को गैर–सरकारी स्रोतों से भी विभिन्न स्तरों पर नई प्रतिभाओं की भर्ती करने और उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इस तरह की स्वस्थ प्रथाओं का अनुकरण करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि भादूविप्रा को विश्व स्तर पर दूरसंचार क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले जटिल मुद्दों से निपटने के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त हो सके ।

4.26 भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय

प्राधिकरण ने वर्ष 2012 में देश भर में विभिन्न स्थानों पर भादूविप्रा के 11 (ग्यारह) क्षेत्रीय कार्यालयों को खोलने की स्वीकृति प्रदान की थी। प्राधिकरण ने वर्ष 2014–15 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों के कामकाज की समीक्षा की और चंडीगढ़, पटना, मुंबई, गुवाहाटी और लखनऊ में स्थित 5 क्षेत्रीय कार्यालयों को बंद करने की और संशोधित क्षेत्राधिकारों के साथ हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, भोपाल, जयपुर और दिल्ली में स्थित 6(छह) क्षेत्रीय कार्यालयों को जारी रखने का अनुमोदन किया। भादूविप्रा के ये क्षेत्रीय कार्यालय भादूविप्रा की क्षमता निर्माण परियोजना के भाग के रूप में योजना निधि के तहत पायलट परियोजना के आधार पर काम कर रहे हैं। भादूविप्रा ने क्षमता निर्माण परियोजना के एक भाग के रूप में 06 क्षेत्रीय कार्यालयों को 31 मार्च, 2025 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। लाइसेंस सेवा क्षत्रों के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थान (2022–23 के दौरान) निम्नानुसार हैं:–

क्र. सं.	भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों की अवस्थिति	प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत लाइसेंस सेवा क्षेत्र
1	बेंगलुरु	कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मुंबई
2	भोपाल	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम)
3	दिल्ली	दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर
4	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश, चेन्नई सहित तमिलनाडु, उड़ीसा
5	जयपुर	राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब,
6	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, कोलकाता, पूर्वोत्तर, असम, बिहार

भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालयों की कर्मचारी संख्या (31 मार्च 2023 को)

4.27 दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, भादूविप्रा (क्षेत्रीय कार्यालय) के कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार थी:

क्रम सं.	पद	संस्वीकृत	कार्यरत
1.	सलाहकार	06	05
2.	संयुक्त. सलाहकार/उप. सलाहकार	12	10
3.	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	12	09
4.	सहायक	06	05
	कुल	**36**	**29**

4.28 भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालयों में सलाहकार स्तर के अधिकारियों का विवरण (31 मार्च, 2023 को)

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय अवस्थिति	अधिकारी का नाम	पद	फोटो
1.	हैदराबाद	श्री ए मुनिशेखर	सलाहकार	
2.	बेंगलुरु	श्री ब्रजेन्द्र कुमार	सलाहकार	
3.	भोपाल	श्री विनोद गुप्ता	सलाहकार	
4.	जयपुर	श्री श्याम सुंदर चांडक	सलाहकार	
5.	कोलकाता	डॉ. स्वदेश कुमार सामंता	सलाहकार	
6.	दिल्ली*	रिक्त	सलाहकार	सलाहकार (उपभोक्ता मामले), भादूविप्रा मुख्यालय–प्रभार

**भादूविप्रा (मुख्यालय) द्वारा संचालित है*

4.29 उपरोक्त क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) की भूमिका और कार्य निम्न प्रकार है–

(i) टैरिफ संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना और दूरसंचार प्रसारण एवं केबल सेवाओं के खुदरा टैरिफ की प्रभावी निगरानी करना;

(ii) विनियामक और विपणन पहलुओं के संबंध में सेवा प्रदाताओं के साथ उचित समन्वय करना;

(iii) सेवा की गुणवत्ता की निगरानी और उपभोक्ता शिकायतों का निवारण करना;

(iv) भादूविप्रा के खुला मंच चर्चा (ओएचडी)/उपभोक्ता पक्ष समर्थक समूह (सीएजी) की बैठकों का आयोजन करना;

(v) भादूविप्रा द्वारा नियुक्त स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा लेखापरीक्षा और सर्वेक्षण का समन्वय एवं निगरानी करना;

(vi) जिला/ब्लॉक स्तर तक सीएजी का विकास और सीएजी के साथ घनिष्ठ संपर्क रखना;

(vii) उपभोक्ता जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन करना;

(viii) दूरसंचार विभाग के टर्म सेल के साथ घनिष्ठ संपर्क रखना;

(ix) मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) विनियमों और अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषण (यूसीसी) विनियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करना;

(x) पोर्टल पर एमएसओ/एलसीओ के पंजीकरण और एलसीओ के पंजीकरण की वैधता की निगरानी करना;

(xi) ऐसे प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों सहित ऐसे अन्य कार्य निष्पादित करना जो भादूविप्रा के मुख्यालय द्वारा उसे सौंपे जा सकते हैं या जो भादूविप्रा अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं;

(xii) सेवा प्रदाता पोर्टल (एसपीपी) पर एमएसओ और एलसीओ की सूचना की निगरानी करना। आरओ यह सुनिश्चित करने के लिए एमएसओ के साथ संवाद करेंगे कि सभी एमएसओ और उनके एलसीओ द्वारा पोर्टल पर प्रविष्टि की जाए;

(xiii) एमएसओ और एलसीओ (एमआईए/एसआईए) के बीच करार का विश्लेषण और अनुपालन करना;

(xiv) एमएसओ के लिए क्यूओएस विनियमन की निगरानी और कार्यान्वयन करना;

(xv) बीसीसीएमएस पोर्टल में क्षेत्रीय कार्यालयों में डीटीएच ऑपरेटरों और मुख्य एमएसओ के खिलाफ प्राप्त उपभोक्ता शिकायतों को लॉग करना;

(xvi) टीसीसीएमएस पोर्टल में उनके द्वारा प्राप्त उपभोक्ता शिकायतों को अपलोड करना और उपभोक्ता शिक्षण कार्यक्रमों के उचित संचालन के लिए सेवा प्रदाता के साथ समन्वय करना; तथा

(xvii) प्रत्येक तिमाही के लिए डीसीआर मापदंड का विश्लेषण और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए टीएसपी के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना।

4.30 सूचना का अधिकार अधिनियम

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत विभिन्न सूचनाएं प्राप्त करने के लिए कुल 569 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए। इन सभी आवेदनों पर तत्परता के साथ कारवाई की गई और निर्धारित समयावधि के भीतर उनका उत्तर दिया गया।

4.31 भादूविप्रा को आईएस/आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) को दिसंबर, 2004 में आईएसओ 9001:2000 प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था। वर्ष 2007 और 2010 में प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया गया था। नवंबर, 2010 में प्रमाणपत्र का नवीनीकरण करते समय, बीआईएस ने आईएस/आईएसओ 9001:2008 जारी किया और बाद में 2013 और 2016 में इसका नवीनीकरण किया गया। इसके बाद, बीआईएस ने 2016 में नवीनीकरण करते समय आईएसओ प्रमाणन की नवीनतम श्रृंखला जारी की है, अर्थात आईएसओ 9001:2015 और इस प्रमाणीकरण को सितंबर 2021 और जनवरी, 2023 में नवीनीकृत किया गया था। प्रबंधन की प्रतिबद्धता के एक भाग के रूप में, भादूविप्रा ने गुणवत्ता नीति, गुणवत्ता उद्देश्यों और कार्य प्रक्रियाओं को परिभाषित किया है। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) के कार्यान्वयन और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए, बीआईएस प्रत्येक वर्ष एक बार निगरानी ऑडिट और हर तीन वर्ष में एक बार नवीकरण ऑडिट आयोजित करता रहा है। अंतिम बीआईएस नवीनीकरण ऑडिट दिनांक 5 और 6 दिसंबर, 2022 को आयोजित किया गया था। भादूविप्रा ने दिनांक 23 और 24 फरवरी, 2023 को अपने अधिकारियों के लिए बीआईएस के माध्यम से इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था।

इसके अलावा, सचिव की अध्यक्षता में गुणवत्ता प्रबंधन की समीक्षा बैठकें नियमित रूप से तिमाही आधार पर आयोजित की जाती हैं। उपरोक्त बैठकों के अलावा, आईएसओ 9001:2015 की आवश्यकताओं को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष प्रबंधन द्वारा वार्षिक प्रबंधन समीक्षा बैठक भी ली जाती है।

हाल ही में, 17 मार्च, 2023 को, लगभग दो दशकों तक बीआईएस के साथ निरंतर सहयोग और साथ देने के लिए भादूविप्रा को बीआईएस द्वारा सम्मानित किया गया।

4.32 राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में सचिव, भादूविप्रा की देखरेख में प्राधिकरण का राजभाषा अनुभाग राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976 और इस विषय पर समय–समय पर राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा जारी प्रशासनिक अनुदेशों के कार्यान्वयन का कार्य कर रहा है। भादूविप्रा, केंद्र सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। इसके अलावा, जब कभी विनियम, प्रेस विज्ञप्ति, निविदा, सूचनाएं, राजपत्र अधिसूचनाएं और अन्य दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए जाने होते हैं, तो राजभाषा अनुभाग विभिन्न प्रभागों की अनुवाद संबंधी आवश्यकताओं को भी पूरा करता है।

भादूविप्रा के सभी प्रभागों और अनुभागों द्वारा केंद्र सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की निगरानी सचिव, भादूविप्रा की अध्यक्षता में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति (रा.का. समिति) द्वारा की जाती है। रा.का. समिति की बैठक नियमित रूप से हर तिमाही में आयोजित की जाती है। इन बैठकों में सरकारी कामकाज में राजभाषा का उपयोग निरंतर बढ़ाने पर विशेष बल दिया जाता है। इसके अलावा, भादूविप्रा में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा भी की जाती है और इस संबंध में भविष्य की कार्य योजना भी तैयार की जाती है। राजभाषा से संबंधित कार्य को गति प्रदान करने के लिए समिति के सदस्यों के बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, रा.का. समिति की 4 बैठकें क्रमशः दिनांक 22 जून, 2022, 30 सितंबर, 2022, 22 नवंबर, 2022 और 7 फरवरी, 2023 को आयोजित की गईं।

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 14–15 सितंबर, 2022 को सूरत (गुजरात) में माननीय गृह और सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हिंदी दिवस 2022 में भाग लेने के लिए भादूविप्रा के अधिकारियों को नामित किया गया। इसके पश्चात् दिनांक 16 से 29 सितंबर, 2022 तक प्राधिकरण में विभिन्न प्रतियोगिताएं/कार्यक्रम जैसे–हिंदी निबंध लेखन, हिंदी टिप्पण/प्रारूपण, हिंदी टाइपिंग, हिंदी गीत

गायन/कविता पाठ, राजभाषा हिंदी आधारित प्रश्न पत्र, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, हिंदी शब्दावली/व्याकरण प्रतियोगिता, हिंदी कार्यशाला आधारित अनुवाद प्रतियोगिता आदि का आयोजन किए गए। इसके साथ ही भादूविप्रा के चालक एवं एमटीएस संवर्ग के लिए हिन्दी श्रुतलेख एवं सुलेख प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी स्तर तक के कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने बड़े जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। हिंदी दिवस के अवसर पर, राजभाषा नियमों/विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अध्यक्ष, भादूविप्रा का एक संदेश अधिकारियों/कर्मचारियों के बीच परिचालित किया गया।

भादूविप्रा के अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक 21 अक्टूबर, 2022 को हिन्दी पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हिन्दी पखवाड़ा 2022 के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में विजेता रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। समारोह के दौरान हास्य कवि द्वारा हिन्दी कविता का पाठ किया गया। समारोह के अंत में भादूविप्रा के अध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को संबोधित किया गया और अपील की गई कि वे अपना आधिकारिक कार्य यथासंभव हिंदी में हीं करें।

दैनिक सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रगतिशील उपयोग को निरंतर बढ़ाने के लिए, पिछले बारह वर्षों से भादूविप्रा में अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक वार्षिक प्रोत्साहन योजना अर्थात "वार्षिक प्रोत्साहन योजना" चल रही है। इस योजना के तहत, योजना की अवधि के दौरान हिंदी में सरकारी कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को हर वर्ष 10 नकद पुरस्कार दिए जाते हैं। यह योजना कर्मचारियों के बीच बहुत लोकप्रिय सिद्ध हुई है और इसने कर्मचारियों को पूरे वर्ष अपना अधिकांश सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए प्रेरित किया है।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, भादूविप्रा के लगभग 40 कर्मचारियों ने हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित ऑनलाइन हिंदी वर्ड प्रोसेसिंग/हिंदी टाइपिंग के दीर्घकालिक (अर्धवार्षिक) प्रशिक्षण सत्र में टाइपिंग प्रशिक्षण लिया है।

अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में टिप्पण और प्रारूपण करने की सुविधा प्रदान करने और उन्हें केंद्र सरकार की राजभाषा नीति से अवगत कराने के उद्देश्य से, भादूविप्रा में नियमित हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं। रिपोर्ट अवधि के दौरान क्रमशः 06 अप्रैल, 2022, 29 सितंबर, 2022, 14 नवंबर, 2022 और 10 फरवरी, 2023 को चार हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।

डॉ. पी.डी. वाघेला, अध्यक्ष, भादूविप्रा की अध्यक्षता में दिनांक 21 अक्टूबर, 2022 को हिंदी पखवाड़ा–2022 पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया।

4.33 आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित आरक्षण का कार्यान्वयन

भादूविप्रा पदोन्नति करते समय पात्र श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण के प्रावधानों का पालन करता रहा है। वर्ष के दौरान भादूविप्रा में सीधी भर्ती के आधार पर कोई नियुक्ति नहीं की गई है। आरक्षित श्रेणियों के विशेष प्रतिनिधित्व से संबंधित निर्देशों के कार्यान्वयन की देखभाल के लिए निदेशक स्तर के एक संपर्क अधिकारी को नियुक्त किया गया है।

4.34 अन्य नियामकों के साथ सहयोग

नई आईसीटी प्रौद्योगिकियों के आगमन से, आईसीटी सेवाओं का विनियमन नई चुनौतियाँ पैदा कर रहा है। नवाचार क्षेत्र में नई प्रकार की सेवाएं ला रहा है। 5जी, एआई, एम2एम, एआर/वीआर आदि प्रौद्योगिकियों का वित्त, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, ऊर्जा आदि सहित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा। नई प्रौद्योगिकियों के साथ आईसीटी नवाचार इन क्षेत्रों में कुशलतापूर्वक सेवाएं प्रदान करने में सहायता करेंगे। इन सेवाओं द्वारा उत्पन्न विनियामक मुद्दों के परस्पर–क्षेत्रीय प्रभाव होंगे। अंतर–क्षेत्रीय सहयोगी विनियमन के महत्व को पहचानते हुए, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) आईसीटी विनियमन के लिए एक नए दृष्टिकोण को लागू करने की आवश्यकता का समर्थन कर रहा है, जिसे जी5 सहयोगी विनियमन कहा जाता है। आईटीयू ने यह मापने के लिए एक जी5 बेंचमार्क इंडेक्स विकसित किया है कि देश डिजिटल अर्थव्यवस्था में समग्र डिजिटल सहयोगी विनियमन और नीति निर्माण में कैसे बदलाव करते हैं। भारत में की गई विनियामक पहलों के कारण इसे जी5 बेंचमार्क के सहयोगात्मक विनियमन के उन्नत चरण वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो कि उच्चतम श्रेणी है। भादूविप्रा ने राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल क्षेत्र में अंतर–क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख निम्नलिखित पैराग्राफ में किया गया है।

4.34.1 भारतीय नियामकों का मंच (फोरम ऑफ इंडियन रेगुलेटर्स)

भादूविप्रा अगस्त, 2016 से फोरम ऑफ इंडियन रेग्युलेटर्स (एफओआईआर) का सदस्य रहा है, जो केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी), राज्य विद्युत नियामक आयोगों (एसईआरसी) और अन्य क्षेत्र के नियामकों जैसे टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स (टीएएमपी), एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (एईआरए), पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (पीएनजीआरबी), इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (आईबीबीआई) एवं

कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआइ) आदि के सदस्यों से मिलकर बना एक संगठन है। भादूविप्रा नियमित रूप से फोरम ऑफ इंडियन रेग्युलेटर्स (एफओआईआर) के सभी गतिविधियों जैसे एजीएम, जीबीएम एवं एफओआईआर के सदस्यों के कोल्लोकुइम्स आदि में भाग लेता रहा है।

प्राधिकरण की पहल पर, फोरम ऑफ इंडिया रेगुलेटर्स (एफओआईआर) ने अपनी 21वीं वार्षिक आम सभा बैठक में, ''दूरसंचार विनियामक और बिजली नियामकों के बीच क्रॉस सेक्टर सहयोगात्मक विनियमन'' पर अपनी अनुशंसाएँ प्रस्तुत करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया था। कार्य समूह में भादूविप्रा के साथ–साथ सीईआरसी, एसईआरसी, डिस्कॉम, टेलीकॉम लाइसेंसधारियों और सीटीयू का प्रतिनिधित्व था। कार्य समूह ने कुछ मुद्दों की पहचान की और निम्नलिखित विषयों पर एफओआईआर को अपनी अनुशंसाएँ दीं:

1. एक केंद्रीकृत पोर्टल का विकास और संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग
2. बिजली उपयोगिता कंपनियों की संपत्ति का मुद्रीकरण
3. ट्रांसमिशन टावरों पर टेलीकॉम एंटेना और संबंधित उपकरण लगाना
4. विद्युत सबस्टेशन भूमि और भवनों जैसी ट्रांसमिशन संपत्तियों का उपयोग करना
5. विद्युत खंभों पर स्मॉल सेलों एवं एरियल फाइबर का परिनियोजन।

एफओआईआर की 49वीं शासी निकाय की बैठक में कार्यकारी समूह की अनुशंसाएँ प्रस्तुत की गईं। बैठक के दौरान, एफओआईआर जनरल बॉडी ने इस रिपोर्ट को सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों (एसईआरसी) और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों (जेईआरसी) को प्रसारित करने का निर्णय लिया ताकि उनके अधिकार क्षेत्र के तहत सभी डिस्कॉम के बीच सिफारिशों का प्रसार किया जा सके क्योंकि यह डिस्कॉम का बुनियादी ढांचा होगा जिसका उपयोग 5जी सेल और संबंधित उपकरण स्थापित करने के लिए किया जाएगा।

चूंकि दूरसंचार विभाग विभिन्न क्षेत्रों के साथ क्रॉस–सेक्टोरल सहयोग पर भी कार्य कर रहा है, इसलिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ इस मुद्दे को आगे बढ़ाने हेतु कार्य समूह की अनुशंसाओं को दिनांक 17 अगस्त, 2022 को विभाग के साथ साझा किया गया है। 5जी की अपार क्षमता और संभावित योगदान के मद्देनजर, एफओआईआर ने 5जी और संबंधित प्रौद्योगिकियों जैसे एफओआईआर अर्थात उद्योग, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली क्षेत्र, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, रियल एस्टेट, खाद्य उद्योग आदि क्षेत्र विशिष्ट अनुप्रयोगों के साथ–साथ नियामकों के लिए डेटा एनालिटिक्स, कार्यालय प्रबंधन, एमआईएस आदि में सामान्य अनुप्रयोग में प्रदर्शित विभिन्न क्षेत्रों में एआईएमएल/आईओटी/एम2एम/एआर/वीआर/उद्योग 4.0 आदि को अपनाने से जुड़े अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन करने के लिए एक समूह का गठन किया है।

4.34.2 नियामकों की संयुक्त स्थायी समिति

नियामकों की एक संयुक्त स्थायी समिति का गठन भादूविप्रा की पहल पर डिजिटल दुनिया में भविष्य के नियामक निहितार्थ का अध्ययन करने और भविष्य के नियमों पर सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए किया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), उपभोक्ता मामले मंत्रालय और भादूविप्रा के प्रतिनिधि समिति के सदस्य हैं। पिछली कुछ बैठकों का केंद्रबिंदु दूरसंचार संसाधनों का उपयोग करके अनचाहे वाणिज्यिक संचार (स्पैम) पर अंकुश लगाने के लिए संयुक्त कार्य योजना तैयार करना था। इन बैठकों में भाग लेने के लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी) और गृह मंत्रालय (एमएचए) के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाता है।

4.34.3 डेटा केंद्रों (डीसी) के लिए बिजली खपत की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने और डिजिटल संचार क्षेत्र हेतु हरित ऊर्जा उपयोग के प्रोत्साहन अवसरों का पता लगाने के लिए, भादूविप्रा ने विद्युत् मंत्रालय (एमओपी) से प्रोत्साहन, औद्योगिक शुल्क, बिजली शुल्क की छूट आदि से संबंधित मुद्दों का समाधान करने का अनुरोध किया था। विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा मुख्य अभियंता (आरए), सीईए की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया गया था, जिसमें एमओपी, एमएनआरई, सीईआरसी, ग्रिड इंडिया (पूर्व में पीओएसओसीओ), बीईई और भादूविप्रा के सदस्य शामिल थे। विद्युत मंत्रालय ने अधिसूचनाएं जारी कीं, जिसके तहत एक वितरण लाइसेंसधारी के एक ही विद्युत डिवीजनों में स्थित कई कनेक्शनों के माध्यम से मांग एकत्रीकरण को ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के माध्यम से बिजली लेने के लिए पात्र बनने हेतु इस 100 किलो वाट की आवश्यकता की गणना करने की अनुमति दी गई है। विद्युत मंत्रालय की इन सुधार–आधारित पहलों से दूरसंचार क्षेत्र के विभिन्न सेलुलर ऑपरेटरों को लाभ होगा, जिनके शहर में सैकड़ों टावर स्थित हैं जो 5 से 10 किलोवाट ऊर्जा की खपत करते हैं। वे अब ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के माध्यम से बिजली लेने के पात्र हैं। इससे भारत को समग्र नवीकरण ऊर्जा लक्ष्य हासिल करने में भी मदद मिलेगी।

4.34.4 भादूविप्रा ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे ducts (नलिकाओं) के माध्यम से ओएफसी (डार्क फाइबर) इन्फ्रा के विकास के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय/एनएचएआई/एनएचएलएमएल के साथ सहयोग किया है। भादूविप्रा द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर, और राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन और पीएम गति शक्ति के अनुरूप, एनएचएआई ने दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे (1367 किलोमीटर) और हैदराबाद–बैंगलोर नेशनल कॉरिडोर (512 किलोमीटर) के साथ ओएफसी अवसंरचना के विकास के लिए चरण I में दो प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए संविदा दिए। इन प्रायोगिक परियोजनाओं को अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों तक बढ़ाया जा रहा है।

अनुलग्नक–I

दिनांक 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के दौरान आयोजित प्रशिक्षणों (ऑफलाइन/ऑनलाइन) की सूची

क्र.सं.	संगठन	प्रशिक्षण के विषय	मोड/स्थान	अवधि	
1	आईटीयू	इंटरनेट नेटवर्क में सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता	ऑनलाइन	11.04.2022	18.04.2022
2	एफओआईआर	विनियामक शासन	ऑनलाइन	जून/22	अगस्त/22
3	एसटीपीआई	स्टार्टअप अर्थव्यवस्था में तेजी लाना	गांधीनगर	05.07.2022	05.07.2022
4	सेनरवा (टीआरएमसी)	विनियामक मास्टर क्लास	बाथ, यूके	18.07.2022	22.07.2022
5	एनआईसीएफ	स्पेक्ट्रम की नीलामी	ऑनलाइन	25.07.2022	25.07.2022
6	आईआईसीए	प्रतिस्पर्धा कानून और बाजार विनियमों में उन्नत व्यावसायिक पाठ्यक्रम	ऑनलाइन	अगस्त/22	जनवरी/23
7	आईआईसीए	खरीद (जीएफआर, जीईएम और ई–प्रोक्योरमेंट पर आधारित नीति और प्रक्रियाएं) और सुशासन के लिए अनुबंध प्रबंधनः कार्यान्वयन में चुनौतियां	गोवा	23.08.2022	26.08.2022
8	एनईजीडी	क्लाउड कम्प्यूटिंग	मैसूर	25.08.2022	26.08.2022
9	भादूविप्रा	ओरिएंटेशन प्रशिक्षण	भादूविप्रा	26.08.2022	26.08.2022
10	एसएएएम कॉर्पो सलाहकार प्राइवेट लिमिटेड	वेब3ः स्वामित्व का विकेंद्रीकृत इंटरनेट – स्क्रीनशॉट, आईओटी, आईपीवी6 और एआई का अभिगमन	दिल्ली	26.08.2022	26.08.2022
11	एनटीआईपी आरआईटी	दूरसंचार क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)	दिल्ली	14.09.2022	15.09.2022
12	एनपीसी	तनाव प्रबंधन–संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने आतंरिक शक्ति को उजागर करना	गोवा	31.10.2022	04.11.2022
13	आईआईएम इंदौर	पारस्परिक प्रभावशीलता और टीम निर्माण	आईआईएम, इंदौर	14.11.2022	16.11.2022
14	एनपीसी	प्रशासनिक प्रभावशीलता, फोकसरू मानव संसाधन प्रबंधन	जैसलमेर	14.11.2022	18.11.2022
15	आईआईएम इंदौर	उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम (रणनीतिक प्रबंधन)	मुंबई	14.11.2022	20.11.2022
16	एनपीसी	प्रशासनिक प्रभावशीलता, फोकसः निवारक सतर्कता, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और जीएफआर (ई–प्रोक्योरमेंट)	उदयपुर	21.11.2022	25.11.2022
17	एनआईसीएफ	जेम पर रिवर्स नीलामी के माध्यम से खरीद की प्रक्रिया	ऑनलाइन	23.11.2022	23.11.2022

18	आईसीएआई और एक्सएलआरआई	अवसंरचना परियोजना प्रबंधनः अवसंरचना परियोजनाओं की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी	भुवनेश्वर	28.11.2022	02.12.2022
19	एनपीसी	उत्पादकता और डिजिटल कार्यस्थल प्रबंधन पर अग्रिम पाठ्यक्रम	गोवा	05.12.2022	09.12.2022
20	आईआईएम कोझिकोड	(सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) और इसके संचालन की बुनियादी समझरू पीपीपी मॉडल, परियोजना व्यवहार्यता, परियोजना प्रबंधन, परियोजना वित्त, मात्रात्मक विश्लेषण, पीपीपी के कानूनी पहलू, बाजार और प्रतिस्पर्धा, प्रशासन, जोखिम विश्लेषण और केस स्टडीज के साथ परियोजना मूल्यांकन	आईआईएम, कोझिकोड	05.12.2022	09.12.2022
21	एनपीसी	लीन प्रैक्टिस के माध्यम से आत्मनिर्भर	गोवा	12.12.2022	16.12.2022
22	एफओआईआर	विनियामक शासन में परिवर्तन और चुनौतियाँ	गोवा	13.12.2022	15.12.2022
23	एनआईसीएफ	जीएसटी–एनएसडीएल प्लेटफॉर्म पर विभिन्न जीएसटी रिटर्न को अद्यतन करना और भरना	ऑनलाइन	16.12.2022	16.12.2022
24	एनआईसीएफ	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आधार	ऑनलाइन	19.12.2022	19.12.2022
25	एएससीआई, हैदराबाद	डेटा संचालित डिजिटल परिवर्तन	एएससीआई, हैदराबाद	19.12.2022	23.12.2022
26	एनपीसी	संगठनात्मक उत्कृष्टता के लिए नेतृत्व	विशाखापत्तनम	02.01.2023	06.01.2023
27	आईआईएम अहमदाबाद	पारस्परिक प्रभावशीलता और टीम निर्माण	आईआईएम, अहमदाबाद	09.01.2023	12.01.2023
28	एएससीआई, हैदराबाद	कार्यकारियों के लिए व्यक्तित्व विकास	एएससीआई, हैदराबाद	16.01.2023	18.01.2023
29	एजेएनआईएफएम, फरीदाबाद	सार्वजनिक खरीद पर एमडीपी (बेसिक)	एजेएनआईएफएम, फरीदाबाद	16.01.2023	21.01.2023
30	आईआईसीए	प्रतिस्पर्धा कानून और बाजार विनियमों में उन्नत व्यावसायिक पाठ्यक्रम [8वाँ बैच]	ऑनलाइन	जनवरी / 23	जून / 23
31	एफओआईआर	विनियामक शासन [5वां बैच]	ऑनलाइन	फरवरी / 23	अप्रैल / 23
32	एनआईसीएफ	आंतरिक और बाह्य लेखापरीक्षा	ऑनलाइन	07.02.2023	07.02.2023
33	एमडीआई, गुरूग्राम	व्यवसाय एवं तकनीकी लेखन कौशल	एमडीआई, गुरूग्राम	08.02.2023	10.02.2023
34	एनपीसी	ई–गवर्नेंस और आईसीटी के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन	एकता नगर, गुजरात	14.02.2023	18.02.2023
35	दूरसंचार विभाग	दूरसंचार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का प्रभाव	संचार भवन	17.02.2023	17.02.2023

36	आईआईएम लखनऊ	नेतृत्व संचार, अनुनय और प्रभाव	आईआईएम लखनऊ	20.02.2023	24.02.2023
37	एनपीसी	उत्पादकता में सुधार के लिए सॉफ्ट स्किल्स	पोर्ट ब्लेयर	21.02.2023	25.02.2023
38	एनआईटी	आईएस/आईएसओ 9001:2015 के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस)।	भादूविप्रा, मुख्यालय	23.02.2023	24.02.2023
39	एनएलयू दिल्ली	विनियामक प्रभाव मूल्यांकन	एनएलयू, दिल्ली	02.03.2023	03.03.2023
40	एनपीसी	टीम निर्माण एवं नेतृत्व	पोर्ट ब्लेयर	06.03.2023	10.03.2023
41	एनपीसी	डिजिटल युग में मुख्य सचिवीय कौशल और प्रभावशीलता में सधार लाना	बोधगया	13.03.2023	17.03.2023
42	एनपीसी	प्रशासनिक प्रभावशीलता फोकसः निवारक सतर्कता, ई–प्रोक्योरमेंट और आरटीआई	उदयपुर	14.03.2023	18.03.2023

ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के वर्ष 2022–23 के लेखापरीक्षित लेखे

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. हमने दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की संलग्न बैलेंस शीट और उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु आय एवं व्यय खाते/प्राप्तियां और भुगतान खातों का भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (जनवरी 2000 में संशोधित) की धारा 23 (2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के तहत लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपने लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करें।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ लेखा पद्धतियों, लेखा मानकों व प्रकटीकरण मानदंडो आदि के अनुसरण में केवल वर्गीकरण के संबंध में लेखा पद्धतियों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां हैं। क्षमता व निष्पादन पहलुओं तथा कानून, नियमों एवं विनियमों (स्वामित्व एवं नियमितता) के अनुपालन आदि के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखा परीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हो तो वे अलग से निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से सूचित की जाती हैं।

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसरण में की है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम इस प्रकार लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें ताकि इस बात का उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरण तथ्यों की गलतबयानी से मुक्त हों। एक लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच, राशियों को समर्थित करते प्रमाण तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटन शामिल होता है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय को युक्तिसंगत आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   i. हमने वे सभी जानकारीयां व स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के उद्देश्य हेतु आवश्यक थे।

   ii. इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट तथा आय एवं व्यय खाता/प्राप्तियां व भुगतान खाते को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (जनवरी 2000 में संशोधित) की धारा 23 (1) के अंतर्गत महा लेखानियंत्रक द्वारा अनुमोदित 'लेखा के एक समान प्रपत्र' में तैयार किया गया है।

   iii. हमारी राय में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (जनवरी 2000 में संशोधित) की धारा 23 (1) के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार उचित लेखा पुस्तकों और प्रासंगिक अभिलेखों का समुचित रख–रखाव किया गया है, जहाँ तक इस प्रकार के खातों के निरीक्षण से प्रतीत होता है।

   iv. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के वार्षिक लेखों पर हमारी टिप्पणियाँ अगले अनुच्छेदों में दी गई हैं।

      क. आय एवं व्यय खाता

      (i) अन्य प्रशासनिक व्ययः ₹ 53.71 करोड़

      उक्त मद में एक वर्ष की वैधता वाले सॉफ्टवेयर लाइसेंस की खरीद से संबंधित व्यय को शामिल न करने के कारण उपरोक्त मद में ₹ 18.52 लाख की राशि कम करके दर्शाई गई है। इसके

परिणामस्वरूप घाटे को कम करके और अमूर्त संपत्तियों को उसी राशि से अधिक दिखाकर दर्शाया गया।

(ii) मूल्यह्रास: ₹ 1.79 करोड़

पिछले तीन वर्षों से लगातार ऑडिटोरियम पर अतिरिक्त मूल्यह्रास (10 प्रतिशत के बजाय 19.34 प्रतिशत) वसूलने के कारण उपरोक्त मद में ₹ 61.92 लाख की राशि अधिक दर्शाई गई है। इसके परिणामस्वरूप घाटे को अधिक बताया गया और अचल संपत्तियों को उसी राशि से कम बताया गया।

ख. सहायता अनुदान

(ए) राजस्व अनुदान

वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 118.81 करोड़ (जिसमें पिछले वर्ष खर्च नहीं की गई ₹ 21.63 करोड़ की राशि भी शामिल है) के आय अनुदानों में से, भादूविप्रा ने ₹ 104.07 करोड़ की राशि का उपयोग किया था और 31 मार्च, 2023 को अप्रयुक्त राजस्व अनुदान के रूप में ₹ 14.74 करोड़ शेष था।

(ब) पूंजीगत अनुदान

वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 135.91 करोड़ (जिसमें पिछले वर्ष खर्च नहीं की गई ₹ 0.31 करोड़ की राशि भी शामिल है) के पूंजीगत अनुदान में से, भादूविप्रा ने ₹ 91.04 करोड़ की राशि का उपयोग किया था और 31 मार्च, 2023 को अप्रयुक्त पूंजीगत अनुदान के रूप में ₹ 44.87 करोड़ शेष था।

v. पिछले अनुच्छेदों में हमारे अवलोकनों के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट और आय और व्यय खाता/प्राप्तियां और भुगतान खाता बही खातों के अनुरूप हैं।

vi. हमारी राय में और हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण, लेखा पर लेखागत नीतियों तथा टिप्पणियों के साथ पठित, तथा इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक–1 में उल्लिखित अन्य मामलों तथा ऊपर उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों के अधीन, भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसरण में एक सत्य तथा निष्पक्ष परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं:

क. जहां तक यह 31 मार्च, 2023 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के मामलों की स्थिति के बैलेंस शीट से संबंधित है, तथा

ख. जहां तक इसका संबंध उस तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के आय एवं व्यय खाते से है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

ह0/–
(रोली शुक्ला माल्गे)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 15.11.2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के खातों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक–1

हमें प्रदान की गई सूचनाओं और व्याख्याओं के अनुसार लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा जांचे गए बही खातों और अभिलेखों और हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

भादूविप्रा की आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई (आईएयू) का गठन 12 जुलाई, 2013 के परिपत्र संख्या 1–25/2012 –एएंडपी के अनुपालन में किया गया था, जिसमें वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (आईए) को सचिव, भादूविप्रा के सीधे नियंत्रण में कार्य करने के निर्देश दिए गए थे। हालाँकि, उपरोक्त के उल्लंघन में, वर्ष 2022–23 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट को सलाहकार (प्रशासन और आईआर) द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके अलावा, लेखा परीक्षक द्वारा बताए गए मुद्दे, जैसे दूरसंचार विभाग को हतोत्साहन का नियमित प्रेषण न करना, सचिव, भादूविप्रा को मासिक आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत न करना और लंबित सीएजी पैरा के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत न करना आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की अपर्याप्तता का संकेत है।

(OBS No- 938717 HM No- 11, OBS No- 942186 HM No- 12)

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

संगठन की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है और इसके आकार और कार्यों की प्रकृति के अनुरूप है।

3. अचल सम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन की व्यवस्था

अचल सम्पत्तियों के रजिस्टरों का रखरखाव मैन्युयल रूप से और साथ ही कंप्युटर के माध्यम से किया जाता है, भौतिक सम्पत्तियों का सत्यापन वार्षिक आधार पर किया जा रहा है। हमारी राय में संगठन की अचल सम्पत्तियों के सत्यापन के लिए प्रणाली पर्याप्त और इसके आकार और कार्यों की प्रकृति के अनुरूप है।

4. सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

स्टेशनरी और उपभोज्य वस्तुओं की सूची का उचित रिकार्ड बनाए रखा गया है। वर्ष 2022–23 की सूची का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है। हमारी राय में इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन के लिए प्रणाली पर्याप्त और इसके आकार तथा कार्यों की प्रकृति के अनुरूप है।

5. सांविधिक देय राशि के भुगतान में नियमितता

अंशदायी भविष्य निधि सहित किसी अन्य वैधानिक देय राशि के संबंध में कोई विवादित राशि देय नहीं थी।

ह0/–
(रोली शुक्ला माल्गे)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 15.11.2023

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में वर्ष 2022–23 के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर संक्षिप्त नोट।

वर्ष 2022–23 के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) के वार्षिक खातों के प्रमाणीकरण के दौरान भादूविप्रा में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक मूल्यांकन किया गया तथा इसके संबंध में रिपोर्ट निम्नानुसार है:

1. संगठनात्मक ढांचा

प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, दो पूर्ण–कालिक सदस्य और दो अंश–कालिक सदस्य होते हैं, जिन्हें सचिव द्वारा उनके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान की जाती है। भादूविप्रा के सचिवालय का प्रमुख सचिव होता है और वह सात कार्यात्मक प्रभागों अर्थात (i) प्रशासन एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध (ए एण्ड आईआर) (ii) प्रसारण एवं केबल सेवा (बी एण्ड सीएस) (iii) वित्तीय एवं आर्थिक विश्लेषण (एफ एण्ड ईए) (iv) नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग (एनएसएल) (v) सेवा गुणवत्ता (क्यूओएस) (vi) विधि (vii) उपभोक्ता मामले, सूचना प्रोद्योगिकी, प्रोद्योगिकी विकास (सीए, आईटी एवं टीडी) के माध्यम से कार्य करता है। इनमें से प्रत्येक प्रभाग का नेतृत्व एक प्रधान सलाहकार/सलाहकार करते हैं और वे सचिव को रिपोर्ट करते हैं। प्रत्येक प्रधान सलाहकार/सलाहकार की सहायता के लिए उप–सलाहकार या संयुक्त सलाहकार होते हैं और उनकी सहायता के लिए संबंधित वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी होते हैं।

2. नीतियां एवं प्रक्रियाएं

कर्मचारियों/अधिकारियों की नियुक्ति, वेतन निर्धारण, परामर्श की शर्तों का विस्तार, व्यक्तिगत दावों के निपटान, यात्रा भत्तों के दावों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रशिक्षण और अध्ययन के लिए यात्राओं के लिए नीतियों/एवं प्रक्रियाओं तथा विभिन्न मामलों पर विनियमों का निर्माण भादूविप्रा अधिनियम के अनुसार किया जाता है। जहां भी कुछ कमियां पायी जाती हैं उन्हें चालू वर्ष के लिए "लेन–देन लेखा परीक्षण" की निरीक्षण रिपोर्ट में इंगित किया जाता था।

3. आंतरिक लेखापरीक्षा का क्षेत्र और स्वतंत्रता

भादूविप्रा के पास एक स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई होना चाहिए जिसे सचिव, भादूविप्रा के सीधे नियंत्रण में कार्य करना चाहिए और वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (आईए) को इकाई का प्रमुख होना चाहिए। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में तकनीकी अधिकारी सीधे सचिव, भादूविप्रा को रिपोर्ट नहीं कर रहे थे। वर्ष 2022–23 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट को सलाहकार (प्रशासन एवं आईआर) द्वारा अनुमोदित किया गया था जो इंगित करता है कि आंतरिक लेखापरीक्षा स्वतंत्र नहीं थी।

4. नकद प्राप्तियां और वितरण

नकद की प्राप्तियों और वितरण से संबंधित कार्य को उप–सलाहकार (वित्त) के पर्यवेक्षण के अंतर्गत कैशियर द्वारा किया जाता है। कैश बुक कैशियर के पास रहती है और नकदी का भौतिक सत्यापन नियमित आधार पर किया जाता है। नकद को प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की गई, अधिकतम सीमा के अनुसार रखा जा रहा है।

5. भादूविप्रा सामान्य निधि

भादूविप्रा सामान्य कोष का रखरखाव दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा किया जाता है, भादूविप्रा द्वारा भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों को इस कोष में अलग से इस फंड में जमा किया जाता है। भादूविप्रा का व्यय दूरसंचार विभाग द्वारा जारी अनुदानों से पूरा किया जाता है और जारी किए गए अनुदानों के संबंध में भादूविप्रा दूरसंचार विभाग को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाता है।

6. स्थायी सम्पत्तियां

स्थायी सम्पत्तियों के रजिस्टर का रख–रखाव मैन्युअल रूप से और कंप्युटरीकृत रूप द्वारा भी किया जाता है। सम्पत्तियों/स्टोरों का भौतिक सत्यापन वार्षिक आधार पर किया जाता है।

7. नकद प्राप्तियां और वितरण

भुगतान के लिए वित्त विभाग के पास अग्रेषित सक्षम प्राधिकारी की सभी मंजूरियों का, वर्तमान नियमों/आदेशों, सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन, लेखा मदों के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के साथ जांच की जाती है, तदनुसार भुगतान के अंतिम आदेश जारी किए जाते हैं। प्राधिकारी के आदेश जो कि भारत सरकार के निर्णयों/आदेशों के अनुसार नहीं हैं उन्हें वित्त विभाग द्वारा संशोधित किया जाता है।

8. कर्मचारियों के लिए वेतन निधियां/व्यक्तिगत ऋण और अग्रिम

भादूविप्रा के कर्मचारियों को वेतन/ऋण और अग्रिम समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों में किए गए प्रावधानों के अनुसार तैयार किए जाते हैं और भुगतान किए जाते हैं।

9. बैंक में जमा/बैंक मिलान

संबंधित विभाग से मंजूरी के आधार पर चेक जारी किए जाते हैं। भादूविप्रा एक चेक इश्यू रजिस्टर का रखरखाव करता है जिसमें प्राप्त किए गए और जारी किए गए चेकों का विवरण लिखा जाता है। बैंक मिलान विवरणों को मासिक आधार पर तैयार किया जाता है। सरकारी अनुदानों के माध्यम से प्राप्त निधियों को बैंक के चालू खातों में रखा जाता है।

10. एचबीए/एमसीए/कंप्युटर/स्कूटर अग्रिम का रजिस्टर

भादूविप्रा द्वारा अपने कर्मचारियों को एचबीए/एमसीए/कंप्युटर/स्कूटर अग्रिम का भुगतान किया जा रहा है। अपने कर्मचारियों को इन अग्रिमों का भुगतान करते समय भादूविप्रा उन कर्मचारियों के पैरेंट/मूल कार्यालयों के डेबिट शेष पर विचार करता रहा है।

ह0/–
(रोली शुक्ला माल्गे)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 15.11.2023

अस्वीकृतिः "प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा"।

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता

आय	अनुसूची	राजस्व	
		चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
बिक्री /सेवाओं से आय	12		
अनुदान /सब्सिडी	13	97,18,00,000	92,00,00,000
शुल्क /अंशदान	14		-
निवेश से आय (निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में किए निवेश से आय – निधियों में अंतरित)	15		-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	0	-
अर्जित ब्याज	17	44,00,852	1,79,07,118
अन्य आय	18	2,79,457	5,34,403
तैयार माल के स्टॉक में बढ़ोतरी (कमी) और प्रगति पर कार्य	19		
कुल (क)		**97,64,80,309**	**93,84,41,521**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	53,16,80,523	48,94,42,293
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	53,71,31,773	42,51,74,455
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22		-
ब्याज	23		-
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में निवल योग – अनुसूची 8 के अनुरूप)		1,79,37,025	1,55,75,774
कुल (ख)		**108,67,49,321**	**93,01,92,522**
व्यय से अधिक आय के आधिक्य का शेष (क–ख)		**-11,02,69,012**	**82,48,999**
विशेष आरक्षित को अंतरण (प्रत्येक निर्दिष्ट करें)			
सामान्य आरक्षित को/से अंतरण			
संग्रह/पूंजीगत निधि में अंतरित अधिशेष/(घाटा) का शेष	24		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	25		
आकस्मिक देयताएं और खाते पर टिप्पणियां			

ह०/-	**ह०/-**	**ह०/-**	**ह०/-**
प्रधान सलाहकार (एफ एण्ड ईए)	**सचिव**	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

		राजस्व	
		चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
संग्रह/पूंजीगत निधि	1	(15,19,31,148)	(4,16,62,136)
आरक्षित एवं अधिशेष	2		
निर्धारित एवं बंदोबस्ती निधि	3	46,71,36,490	4,96,390
प्रतिभूति ऋण एवं उधार	4		
अप्रतिभूति ऋण एवं उधार	5		
अस्थगित क्रेडिट देयताएं	6		
चालू देयताएं एवं प्रावधान	7	42,70,11,627	**35,90,24,249**
कुल		**74,22,16,969**	**31,78,58,503**
परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां	8	8,68,19,200	8,44,79,695
निवेश – निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से	9		
निवेश – अन्य	10		
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	65,53,97,769	23,33,78,808
विविध खर्चे			
(बट्टे खाते में न डाले गए अथवा समायोजित नहीं किए गए)			
कुल		**74,22,16,969**	**31,78,58,503**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खाते पर टिप्पणियां	25		

ह०/-	ह०/-	ह०/-	ह०/-
प्रधान सलाहकार (एफ एण्ड ईए)	**सचिव**	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 1 - संग्रह/पूंजीगत निधि

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
वर्ष के आरंभ में शेष	(4,16,62,136)	(4,99,11,135)
जोड़े/घटाएं: संग्रह/पूंजीगत निधि की ओर योगदान		
जोड़े (कटौतीं): आय एवं व्यय खाते से अंतरित	(11,02,69,012)	82,48,999
निवल आय / (व्यय) का शेष आय और व्यय खाता		
वर्ष की समाप्ति की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र	**(15,19,31,148)**	**(4,16,62,136)**

अनुसूची 2 - आरक्षित एवं अधिशेष

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
1. **पूंजी आरक्षित:**	-	
पिछले खाते के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
2. **पुनर्मल्यांकन आरक्षित: विशेष आरक्षित:**	-	-
पिछले खाते के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
3. **विशेष आरक्षित:**	-	-
पिछले खाते के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
4. **सामान्य आरक्षित:**	-	-
पिछले खाते के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
कुल	-	-

ह०/-
कंसल्टेंट (एफ एण्ड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 3 - निर्धारित / बंदोबस्ती निधिः

(राशि - ₹)

निधि वार ब्रेकअप

	बिल्डिंग निधि	निधि एक्स एक्स	निधि वाई वाई	निधि जैड जैड	कुल राजस्व	
					चालू वर्ष 2022-23	**पिछला वर्ष 2021-22**
क) निधि का आरंभिक शेष	31,82,112					
ख) निधि में वृद्धिः						
(i) दान/अनुदान						
(ii) निधि के खाते में निवेश से आय	1,84,03,798					
(iii) अन्य जमा (विविध आय, अग्रिम की प्राप्ति)						
(iv) बिल्डिंग के लिए डीओटी से मिली निधि	1,35,60,00,000					
कुल (क + ख)	1,37,75,85,910					
ग) निधि के उद्देश्य पर उपयोग/व्यय						
i. **पूंजीगत व्यय**						
– स्थायी परिसंपत्ति					शून्य	शून्य
– अन्य						
– बिल्डिंग अग्रिम निधि एनबीसीसी	91,04,49,420					
कुल						
ii. **राजस्व व्यय**						
– वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि					-	-
– किराया						
– अन्य प्रशासनिक व्यय						
कुल	91,04,49,420					
कुल (ग)						
वर्ष की समाप्ति पर निवल शेष (क+ख+ग)	**46,71,36,490**					

टिप्पणियांः-

1) अनुदानों से संबंधित शर्तों के आधार पर प्रकटीकरण को प्रासंगिक शीर्ष के अधीन रखा जाना चाहिए
2) शेष राशि, भादूविप्रा के मौजूदा खाते में पड़ी हुई है जिसे चालू परिसम्पत्तिगत ऋणों और अग्रिमों की अनुसूची 11 में दर्शाया गया है।

ह०/-
कंसल्टेंट (एफ एण्ड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां
अनुसूची 4 - प्रतिभूति ऋण और उधार

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-
4. बैंक	-	-
क) सावधि ऋण	-	-
– ब्याज प्रोद्भूत एवं देय	-	-
ख) अन्य – ऋण (निर्दिष्ट करें)	-	-
– ब्याज प्रोद्भूत एवं देय	-	-
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां	-	-
6. डिबेंचर और बांड	-	-
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि।

अनुसूची 5 - अप्रतिभूति ऋण और उधार

(राशि - ₹)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-
4. बैंक	-	-
क) सावधि ऋण	-	-
– ब्याज प्रोद्भूत एवं देय	-	-
ख) अन्य – ऋण (निर्दिष्ट करें)	-	-
– ब्याज प्रोद्भूत एवं देय	-	-
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां	-	-
6. डिबेंचर और बांड	-	-
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि।

ह०/-
कंसल्टेंट (एफ एण्ड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां
अनुसूची 6 - आस्थगित क्रेडिट देयताएं

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
क) पूंजीगत उपस्करों एवं अन्य परिसंपत्तियों के	-	-
उपप्राधीयन द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां	-	-
ख) अन्य	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि।

अनुसूची 7 - चालू देयताएं और प्रावधान

(राशि - ₹)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
क. चालू देयताएं		
1) स्वीकार्यता	-	-
2) विविध ऋणदाता	-	-
क) वस्तुओं के लिए	-	-
ख) अन्य	-	-
3) प्राप्त अग्रिम	-	-
4) प्रोद्भूत ब्याज पर निम्न पर देय नहीं:	-	-
क) प्रतिभूति ऋण/उधार	-	-
ख) अप्रतिभूति ऋण/उधार	-	-
5) सांविधिक देयताएं	-	-
क) अतिदेय	-	-
ख) अन्य	-	-
6) अन्य चालू देयताएं	-	-
1) भादूविप्रा सामान्य निधि (ईएमडी) के लिए	12,73,442	8,38,387
2) टेलीमार्किटर्स पंजीकरण शुल्क के लिए	2,663	1,917
3) टेलीमार्किटर्स से जुर्माना		123
4) वत्तीय दंड	3,48,49,557	1,13,90,037
कुल (क)	**3,61,25,662**	**1,22,30,464**
ख. प्रावधान		
1. कराधान के लिए		
2. ग्रेच्युटी	11,77,99,638	10,38,75,036
3. अधिवर्षिता/पेंशन		-
4. संचित अवकाश नकदीकरण	13,52,60,117	12,13,45,565
5. व्यापार वारंटी/दावे		-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)		-
व्यय के लिए प्रावधान	13,78,26,210	12,15,73,184
कुल (ख)	**39,08,85,965**	**34,67,93,785**
कुल (क+ख)	**42,70,11,627**	**35,90,24,249**

ह०/-
कंसल्टेंट (एफ एण्ड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां
अनुसूची 8 - स्थायी परिसंपत्तियां

(राशि - ₹)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के आरंभ मे	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत तक योग	चालू वर्ष के अंत तक	पिछले वर्ष के अंत तक
क. स्थायी परिसंपत्तियां										
1. भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीज़होल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवन										
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीज़होल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) स्वामित्व फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) भूमि पर अतिसंरचना संस्था से संबंधित नहीं	-		-	-	-	-	-	-	-	-
3. संयत्र मशीनें एव उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-		-
4. वाहन	72,63,697			72,63,697	40,64,078	6,09,254		46,73,332	25,90,365	31,99,619
5. फर्नीचर, फिक्सचर	2,96,97,602	4,19,085	2,36,000	2,98,80,687	2,49,19,971	8,95,374	14,483	2,58,00,862	40,79,825	47,77,631
6. कार्यालय उपस्कर	4,55,66,972	37,09,236		4,92,76,208	3,82,23,606	47,00,213		4,29,23,819	63,52,389	73,43,366
7. कंप्यूटर / पेरिफिरल	13,53,08,611	1,63,69,726		15,16,78,337	7,75,33,641	69,57,863		8,44,91,504	6,71,86,833	5,77,74,970
8. इलैक्ट्रिक संस्थापन	1,17,82,757			1,17,82,757	96,07,332	4,87,978		1,00,95,310	16,87,447	21,75,425
9. पुस्तकालय पुस्तकें	45,14,124			45,14,124	44,31,774	13,313		44,45,087	69,037	82,350
10 ऑडिटोरियम	2,20,90,493			2,20,90,493	1,29,64,159	42,73,030		1,72,37,189	48,53,304	91,26,334
चालू वर्ष का योग	**25,62,24,256**	**2,04,98,047**	**2,36,000**	**27,64,86,303**	**17,17,44,561**	**1,79,37,025**	**14,483**	**18,96,67,103**	**8,68,19,200**	**8,44,79,695**
पिछला वर्ष	**24,80,70,323**	**1,03,52,707**	**21,98,774**	**25,62,24,256**	**16,03,31,113**	**1,55,75,774**	**41,62,326**	**17,17,44,561**	**8,44,79,695**	**8,77,39,210**
ख. पूंजीगत कार्य प्रगति पर										
कुल										

ह०/-
कंसल्टेंट (एफ एण्ड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 9 - निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश

(राशि - ₹)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर एवं बांड	-	-
5. सहायक कंपनियाँ एवं संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 10 - निवेश अन्य

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर एवं बांड	-	-
5. सहायक कंपनियाँ एवं संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (बैंक एफडीआर)	-	-
कुल	-	-

ह०/-
कंसल्टेंट (एफ एण्ड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां
अनुसूची 11 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि - ₹)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
क. चालू परिसंपत्तियां:		
1. सामान		
क) स्टोर्स और स्पेयर्स	-	-
ख) लूज टूल्स	-	-
ग) स्टॉक–इन–ट्रेड	-	-
तैयार माल	-	-
कार्य प्रगति पर	-	-
कच्चा माल	-	-
2. विविध डेब्टर्स		
क) छह माह की अवधि से अधिक बकाया डेब्ट	-	-
ख) अन्य	-	-
3. हाथ में नकदी शेष (चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित)	95,729	25,844
4. बैंक शेष:		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
– चालू खाता ट्राई सामान्य निधि पर	14,73,69,502	21,37,59,848
बिल्डिंग फंड (भादूविप्रा के नए भवन के लिए)	9,66,490	5,42,113
– चालू खाता पंजीकरण शुल्क पर	2,056	1,310
टेलीमार्किटर्स से जुर्माना	-	123
– बचत खाता ग्राहक शिक्षा शुल्क पर	-	
– बचत खाता वित्तीय निवर्तक पर	3,48,49,557	1,13,90,037
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ	46,61,70,000	26,40,000
– चालू खाता पर		
– जमा खाते पर		-
– बचत पर		-
5. डाकघर बचत खाता		-
		-
कुल (क)	**64,94,53,334**	**22,83,59,275**

जारी.......

ह०/-
कंसल्टेंट (एफ एण्ड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां
अनुसूची 11 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि - ₹)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां		
1. ऋण		
क) स्टाफ	-	-
ख) संस्थान के समान गतिविधियों/उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाएं	-	-
ग) अन्य (अधिकारियों एवं स्टाफ को टीए, एलटीसी एवं त्यौहार अग्रिम)	32,57,231	31,51,118
2. अग्रिम एवं नकद में या उस प्रकार वसूलीयोग्य अन्य राशि अथवा प्राप्त होने वाली राशिः		
क) पूंजीगत खाते पर	-	-
ख) पूर्व भुगतान	20,97,547	12,00,810
ग) अन्य	-	-
3. प्रोद्भूत आय		
क) निधार्रित/अक्षयनिधियों से निवेश पर	-	-
ख) निवेश – अन्य पर	-	-
ग) ऋण एवं अग्रिम पर	5,68,698	6,67,605
घ) अन्य	-	-
(देय आय में वसूली न गई राशि सहित)		
4. प्राप्तयोग्य दावे	20,959	-
कुल (ख)	**59,44,435**	**50,19,533**
कुल (क + ख)	**65,53,97,769**	**23,33,78,808**

ह०/-
कंसल्टेंट (एफ एण्ड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां
अनुसूची 12 - बिक्री / सेवाओं से आय

(राशि - ₹)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
1. बिक्री से आय	-	-
क) तैयार माल की बिक्री	-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
ग) स्क्रैप की बिक्री	-	-
2. सेवाओं से आय	-	-
क) मजदूरी और प्रसंस्करण प्रभार	-	-
ख) पेशेवर/सलाहकार सेवाएं	-	-
ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली	-	-
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)	-	-
ड़) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 13 - अनुदान / सब्सिडी

	राजस्व	
(अप्रतिसंहरणीय अनुदान एवं सब्सिडी प्राप्त)	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
1. केंद्र सरकार	97,18,00,000	92,00,00,000
2. राज्य सरकार	-	-
3. सरकारी एजेंसियां	-	-
4. संस्थान/कल्याणकारी निकाय	-	-
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
6. अन्य (स्वच्छ भारत)	-	-
कुल	**97,18,00,000**	**92,00,00,000**

अनुसूची 14 - शुल्क / अंशदान

(राशि - ₹)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. वार्षिक शुल्क / अंशदान	-	-
3. सम्मेलन / कार्यक्रम शुल्क	-	-
4. परामर्श शुल्क	-	-
5. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

टिप्पणीः प्रत्येक मद की लेखांकन नीतियां प्रकट की जानी चाहिए

ह०/-
कंसल्टेंट (एफ एण्ड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां
अनुसूची 15 - निवेशों से आय

(राशि - ₹)

(निर्धारित/अक्षयनिधियों में किए गए निवेश से प्राप्त आय का निधि में अंतरण)	राजस्व	
	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
1. ब्याज	-	-
क) सरकारी प्रतिभूति पर	-	-
ख) अन्य बोंड / डिबेंचर्स	-	-
2. लाभांश	-	-
क) शेयरों पर	-	-
ख) म्युचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-
3. किराया	-	-
4. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-
निर्धारित / अक्षयनिधियों को अंतरित		

अनुसूची 16 - रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

(राशि - ₹)

(निर्धारित/अक्षयनिधियों में किए गए निवेश से प्राप्त आय का निधि में अंतरण)	राजस्व	
	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
1. रॉयल्टी से आय	-	-
2. प्रकाशन से आय	-	-
3. विविध आय	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
1. सावधि जमा पर	-	-
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग) संस्थानों के साथ	-	-
घ) फ्लैक्सी खाते	44,00,852	1,79,07,118
2. बचत खातों पर	-	-
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग) संस्थानों के साथ	-	-
घ) अन्य	-	-
3. ऋणों पर	-	-
क) कर्मचारी/स्टाफ	-	-
ख) अन्य	-	-
4. डेब्टर्स एवं अन्य प्राप्यों पर ब्याज	-	-
कुल	**44,00,852**	**1,79,07,118**

टिप्पणीः स्रोत पर कर कटौती का संकेत दिया गया है

ह०/-
कंसल्टेंट (एफ एण्ड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 18 - अन्य आय

(राशि - ₹)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ		
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां	272,619	-
ख) अनुदानों से अथवा निःशुल्क प्राप्त की गई परिसंपत्तियां		
2. वसूले गए निर्यात प्रोत्साहन		
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क		
4. विविध आय	6,838	5,34,403
कुल	**2,79,457**	**5,34,403**

अनुसूची 19 - निर्मित माल के स्टॉक एवं प्रगतिशील कार्य में वृद्धि/(कमी)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
क) अंतिम स्टॉक		
- तैयार माल	0	0
- प्रगतिशील कार्य	0	0
ख) घटाएं: आंरभिक स्टॉक		
- तैयार माल	0	0
- प्रगतिशील कार्य	0	0
निवल वृद्धि / (कमी) (क - ख)	0	0

अनुसूची 20 - स्थापना व्यय

	गैर-योजना	
	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
क) वेतन एवं मजदूरी	41,76,85,587	38,26,08,775
ख) भत्ते एवं बोनस	4,98,565	4,52,459
ग) भविष्य निधि में योगदान	2,36,21,258	2,31,14,825
घ) अन्य निधि में योगदान (निर्दिष्ट करें)		-
ड़) स्टाफ कल्याण खर्च	12,45,119	14,38,157
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और आवधिक लाभ	6,95,07,195	6,40,40,501
छ) अन्य (अधिकारियों एवं स्टाफ को एलटीसी, मेडिकल और स्टाफ को ओटीए)	1,91,22,799	1,77,87,576
कुल	**53,16,80,523**	**48,94,42,293**

ह०/-
कंसल्टेंट (एफ एण्ड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां
अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

(राशि - ₹)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
क) खरीद	-	-
ख) मजदूरी और प्रसंस्करण व्यय	-	-
ग) कार्टेज और कैरिज प्रभार	-	-
घ) विद्युत एवं पॉवर	49,12,449	28,40,809
ड़) जल प्रभार	-	-
च) बीमा और बैंक शुल्क	1,53,137	2,08,399
छ) मरम्मत एवं रखरखाव	94,90,467	1,10,49,290
ज) सीमा शुल्क	-	-
झ) किराया, दर और कर	32,61,58,011	32,94,13,292
ञ) वाहन चालन एवं रखरखाव	20,19,290	14,69,394
ट) डाक, दूरभाष एवं संचार प्रभार	1,00,71,632	92,60,002
ठ) प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	33,73,526	10,44,703
ड) यात्रा एवं परिवहन व्यय	5,35,13,154	2,05,28,393
ण) सेमिनार/ कार्यशाला पर व्यय	1,53,06,149	1,39,149
त) अंशदान व्यय	75,64,692	61,23,010
थ) पूर्व अवधि के खर्च	33,51,173	(3,71,13,704)
द) लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	2,80,000	2,03,100
ध) आतिथ्य–सत्कार पर शुल्क	7,25,512	3,05,329
न) पेशवेर शुल्क	4,12,82,284	2,82,49,435
प) परामर्श और प्रशिक्षण	69,69,966	14,50,134
फ) स्वच्छ भारत शुल्क	-	-
ब) संपत्तियों की बिक्री से हानि	-	-
भ) मालभाड़ा एवं अग्रेषण व्यय	-	-
म) सॉफ्टवेयर विकास व्यय	33,38,140	17,06,676
य) विज्ञापन एवं प्रचार	9,07,109	17,84,626
र) अन्य	-	-
(i) अन्य (सुरक्षा, हाउसकीपिंग आदि को भुगतान)	4,77,15,082	4,65,12,418
कुल	**53,71,31,773**	**42,51,74,455**

हo/-
कंसल्टेंट (एफ एण्ड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां
अनुसूची 22 - अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय

(राशि - ₹)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
क) संस्थानों / संगठनों के लिए दिया गया अनुदान	-	-
ख) संस्थानों / संगठनों के लिए दिया गया सब्सिडी	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी: संस्थान के नाम, दी गई अनुदानों/सब्सिडी की राशि के साथ उनकी गतिविधियों का उल्लेख करें

अनुसूची 23 - ब्याज

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
क) सावधि ऋणों पर	-	-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित)	-	-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

ह०/-
कंसल्टेंट (एफ एण्ड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए प्राप्ति एवं भुगतान विवरण

(राशि - ₹)

प्राप्ति	राजस्व चालू वर्ष 2022-23	राजस्व पिछला वर्ष 2021-22
I. आरंभिक शेष		
क) हाथ में नकदी	25,844	26,385
i) चालू खाते में	21,37,59,848	3,00,801
ii) बिल्डिंग फंड में जमा खाते में	5,42,113	22,61,98,520
iii) भादूविप्रा सामान्य निधि में		21,03,01,480
iv) बचत खाते पर जुर्माना	123	15,318
पंजीकरण शुल्क	1,310	1,77,694
ग्राहक शिक्षा शुल्क		-
वित्तीय निर्वर्तक	1,13,90,037	92,00,000
II. प्राप्त अनुदान		
क) केंद्र सरकार से	97,18,00,000	92,00,00,000
ख) राज्य सरकार से		-
ग) बिल्डिंग फंड के लिए डीओटी से प्राप्त अनुदान	135,60,00,000	113,00,00,000
(पूंजी या राजस्व व्यय के लिए अनुदान अलग से दर्शाया गया है)		
III. निम्न में निवेश से आय		
क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधि	1,84,03,798	
ख) स्वयं की निधियां (अन्य निवेश)		
IV. प्राप्त ब्याज		-
क) बैंक जमा पर	44,00,852	1,79,07,118
ख) ऋण, अग्रिम आदि	98,907	71,517
ग) विविध		-
V. अन्य आय (निर्दिष्ट करें)		
विविध आय को	2,79,457	5,34,403
VI. उधार ली गई राशि		
VII. कोई अन्य प्राप्ति (विवरण दें)		
प्रतिभूति जमा से	4,35,055	65,75,562
अन्य अग्रिम		-
परिसंपत्तियों की बिक्री से		-
वाहन की बिक्री पर अग्रिम		-
पंजीकरण शुल्क से	746	5,313
ग्राहक शिक्षा शुल्क से		-
टेलीमार्केटर्स से लिए दंड से		4,083
वित्तीय निर्वर्तक से	**2,34,59,519**	**1,94,98,032**
कुल	**260,05,97,609**	**254,08,16,226**

भुगतान	राजस्व चालू वर्ष 2022-23	राजस्व पिछला वर्ष 2021-22
I. व्यय		
क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के अनुरूप)	49,89,28,925	47,04,43,332
ख) प्रशासनिक (अनुसूची 21 के अनुरूप)	52,30,85,602	45,35,58,310
II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से किया गया भुगतान		
(प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण सहित निधि अथवा परियोजना का नाम दर्शाया जाए)		
बिल्डिंग फंड के लिए एनबीसीसी को किया गया भुगतान	91,04,49,420	135,57,02,130
III. किए गए निवेश एवं जमा		
क) निर्धारित/अक्षयनिधि से		-
ख) स्वयं निधि से (निवेश – अन्य)		-
ग) भवन निधि में से सावधि जमा	9,66,490	5,42,113
घ) भादूविप्रा सामान्य निधि में से सावधि जमा	46,35,30,000	26,40,000
IV. स्थायी परिसंपत्तियां एवं प्रगतिशील कार्य पर व्यय		
क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	2,02,96,520	1,03,41,519
ख) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य पर व्यय		
V. अधिशेष राशि/ऋण की वापसी		
क) भारत सरकार को		-
ख) राज्य सरकार को		-
ग) टेलीमार्केटर पंजीकरण शुल्क के लिए दूरसंचार विभाग को		1,81,697
ग्राहक शिक्षा शुल्क के लिए दूरसंचार विभाग को		-
टेलीमार्केटर्स से जुर्माने के लिए दूरसंचार विभाग को		19,278
वित्तीय दंड/जुर्माने के लिए दूरसंचार विभाग को		1,73,07,995
VI. वित्त प्रभार (ब्याज)		
VII. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)		
ऋण एवं अग्रिम और प्रतिभूति जमा	10,23,809	49,02,690
VIII. अंतिम शेष		
क) हाथ में नकदी	95,729	25,844
ख) बैंक शेष		-
1) चालू खाता में – भादूविप्रा सामान्य निधि	14,73,69,502	21,37,59,848
i) चालू खाता में – पंजीकरण शुल्क	2,056	1,310
ii) जमा खाता में		-
2) बचत खाता		
i) ग्राहक शिक्षा शुल्क		-
ii) टेलीमार्केटर्स से दंड	0	123
iii) वित्तीय निर्वर्तक	3,48,49,556	1,13,90,037
कुल	**260,05,97,609**	**254,08,16,226**

ह०/-	ह०/-	ह०/-	ह०/-
प्रधान सलाहकार (एफ एण्ड ईए)	**सचिव**	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

अनुसूची 24 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1 लेखा परंपराएं:

(क) वित्तीय विवरण को ''एक समान खाते के प्रारूप'' में तैयार किया गया है जैसा कि लेखा महानियंत्रक द्वारा उनके दिनांक 23 जुलाई, 2007 के पत्रांक संख्या एफ.सं. 19(1)/Misc./2005/TA/450-490 के माध्यम से योजनागत तथा गैर–योजनागत दोनों क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त रूप से तथा पृथक रूप से यथा अनुमोदित है।

(ख) चालू वर्ष अर्थात, 2022 –23 के लिए लेखा संग्रहण के आधार पर तैयार किया गया है। पिछले साल से लेखा की विधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ग) खाता बहियों में सभी निर्विवादित और ज्ञात देयताओं के लिए प्रावधान किया गया है।

(घ) आंकड़ों को निकटतम रुपयों में समेकित कर दिया गया है।

(ड़) तथ्यों और इस मामले में शामिल कानूनी पहलुओं के सावधानी से मूल्यांकन के बाद आकस्मिक देयताओं का खुलासा किया गया है।

2 स्थायी परिसंपत्तियां:

स्थायी परिसंपत्तियों को आवक भाड़े, शुल्कों और करों तथा अधिग्रहण से संबंधित आनुषंगिक और प्रत्यक्ष खर्च को समावेशी अधिग्रहण की लागत में दर्शाया गया है।

3 मूल्यह्रास:

(क) अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची के भाग ''सी'' की निर्दिष्ट दरों पर सीधी रेखा पद्धति से दिया गया है, जिसमें नीचे वर्णित श्रेणियों की संपत्तियां शामिल नहीं हैं, जिन पर मूल्यह्रास उच्च दरों से लगाया गया है।

वर्ग	कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार निर्धारित न्यूनतम मूल्यह्रास दर	लागू मूल्यह्रास दर
कार्यालय उपस्कर	19.00%	19.00%*
फर्निचर और फिक्स्चर	9.50%	10.00%
विद्युत उपस्कर	9.50%	10.00%
एयर कंडीशनर	9.50%	10.00%
पुस्तकें और प्रकाशन	6.33%	20.00%

* कार्यालय उपस्करों में कार्यालय संबंधी उद्देश्यों के लिए अधिकारियों को मुहैया कराए गए मोबाइल हैंडसेट शामिल हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 03.01.2020 के आदेश संख्या 6–13/2019–एएंडपी के माध्यम से इन हैंडसेटों को दो वर्षों में मुहैया/बट्टे खाते में डालने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार मोबाइल हैंडसेटों पर मूल्यह्रास 50% की दर से प्रभारित किया गया है।

(ख) वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों में वृद्धि के संबंध में, मूल्यह्रास को आनुपातिक आधार पर माना जाता है।

(ग) 5000/– रुपये या कम की लागत की प्रत्येक परिसंपत्तियां पूरी तरह से प्रदान की जाती हैं।

4 विदेशी मुद्रा निष्पादन

विदेशी मुद्राओं में नामित लेन–देन को लेन–देन के समय प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया गया है।

ह0/–
कंसल्टेंट (एफ एंड ईए)

5 **सेवानिवृत्ति लाभः**

(क) प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के मामले में दिनांक 31 मार्च, 2023 के लिए समय–समय पर मौलिक नियमों के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान के लिए लेखा बहियों मे प्रावधान किया गया है।

(ख) नियमित कर्मचारियों के मामले में, वर्ष 2022–23 के लिए अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्यूटी का प्रावधान बीमांकिक द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर किया गया है।

6 **सरकारी अनुदानः**

(क) सरकार से वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदानों के आधार पर सरकारी अनुदानों को लेखाबद्ध किया गया है।

(ख) पंजीकरण शुल्क, ग्राहक शिक्षा शुल्क, टेलीमार्केटर्स और वित्तीय नवर्तक पर दंड के रूप में प्राप्त राशि का हिसाब नकदी आधार पर किया गया है।

अनुसूची 25 – आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां

1 **आकस्मिक देयताएंः**

संस्था के खिलाफ ऋण के रूप स्वीकार नहीं किए गए दावे, वर्तमान वर्ष में (शून्य) (पिछले वर्ष में शून्य)

2 **वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिमः**

प्रबंधन की राय में, मौजूदा परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिम में व्यापार के सामान्य क्रम में वसूली पर एक मूल्य है, जो कम से कम तुलन पत्र में दिखाई गई कुल राशि के बराबर है।

3 **कराधानः**

भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 32 के अनुसार, भादूविप्रा को संपत्ति और आय पर कर से छूट दी गई है।

4 **अनुदानः**

वित्तीय वर्ष 22–23 के दौरान भादूविप्रा के दिन–प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए डीओटी से 97.18 करोड़ रुपये की राशि सरकारी अनुदान के रूप में प्राप्त हुई है।

5 **निर्धारित अनुदान**

भादूविप्रा समय–समय पर संचार मंत्रालय से ऑफिस स्पेस के लिए फंड आवंटित करने का अनुरोध कर रहा था। 26 नवंबर 2020 को, डीओटी ने पत्र संख्या 15–11/2012–Restg के माध्यम से भादूविप्रा को कार्यालय स्थान के लिए 1,15,188 वर्ग फुट के क्षेत्र के लिए सक्षम प्राधिकारी के प्रशासनिक अनुमोदन के बारे में बताया। तत्पश्चात पत्र संख्या 1–15/2021–बी/313 और संख्या 1–15/2020–बी/208 दिनांक 14.06.2021 और संख्या 1–15/2020–बी/456 दिनांक 01.11.2021 के माध्यम से 226 करोड़ रुपये की राशि भवन के लिए आवंटित की गई है। वर्ष 2022–23 के दौरान 135.60 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं और वित्तीय वर्ष की समाप्ति यानी 31.03.2023 तक एनबीसीसी को 91.04 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। इस अवधि के दौरान ब्याज के रूप में 1.84 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई, जिसे बैलेंस शीट की अनुसूची 3 में दिखाया गया है और 31.03.2023 को बिल्डिंग फंड खाते का समापन शेष 46.71 करोड़ रुपये है।

ह0/–
कंसल्टेंट (एफ एंड ईए)

6 **पिछले वर्ष के आंकड़े:**

जहां आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःवर्गीकृत/व्यवस्थित किया गया है। पिछले वर्ष से संबंधित व्यय/आय अर्थात पूर्व अवधि के व्यय/आय को पूंजी निधि के माध्यम से किया गया है।

7 **विदेशी मुद्राओं में लेनदेन:**

विदेशी मुद्रा में व्यय : शून्य

(क) यात्रा : 1,68,33,339.00 रुपये की राशि विदेश यात्रा व्यय के रूप में खर्च की गई।

: विदेशी मुद्रा में विदेशी संस्थानों के लिए भागीदारी शुल्क के लिए 62,59,534 रुपये की राशि का भुगतान किया गया था।

(ख) वित्तीय संस्थाओं, बैंकों के लिए विदेशी मुद्रा में विप्रेषण और ब्याज का भुगतान : शून्य

(ग) अन्य व्यय: : शून्य

9 1 से 25 तक की अनुसूचियों को संलग्न किया गया है और उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2023 के तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया है।

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
प्रधान सलाहकार (एफ एंड ईए)	सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

ग) भादूविप्रा के वर्ष 2022-23 के लिए लेखापरीक्षित अंशदायी भविष्य निधि लेखा

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अंशदायी भविष्य निधि खाते के वार्षिक लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. **परिचय**

हमने दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अंशदायी भविष्य निधि खाते के संलग्न तुलन–पत्र तथा भारत सरकार के दिनांक 10 अप्रैल, 2003 के असाधारण राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 333(ई) के अधीन जारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंशदायी भविष्य निधि) नियमावली, 2003 में नियम 5(5) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अधीन उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय खाता/प्राप्तियां और भुगतान खाता की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अंशदायी भविष्य निधि खाते के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना हमारा उत्तरदायित्व है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ लेखा पद्धतियों, लेखा मानकों व प्रकटन मानदंडो आदि के अनुसरण में केवल वर्गीकरण के संबंध में लेखा पद्धतियों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां हैं। क्षमता व निष्पादन पहलुओं तथा कानून, नियमों एवं विनियमों (स्वामित्व एवं नियमितता) के अनुपालन आदि के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखा परीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हो तो वे अलग से निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से सूचित की जाती हैं।

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसरण में की है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम इस प्रकार लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें ताकि इस बात का उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरण तथ्यों की गलतबयानी से मुक्त हों। एक लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच, राशियों को समर्थित करते प्रमाण तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटन शामिल होता है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय को युक्तिसंगत आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं किः

   i. हमने वे सभी जानकारीयां व स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के उद्देश्य हेतु आवश्यक थे;

   ii. इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र तथा आय एवं व्यय खाता/प्राप्तियां व भुगतान खाता को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 2003 के नियम 5 के तहत लेखा महानियंत्रक द्वारा अनुमोदित 'लेखा के एक समान प्रपत्र' में बनाए गए हैं।

   iii. हमारी राय में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता द्वारा उचित लेखा पुस्तकों व अन्य संबंधित रिकार्ड का समुचित रख–रखाव किया गया है।

iv. हम यह सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र तथा आय एवं व्यय खाता/प्राप्तियां और भुगतान लेखा, लेखा–पुस्तकों के अनुरूप हैं।

v. हमारी राय में और हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण, लेखा पर लेखागत नीतियों तथा टिप्पणियों के साथ पठित, तथा इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक–1 में उल्लिखित अन्य मामलों तथा ऊपर उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों के अधीन, भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसरण में एक सत्य तथा निष्पक्ष परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं:

क. जहां तक ये भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि खाता के दिनांक 31 मार्च, 2023 के मामलों की स्थिति के तुलन–पत्र से संबंधित है; तथा

ख. जहां तक ये उस तिथि पर समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय खाते से संबंधित है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

ह0/–
(रोली शुक्ला माल्गे)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 16.10.2023

पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक–1

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि खाता।

हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरणों, लेखा परीक्षा के दौरान हमारे द्वारा देखी गई पुस्तकों व रिकॉर्ड और हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान व विश्वास के अनुसार, हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

(1) आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

भादूविप्रा–सीपीएफ खातों की आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट 2022–23 के लिए उपलब्ध है और इसे सचिव, भादूविप्रा द्वारा अनुमोदित किया गया है। 31 मार्च, 2023 तक के सीपीएफ खातों को आंतरिक लेखा परीक्षा स्कन्ध द्वारा जून, 2023 के महीने में सत्यापित किया गया था। संस्थान की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली पर्याप्त है तथा इसके आकार और इसके कार्य की प्रकृति के अनुरूप है।

(2) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

संगठन की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है तथा इसके आकार और इसके कार्य की प्रकृति के अनुरूप है।

ह0/–
(रोली शुक्ला माल्गे)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 16.10.2023

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता वर्ष 2022-23 के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी।

वर्ष 2022–23 के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) – सीपीएफ खाता के संबंध में मौजूद आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन दिनांक 17 जुलाई, 2023 से 25 जुलाई, 2023 की अवधि के दौरान किया गया तथा इसके संबंध में रिपोर्ट निम्नानुसार है:

1. परिचय

दिनांक 10 अप्रैल, 2003 की भारत सरकार के असाधारण राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 333(ई) के अंतर्गत जारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंशदायी भविष्य निधि) नियमावली, 2003 के नियम 3(1) के अनुपालन में दिनांक 05 मई, 2003 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा)–अंशदायी भविष्य निधि (भादूविप्रा–सीपीएफ) खाता स्थापित की गई थी। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के जीपीएफ/ईपीएफ/सीपीएफ, जैसा भी मामला हो, के लिए वेतन से कटौती कर उनकी नियुक्ति की निबंधन तथा शर्तों के अनुरूप उनके मूल कार्यालय को भेज दिया जाता है। भादूविप्रा के नियमित कर्मचारियों के मामले में, सीपीएफ नियमों के अनुरूप उनके वेतन से सीपीएफ हेतु कटौतियां की जाती हैं और भादूविप्रा द्वारा कर्मचारी और साथ ही नियोक्ता के अंशदान का भुगतान, मासिक आधार पर प्रत्येक कर्मचारी की कटौती के ब्यौरे सहित भादूविप्रा–सीपीएफ खाते में जमा किया जाता है।

2. संगठनात्मक ढांचा

भादूविप्रा–सीपीएफ खाते हेतु अलग से कोई कर्मचारी नहीं है। भादूविप्रा–सीपीएफ खाते का समग्र रखरखाव न्यासी मंडल द्वारा किया जाता है, जिनका गठन केवल भादूविप्रा के कर्मचारियों से ही किया जाता है। भादूविप्रा के सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार उप. सलाहकार (एफ एण्ड ईए) न्यासी मंडल के सचिव हैं। मंडल के न्यासी निम्नलिखित हैं:

(i)	सलाहकार (प्रशासन)	:	अध्यक्ष (पदेन) भादूविप्रा सीपीएफ ट्रस्ट
(ii)	संयुक्त सलाहकार (मानव संसाधन)	:	न्यासी (पदेन)
(iii)	संयुक्त सलाहकार (एफ एंड ईए)	:	न्यासी (पदेन)
(iv)	अनुभाग अधिकारी (क्यूओएस)	:	न्यासी
(v)	सहायक (बीबी एण्ड पीए)	:	न्यासी

न्यासी मंडल के सचिव भादूविप्रा–सीपीएफ खाते के रखरखाव करने और न्यासी मंडल की बैठकों के संचालन के लिए उत्तरदायी हैं। न्यासी मंडल के सभी निर्णय उनकी आवधिक बैठकों में लिए जाते हैं।

3. आंतरिक लेखा का कार्यक्षेत्र तथा स्वतंत्रता

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का अपना स्वयं का लेखापरीक्षा प्रभाग है, जिसके प्रमुख तकनीकी अधिकारी (आईएयू) होते हैं। सीपीएफ खातों सहित आंतरिक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट स्वीकृति के लिए सचिव को प्रस्तुत की जाती है और तत्पश्चात् अपेक्षित सुधार उपायों के लिए संबंधित प्रभागों को अग्रेषित की जाती है। प्रभागों द्वारा की जाने वाली कार्यवाइयों पर निरंतर व नियमित रूप से नजर रखी जाती है।

4. निधियों की प्राप्ति व वितरण

निधियों की प्राप्ति एवं वितरण से संबंधित कार्य न्यासी मंडल के सचिव के अधीक्षण में एक अनुभाग अधिकारी द्वारा किया जाता है। भादूविप्रा सीपीएफ खाते से में कोई नकदी का लेनदेन नहीं किया जाता है क्योंकि सभी प्राप्तियां और भुगतान केवल चेक द्वारा किए जाते हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से सीपीएफ कटौतियों की प्राप्तियां तथा भादूविप्रा सीपीएफ– खाते के सदस्यों को सीपीएफ आहरण और अग्रिम के लिए किए गए भुगतान, यदि कोई हों तो, को नियमित रूप से बैंक बही में दर्ज किया जाता है।

5. निवेश

भादूविप्रा सीपीएफ–खाते की निधियों को शासकीय मानदंडों के अनुरूप विभिन्न प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। इन प्रतिभूतियों पर प्राप्त/प्रोद्भूत ब्याज को ब्याज आय में जमा किया जाता है। निवेश संबंधी निर्णय न्यासी मंडल की आवधिक बैठकों में लिए जाते हैं।

6. ब्याज

सदस्यों के सामान्य भविष्य निधि जमा का ब्याज समय–समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट दरों पर सामान्य भविष्य निधि अंशदान पर ब्याज का भुगतान करने हेतु उनके निजी खातों में जमा किया जाता है। सदस्यों को देय ब्याज में यदि कोई कमी हो तो उसकी पूर्ति भादूविप्रा की सामान्य निधि से की जाती है।

7. सीपीएफ से आहरण/अग्रिम

भादूविप्रा–सीपीएफ खाते के सदस्य सीपीएफ नियमों के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने खाते से आहरण अथवा अस्थायी अग्रिम राशि आहरित करने के पात्र हैं। सदस्यों को अग्रिम दिये जाने के मामलों में, भादूविप्रा के आहरण एवं संवितरण अधिकारी को अग्रिम की वसूली करने के लिए संबंधित सदस्यों के वेतन से की जाने वाली मासिक कटौती के संबंध में सूचित किया जाता है।

ह0/–
(रोली शुक्ला माल्गे)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 16.10.2023

अस्वीकृतिः ''प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा''।

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय एवं व्यय खाता

(राशि ₹ में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
बिक्री /सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान /सब्सिडी	13	-	-
शुल्क /अंशदान	14	-	-
निवेश से आय (निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में किए निवेश से आय – निधियों में अंतरित)	15	1,55,03,153.99	1,46,00,812.65
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	
अर्जित ब्याज	17	1,00,08,080.00	-
अन्य आय	18	6,82,581.01	75,83,324.00
तैयार माल के स्टॉक में बढ़ोतरी (कमी) और प्रगति पर कार्य	19		-
कुल (क)		**2,61,93,815.00**	**2,21,84,136.65**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	-	-
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	2,05,250.00	95,840.80
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22	-	-
ब्याज	23	2,59,88,565.00	2,16,55,485.00
म्यचूअुल फंडों में निवेश मूल्य में कमी		-	-
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में निवल योग – अनुसूची 8 के अनुरूप)		-	-
कुल (ख)		**2,61,93,815.00**	**2,17,51,325.80**
व्यय से अधिक आय के आधिक्य का शेष (क–ख)		-	4,32,810.85
निवेशों के मूल्य में ह्रास होने के कारण विविध व्यय में कुछ सीमातक अतंरित पंरतु बटट् खाते में नहीं डाला गया।			
सामान्य आरक्षित को/से अंतरण		-	4,32,810.85
संग्रह/पूंजीगत निधि में अंतरित अधिशेष/(घाटा) का शेष			
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24	-	-
आकस्मिक देयताएं और खाते पर टिप्पणियां	25	-	-

ह0/-	ह0/-	ह0/-	ह0/-	ह0/-	ह0/-
मीतू गुलाटी उप सलाहकार (एफएंडईए) सचिव (सीपीएफ)	अनिल कुमार कौशल सहायक (बीबी एंड पीए) ट्रस्टी	रेशमा एस उस्मानी अनुभाग अधिकारी (क्यूओएस) ट्रस्टी	विनय कुमार गोयल उप सलाहकार (मा.सं.) पदेन ट्रस्टी	मयूर गुप्ता सयुक्त सलाहकार (एफएंडईए) पदेन ट्रस्टी	वंदना सेठी सलाहकार (प्रशासन) पदेन अध्यक्ष

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2023 के अनुसार तुलन पत्र

(राशि ₹ में)

कॉर्पस /पूंजीगत निधियां और देयताएं	अनुसूची	राजस्व चालू वर्ष 2022-23	राजस्व पिछला वर्ष 2021-22
संग्रह / पूंजीगत निधि			
ट्राई –सीपीएफ सदस्य खाता	1	41,84,30,377.00	35,38,95,741.00
आरक्षित एवं अधिशेष	2	68,21,024.35	68,21,024.35
निर्धारित एवं बंदोबस्ती निधि	3		-
प्रतिभूति ऋण एवं उधार	4		-
अप्रतिभूति ऋण एवं उधार	5		-
अस्थगित क्रेडिट देयताएं	6		-
चालू देयताएं एवं प्रावधान	7	-	-
कुल		**42,52,51,401.35**	**36,07,16,765.35**
परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां	8		-
निवेश – निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से	9		-
निवेश – अन्य	10	40,43,70,000.00	34,66,00,000.00
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	2,08,81,401.35	1,41,16,765.35
विविध खर्च			
(बट्टे खाते में न डाले गए अथवा समायोजित नहीं किए गए)			
कुल		**42,52,51,401.35**	**36,07,16,765.35**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खाते पर टिप्पणियां	25		

ह०/-	ह०/-	ह०/-	ह०/-	ह०/-	ह०/-
मीतू गुलाटी उप सलाहकार (एफएंडईए) सचिव (सीपीएफ)	अनिल कुमार कौशल सहायक (बीबी एंड पीए) ट्रस्टी	रेशमा एस उस्मानी अनुभाग अधिकारी (क्यूओएस) ट्रस्टी	विनय कुमार गोयल उप सलाहकार (मा.सं.) पदेन ट्रस्टी	मयूर गुप्ता सयुक्त सलाहकार (एफएंडईए) पदेन ट्रस्टी	वंदना सेठी सलाहकार (प्रशासन) पदेन अध्यक्ष

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 1 - ट्राई - सीपीएफ सदस्य खाता

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
वर्ष के आरंभ में शेष	35,38,95,741.00	29,29,65,139.00
घटाएं: पिछले वर्ष के लिए समायोजन		-
जोड़ें: सदस्यों के खाते में अंशदान	6,45,34,636.00	6,09,30,602.00
जोड़े/(कटौती): आय एवं व्यय खाते से अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष		-
वर्ष की समाप्ति की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र	**41,84,30,377.00**	**35,38,95,741.00**

अनुसूची 2 - आरक्षित एवं अधिशेष

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
1. पूंजी आरक्षित:		
पिछले खाते के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
2. पुनर्मल्यांकन आरक्षित:		
पिछले खाते के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
3. विशेष आरक्षित:		
पिछले खाते के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
4. सामान्य आरक्षित:		
पिछले खाते के अनुसार	68,21,024.35	63,88,213.50
वर्ष के दौरान जमा	-	4,32,810.85
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
कुल	**68,21,024.35**	**68,21,024.35**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 3 - निर्धारित / बंदोबस्ती निधि

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
क) निधि का आरंभिक शेष		
ख) निधि में वृद्धि		
i. दान / अनुदान		
ii. निधि के खाते में निवेश से आय		
iii. अन्य जमा (विशेष प्रकृति)		
ग) निधि के उद्देश्य पर उपयोग/व्यय		
i. पूंजीगत व्यय		
- स्थायी परिसंपत्ति		
- अन्य		
कुल		
ii. राजस्व व्यय		
- वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि		
- किराया		
- अन्य प्रशासनिक व्यय		
वर्ष की समाप्ति पर निवल शेष (क+ख+ग)		

टिप्पणियां:-

1) अनुदानों से संबंधित शर्तों के आधार पर प्रकटीकरण को प्रासंगिक शीर्ष के अधीन रखा जाना चाहिए
2) केंद्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियों को अलग निधियों के रूप में दर्शाया जाए और किसी अन्य निधि के साथ शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 4 - प्रतिभूति ऋण और उधार

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
1. केंद्र सरकार		
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		
3. वित्तीय संस्थाएं		
4. बैंक		
क) सावधि ऋण		
– ब्याज प्रोद्भूत एवं देय		
ख) अन्य – ऋण (निर्दिष्ट करें)		
– ब्याज प्रोद्भूत एवं देय		
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां		
6. डिबेंचर और बॉण्ड		
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 5 - अप्रतिभूति ऋण और उधार

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
1. केंद्र सरकार		
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		
3. वित्तीय संस्थाएं		
4. बैंक		
क) सावधि ऋण		
– ब्याज प्रोद्भूत एवं देय		
ख) अन्य – ऋण (निर्दिष्ट करें)		
– ब्याज प्रोद्भूत एवं देय		
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां		
6. डिबेंचर और बॉण्ड		
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

टिप्पणी: एक वर्ष के अंदर देय राशि

अनुसूची 6 - आस्थगित क्रेडिट देयताएं

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
क) पूंजीगत उपस्करों एवं अन्य परिसंपत्तियों के उपप्राधीयन द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां		
ख) अन्य		
कुल		

टिप्पणी: एक वर्ष के अंदर देय राशि

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 7 - चालू देयताएं और प्रावधान

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
क. चालू देयताएं		
1) स्वीकार्यता		
2) विविध ऋणदाता		
क) वस्तुओं के लिए		
ख) अन्य		
3) प्राप्त अग्रिम		
4) प्रोद्भूत ब्याज पर निम्न पर देय नहीं:		
क) प्रतिभूति ऋण / उधार		
ख) अप्रतिभूति ऋण / उधार		
5) सांविधिक देयताएं		
क) अतिदेय		
ख) अन्य		
6) अन्य चालू देयताएं		
कुल (क)	-	-
ख. प्रावधान		
1. कराधान के लिए	-	-
2. ग्रेच्युटी	-	-
3. अधिवर्षिता / पेंशन	-	-
4. संचित अवकाश नकदीकरण	-	-
5. व्यापार वारंटी / दावे	-	-
6. अन्य (विदेश मंत्रालय / भादूविप्रा को देय)	-	-
कुल (ख)	-	-
कुल (क+ख)	-	-

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां
अनुसूची - 8 स्थायी परिसंपत्तियां

	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत तक योग	चालू वर्ष के अंत तक	पिछले वर्ष के अंत तक
क. स्थायी संपत्तियां:										
1. भूमि										
क) फ्रीहोल्ड										
ख) लीज़लोल्ड										
2. भवन										
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर										
ख) लीज़लोल्ड भूमि पर										
ग) स्वामित्व फ्लैट/परिसर										
घ) भूमि पर अतिसंरचना संस्था से संबंधित नहीं										
3. संयत्र मशीनें एव उपकरण										
4. वाहन										
5. फर्नीचर, फिक्सचर										
6. कार्यालय उपस्कर										
7. कंप्यूटर/पेरिफिरल										
8. इलैक्ट्रिक संस्थापन										
9. पुस्तकालय पुस्तकें										
10. ट्यूबवैल एवं जल आपूर्ति										
11. अन्य स्थायी परिसंपत्तियां										
चालू वर्ष का योग										
पिछला वर्ष										
ख. पूंजीगत कार्य प्रगति पर										
कुल										

(टिप्पणी: उपरोक्त सहित किराया क्रय पर परिसंपत्तियों की लागत के रूप में दिया जाना चाहिए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 9 - निर्धारित/अक्ष्यनिधियों से निवेश

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	/	/
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां		
3. शेयर		
4. डिबेंचर एवं बॉण्ड		
5. सहायक कंपनियाँ एवं संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची 10 - निवेश अन्य

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	20,90,70,000.00	18,15,00,000.00
– दीर्घावधि निवेश		
– चालू निवेश		
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां		
3. शेयर		
4. डिबेंचर एवं बॉण्ड		
5. सहायक कंपनियाँ एवं संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (बैंक/पीएसयू में सावधि जमा) – दीर्घावधि	19,53,00,000.00	16,51,00,000.00
कुल	**40,43,70,000.00**	**34,66,00,000.00**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 11 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
क. चालू परिसंपत्तियां:		
1. सामान		
क) स्टोर्स और स्पेयर्स		
ख) लूज टूल्स		
ग) स्टॉक–इन–ट्रेड		
तैयार माल		
कार्य प्रगति पर		
कच्चा माल		
2. विविध डेब्टर्स		
क) छह माह की अवधि से अधिक बकाया डेब्ट		
ख) अन्य		
3. हाथ में नकदी शेष (चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित)		
4. बैंक शेष:		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
– चालू खाता पर		
– जमा खाते पर (मार्जिन राशि सहित)	-	-
– बचत खाते पर	9,43,504.23	45,83,363.29
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ		
– चालू खाता पर		
– जमा खाते पर		
– बचत खाते पर		
5. डाकघर बचत खाता		
कुल (क)	**9,43,504.23**	**45,83,363.29**

जारी.......

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 11 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां		
1. ऋण		
क) स्टाफ		
ख) संस्थान के समान गतिविधियों/उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाएं		
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
2. अग्रिम एवं नकद में या उस प्रकार वसूली योग्य अन्य राशि अथवा प्राप्त होने वाली राशिः		
क) पूंजीगत खाते पर		
ख) पूर्व भुगतान		
ग) अन्य		
3. प्रोद्भूत आय		
क) निधारिंत/बंदोबस्ती निधियों से निवेश पर		
ख) निवेश – अन्य पर	1,94,84,035.11	95,33,402.06
ग) ऋण एवं अग्रिम पर		
घ) अन्य (देय आय में वसूली न गई राशि सहित)		
4. दावे प्राप्तयोग्य	4,53,862.01	
कुल (ख)	**1,99,37,897.12**	**95,33,402.06**
कुल (क + ख)	**2,08,81,401.35**	**1,41,16,765.35**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय एवं व्यय खाते का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 12 - बिक्री / सेवाओं से आय

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
1. बिक्री से आय		
क) तैयार माल की बिक्री		
ख) कच्चे माल की बिक्री		
ग) स्क्रैप की बिक्री		
2. सेवाओं से आय		
क) मजदूरी और प्रसंस्करण प्रभार		
ख) पेशेवर/सलाहकार सेवाएं		
ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली		
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)		
ड़) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची 13 - अनुदान / सब्सिडी

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
(अप्रतिसंहरणीय अनुदान एवं सब्सिडी प्राप्त)		
1. केंद्र सरकार		
2. राज्य सरकार		
3. सरकारी एजेंसियां		
4. संस्थान/कल्याणकारी निकाय		
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन		
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय एवं व्यय खाते का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 14 - शुल्क / अंशदान

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
1. प्रवेश शुल्क	/	/
2. वार्षिक शुल्क / अंशदान		
3. सम्मेलन / कार्यक्रम शुल्क		
4. परामर्श शुल्क		
5. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

टिप्पणी: प्रत्येक मद की लेखांकन नीतियां प्रकट की जानी चाहिए

अनुसूची 15 - निवेशों से आय

(राशि ₹ में)

(निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में किए गए निवेश से प्राप्त आय का निधि में अंतरण)	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
1. ब्याज		
क) सरकारी प्रतिभूति पर	1,55,03,153.99	1,46,00,812.65
ख) अन्य बोंड / डिबेंचर्स		
2. लाभांश		
क) शेयरों पर		
ख) म्युचुअल फंड प्रतिभूतियों पर		
3. किराया		
4. अन्य		
कुल	**1,55,03,153.99**	**1,46,00,812.65**
निर्धारित / बंदोबस्ती निधियों को अंतरित		

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय एवं व्यय खाते का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 16 - रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
1. रॉयल्टी से आय		
2. प्रकाशन से आय		
3. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
1. सावधि जमा पर		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	99,37,633.00	74,03,480.00
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ		
ग) संस्थानों के साथ		
घ) अन्य		
2. बचत खातों पर		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	70,447.00	1,79,844.00
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ		
ग) संस्थानों के साथ		
घ) अन्य		
3. ऋणों पर		
क) कर्मचारी/स्टाफ		
ख) अन्य		
4. डेब्टर्स एवं अन्य प्राप्यों पर ब्याज		
कुल	**1,00,08,080.00**	**75,83,324.00**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय एवं व्यय खाते का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 18 - अन्य आय

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ		
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां		
ख) अनुदानों से अथवा निःशुल्क प्राप्त की गई परिसंपत्तियां		
2. वसूले गए निर्यात प्रोत्साहन		
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क		
4. विविध आय – सरकारी प्रतिभतियों पर प्राप्त छूट	2,28,660.00	
5. अन्य आय–अतिरिक्त बैंक शुल्क प्राप्त	59.00	
6. ट्राई से वसूली योग्य कमी	4,53,862.01	-
कुल	**6,82,581.01**	-

अनुसूची 19 - निर्मित माल के स्टॉक एवं प्रगतिशील कार्य में वृद्धि/(कमी)

	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
क) अंतिम स्टॉक	/	/
- तैयार माल		
- प्रगतिशील कार्य		
ख) घटाएं आंरभिक स्टॉक		
- तैयार माल		
- प्रगतिशील कार्य		
निवल वृद्धि / (कमी) (क - ख)		

अनुसूची 20 - स्थापना व्यय

	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
क) वेतन एवं मजदूरी	/	/
ख) भत्ते एवं बोनस		
ग) भविष्य निधि में योगदान		
घ) अन्य निधि में योगदान (निर्दिष्ट करें)		
ड़) स्टाफ कल्याण खर्च		
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और आवधिक लाभ		
छ) अन्य		
कुल		

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय एवं व्यय खाते का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
क) खरीद		
ख) मजदूरी और प्रसंस्करण व्यय		
ग) कार्टेज और कैरिज प्रभार		
घ) विद्युत एवं पॉवर		
ड़) जल प्रभार		
च) बीमा		
छ) मरम्मत एवं रखरखाव		
ज) सीमा शुल्क		
झ) किराया, दर और कर		
ञ) वाहन चालन एवं रखरखाव		
ट) डाक, दूरभाष एवं संचार प्रभार		
ठ) प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी		
ड) यात्र एवं परिवहन व्यय		
ण) सेमिनार/ कार्यशाला पर व्यय		
त) अंशदान व्यय		
थ) शुल्क पर व्यय		
द) लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक		
ध) आतिथ्य–सत्कार पर शुल्क		
न) पेशवेर शुल्क		
प) अशोध्य एवं संदिग्ध कर्ज/अग्रिमों के लिए प्रावधान		
फ) बट्टे खाते डाला गया अवूसलनीय शेष		
भ) पैकिंग प्रभार		
म) मालभाड़ा एवं अग्रेषण व्यय		
य) वितरण व्यय		
र) विज्ञापन एवं प्रचार		
व) अन्य (सरकारी प्रतिभूतियों पर भुगतान किया गया प्रीमियम)	2,05,250.00	
डीएलआईएस	-	60,000.00
बैंक एवं वित्त प्रभार		35,840.80
कुल	**2,05,250.00**	**95,840.80**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय एवं व्यय खाते का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 22 - अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
क) संस्थानों / संगठनों के लिए दिया गया अनुदान	/	/
ख) संस्थानों / संगठनों के लिए दी गई सब्सिडी		
कुल		

टिप्पणी: संस्थान के नाम, दी गई अनुदानों/सब्सिडी की राशि के साथ उनकी गतिविधियों का उल्लेख करें

अनुसूची 23 - ब्याज

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
क) सावधि ऋणों पर		
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित)		
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें) – सदस्यों को ब्याज का भुगतान	2,59,88,565.00	2,16,55,485.00
वित्त प्रभार		
कुल	**2,59,88,565.00**	**2,16,55,485.00**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान विवरण

(राशि ₹ में)

प्राप्ति	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
I. आरंभिक शेष		
क) हाथ में नकदी		
ख) बैंक शेष		
i) चालू खाते में		
ii) जमा खाते में		
iii) बचत खाते	45,83,363.29	50,14,663.09
II प्राप्त अनुदान		
क) भारत सरकार से		
ख) राज्य सरकार से		
ग) अन्य स्रोतों से (विवरण दें)		
(पूंजी एवं राजस्व व्यय के लिए अनुदान को अलग–अलग दर्शाया जाए)		
III निम्न में निवेश से आय		
क) निर्धारित / बंदोबस्ती निधि		
ख) स्वयं की निधियां (म्युचूअल फंड में निवेश पर)		
IV प्राप्त ब्याज		
क) बैंक जमा पर	3,12,979.00	1,18,85,381.00
ख) ऋण, अग्रिम आदि		
ग) विविध	1,51,77,174.94	1,47,64,425.00
घ) बचतों पर ब्याज	70,447.00	1,79,844.00 -
V अन्य आय (निर्दिष्ट करें)		
विविध आय के लिए		
सरकारी प्रतिभूतिंयो पर प्राप्त छूट के लिए	2,28,660.00	-
बैंक शुल्क के लिए	117.41	-
VI उधार ली गई राशि		
VII कोई अन्य प्राप्ति (विवरण दें)		
शुल्क		
पूंजीगत निधि		
प्रकाशन की बिक्री		
परिसंपत्तियों की बिक्री		
सदस्यों से अंशदान	3,93,72,105.00	3,83,56,765.00
ट्राई से अंशदान	1,06,24,136.00	1,09,24,029.00
शेष का अंतरण		-
अग्रिमों का पुनःभुगतान	9,33,133.00	9,73,650.00
एफडी की परिपक्वता/म्युचूअल फंड का नकदीकरण	1,15,00,000.00	9,89,00,000.00
कुल	**8,28,02,115.64**	**18,09,98,757.09**

भुगतान	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
I. व्यय		
क) स्थापना व्यय		
ख) प्रशासनिक		
ग) बैंक प्रभार	58.41	70.80
घ) वित्तीय प्रभार		35,770.00
ङ) सरकारी प्रतिभूतियों को भुगतान किया गया प्रीमियम	2,05,250.00	
II विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से किया गया भुगतान		
(प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण सहित निधि अथवा परियोजना का नाम दर्शाया जाए)		
III. किए गए निवेश एवं जमा		
क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से		
ख) स्वयं निधि से (निवेश – अन्य)		
(निवेश – फ्लेक्सी खाता)	6,92,70,000.00	16,49,00,000.00
IV. स्थायी परिसंपत्तियां एवं प्रगतिशील कार्य पर व्यय		
क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद		
ख) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य पर व्यय		
V. अधिशेष राशि/ऋण की वापसी		
क) भारत सरकार को		
ख) राज्य सरकार को		
ग) निधियों के अन्य प्रदाताओं को		
VI. वित्तीय प्रभार (ब्याज)		
VII. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)		
अंतिम भुगतान	14,43,803.00	57,29,327.00
अग्रिम एवं निकासी	1,09,39,500.00	53,10,000.00
शेष राशि का स्थानांतरण		4,40,226.00
VIII. अंतिम शेष		
क) हाथ में नकदी		
ख) बैंक शेष		
i) चालू खाते में		
ii) जमा खाते में		
iii) बचत खाते मे	9,43,504.23	45,83,363.29
कुल	**8,28,02,115.64**	**18,09,98,757.09**

ह०/-	ह०/-	ह०/-	ह०/-	ह०/-	ह०/-
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------
मीतू गुलाटी	**अनिल कुमार कौशल**	**रेशमा एस उस्मानी**	**विनय कुमार गोयल**	**मयूर गुप्ता**	**वंदना सेठी**
उप सलाहकार (एफएंडईए)	**सहायक (बीबी एंड पीए)**	**अनुभाग अधिकारी**	**उप सलाहकार**	**सयुक्त सलाहकार**	**सलाहकार (प्रशासन)**
सचिव (सीपीएफ)	**ट्रस्टी**	**(क्यूओएस) ट्रस्टी**	**(मा.सं.) पदेन ट्रस्टी**	**(एफएंडईए) पदेन ट्रस्टी**	**पदेन अध्यक्ष**

अनुसूची 24 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1 **लेखा परंपराएंः**

i) वित्तीय विवरण लेखा महानियंत्रक द्वारा उनके पत्र सं एफ. सं.19 (1)/विविध/2005/टीए/450–490 दिनांकित 23–7–2007 द्वारा अनुमोदित ''खातों के एकसमान प्रारूप'' में तैयार किए गए हैं।

ii) लेखा चालू वर्ष अर्थात् 2022–23 के लिए संग्रहण के आधार पर तैयार किया गया है। पिछले साल से लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अनुसूची 25 - आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां

आकस्मिक देयताएंः

1 संस्था के खिलाफ कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावे–शून्य

खातों पर टिप्पणियां

1 वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) की दिनांक 2 मार्च, 2015 की अधिसूचना, जो दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से लागू है, में विनिर्धारित पैटर्न के अनुसार निवेश किए गए हैं।

2 अनुसूची 10 (निवेश – अन्य) में दर्शाए गए निवेश में ₹ 20,90,70,000.00 की सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश और अन्य (बैंकों/सार्वजनिक उपक्रमों में एफडी) की राशि ₹ 19,53,00,000.00 शामिल हैं।

3 वर्ष के दौरान स्वीकृत निकासी/अग्रिम राशि ₹1,09,39,500.00 है। सदस्यों को दिया गया ब्याज ₹ 2,59,88,565.00 है और अग्रिम की वापसी ₹ 9,33,133.00 है।

4 आय की तुलना में व्यय की कमी के कारण ₹ 4,53,862.01 की राशि को अनुसूची 11 और 18 में क्रमशः वसूली योग्य और अन्य आय के रूप में दिखाया गया है।

5 जहां आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःवर्गीकृत/व्यवस्थित किया गया है।

ह०/-	ह०/-	ह०/-	ह०/-	ह०/-	ह०/-
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------
मीतू गुलाटी उप सलाहकार (एफएंडईए) सचिव (सीपीएफ)	अनिल कुमार कौशल सहायक (बीबी एंड पीए) ट्रस्टी	रेशमा एस उस्मानी अनुभाग अधिकारी (क्यूओएस) ट्रस्टी	विनय कुमार गोयल उप सलाहकार (मा.सं.) पदेन ट्रस्टी	मयूर गुप्ता सयुक्त सलाहकार (एफएंडईए) पदेन ट्रस्टी	वंदना सेठी सलाहकार (प्रशासन) पदेन अध्यक्ष

अस्वीकृतिः ''यह रिपोर्ट मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित वार्षिक रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित रिपोर्ट मान्य होगा''।

सत्यमेव जयते

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA